खण्ड-352, अंक-4
शुक्रवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1903
(18 सितम्बर, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 352 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	671–674
प्रश्नोत्तर	675–779
शारदा नदी की बाढ़ से पीलीभीत के पूरनपुर तहसील के डाटरगंज ग्राम की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	779–780
प्रदेश के अस्पतालों में बिजली की कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	780
जिला जनता पार्टी छत्तरपुर, मध्य प्रदेश द्वारा रनगवां बांध पर कब्जा करने से बांदा जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	780–781
जिला शाहजहांपुर के जिला अस्पताल तथा उपकेन्द्रों पर दवाइयों का अभाव तथा मुख्य लिपिक श्री एम0 एस0 पाण्डेय द्वारा दवाओं की खरीद में घपला के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	781
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 1979–80 का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया।) ..	782
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1978–79 (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया।)	782
वित्तीय निगम के वर्ष 1979–80 के लेखा पर महा लेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन .. (सदन के पटल पर रखा गया।)	782
सदन के पटल पर रखने वाले आइटम एक ही मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर श्री अध्यक्ष द्वारा आपत्ति ..	782
पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया।) .	782
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया।) ..	783
विधान सभा सदस्य, श्री राम सागर की गिरफ्तारी की सूचना ..	783
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, 1981 का प्रथम प्रतिवेदन .. .. (प्रस्तुत किया गया)	783

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1981–82) का विशेष प्रतिवेदन .. .. .. (प्रस्तुत किया गया)	784
[illegible]धिकारी, उतरौला (गोंडा) श्री प्यारे लाल लोई के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार का अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	784–785
अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड 23, श्री राजेश चन्द्र के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	785–786
कार्य–मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	786–792
राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड तथा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ..	792–793
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	793–794
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री–कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 (पारित)	794–801
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 (पारित)	802–812
उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 (पारित)	813–814
प्रदेश की आर्थिक उन्नति हेतु समस्त ऊसर, बंजर, बीहड़ और परती भूमि को कृषि योग्य बना कर पूर्ण उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत)	815–849
विधान सभाओं तथा लोक सभा के चुनावों के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	849
नियम 51 अन्तर्गत सूचनाएं	849
अनुक्रमणिका	851–860

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--335

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्मल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुल्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ल, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदा दीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)

चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौर गढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदी लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री अल्मोड़ा)
जितेन्द्र सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिकानाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बच्चन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)

ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
मण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मारकंडेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर, (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन बारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राय, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तान)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
रानेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह, खन्ना श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)

रिआसत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, (मथुरा)
वासुदेव, सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोभित सिंह, श्री (बिजनौर)

श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सरहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवल, श्री (जालौन)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीस, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
श्री हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 18 सितम्बर, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

टांडा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित किसानों का क्रमिक अनशन तथा उनकी मांगों पर कृत कार्यवाही

*1--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित किसान संघर्ष समिति के माध्यम से टांडा तहसील प्रांगण में सन् 1978-79 में प्रभावित किसानों की जायज मांगों को लेकर किसानों ने अनशन किया था तथा सरकार व स्थानीय अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का समझौता हुआ था ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*ऊर्जा उप मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी हां । टांडा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित किसानों ने वर्ष 1978-79 में कुछ मांगों को लेकर तहसील टांडा के प्रांगण में क्रमिक अनशन किया था। इस सम्बन्ध में सरकार व स्थानीय अधिकारियों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था । दिनांक 9 फरवरी, 1979 को राजस्व सचिव की अध्यक्षता में सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक हुई थी । उक्त बैठक में विचार विमर्श के फलस्वरूप प्रभावित किसानों को जो सुविधायें प्रदान की गयीं उसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 851 पर ।)

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि किसानों का अनशन तहसील प्रांगण में किस तारीख से शुरू हुआ और किस तारीख को खत्म हुआ ? तथा क्या काश्तकारों की तरफ से कोई मांग-पत्र शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

किसानों का अनशन 28 जून, 1978 को शुरू हुआ और 1 जुलाई, 1978 तक चला । उसके बाद किसानों ने एक 16 सूत्री मांग पत्र शासन को दिया तथा उस सम्बन्ध में शासन ने जो कार्यवाही की उसकी सूची संलग्न है ।

16 मांगें हैं, यदि आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं . . . .

श्री अध्यक्ष--

पढ़ दें ।

श्री सुनील शास्त्री—]

उनकी मांगें निम्न प्रकार हैं :—

(1) थर्मल पावर हाउस से प्रभावित किसानों को सम्पूर्ण भूमि का प्रतिकर (मुआवजा) कम से कम 20 हजार रुपया प्रति एकड़ को दर से दिया जाये तथा उनके प्रतिकर के सम्पूर्ण धनराशि का नकद भुगतान एक ही बार में भूमि अधिग्रहण से पूर्व किया जाय ।

(2) प्रभावित ग्रामों का पिछले वर्ष—चकबन्दी हुई है और उसमें भूमिसुधार योजना के अन्तर्गत कार्य हुआ है । भूमि अधिग्रहण से किसान अपनी जमीन से कोई लाभ नहीं उठा सके । अतः चकबन्दी और भूमि सुधार का खर्च किसानों को वापस किया जाये ।

(3) चकबन्दी में काश्तकारों की मालियत से 5 से 8 प्रतिशत को कटौती हुई है, चकरोड और नाली से किसान लाभ नहीं उठा सके । कटौती की भूमि के बदले सड़क के किनारे दुकान बनवाकर भूमि के अनुसार सम्बन्धित काश्तकारों को दिया जाय ।

(4) प्रभावित किसानों के परिवार के सदस्यों को पावर हाउस में नौकरियां अनिवार्यतः प्रदान की जायं यदि उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता हो तो उसका प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की जाय । इसके अतिरिक्त उन्हें लाइसेन्स एजेन्सी ठेके आदि में वरीयता दी जाय ।

(5) किसानों ने कृषि कार्य के लिये सरकार से ऋण लिया है खेत निकल जाने के बाद ट्यूब वेल, ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट बेकार हो जायेंगे । अतः सरकार उन मशीनों को वापस ले और उन्हें ऋण से मुक्त करे ।

(6) किसानों में से जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं उनके व्यवस्थित होने तक ब्याज रहित ऋण दिया जाये । जिससे वे कोई उद्योग या या कारबार कर सकें । बाद में उनसे नाममात्र की ब्याज दर से ऋण वापस लिया जाय ।

(7) किसानों के बाल बच्चों को मुफ्त शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता अनुदान आदि की व्यवस्था की जाय और भविष्य में जो जिस योग्य हो उन्हें पुश्त दर पुश्त नौकरी देने की व्यवस्था की जाय ।

(8) जो किसान कहीं अन्यत्र जमीन खरीदना चाहें उनको सरकारी फीस (रजिस्ट्री विभाग) माफ की जाय तथा डम्प (राख) रखने हेतु ली जाने वाली भूमि सर्वप्रथम तालाबी एरिया लिया जाय । यदि नक्शों के मुताबिक भूमि कम पड़े तो तालाब क्षेत्र के चारों ओर की भूमि अधिग्रहण की जाय ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह बहुत लम्बा है, इस सब की क्या आवश्यकता है, बस करें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अब आप रहने दें, न पढ़ें ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने जो संलग्नक दिया है उसमें किसानों को बाजार भाव की दर से पैसा देने की बात कही है । मैं जानना यह चाहता हूं कि वह बाजार रेट क्या था और क्या सरकार को यह जानकारी है कि जो कोई रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रार आफिस में जाता है तो 4,500 रुपये प्रतिएकड़ के हिसाब से रेट लगाकर कोर्ट स्टैम्प फीस ली जाती है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जो बाजार दर थी उसी दर से कम्पेन्सेशन दिया गया । उसके बाद उसके ऊपर ढाई हजार रुपये एक्सग्रेशिया भी दिया गया ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

बाजार दर क्या थी ?

श्री सुनील शास्त्री—

इसको मालूम करना पड़ेगा, मैं माननीय सदस्य को बाद में बता दूंगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

बाजार रेट का पता लगाने में परेशानी होती है और उसमें भ्रष्टाचार की भी काफी गुन्जायश रहती है । मैं जानना यह चाहता हूं कि रजिस्ट्री के लिये जो आपने नियम बनाये हैं स्टैम्प लगाने के बारे में, क्या उसी रेट के हिसाब से कम्पेन्सेशन देने की सोचेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मैंने पहले ही बता दिया है कि जो कम्पेन्सेशन दिया जायेगा उसकी धनराशि पर कोई फीस नहीं लगेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

जब कोई आदमी जमीन परचेज करता है तो आपने एक फारमूला बना रखा है कि जमीन का यह रेट लगाकर स्टैम्प देना पड़ेगा । मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप उसी रेट पर, जिस रेट पर आप स्टैम्प लगवाते हैं, मुआवजा किसानों को देने पर विचार करेंगे ?

नियोजन एवं वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

यह समस्त विषय शासन के विचाराधीन है कि किस तरह से कम्पेन्सेशन नीति को तर्क संगत बनाया जाये ।

श्री पंचानन राय—

जब अनशन प्रारम्भ हुआ और जब अनशन समाप्त हुआ, इस बीच में सरकार और अनशनकारियों के बीच क्या कोई समझौता हुआ ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां के जिलाधिकारियों तथा किसानों के बीच कोई बात तय नहीं हुई । लेकिन जो उनकी 16 मांगें थीं, उनमें से 5 मांगें जो उचित थीं उन पर सरकार ने विचार किया और उनको स्वीकार कर लिया ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

यह सूचना जो दी जा रही है कि स्थानीय अधिकारियों के और किसानों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ यह बात असत्य है । मैं चाहूंगा कि आप इसकी पुष्टि पुनः करा लीजिये ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री मित्रसेन—

यह निर्णय लिया गया था कि जिन किसानों की जमीनें ली जायेंगी उनके परिवार वालों को नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी, क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और यदि हां, तो क्या प्राथमिकता सरकार नौकरियों में देगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

सरकार ने वहां के परिवारों के 30 व्यक्तियों को नौकरी दी है ।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि 30 व्यक्तियों को नौकरी दी गयी । क्या वे यह भी बतायेंगे कि अब तक कितने परिवारों की जमीन वहां पर ली गयी है ? और क्या अब तक उन प्रभावित परिवारों में से कितने लोग नौकरी के इच्छुक हैं और क्या वे अपने प्रार्थना-पत्र आपके यहां दिये हैं ? जो प्रार्थना-पत्र आपके यहां उक्त परियोजना पर प्राप्त हुए हैं उन अभ्यर्थियों की योग्यताएं क्या हैं और उसकी सूची आपके इस परियोजना में बनवाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण माननीय मन्त्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, 50 प्रतिशत से ज्यादा जिसकी जमीन ली गयी है, उन परिवार वालों को नौकरी दी गयी है । कितने किसान इससे प्रभावित हैं, मैं इसकी सूचना मंगा कर माननीय सदस्य के पास भिजवा दूंगा ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान सरकार के उस शासनादेश की तरफ गया है जो समय-समय पर ऐसे प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में हुए हैं ? अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 023/25/1975 (कार्मिक-2) । कार्मिक विभाग द्वारा इस तरह के क्या कोई शासनादेश सरकार ने जारी किये हैं कि जिन किसानों की जमीन ली जायगी उसमें 50 फीसदी का हवाला दिया गया है ? मान्यवर, उसमें इस

बात का हवाला दिया गया है कि जिन किसानों की जमीन ली जायगी, उनके परिवार में से एक-एक व्यक्ति को नौकरी दी जायगी । क्या माननीय मंत्री जी उस शासन देश को निकाल कर देखने की कृपा करेंगे और उसके अनुसार प्रत्येक प्रभावित किसान के परिवार के एक-एक व्यक्ति को नौकरी देने का आदेश देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन परिवार के लोगों की जमीनें ली गयी हैं, उनको नौकरी देने के बारे में विचार करके सुनिश्चित किया जायेगा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मुझे इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी है । मैं उस समय उस प्रभावित किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष था और वहीं पर किसानों और जिलाधिकारी के बीच एक समझौता हुआ था । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी द्वारा सदन को इस तरह का सूचना देकर गुमराह किया जा रहा है । इस प्रश्न को या तो स्थगित कर दिया जाय अथवा सही उत्तर दिलाने की कृपा की जाय ।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री प्रियदर्शी अेतली--

उस परियोजना से वहां के चौकीदार, ड्राइवर, फोर्थ क्लास इम्पलाइज भी प्रभावित हुए हैं, जोकि उस प्रभावित गांव के निवासी हैं, जिनकी जमीनें ली गयी हैं उनके परिवार वालों को भी नौकरी मिलने का हक होते हुए भी, बाहर के लोगों को वहां पर रखा गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि बाहर के लोगों को रखा गया है, तो क्यों ? क्या उन गांवों में से उक्त पदों के लिए प्रार्थना-पत्र उक्त सूची में नहीं थे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पूर्ण जांच की जायगी और आवश्यक कार्यवाही जांच के पश्चात् की जायगी ।

श्री प्रियदर्शी अेतली--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जो भी सम्भव होगा, वह किया जायगा ।

[शुक्रवार, 18 सितम्बर, 1981 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

*1--श्री गुलाब सेहरा--

[मन्त्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण निरस्त ।]

टांडा थर्मल प्रोजेक्ट के लिये प्राप्त सरिया ऐंगिल, गाटर, चैनल आदि को तोलने की व्यवस्था

*2--श्री वृद्धि नारायन सिंह तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा थर्मल प्रोजेक्ट के लिए सरिया, ऐंगिल, गाटर, चैनल जहां उतार व रखा जा रहा है, उसको तोलने की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

टांडा थर्मल प्रोजेक्ट के लिये जो सरिया, ऐंगिल, गाटर व चैनल प्राप्त हो रहा है उनमें से 12 मिलोमीटर व्यास तक का सरिया को तौल के लिये दो टन व तीन टन का दो वेइग मशीन (Weighing machine) लगा हुई है। 12 मिलीमीटर व्यास के ऊपर का सरिया, ऐंगिल गाटर व चैनल की तोल के लिये अभी व्यवस्था नहीं है। परियोजन स्थल पर 20 टन के वेइंग (Weighing Bridge) का स्थापना का जा रही है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मशीन का तसकिरा किया है, कब से लगी और अब तक कितना सरिया, लोहा, ऐंगिल वहां आया है, दूसरी बात इस सम्बन्ध में इस सदन में भी यह मामला उठा था कि वहां पर लोहा कम आया और सेमेंट पूरा हो गया, यह परम्परा बनी हुई है। यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट 3 सौ करोड़ का वहां पर तो वेब्रिज मशीन का व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष--

आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दें कि अब तक मशीन क्यों नहीं लगाई गई।

श्री सुनील शास्त्री--

79 में वेब्रिज मशीन लगाने का निर्णय लिया गया था इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत परिषद् द्वारा भारत सरकार की कम्पनी को आर्डर प्लेस किया गया है। बहुत शीघ्र ही 81-82 में वह कम पूरा हो जायेगा और वह मशीन चालू हो जायेगी।

श्री वृद्धि नारायन सिंह--

माननवर, अब तक यहां कितनी 12 मिलो मीटर व्यास की सरिया आई है।

श्री सुनील शास्त्री--

सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री वृद्धि नारायन सिह--

अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि 12 मिलीमीटर व्यास की सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरिया कम आई है और उसको छिपाया जा रहा है । वहां पर मशीन नहीं है इसलिए तौल नहीं की जा रही है । वहां का एक साप्ताहिक है दिनांक 11 जून उसमें निकला है 165 टन सरिया कलकत्ता की किसी फर्म से आई और उसको जो छुड़ाने गये उनको लगा कि माल कम है उसका निष्कर्ष यह निकला कि 150 टन कम निकला । माल छुड़ाया गया और उसका पेमेंट भी कर दिया गया, मशीन न होने से न तो तौल हो रही है और न कुछ पता चल रहा है । इस प्रकार की दुव्यंवस्था है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी सूचना मंगा लें और तब तक के लिए प्रश्न स्थागित रखा जाय तो अच्छा होगा ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री वृद्धि नारायन सिंह--

मान्यवर, प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

जो घटना अभी हमारे माननीय विधायक ने समाचार-पत्र में पढ़कर सुनाया इसकी सूचना की आवश्यकता कैसे पड़ी ? जब यह बात इस सदन में पिछली बैठक में श्री गोपीनाथ वर्मा ने उठाया था, तो आज भी सूचना की आवश्यकता है इसका मतलब है कि सरकार ने जो कार्यवाही का आश्वासन दिया था उसका पूरा पालन नहीं हुआ । मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी योजना 3 सौ करोड़ की योजना लगी लेकिन लोहा, सीमेन्ट को तौलने की व्यवस्था नहीं हुई । मेरा आरोप है सरकार के ऊपर और विभाग के ऊपर की वह जानबूझ कर इस काम को कर रहे हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं । मैं सरकार से स्पष्ट आदेश चाहता हूं कि कब तक यह मशीन लग जायेगी ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे ब्रिज मशीन कब लगेगी और सरिया की सप्लाई इस योजना के लिये किस तिथि से हो रही है ?

श्री सुनील शास्त्री--

1982 में वे ब्रिज मशीन लग जायेगी । जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है सरिया तभी से आ रहा है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

स्टेट से सरिया सप्लाई हुई है तो उसकी तारीख बता दें और वेब्रिज मशीन कब लगेगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

सरिया कब से सप्लाई हो रही है इसके लिए सूचना एकत्र करनी पड़ेगी वेब्रिज मशीन 1982 में लगेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जब सूचना नहीं है तो यह प्रश्न स्थगित कर दें ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि सूचना मंगा रहे हैं लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरिया की तौल वेब्रिज से नहीं होती है बल्कि उसको तौलने का एक सिम्पल फार्मूला "पाई स्कावयर" होता है जिससे बिना तौले ही सरियों का बजन बताया जा सकता है कि इतने बजन की हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कब से सरिया सप्लाई हो रही है, यह बता दें ।

श्री ब्रह्म दत्त--

सरिया तबसे आ रही होगी जबसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने जो फार्मूला बताया वह तो एप्लाई नहीं हो पाया इसीलिए 1979 से वेब्रिज मशीन लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है 1982 में मिल पायेगी । तो 1979 से मशीन को लाने के क्या-क्या प्रयास किया और क्या कठिनाई आपके सामने आई है वह बता दें ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, कलकत्ता में बिजली कटौती के कारण वहां से पार्ट सप्लाई नहीं हो पाये लेकिन शीघ्र ही यह पार्ट आ जायेंगे और मार्च, 1982 तक यह वेब्रिज मशीन इंस्टाल कर दी जायेगी ।

श्री मित्रसेन--

क्या सरिया और सीमेन्ट के ब्लैक के सम्बन्ध में शासन को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो वह बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है ।

गाजीपुर जनपद के बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित व्यक्तियों को दी गई सहायता में कथित अनियमितता

*3--श्री राम नरायन (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1980 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को राहत में शासन द्वारा जो धनराशि आवंटित की गई थी वह पात्र व्यक्तियों को न बांट कर सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण फर्जी भुगतान दिखलाकर हड़प गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विशेष आडिट कमेटी भेज कर तत्काल जांच करा कर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

यह कहना सही नहीं है कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1980 में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को राहत में शासन द्वारा जो धनराशि आवंटित की गई थी वह पात्र व्यक्तियों को न बांटकर सम्बन्धित विभाग के अधिकारीगण फर्जी भुगतान दिखला कर हड़प गये हैं। अतः इस सम्बन्ध में विशेष आडिट कमेटी भेज कर जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच एवं लखीमपुर का सीमा-विवाद

*4--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच एवं लखीमपुर के बीच चल रहे सीमा विवाद का निपटारा पिछले वर्षों में नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्या कारण है और सीमा निर्धारण कब तक हो जायेगा?

राजस्व उप मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

जी हां। नदी की धारा में परिवर्तन होते रहने के कारण ऐसा सीमा-विवाद उत्पन्न हो गया है। वर्तमान समस्या का निराकरण सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें कराकर ही सम्भव हो सकता है। यह न्यायिक प्रक्रिया है। अतः इनके परिपूर्ण होने की कोई निश्चित तिथि बता सकना सम्भव नहीं है।

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि प्रश्नगत विवाद के निराकरण हेतु अपेक्षित सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें कब प्रारम्भ की गयीं?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह समस्या जरा जटिल है तो इसको सरल बनाने की कोशिश की जायेगी। नदी की धार बदल जाने की वजह से यह समस्या खड़ी हो गयी है। एक क्षेत्र दोनों जिलों में रिकार्डेड हो गया है, बहराइच और खीरी में। बहराइच में जो रिकार्ड रूम था उसमें आग लगने के कारण रिकार्ड नष्ट हो गये। दोनों जनपदों के अभिलेखों में तालमेल नहीं है। इस सम्बन्ध में मीटिंग सबसे पहले 1979 में हुयी थी और तब यह पाया गया कि दोनों जिलों के जिलाधिकारी और सम्बन्धित विभाग का स्टाफ मिलकर इस समस्या का हल ढूढ़े। जो खीरी के लोग थे उन्होंने 4 अक्तूबर, 1979 को एक प्रस्ताव पास किया। 19 गावों की भूमि का रकबा 48219 एकड़ है जिसमें से 218 एकड़ के सम्बन्ध में विवाद है। इसी तरह से बहराइच में 13 नवम्बर, 1979 को एक प्रस्ताव पास हुआ कि रिकार्ड आपरेशन ही इसका हल है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जो रामायण कह रहे हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कार्यवाही कब शुरू हुयी है?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इसमें कार्यवाही 1977 से शुरू हुयी है। जो मीटिंग हुयी हैं वह बता रहा हूं।

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि रिकार्ड आपरेशन हो इसका निदान हुं यह दोनों ओर से कहा गया हुं । हमने पूछा है कि सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियायें कब शुरू की गयी हुं ?

श्री वैजनाथ कुरील--

सर्वेक्षण और रिकार्ड आपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ हुं । अभी जांच पड़ताल हो रही हुं । शीघ्र ही नोटिफिकेशन होने जा रहा हुं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मन्त्री जी की सदाशयता पर कोई अविश्वास नहीं करता । लेकिन मेरी सूचना को सही मानकर कि जो 19 गांवों की जमीन हुं उसके पट्टे हो रहे हुं । लखीमपुर में पट्टे हो रहे हुं और बहराइच में पट्टे हो रहे हुं । कब्जा करने के लिये लाठियां और गोलियां चल रही हुं । मन्त्री जी कह रहे हुं कि कर दिया जायगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो लाठियां और गोलियां चल रही हुं इसके निराकरण के लिये तत्काल क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री वैजनाथ कुरील--

ला ऐन्ड आर्डर का जो प्रश्न हुं, वह तो दूसरी बात हुं । रिकार्ड आपरेशन में तो टाइम लगता ही हुं, न्यायिक प्रक्रिया हुं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी माननीय सदस्य कह रहे हुं कि दोनों जिलाधिकारी एक ही जमीन के पट्टे दे रहे हुं, इसलिए वहां झगड़ा पैदा हो रहा हुं, इस सम्बंध में शासन क्या कोई व्यवस्था कर रही है कि दोनों जिलाधिकारी एक ही जमीन का पट्टा न दें ।

श्री वैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह स्थिति इस तरह पैदा हो गयी जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि एक क्षेत्र के रिकार्ड दोनों तरफ हो गये हुं, तो ऐसा होना सम्भव ही सकता हुं । इसको शीघ्र ही देखेंगे और उन लोगों को आदेश दे दिये जायेंगे कि जब तक यह कार्यवाही पूरी न हो जाए तब तक इस ओर कोई दूसरी कार्यवाही नहीं करेंगे ।

फैजाबाद की तहसील बीकापुर को बाढ़ एवं अहेतुक सहायता हेतु दी गयी धनराशि एवं उसके आवंटन में अनियमितता के सम्बन्ध में जांच

*5--श्री मित्र सेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979-80 में तहसील बीकापुर, फैजाबाद को बाढ़ एवं अहेतुक सहायता किस-किस मद में कितनी-कितनी दी गयी ? इसके आवंटन में गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई जांच कार्यवाही चल रही हुं और राजस्व उप मन्त्री श्री जयराज गौतम ने स्वयं आर्थिक गबन का मामला पकड़ा हुं और कागजात सील किए हुं ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से लोग दोषी पाए गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

बाढ़ एवं दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये वर्ष 1979-80 में तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद, को निःशुल्क सहायता, गृह अनुदान तथा विशेष सहायता की मदों में क्रमशः रु0 4,09,000, रु0 22,000 व रु0 21,000 की धनराशि दी गयी थी। इसके वितरण (न कि आवंटन) में गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच कराई गई है।

प्राप्त शिकायतें, जिनकी जांच कराई गई, मुख्यतः वित्तीय वर्ष 1980-81 में राहत सहायता वितरण के सम्बन्ध में थी परन्तु उनमें वर्ष 1979-80 में राहत वितरण के सम्बन्ध में मात्र तत्कालीन तहसीलदार, बीकापुर, श्री रमाशंकर शुक्ल के ही विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। इन शिकायती प्रार्थना-पत्रों की प्रारम्भिक जांच कराई गई। उप राजस्व मन्त्री जी द्वारा माह मार्च, 1981 में तहसील बीकापुर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वित्तीय वर्ष 1980-81 में राहत सहायता वितरण से सम्बन्धित कागजात सील किए गए थे।

प्रारम्भिक जांच में 1980-81 में राहत सहायता वितरण में अनेक गम्भीर गड़बड़ियां करने के साथ-साथ वर्ष 1879-80 में आवंटित धनराशि का पूरा हिसाब-किताब प्रस्तुत न करने के लिए श्री रमा शंकर शुक्ल, तत्कालीन तहसीलदार, बीकापुर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया और उन्हें निलम्बित करने के आदेश परिषद् द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 1981 को पारित किए गए ह। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु आरोप-पत्र तैयार करवाया जा रहा है।

उक्त जांच के दौरान यह भी पता चला कि इस मामले में कुछ सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों का भी शामिल होना आशंकित है और इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से यह तो निश्चित हो गया कि शिकायती-प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गयी और प्रारम्भिक जांच के दौरान कुछ न कुछ आरोप लगाये गये, उनको देखा गया होगा तो जो जानकारी हुयी, उसमें कौन-कौन से आरोप सही पाये गये और मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह कि जो 4 लाख 9 हजार रु0 की बाढ़ एवं अहेतुक सहायता के लिए 22 हजार तथा दूसरी सहायता के लिए 21 हजार रु0 के अनुदान बांटे गये या नहीं और जो पात्र व्यक्ति थे, उनको सहायता दी गयी अथवा नहीं या सारा पैसा सब मिलकर खा गये ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जो मुख्य आरोप थे कि बाढ़ क्षेत्र में फर्जी नावों को रखना, ऊनी कम्बलों के बांटे जाने में गड़बड़ी तथा शीत लहर से लोगों को बचाने के लिए जो व्यवस्था की गयी थी, उसमें गड़बड़ी, कवि सम्मेलन के लिये जबर्दस्ती चन्दा, हरिजनों से दुर्व्यवहार, अयोध्या में आलीशान कोठी बनाना, इनमें जांच हुई है। कुछ तो आरोप सिद्ध हुए हैं कुछ नहीं सिद्ध हुए हैं, कुछ आंशिक रूप से सिद्ध हुए हैं लेकिन मुख्यरूप से उन्हें दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। दूसरी जो कार्यवाही प्रस्तावित है वह यह है कि आडीटर जनरल से निश्चित जांच करायी जायगी। यह जांच श्री गिरवर लाल पुरी, सहायक आयुक्त ने की थी, लेकिन माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि जो धन वहां

किया गया है उसका वितरण सही हुआ है या नहीं, उस पर आडीटर जनरल से आडिट कराया जायगा ।

श्री मित्रसेन—

माननीय, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि सरकारी और गैर सरकारी लोग दोषी पाये गये हैं । तहसीलदार के अलावा उनके नीचे के कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी कौन-कौन हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गयी और वे बाहरी व्यक्ति कौन हैं, जिनके बारे में शंका व्यक्त की गयी है कि उनका भी हाथ है । क्या माननीय मन्त्री जी दोषी व्यक्तियों की सूची की भी जानकारी करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बाहरी व्यक्तियों का जहां तक प्रश्न है, उसमें नाव वाले लोग हैं, जिन्होंने फर्जी रसीद से दिखाया है कि नाव चलायी गयी है, जब कि वास्तव में नाव नहीं चलायी गयी है । निश्चित तौर से, जांच के बाद पता चलेगा ।

श्री भीखालाल—

माननीय, एक तहसील का मामला है जहां पर शासन को शिकायतें मिलीं, जांच करायी गयी और पाया गया कि राहत कार्य के लिए जो रुपया दिया गया था उसका दुरुपयोग किया गया और तहसीलदार को निलम्बित किया गया । राहत कार्य के लिए हर तहसील में करोड़ों रुपया प्रदेश में बांटा जाता है । क्या माननीय मंत्री जी तहसील स्तर पर आडीटर जनरल से जांच करायेंगे जिससे कि इस बात को सुनिश्चित कर लें कि पैसे का उपयोग सही हुआ है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय, जहां से भी गम्भीर शिकायतें मिली हैं, वहां जांच भी करायी है और आडिट भी कराया है । अगर कहीं और भी कोई ऐसी बात है जो माननीय सदस्य की जानकारी में है, मेरे पास आएगी, तो जरूर उस पर जांच करायेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय, हर साल बाढ़ की विभीषिका में अनुदान की बात आती है । तत्काल राहत का कार्य तो घिरे हुए गांवों को दिया जाता है, गृह अनुदान बाद में दिया जाता है । जहां पात्र व्यक्तियों की लिस्ट बन जाती है, उनको लेखपाल बुलाकर रुपया देता है । बजाय इसके क्या माननीय मंत्री जी मनी आर्डर द्वारा रुपया भेजने की व्यवस्था करेंगे जिससे यह गड़बड़ियां बन्द हो सकें ?

श्री अध्यक्ष—

यह एक अलग प्रश्न हो गया ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय, क्या माननीय मन्त्री जी, नाव के विषय में जो फैजाबाद की घटना है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्पष्टरूप से दोषी पाये गये तथा कुछ प्रांशिक रूप से, तो जब आरोप सिद्ध हो गये हैं, तो क्या उस सम्बन्ध में क्रिमिनल प्रोसीडिंग आई० पी० सी० में करने का विचार है या नहीं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यही मैंने कहा कि उसका फिर से आडिट करा रहे हैं और जिस तरह से मामला सामने आयेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी और सम्बन्धित तहसीलदार के खिलाफ जो आरोप-पत्र तैयार हुए हैं, उनके खिलाफ मामला चलेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अन्डर आई० पी० सी० में करने का विचार है या उसे डिपार्टमेन्टल ही रखेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, इसकी विस्तृत जांच सी० आई० डी० द्वारा या सतर्कता विभाग द्वारा होगी, उसकी जो जांच रिपोर्ट आयेगी उसके अनुसार फिर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, जो ग्रामों में क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान दिया जाता है उसकी तीन लिस्टें बनायी जाती हैं । एक ब्लाक में रहती है, दूसरी तहसीलदार के पास तथा तीसरी एस० डी० एम० के पास । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी एस० डी० एम० के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हुए हैं या नहीं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जो जांच हुई है, जैसा कि मैंने बताया है कि राजस्व परिषद् के अधिकारियों ने की है । उन्होंने जो पिन प्वाइन्ट दिया है कि दोषी व्यक्ति यही है तहसीलदार, बीकापुर । अब दोबारा जांच होगी, जो इसमें आयेगा, वह पकड़ा जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, राहत कार्य के लिए जो सहायता प्रदेश में दी गयी है, क्या यह किन्हीं विधायकों द्वारा भी वितरित की गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, यह इसी से सम्बन्धित है । मंत्री जी से मुझे पूछ लेने दीजिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि सहायता की धनराशि विधायकों द्वारा बांटने के लिए दी गयी है, कृपया मंत्री जी बता दें कि उन विधायकों के नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी (हंसते हुए) आप बता दें कि सहायता की राशि विधायकों द्वारा भी बांटी गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

विधायकों के माध्यम से नहीं बांटी गयी है । और न कोई ऐसा प्रावधान है ।

श्री अध्यक्ष--

बस, बस हो गया कि कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री बैजनाथ कुरील--

यह जरूर है कि अब आदेश दिए गए हैं वितरण किए जाने वाली एजेन्सियों को, तो जिस गांव में बंटे, उस क्षेत्र के विधायक को सूचित कर दें, यदि हो सके तो वे वहां मौजूद रहें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, यह तो बड़ी अजीब बात है, मंत्री जी विधायकों के नाम नहीं बता रहे हैं, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, उनके नाम नहीं बताना चाहते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वह विधायक कौन से हैं जिनको...

श्री बजनाथ कुरील--

मुझको नहीं मालूम है, उनको मालूम हो तो वे बता दें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मुझे तो मालूम है, आप कहें तो क्या मैं बता दूं ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मंत्री जी यह बता दें कि यह जांच की कार्यवाही जिसमें कई लोग दोषी हैं, कब तक पूरी हो जायेगी ? कब तक इस कार्यवाही को पूरा करके दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने कहा कि यह जांच सी० आई० डी० तथा सतर्कता विभाग द्वारा करायी जायेगी । अब कौन उसमें दोषी होगा, अभी तक इसका पिन प्वाइन्ट नहीं हुआ, किन्तु टाइम लगेगा । मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा परन्तु प्रयत्न यही होगा कि शीघ्र से शीघ्र इसे कराया जाय ।

*6--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण निरस्त ।]

गन्ना आयुक्त के कार्यालय में चाय आदि के लिए गन्ना सहकारी समिति संघ द्वारा व्यय की गयी धनराशि

*7--श्री नन्द किशोर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1980 से 15 जनवरी, 1981 तक गन्ना संघ, लखनऊ से गन्ना आयुक्त के यहां कितना रुपया चाय के लिए भुगतान किया गया है ? क्या यह सही है कि प्रतिदिन 70 रुपय

गन्ना आयुक्त के यहां चाय का खर्चा गन्ना संघ, लखनऊ से बिल बना कर लिया जाता है ? यदि हां, तो इसे रोकने को कौन सा कार्यवाही हो रही है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

गन्ना आयुक्त, जो गन्ना सहकारी संघ के पदेन अध्यक्ष हैं, के कार्यालय में जनवरी, 1980 से 15 जनवरी, 1981 तक गन्ना संघ से चाय आदि के लिए कुल 7449.05 रुपया व्यय किया गया ।

यह सही नहीं है कि प्रतिदिन 70 रुपये का व्यय वहां चाय के बिल पर किया जाता है चूंकि बैठकों में और अभ्यागतों के सत्कारार्थ यह व्यय अपरिहार्य है, अतः इसे रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

*8—श्री राम स्वरूप वर्मा--

[6ठें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*9--श्री राम कृष्ण माहेश्वरी --

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बुलन्दशहर को पन्नी जो शुगर मिल के निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं की जांच

*10--श्री किरन पाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने 15-12-80 को बुलन्दशहर की पन्नी जो शुगर मिल पर छापा मारा था ? यदि हां, तो क्या कोई अनियमितता और घोटाला पकड़ में आया ? यदि हां, तो वह क्या था तथा उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

15 दिसम्बर, 1980 को तत्कालीन गन्ना विकास मन्त्री जी द्वारा पन्नी जी शुगर मिल का निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण में बिलों स्टैन्डर्ड चीनी का उत्पादन सामान्य से अधिक पाया गया, इस चीनी का विक्रय कम मूल्य पर किये जाने को सन्देहास्पद स्थिति पायी गयी तथा यह सम्भावना पायी गयी कि जलाने वाली लकड़ी के क्रय में अनियमितता की गई थी और जैनरेटर के क्रय में निर्धारित क्रय प्रक्रिया का पालन नहीं किया । तत्काल ही रिसीवर श्री टी० एन० वर्मा का स्थानान्तरण किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उन्हें इतना महत्वपूर्ण अधिकार भविष्य में न सौंपा जाय और इन कथित अनियमितताओं की जांच जिलाधिकारी के माध्यम से करायी गयी । जैनरेटर का क्रय मिल द्वारा नहीं किया गया था तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत जांच की जा रही है और उस पर विचार करके यथासमय उपयुक्त कार्यवाही की जायगी ।

बजपुर सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों को पर्वतीय विकास भत्ता

*11--श्री बलबीर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर सहकारी चीनी मिल के श्रमिकों को हिल एलाउन्स अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

बाजपुर सहकारी चीनी मिल के श्रमिकों को पर्वतीय विकास भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है । शासन के तत्सम्बन्धी आदेश सहकारी चीनी मिलों पर लागू नहीं होते । इन जिलों में यह भत्ता दिये जाने का प्रश्न प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि0, के सक्रिय विचाराधीन है ।

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, किच्छा शुगर मिल्स में हिल एलाउन्स दिया गया है और को-आपरेटिव शुगर मिल्स को कब तक यह एलाउन्स देने का प्राविधान किया जायेगा ? कोई तिथि बताने का कष्ट करेंगे या कोई आश्वासन देंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जो नियम है उसमें यह लागू नहीं होता । फेडरेशन तो स्वायत्त शासी व्यवस्था है ।

श्री बलबीर सिंह—

उस शुगर मिल में सरकार की तरफ से चेयरमैन नियुक्त किया गया है, सरकार का हिस्सा है 50 प्रतिशत से अधिक इसलिए मैं चाहूंगा कि उस मिल के कर्मचारियों को भी हिल एलाउन्स दिया जाना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो सलाह दी है और उसे उन्होंने सुन लिया है ।

श्री धरमपाल—

मान्यवर, इसमें प्रश्न यह है कि क्या कोई आश्वासन देंगे कि उनको हिल एलाउन्स दिया जाय ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

उत्तर में साफ है कि विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश, लाटरी के हरिद्वार में आयोजित पैवेलियन के व्यय पर की गयी आपत्तियों की जांच

*12—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि 1974 में उ0 प्र0 लाटरी के 36वें ड्रा में जो हरिद्वार में हुआ था उसके पवेलियन के आयोजन में हजारों रुपये का घोटाला किया गया जिसके सम्बन्ध में आडिट ने अपना एतराज भी लगाया है ? यदि हां, तो आडिट की आपत्तियों के सम्बन्ध में शासन ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

लाटरी के प्रचार तथा टिकटों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से 1974 में कुम्भ मेले के अवसर पर हरिद्वार में एक पैवेलियन का आयोजन किया गया था । उस पर हुए व्यय के बारे में आडिट ने कुछ आपत्ति उठाई थी । इसकी छान-बीन की गई और कोई अनियमितता नही पाई गई । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है ।

टांडा, जनपद फैजाबाद के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में पत्र तथा उस पर कृत कार्यवाही

*13—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि टांडा जनपद, फैजाबाद के ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली सप्लाई दिये जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र दिनांक 4-9-80 को क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां ।

विद्युत वितरण हेतु राज्य विद्युत परिषद् की नीति के अनुसार जिन शहरों की जन संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 20,000 से अधिक है, उन्हें जिला मुख्यालयों के समकक्ष बिद्युत आपूर्ति की जाती है । तद्नुसार टांडा जनपद फैजाबाद जिसकी जनसंख्या 41,611 है, को जिला मुख्यालयों के समकक्ष विद्युत आपूर्ति की जा रही है जो सितम्बर, 1980 में 21 घंटे थी ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत सप्लाई एक ही स्तर पर की जाती है ? यदि हां, तो दोनों को कितने-कितने घंटे बिजली दी जाती है ?

श्री सुनील शास्त्री—

दोनों के लिए अलग-अलग फीडर होते है । ग्रामीण के लिए अलग-अलग समय पर, वहां की आवश्यकता को देख कर बिजली की आपूर्ति के आदेश पारित किये जाते हैं और इन्डस्ट्रियल के लिए भी, जितनी इन्डस्ट्रीज पर कटौती की जाती है, उसको ध्यान में रखकर आपूर्ति की जाती है ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

ग्रामीण में जो सप्लाई की जाती है वह कम क्यों दी जाती है? 1980 में 21 घंटे सप्लाई किया, कहते हैं । जबकि आपके विभाग से जानकारी मिली है कि डेढ़ कहीं आध घंटे से ज्यादा सप्लाई नहीं हुई है । इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करें ।

श्री सुनील शास्त्री—

बता चुका हूं कि 21 घंटे की पूर्ति की गयी ह । अगर उसमें कोई ठीक से नहीं की गयी है तो माननीय सदस्य बतायें, हम जरूर कार्यवाही करेंगे ।

श्री प्रिय दर्शी जेतली—

शासनादेश के अनुसार 20 हजार से ऊपर के क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली दी जायेगा और आपने पुरानी जनगणना की बात की है । जहां 100-200 कम हैं 20 हजार से और औद्योगिक केन्द्र हैं क्या उन पर भी आप विचार करेंगे और नयी जनगणना जो हो गई है, सूची आ गयी होगी आपके पास, उस पर विचर करके जहां शहरों में 20 हजार से सौ या दो सौ कम हैं, इन्डस्ट्रीज जहां हैं उनको भी 24 घंटे बिजली देने के आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

माननीय, माननीय सदस्य को मैं सूचित कर दूं कि जो नियम है उसके अन्तर्गत जब 20 हजार से ज्यादा आबादी होती है तभी हम जिला मुख्यालय के बराबर उसकी आपूर्ति करते हैं। वैसे अब गांवों में 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक 4 घंटा और बिजली देंगे।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रूरल फीडर्स हों उसमें फैजिंग आदि की वजह से बिजली की सप्लाई रेगुलर नहीं आती है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि वह सप्लाई जो हो वह रेगुलर हो ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

फैजाबाद जिले में अकबरपुर को पृथक् जिला बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार

*14—श्री गया सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत कांग्रेस शासन के कार्यकाल में फैजाबाद जिले में अकबरपुर जिला बनाने के लिये शासन द्वारा कोई प्रस्ताव विचाराधीन था ? यदि हां, तो किन विशेष परिस्थितियों में आदेश नहीं हो सके ? क्या वर्तमान शासन पुनः उक्त प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

फैजाबाद जनपद में टांडा व अकबरपुर तहसीलों को मिलाकर पृथक् जनपद की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन था। सम्बन्धित पत्रावली नष्ट (वर्ड) की जा चुकी है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रस्ताव किन विशेष कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सका।

वर्तमान में अकबरपुर व टांडा तहसीलों को मिलाकर अकबरपुर पृथक् जिला बनाये जाने का एक अन्य प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि पहले यह प्रस्ताव था और विचाराधीन था तो किन कारणों से वह प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया और आपने स्वीकार किया है कि पुनः विचाराधीन है तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस पर कब तक अपना अंतिम निर्णय देने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

माननीय, जो दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन है, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें राजस्व परिषद् से आख्या मांगी गई है उसके आने पर ही शासन द्वारा कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन

*15--श्री हरिवंश सहाय (अनुपस्थित)--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ, लखनऊ के अधीन उ0 प्र0 अन्तर्गत गन्ना समितियों एवं गन्ना संघ मुख्यालय पर समस्त श्रेणी के कर्मचारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची इस सत्र में प्रकाशित कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ से सम्बद्ध गन्ना समितियों के अन्तर्गत कार्यरत गन्ना ग्राम सेवकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 10 अप्रैल, 1980 को प्रकाशित की जा चुकी है । अन्य वर्गों के कर्मचारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची अभी प्रकाशित नहीं की गयी है, क्योंकि अन्तिम सूची के प्रकाशन के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

जहां तक गन्ना सहकारी समिति संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के प्रकाशन का प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़ कर, अन्य सभी की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गयी है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अन्तिम रूप से प्रकाशित सूची को अन्तिम रूप से देने की कार्यवाही हो रही है ।

गोरखपुर की बांस गांव तहसील को दो भागों में बांटने की मांग पर विचार

*16--श्रीमती गौरी देवी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता पार्टी के शासनकाल में गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील को दो भागों में बांटने के उद्देश्य से इस तहसील में कुछ दिनों तक दो एस0 डी0 एम0 एवं दो तहसीलदारों की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील को दो भागों में कब तक विभक्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो दो भागों में न विभक्त करने का कारण क्या है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

जी नहीं ।

प्रदेश के वित्तीय ससाधनों के परिप्रेक्ष्य में बांस गांव तहसील को दो भागों में बांटना सम्भव नहीं है ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बांसगांव को दो भागों में बांटने के लिए क्या केवल वित्तीय संसाधनों की कमी पड़ रही है ? मेरी समझ से मात्र वित्तीय संसाधन की आड़ लेकर इसको दो भागों में बांटने का यदि निश्चय किए हैं तो गोरखपुर, मेरठ और बरेली के अन्तर्गत महापालिका घोषित करने में क्या वित्तीय संसाधन की कमी नहीं पड़ रही है ? केवल बांसगांव को दो भागों में बांटने के लिए वित्तीय संसाधनों की मंत्री जी को कमी दिखाई पड़ रही है ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है हो गया आपका प्रश्न ।

माननीय मंत्री जी, क्या कोई कारण है वित्तीय कारण के अलावा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, और कोई विशेष कारण तो नहीं है, लेकिन अभी बहुत सी तहसीलें हैं और उसके बाद ही इसका नम्बर आयेगा ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निश्चित जानकारी के आधार पर यह सूचना देना चाहता हूं कि सन् 64 से 67 तक उस तहसील में विधिवत् दो एस0 डी0 एम0, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, दो तहसीलदार एक उत्तरी और एक दक्षिणी, तीन वर्ष तक कार्य करते रहे हैं और इस सम्बन्ध में अभी मई के महीने में वहां के जिलाधिकारी ने उस तहसील के विधायकों की बैठक बुलायी थी और बैठक में लोगों से सुझाव मांगे गये थे कि किन-किन ब्लाक्स को किधर किया जाय यानी तहसील के बंटवारे में कौन सा एरिया किस तरफ जाय और कौन सा एरिया किस तरफ जाय । फिर आज माननीय मंत्री ने उत्तर में कहा है कि ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जो सूचना दी गयी है वह बिलकुल गलत सूचना दी गयी है । मेरी निश्चित जानकारी है कि जिलाधिकारी ने तहसील के विधायकों की बैठक बुलायी थी और उनसे सुझाव मांगा था, तो आखिर वह किस बारे में सुझाव मांगा गया था ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह सही है कि वहीं पर इस बात के लिये कुछ विधायकं लोगों की बैठक हुई थी । उसमें जिन लोगों ने भाग लिया था वे श्री हरिद्वार पाण्डेय थे, माननीय सदस्य मारकण्डेय जी थे और संसद सदस्य महावीर जी व कांग्रेस के श्री काशी सिंह जी थे । इनमें से करीब-करीब सभी लोगों ने यह कहा कि तहसील के विभाजन का कोई औचित्य नहीं है । जिन साहबान ने कहा कि औचित्य है, उन्होंने भी कहा कि पहले तहसील हेडक्वार्टर की बिल्डिंग वगैरह बनवा दी जाय उसके बाद तहसील का विभाजन किया जाय । इसीलिये अभी विभाजन का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, अक्सर यह प्रश्न उठता रहता है कि किसी जिले में नयी तहसील बना दी जाय, दो तहसीलों को मिलाकर जिला बना दिया जाय और सरकार भी जानती है कि इस तरह के प्रस्ताव आते रहते हैं तथा कुछ जिलों को लेकर एक कमिश्नरी के स्थान पर दो कमिश्नरी बना भी दी गयी है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजाय इसके कि छुटपुट तरीके से यह कम किया जाय, क्या वे नये सिरे से पूरे सूबे का परिसीमन कराने का कष्ट करेंगे जिससे तमाम जिलों व तहसीलों का रिआर्गनाइजेशन एक संगठित रूप से हो सके ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैंने इस बात को कभी नहीं कहा कि यह प्रश्न विचार धीन नहीं है । माननीय भीखालाल जी का जो कथन है, वह एक अच्छा सुझाव है और उस पर

विचार किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास अक्सर तहसीलों व जिलों के विभाजन की बातें आती रहती हैं। उसके ऊपर कोई कमेटी वगैरह बना दी जायेगी और उसमें विचार किया जा सकता है।

श्री मारकण्डेय चन्द्र--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पहले तो कहा कि कोई मामला विचाराधीन नहीं है। फिर माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा और उसमें मेरा भी नाम लिया, पार्लियामेंट के सदस्य श्री महावीर सिंह और श्री हरिद्वार पाण्डेय का नाम लिया, और हम सभी लोग वहां मौजूद थे लेकिन अपना उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सब लोगों का राय थी कि तहसील को दो भागों में करने का कोई औचित्य नहीं है। यह शतप्रतिशत गलत कहा गया है, जिलाधिकारी के पास हम लोगों ने अपना लिखित सुझाव दिया, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि ऐसी गलत सूचना किस अधिकारी के द्वारा किस आधार पर दी गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह तो मैंने नहीं कहा कि सब साहबान ने कहा कि इसके लिये कोई औचित्य नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि औचित्य है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जब तक पहले बिल्डिंग न बन जाय, तहसील के बंटवारे का कोई औचित्य नहीं है।

गोंडा की तहसील उतरौला के कतिपय ग्रामों का सीमांकन

*17--श्री राम स्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें कृषकगणों की ओर से ग्राम पूरे पाण्डे जोत, परगना व तहसील उतरौला, जिला गोंडा के सीमांकन किए जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र 27 फरवरी, 1981 को प्राप्त हुआ है, जिसमें दो ग्रामों के बीच नदी के बहाव व कटाव के कारण कई सौ एकड़ भूमि कुर्क है और 70 हरिजनों को पट्टे की भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और सीमांकन होकर कब्जा कब तक मिल जाने की उम्मीद है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत ग्रामों की सीमांकन समस्या को हल करने के उद्देश्य से जिला गोंडा के दस तथा जिला बस्ती के 26 ग्रामों को विनांक 14 अगस्त, 1981 की अधिसूचना द्वारा सर्वेक्षण तथा अभिलेख क्रियाओं हेतु प्रख्यापित कर दिया गया है। चूंकि सीमांकन कार्य अभिलेख क्रियाओं द्वारा किया जाना है, जो न्यायिक क्रियायें हैं, अतः कब्जा मिलने की समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

सुल्तानपुर जनपद में निर्माणाधीन बन्धुआ कलां विद्युत् उप केन्द्र द्वारा विद्युत् की आपूर्ति

*18--श्री मुईद अहमद

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के बन्धुआ कलां स्थान पर 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन का निर्माण दो वर्ष पूर्व हो चुका है

तथा लाइन आदि खींची जा चुकी है ? क्या यह सही है कि सारा कार्य पूर्ण होने के बाद भी सब-स्टेशन से उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं । बन्धुआ कलां 33/11 के0वी0 उप विद्युत् केन्द्र के निर्माण का कार्य अभी चल रहा है । इस उप केन्द्र को विद्युत् आपूर्ति के लिये 33 के0 वी0 लाइन का निर्माण तथा उप केन्द्र से निकाली जाने वाली 11 के0 वी0 लाइनों का निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुईद अहमद--

आपके माध्यम से माननीय विद्युत् मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है या लाइन खिचवाने का निर्माण कार्य चल रहा है या बिजली जहां पर दी जाती है मीटर लगाने का निर्माण कार्य चल रहा है, कौन सा कार्य चल रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, लाइन खींचने का कार्य अभी चल रहा है ।

बस्ती को तहसील डुमरियागंज के कतिपय ग्रामों में अनुदान वितरण में धांधली के सम्बन्ध में जांच

*19--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील, बस्ती के अन्तर्गत ग्राम बिजोरा, बेलवा, विशुनपुर, औरंगाबाद, बबनाजोत में गत वर्ष अतिवृष्टि से घर गिरने से क्षति पर होने वाले अनुदान वितरण के सम्बन्ध में हुई धांधली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने कोई शिकायत तहसीलदार डुमरियागंज, अतिरिक्त जिलाधिकारी, बस्ती को दिया था ? क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप सत्य पाये गये ? यदि हां, तो इतनी गम्भीर शिकायत पर उक्त लेखपाल एवं अन्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । दिनांक 8-2-81 तथा 11-3-81 को क्रमशः तहसीलदार डुमरियागंज तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी, बस्ती को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रों में तहसील डुमरियागंज के केवल ग्राम बिजोरा तथा बेलवा में गृह अनुदान वितरण में अनियमितता से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनमें ग्राम विशुनपुर, औरंगाबाद तथा बबनाजोत ग्रामों का उल्लेख नहीं था । उक्त दोनों पत्रों पर सहायक प्रतिकर आयुक्त, राजस्व परिषद् से जांच कराई गई । जांच आख्या के आधार पर आवश्यक कार्यवाही के लिये सचिव, राजस्व परिषद् ने जिलाधिकारी, बस्ती को आवश्यक निर्देश भेज दिये हैं । कतिपय पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में छोड़ देने के कारण सम्बन्धित एक लेखपाल को जिला प्रशासन द्वारा पहले ही निलम्बित किया जा चुका है ।

गोरखपुर शहर के मोहद्दीपुर मोहल्ले में प्रस्तावित सिनेमाघर का निर्माण रुकवाने की मांग

*20--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी, कि प्रश्नकर्त्ता ने गत वर्ष गोरखपुर शहर के मोहद्दीपुर मोहल्ले में प्रस्तावित सिनेमाघर बनने के सम्बन्ध में नागरिक असंतोष एवं नियम विरुद्ध प्रस्तावित निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाने हेतु शासन का ध्यान अकृष्ट किया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि कार्य नहीं रुका और न ही शिकायतों की कोई जांच हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । शासन द्वारा इस मामले की जांच कराई गई थी परन्तु प्रस्तावित स्थल पर सिनेमाटोग्राफ नियमों का उल्लंघन न होने के कारण अनुमति को रद्द करने का प्रश्न ही नहीं था ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के किसानों के भू राजस्व में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में जानकारी

**1--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किसानों का भू-राजस्व बढ़ाने का निर्णय अभी हाल में शासन ने लिया है ? यदि हां, तो बढ़ोत्तरी कब से और किस दर से लागू होगी ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

जी नहीं । बढ़ोत्तरी की तिथि और उसकी दर इंगित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने यह बात तो बता दी कि शासन ने भू-राजस्व बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि भू-राजस्व बढ़ाने के सिलसिले में कोई मसला शासन के विचाराधीन इस समय है ? यदि नहीं है, तो क्या इस पर सदन को आश्वस्त करेंगे कि भू-राजस्व बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी मसला शासन नहीं उठायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, वर्तमान में कोई प्रस्ताव इस तरह का नहीं है लेकिन आगे के लिये मैं तो कोई गारन्टी नहीं दे सकता कि कभी कोई-कोई विचार हो सकता है। इसको कैसे कह सकता हूं कि अभी नहीं होगा ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आगे के बारे में माननीय मन्त्री जी को अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है । एक सवाल छोटा सा और करना चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान वर्ष में सूखे और बाढ़ की स्थिति को देखते हुये यह आश्वासन देंगे कि आगामी एक साल में कोई इस तरह के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैं इसको नहीं कह सकता ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का ध्यान रखते हुये कि समाचार-पत्रों में जैसी कि खबर छपी है कि 3, 1/8 एकड़ तक का लगान वसूल करने का इरादा सरकार रखती है जो अब तक छूटा हुआ है, स्पष्ट तौर से कहेंगे कि सरकार की नीति 3, 1/8 एकड़ तक के लगान की जब मुक्त है पुनर्वसूलयाबी करने की नहीं है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह सब उसी से कवर हो जाता है कि वर्तनान मे कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री ऊदल—

क्या सरकार का यह विचार है कि सवा तीन एकड़ के ऊपर, सवा छः एकड़ के ऊपर, सवा बारह एकड़, सवा अठारह एकड़, बीस एकड़ जिसका एक गुना, दो गुना, ढाई गुना पिछली सरकार ने 75-76 में कर दिया था उसको कम किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इससे यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, यह तो बार-बार कहना पड़ता है कि कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है ..

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था आप न बतायें ? आप बैठें ।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इस्टोट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ के कार्य आरम्भ करने सम्बन्धित राष्ट्रपति महोदय की घोषणा का कार्यान्वयन

**2—श्री अकबर हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1980 में राष्ट्रपति महोदय ने लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज का उद्घाटन करते समय अपने उद्घाटन भाषण में यह घोषणा की थी कि उक्त इन्स्टीट्यूट जुलाई, 1981 से अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्थान ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोक पति)—

राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई थी ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो संदर्भित इन्स्टीट्यूट है जिनका शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति ने संदर्भित तिथि को किया था उसके बारे में कोई जानकारी करने कोई टीम विदेश जा रही है, ऐसा प्रस्ताव शासन के समने है ? यदि हां, तो क्या पहले इस इन्स्टीट्यूट की कोई रूप रेखा शासन ने तैयार की है कि इतना रुपया लगेगा, जमीन कहां होगी, नक्शा किस तरह का बनेगा ? रूप रेखा तैयार हो गई है तो वह क्या है और टीम को विदेश भेजने का क्या उद्देश्य है ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, डाक्टर डी0 एन0 शर्मा समिति की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध हुई थी । यह इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित होने जा रहा है । उस संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शासन के कुछ विशेषज्ञों की टीम ने भारतवर्ष में कार्य कर रहे 5 इंस्टीट्यूटों को देखा, आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, मेडिकल इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेन्ज त्रिवेन्द्रम और श्रीनगर का जो इंस्टीट्यूट है वह निर्माणाधीन अवस्था में है । एक टीम विदेश जा रही है चार इंस्टीट्यूट को देखने के लिये । दो इंस्टीट्यूट यू0 एस0 ए0 में है, दो लन्दन में है और एक स्वीडन में है । इसका उद्देश्य यह है कि जिस इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा उसमें किस प्रकार के इंस्ट्रूमेन्ट होंगे और क्या ले-आउट बनेगा और जो इंस्ट्रूमेन्ट जहां पर लगेगा उसके लिये निर्माण के समय में ही उसके लिये स्थान छोड़ दिया जाता है । साथ ही जो विभाग उसमें लिये जायेंगे वे छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में हैं और जिसके लिये योजना आयोग ने 35 करोड़ रुपया स्वीकार किया है । प्रथम चरण में जो विशेष विभाग लिये जायेंगे उन विभागों में कैसे कार्य किया जा रहा है, किस तरह से अन्वेषण हो रहा है इसकी जानकारी के लिये व्यय किया जा रहा है । जिन जगहों में वे जा रहे हैं वे स्थान उन विभागों के लिये विश्व में सबसे अग्रिणी माने जाते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने यह जानकारी चाही थी जब रिपोर्ट आ गई और यह समझा जाता है कि शासन ने उसे स्वीकार कर लिया है । वह जो रिपोर्ट थी वह भी रिपोर्ट थी वह भी विशेषज्ञों की ही रिपोर्ट थी वे उसमें रहे हों या न रहे हों, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया हो अथवा न किया हो फिर भी उसका शिलान्यास हो गया और राष्ट्रपति के मुख से यह बात भी निकली, समाचार पत्रों में माननीय मंत्री जी के मुख से यह बात भी प्रकाशित हो चुकी कि इस तिथि से इस इंस्टीट्यूट में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा । लेकिन फिर भी टीम विदेश भेजी जा रही है । मेरी जानकारी यदि सही मानी जाय तो आपने वहां पर एक प्रोजेक्ट आफिसर भी नियुक्त कर दिया है । शासन ने योजना बनायी है और 35 करोड़ रुपये का प्राविधान भी छठी पंचवर्षीय योजना में कर दिया गया है । इसलिये मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह सब अगर शासन के पास रूपरेखा है कि किस तरह से क्या होगा, बिल्डिंग कहां बनेगी, कहां से मशीनें आयेंगी, कहां पर इंस्टाल होंगी, उनका साइज क्या होगा, तो फिर विदेश को टीम भेजने का क्या उद्देश्य है । क्या उसको दुबारा बनाने की पृष्ठभूमि है ?

श्री लोकपति—

निश्चित ही योजना शासन के पास है । इस इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा । किसी भी इंस्टीट्यूट के लिये उसकी योजना का निर्माण केवल एक ही बार होता है, बार-बार नहीं होता है । इसलिये योजना प्रारम्भ होने से पूर्व यह आवश्यक है कि इसी तरह के सभी पहलुओं को देख लिया जाय और अपने यहां जो चीजें उपलब्ध हैं उनके अनुसार उन पर पुनः व्यय की आवश्यकता है या नहीं, इसको भी देख लिया जाय और साथ ही नई चीज भी देख ली जाय । जहां तक जमीन का प्रश्न है उसके बारे में भी शासन के पास रिपोर्ट है । लखनऊ मेडिकल कालेज के पास जमीन उपलब्ध है । वहां पर उसके निर्माण की बात है । अगर वहां पर जमीन की कमी पड़ेगी तो और भी प्रबन्ध कर लिया जायेगा ।

जुलाई के बारे में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, ने नहीं कहा था । मैंने कहा था कि जुलाई से इसका कार्य मैं आरम्भ कर दूंगा तो वह कार्य आरम्भ हो गया है । हमने कार्य आरम्भ करने की बात कही थी निर्माण की बात नहीं कही थी तो जुलाई से कार्य आरम्भ हो गया है, शुरू आत हो गयी है । मैं इस सदन को इस प्रश्न के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारा प्रयास है अतिशीघ्र जब भी सदन हो, मैं कालीदास की बात नहीं करना चाहता हूं...

श्री ऊदल—

मान्यवर, मेरी आपत्ति है हमारे देश में दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट ह और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में है, श्रीनगर में है तो क्या उन सब को देखकर यह इंस्टीट्यूट कायम नहीं हो सकता है जो एक टीम को बाहर भेजने की बात कही जा रही है ?

श्री लोकपति—

जी नहीं, मैं आपसे अनरोध करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में अब तक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वे सब पोस्टग्रेजुवेट इंस्टीट्यूट हैं जिनमें एम० एस० और एम० डी० की डिग्री दी जाती है । भारतवर्ष में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें मेडिसिन में डिग्री दी जाती हो । यह जो इंस्टीट्यूट कायम किया जा रहा है वह अपने प्रकार का पहला होगा जिसमें डाक्टरेट की डिग्री दी जायेगी । इसलिए बाहर भेजना जरूरी है । मैं जुलाई की बात कह रहा था और बीच में माननीय सदस्य बोल गये वह बात छूट गयी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का विधेयक इस सदन में अगले सत्र में उपस्थित किया जायेगा और उसके बाद उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

श्री मित्र सेन—

मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि बाहर जाने वालों में कौन-कौन लोग हैं ? क्या माननीय मंत्री जी भी जा रहे हैं ?

श्री लोकपति—

मैं यह बात जानता था कि यह प्रश्न पूछा जायेगा । मंत्री जी नहीं जा रहे हैं । मैं यहां सदस्य होने से पहले बाहर घूम चुका हूं ।

(श्री भगवती सिंह बिशारद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत संस्थान के निर्माण और उसका कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में शासन ने या विभाग ने कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है ? यदि हां, तो उसे सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

हां, यह कार्यक्रम बनाया गया है । वर्ष 1983-84 में इसमें पठन का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

श्री भीखा लाल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो लखनऊ मेडिकल कालेज का अधिग्रहण किया गया है तो क्या उसमें यह विचार है कि महात्मा गांधी एसोसियेटेड मेडिकल कालेज को संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट के हवाले कर दिया जाय ?

श्री लोकपति--

जी नहीं, इंस्टीट्यूट का अलग अस्पताल होगा ।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जनपद के ग्राम छितरापार में चकबन्दी से जोतदारों के चकों में कमोबेशी के सम्बन्ध में शिकायत पर कृत कार्यवाही

1--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम छितरापार, तहसील नौगढ़, जनपद बस्ती में चकबन्दी के फलस्वरूप कितने जोतदार ऐसे हैं जिनके चकों का क्षेत्रफल उनका मूलजोत के क्षेत्रफल से पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है ? कितने ऐसे जोतदार हैं जिनके चकों का क्षेत्रफल उनकी मूल जोत से पचीस प्रतिशत से अधिक कम हो गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत दिनांक 6 जून, 1974 चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को मिली थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैज नाथ कुरील--

मूलजोत की अपेक्षा 51 खातेदारों के चकों का रकबा 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया तथा 34 खातेदारों के चकों का रकबा 25 प्रतिशत से अधिक घट गया । शिकायत दिनांक 6 जून, 1974 चकबन्दी आयुक्त को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के स्तर पर चक अपीलों के निस्तारण के बाद मिली थी । यह शिकायत नियम नुसार कार्यवाही हेतु बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी बस्ती को भेज दी गयी थी ।

संयुक्त संचालक, चकबन्दी ने चक निगरानियों के निस्तारण के समय चकों में आवश्यक संशोधन किया तथा धारा 19(1) बी के अन्तर्गत मूल जोत की अपेक्षा चकों के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक के अन्तर को नियमित करने की स्वीकृति दे दी ।

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ में प्रचार सहायक की नियुक्ति

2--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में प्रचार उपखंड में नई नियुक्तियां इस सत्र में की गई हैं ? यदि हां, तो क्या गन्ना सेवा नियमावली में उन नियुक्तियों का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

वर्ष 1980-81 में कोई रेगुलर नियुक्ति नहीं की गयी । केवल बढ़े हुये कार्य को निपटाने हेतु प्रचार सहायक के एक पद पर तीन-तीन माह की अल्पावधियों के लिये नियुक्ति की गयी थी । गन्ना सेवा नियमावली में इस पद के समावेश के लिये गन्ना आयुक्त को, जो गन्ना सहकारी समितियों के निबन्धक हैं, प्रस्ताव भेजा गया है ।

3--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद जनपद के ग्राम घटौली के हरिजनों को आवंटित भूमि पर श्री जगजीवन तिवारी का अवैध कब्जा

4--श्री राम सागर--

क्या सरकार को जानकारी है कि घटौली, पो0 घटौली, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के निवासी श्री मिहीलाल, जहांगीर तथा अन्य हरिजनों को मकान बनाने हेतु ग्राम प्रधान द्वारा आबादी की जमीन 1975-76 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित की गयी थी, जिस पर हरिजनों ने अपना छप्पर आदि रखा था तत्पश्चात् उसी गांव के सवर्ण जमींदार श्री जगजीवन तिवारी पुत्र श्री दातादीन तिवारी ने अपने गिरोह के साथ हरिजनों के छप्पर तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया और उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके अवैध कब्जे को हटाकर उन गरीब हरिजनों को कब्जा दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जिलाधिकारी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ग्राम घटौली, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा वर्ष 1975-76 में सर्वश्री नीमर, अंगनू, भोंदू, डुबरी, जैराम, सियाराम, सीताराम, भुलई, मिहीलाल, जगरूप, ढोंढे तथा भगौती का आवास हेतु भूमि आवंटित किया गया था । इन आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया था तथा छप्पर रखवा दिया गया था । तत्पश्चात् उसी गांव के निवासी श्री जगजीवन तिवारी ने प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में आवंटियों के विरुद्ध अदालत दीवानी में दावा दायर किया जिसमें निर्णय आवंटियों के विरुद्ध हुआ । श्री तिवारी ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया । उक्त निर्णय के विरुद्ध आवंटियों ने अपील कर रखी है जो अदालत दीवानी में विचाराधीन है । साथ ही, काबिजदार को बेदखल करने के लिये धारा 122-बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है । इन मामलों में निर्णय होने पर ही आवंटियों को कब्जा दिलाना सम्भव होगा ।

प्रदेश में कार्यरत गन्ना अनुसंधान केन्द्र तथा उनके द्वारा विकसित नई किस्में, उत्पादित बीज की मात्रा, केन्द्र के अधिष्ठान पर व्यय और विकसित किस्मों का प्रचार एवं प्रसार

5--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना अनुसंधान केन्द्र प्रदेश में कहां-कहां कार्य कर रहे हैं और सन् 1975 से लेकर 1980 तक कितने तथा किन-किन किस्मों को उन्होंने निकाला और उनके नाम क्या हैं ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

प्रदेश के अन्तर्गत 8 गन्ना अनुसंधान एवं बीज सम्वर्धन केन्द्र कार्यरत हैं (मुख्य गन्ना शोध केन्द्र, शाहजहांपुर, उप गन्ना शोध केन्द्र, मुजफ्फरनगर, उप गन्ना शोध केन्द्र, काशीपुर, उप गन्ना शोध एवं बीज सम्वर्धन केन्द्र, गोलागोकरनाथ, उप गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर, गेंवा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केन्द्र सेवरही, उप गन्ना शोध केन्द्र, लक्ष्मीपुर बीज सम्वर्धन केन्द्र, दोराला) ।

वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक को० शा० 730, को० शा० 587 (शीघ्र पकने वाली), को० शा० 718, को० शा० 758, को० शा० 771, को० 1347, को० 1157, को० 62399, वी० उ० 70, को० शा० 770, को० शा० 776, को० शा० 788, को० शा० 802, को० शा० 797, को० शा० 786, को० शा० 767, नवीन जातियां विकसित की गयीं । इसके अतिरिक्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों हेतु को० शा० 633, को० शा० 767 तथा वी० उ० 34 भी विकसित की गयी ।

6--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन 1975 से लेकर 1980 तक कितने विवंटल गन्ना के बीज नयी वैरायटी में पैदा किया गया और किन-किन जिलों में कितने किसानों को दिया गया ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

प्रश्नगत विवरण तालिका†1 व 2 में उपलब्ध है ।

7--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि सन 1975 से 1980 तक प्रत्येक गन्ना अनुसंधान केन्द्रों पर कितने रुपये खर्च किये गये उसमें अनुसंधान पर कितना एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तनख्वाह, टी० ए०, डी० ए० पर कितना ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

प्रश्नगत विवरण तालिका†3, 4, 5, 6, 7 पर उपलब्ध है ।

8--श्री ऊदल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को पता है कि प्रत्येक जिले के गन्ना विकास विभागों द्वारा नई किस्म के बीजों के बारे में कोई न तो प्रचार करता है और न तो किसानों को बताते हैं ? यदि हां, तो क्या कोई योजना प्रसार एवं प्रचार के लिये बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

---

†छापी नहीं गयी ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रचार एवं प्रसार के लिये चलाई जा रही योजना के अन्तर्गत गन्ना विकास की नई विकसित जातियों के प्रचार एवं प्रसार का कार्य सभाओं के आयोजन के माध्यम से, प्रचार साहित्य के वितरण से, गन्ना पत्रिका प्रकाशन के माध्यम से एवं रेडियो और दूरदर्शन द्वारा कराया जाता है ।

जौनपुर जनपद के ग्राम दीपकपुर में तुलसी बनाम सरकार का चकबन्दी अधिकारी मछलीशहर के कार्यालय में लम्बित मुकदमा

9—श्री हरदेव—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दीपकपुर, तहसील मछली-शहर, जनपद जौनपुर में तुलसी पुत्र रघुनाथ बनाम सरकार खाता संख्या 177/37 के मुकदमें में सन् 1976-77 से चकबन्दी अधिकारी सुजानगंज, जो अब मछली-शहर के चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय में विधाराधीन है, का निपटारा अब तक नहीं हो सका है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या चकबन्दी आयुक्त को इस सम्बन्ध में कोई पत्र दिनांक 18-4-80 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

खाता संख्या 177/37 के संबंध में मुकदमा 16-12-77 को दाखिल हुआ था परन्तु मुकदमें की पत्रावली 19-1-78 को गुम हो गई थी । 16-3-81 को पुराने वाद की प्रतिलिपि पुनः चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में दाखिल की गयी है और मुकदमा सुनवायी में चल रहा है । अभी दोनों पक्षों ने अपना साक्ष्य दाखिल नहीं किया है जिसके कारण वाद का निस्तारण नहीं हो सका है । दिनांक 18-4-80 का कोई पत्र चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त नहीं हुआ । अतः उस पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर के ब्लाक बिल्हौर, ककवन तथा रसूलाबाद के गांवों के किसानों को गृह अनुदान तथा मापदन्ड का आधार

10—श्री मोती लाल देहलवी—

30 जनवरी, 1981 की कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस उत्तर में जिन 188 व्यक्तियों को पात्र न समझकर उन्हें गृह अनुदान नहीं दिया गया उनकी अपात्रता का मापदन्ड उसी तारीख के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में सरकार द्वारा बताये गए मापदन्ड को आधार माना गया अथवा 9 अक्तूबर, 1980 को प्रश्नकर्त्ता को दिए गए अतिरिक्त जिलाधिकारी (ग्रामीण), कानपुर के पत्र में उल्लिखित मापदन्ड को आधार माना गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, खीरी के आदेश के विरुद्ध श्री छोटेलाल जौहरी, लेखपाल की अपील

11--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, खीरी के आदेश संख्या 49-च0 ले0/तीन, दिनांक 3-8-74 के विरुद्ध श्री छोटे लाल जौहरी, लेखपाल चकबन्दी ने दिनांक 20-11-74 को अपील जिलाधिकारी के यहां दायर की थी ? यदि हां, तो क्या उस पर निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जी हां।

श्री छोटे लाल जौहरी, लेखपाल की अपील दिनांक 20-11-74 जिलाधिकारी खीरी के आदेश दिनांक 4-9-75 द्वारा खारिज की जा चुकी है ।

गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन केन्द्र, बभनौली, देवरिया में रिक्त स्थानों की पूर्ति

12--श्री द्रुप राय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन केन्द्र, बभनौली (सेवरही) जिला देवरिया में पिछले तीन वर्ष से कितने स्थान रिक्त हैं रिक्त होने का कारण क्या है ? क्या उसको इलाके के लोगों से पूर्ति की जायगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रश्नगत केन्द्र में विगत तीन वर्षों से 133 पद रिक्त हैं । इन रिक्त पदों में कुछ उच्चस्तरीय पदों को विज्ञापित कराकर भरे जाने की कार्यवाही प्रगति पर है । अवशेष पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही निर्माण कार्य पूरा होने एवं वित्तीय व्यवस्था कर लेने के उपरान्त की जायेगी ।

नियुक्तियां उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद् की सेवा नियमावली में किए गए प्राविधान के अनुसार होनी है । तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों को मुख्यतः स्थानीय सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से भरने की व्यवस्था है ।

आयुक्त कार्यालय के लिपिक (श्री सिब्ते हसन) की सेवा समाप्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में उनके प्रत्यावेदन पर निर्णय

13--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सिब्ते हसन, लिपिक, आयुक्त कार्यालय की सेवाएं शासनादेश संख्या 20-1-75/कार्मिक-2, दिनांक 2-7-76 के आधार पर समाप्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उपरोक्त अनियमितता के लिए दोषी व्यक्तियों द्वारा वांछित आख्या राजस्व परिषद तथा शासन को न भेजने के कारण श्री सिब्ते हसन द्वारा मई, 1979 को शासन/परिषद् को दिए गए प्रत्यावेदन पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों को अविलम्ब स्थानान्तरित करके इनके प्रत्यावेदन पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं।

शासनादेश संख्या 20-1-1975 कार्मिक-2, दिनांक 7-2-79 की सही जानकारी न होने के कारण श्री सिब्ते हसन को उसके अनुसार एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह का वेतन नहीं दिया गया।

श्री सिब्ते हसन के मई, 1980 के प्रत्यावेदन पर आयुक्त तथा राजस्व परिषद के बीच पत्र-व्यवहार होता रहा। अतः कोई कर्मचारी विलम्ब के लिए दोषी नहीं पाया गया। उक्त प्रत्यावेदन पर आयुक्त तथा राजस्व परिषद की आख्या अब शासन को प्राप्त हो गई और उस पर विचारोपरान्त यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायगा।

आगरा जनपद के ग्राम कौदऊ बारु के काश्तकारों का सहायक चकबन्दी अधिकारी (श्री जय भगवान गुप्त) के विरुद्ध शिकायती-पत्र

14--श्री बदन सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि काश्तकारान निवासी ग्राम कौदऊं, बारू पोस्ट फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली, जिला आगरा द्वारा दिनांक 8-11-80 को भेजा हुआ कोई शिकायती-पत्र वहां के ए0 सी0 ओ0 चकबन्दी (श्री जय भगवान गुप्त) के विरुद्ध रिश्वत लेकर चक खराब करने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उक्त ए0 सी0 ओ0 (चकबन्दी) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम कौदऊ बारू, पोस्ट फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली, जनपद आगरा के काश्तकारों का कथित शिकायती-पत्र दिनांक 8-11-80 को प्राप्त नहीं हुआ। इन काश्तकारों का एक अन्य शिकायती-पत्र दिनांक 3-11-80 को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच करायी गयी। जांच में सभी शिकायतें निराधार पायी गयी। अतः सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर के ग्राम तिलसड़ा के काश्तकारों की भूमि को कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी सेल सार्टिफिकेट के आधार पर अपने नाम कराये जाने के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र पर जांचोपरान्त कृत कार्यवाही

15--श्री झिलमिट राम--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर, परगना सादियाबाद, ग्राम तिलसड़ा में कस्टोडियन के अन्तर्गत कौन-कौन से नम्बरान और कितनी भूमि थी और है ? उनका क्षेत्रफल क्या यह है ? क्या सत्य है कि उपरोक्त ग्राम के तमाम काश्तकारों के भूमि व मकान को ग्राम के मदनी व शमीम वगैरह ने फर्जी सेल सार्टीफिकेट के आधार पर अपने नाम करा लिया है ? क्या इसके विरुद्ध ग्रामीणों के प्रार्थना-पत्र कस्टोडियन अदालतों की तजवीजों के साथ कतिपय विधायकों के प्रबल संस्तुतियुक्त पत्र राजस्व सचिव को जांच कार्यवाही हेतु क्रमशः आदेश मुख्य मन्त्री द्वारा 4 फरवरी, 1978 का, मुख्य सचिव द्वारा 3 फरवरी, 1978 व 25 जनवरी, 1979 व ग्रामीण उद्योग राज्य मन्त्री द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 1979 मयमूल प्रार्थना-पत्र व संलग्नकों के भेजे गये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर, परगना सादियाबाद, ग्राम तिलसंड़ा में कस्टोडियन के अन्तर्गत निम्नलिखित नम्बरान बाग थे :—

256, 205, 206, 221, 509 तथा 795 जिनका कुल रकबा 2 बीघा, 8 बिसवा, 3 धुर था जो अब दूसरे व्यक्तियों के नाम अंकित हो चुके हैं और निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं है ।

इसके अलावा निम्नलिखित नम्बरान भू-खंड के रूप में थे जिसमें से प्रत्येक के साथ उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है :—

624/1-14-9, 399/1-0-0, 147/0-1-18, 432/0-8-0, 307/0-7-0, 500/2-0-0, 371/0-5-9, 376/0-3-9 377/0-1-0, 30/0-5-12, 544/0-3-0, 307/0-17-1, 588/5-5-9, 395/1-11-14, 356/0-10-10, 222/0-18-11, 681/3-0-0, 533/0-5-0, 482/1-14-8, 483/1-3-3, 627/0-14-10, 521/0-2-0, 335/0-6-6, 615/1-11-5, 385/0-0-6, 383/0-0-12, 604/0-5-8, 605/0-4-9, 606/0-1-18, 585/0-1-12, 519/0-2-3, 518/0-4-3, 613/0-5-10, 818/0-2-10, 819/0-4-0, 572/0-1-6, 573/0-1-0 474/0-3-4, 582/0-7-0, 471/0-1-6, 449/ 0-1-10, 541/0-7-0, 547/0-2-3, 335/0-2-3, 521/0-2-0, 506/2-0-0, 149/0-7-6, 127/1-0-0, 402/0-8-0, 411/0-4-0, 312/0-14-9, 358/0-3-11, 52/1-5-17, 310/0-17-6, 359/0-0-11, 330/1-0-3, जो इस समय निष्क्रान्त सम्पत्ति अंकित नहीं है ।

जी हां, यह सत्य है कि उपर्युक्त ग्राम के काश्तकारों की भूमि व मकानों को ग्राम के मदनी व शमीम वगैरह ने फर्जी सेल सर्टीफिकेट के आधार पर अपने नाम करा लिया है । इसके विरुद्ध इस प्रश्न में उल्लिखित आदेशों, दिनांक 4 फरवरी, 1978, 3 फरवरी, 1978, 25 जनवरी, 1979 और 24 जनवरी, 1979 द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र आदि राजस्व सचिव को प्राप्त नहीं हुये बल्कि मुख्य सचिव के आदेश दिनांक 9 जून, 1978 प्राप्त हुये थे जिनके अनुसार इन मामलों में राजस्व परिषद् के एक अधिकारी द्वारा जांच करा कर रिपोर्ट प्राप्त की गई । इस बीच इन मामलों में सतर्कता अधिष्ठान की भी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी । इन दोनों रिपोर्टों का परीक्षण करने के उपरान्त शासन द्वारा आदेश जारी किये गये कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराये जायें तथा जिन खातेदारों के नाम गलत दाखिल-खारिज हुये हैं उनके विरुद्ध जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 229 व धारा 209 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय और इस सम्बन्ध में किये गये दाखिल-खारिज की कार्यवाहियों में अनियमितताओं के लिये सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

फलस्वरूप उपर्युक्त धारा 229/209 के अन्तर्गत 5 वाद प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिनमें कार्यवाही प्रगति में है ।

अल्मोड़ा जनपद के ग्राम कुमाल्ट के श्री किशन राम का भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

16--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशन राम, ग्राम कुमाल्ट, पोस्ट आफिस कपड़ा, जिला अल्मोड़ा द्वारा दो नाली भूमि मकान ग्रान्ट के सम्बन्ध

में प्रधान मन्त्री को प्रेषित पत्र सन्दर्भ संख्या 227555 जो प्रधान मन्त्री कार्यालय में उचित कार्यवाही के लिये मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 19 दिसम्बर, 1977 को भेज दिया गया, के सम्बद्ध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मकान बनाने हेतु भूमि आवंटन विषयक श्री किशन राम का प्रार्थना-पत्र प्रधान मन्त्री कार्यालय से माह दिसम्बर, 1977 में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

श्री किशन राम ने जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को 2 नाली 10 मुट्ठी भूमि के नियमीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था जो निर्धारित शर्तों के पूरा न होने के कारण दिनांक 29 अगस्त, 1979 को जिलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था ।

सुल्तानपुर जनपद के ग्राम बाहरपुर के श्री नूरूल हसन खां का चकबन्दी में उनके भूखंडों में कथित उलटफेर सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

17— श्री विजय सिंह राना—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नूरुल हसन खां, पुत्र श्री अब्दुल वाहिद खां, निवासी रसूलपुर, ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के भूखंड संख्या 824, 827, 1514, 1515/1, 1515/2, 1947, 1130, 1337/2 की 1359 फसली से पूर्व तथा चकबन्दी 1360, 1362 में उलटफेर कर खाता खेवट एवं खतौनी में दूसरों के नाम चक बना दिये गये हैं जिसके विरुद्ध उपरोक्त मालिकों ने राजस्व मन्त्री, जिलाधिकारी सुल्तानपुर को दिनांक 5 फरवरी, 1981 तक कितनी दरख्वास्त दी थी और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के नये भूखंड संख्या 824, 827, 1514, 1515/1, 1515/2, 1947, 1130, 1337/2 पर वर्ष 1337, 1359 फसली एवं चकबन्दी 1360, 1362 में अभिलेखों में श्री नूरुल हसन के नाम अंकित नहीं है इसलिये चकों में किसी प्रकार के उलटफेर का प्रश्न नहीं उठता । श्री नूरुल हसन खां के दो प्रार्थना-पत्र दिनांक 4 मार्च, 1980 तथा 6 मार्च, 1980 प्राप्त हुये थे जिनकी जांच करायी गयी । जांच में मामला पिछले दो बन्दोबस्त में किये गये इन्द्राजों से सम्बन्धित पाया गया अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

प्रदेश में शीत लहरी से मृत व्यक्तियों की संख्या

18—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 की शीत लहरी से प्रदेश के 100 के आसपास लोग मरे ? यदि हां, तो भविष्य में ऐसी मौतों को रोकने के लिए क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नगत शीतलहरी से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । शीतलहरी के समय जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है ।

फैजाबाद जनपद से ग्राम अहिरौली सलोनी निवासी, श्री राम अभिलाष सिंह, लेखपाल द्वारा अपने नाम कराए गए अनियमित पट्टे पर उनके विरुद्ध कार्यवाही

19--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम अभिलाष सिंह पुत्र राजा राम सिंह, लेखपाल, निवासी ग्राम अहिरोली सिलौनी, तहसील बीकापुर, फैजाबाद ने अपने और अपने भाई के नाम 10 एकड़ ग्राम समाज की भूमि का पट्टा करा लिया है जबकि लेखपाल के जीवित पिता राजा राम के नाम 25 एकड़ का चक है ? यदि हां, तो श्री राम अभिलाष सिंह भूमिहीनों की श्रेणी में कैसे आये ? इन्हें पट्टा दिए जाने का क्या कारण है ? इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री राम अभिलाष सिंह, लेखपाल, ग्राम अहिरौली सलौनी, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद तथा इनके भाई श्री माता बदल सिंह का ग्राम समाज अहिरौली, सलौनी द्वारा कुल 5 गाटा क्षेत्रफल 2 बीघा 2 बिस्वा, 18 धूर भूमि का पट्टा वर्ष 1967 में दिया गया था जबकि लेखपाल के जीवित पिता श्री राजाराम सिंह के नाम 41 . 01 एकड़ भूमि ग्राम सभा अभिलेखों में अंकित है । उक्त लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर जनपद के ग्राम मोजमपुर में अग्निकांड से प्रभावित लोगों को दिया गया अनुदान तथा अहेतुक सहायता

20--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार को जानकारी है कि मई, सन् 1980 के दूसरे सप्ताह में गांव मोजमपुर, ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में भयंकर आग लगने से इस गांव के लगभग सभी मकान जल कर भस्म हो गए थे ? यदि हां, तो अग्नि पीड़ित लोगों के पुनर्वासन हेतु कितना-कितना अनुदान कितने लोगों को दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद कानपुर के ब्लाक ककवन के अन्तर्गत ग्राम मोजमपुर में दिनांक 24 मई, 1980 को अग्निकांड से 67 मकान क्षतिग्रस्त हुए । अग्निकांड से प्रभावित 10 परिवारों को 100 रुपया प्रति परिवार की दर से कुल 1000 रुपया गृह-अनुदान दिया गया । इसके अतिरिक्त 10 पीड़ितों को 100 रु० प्रत्येक की दर से तथा 56 पीड़ित व्यक्तियों को 50 रुपया प्रत्येक की दर से कुल 3,800 रुपया की अहेतुक सहायता दी गई ।

देवरिया जनपद में चोरी हुए ट्रान्सफार्मरों की संख्या, देसही या पडौली में विद्युत् उपकेन्द्र तथा देसही देवरिया के ग्रामों का विद्युतीकरण

21—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में 1-1-1980 से 31-1-1981 के बीच ट्रान्सफारमरों की कितनी चोरियां हुईं तथा इस पर कौन-सी कार्यवाही हो रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

अठारह (18) ।

ट्रान्सफार्मरों की चोरियों की रोकथाम के लिए यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं ।

22—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि देवरिया जिला के अन्दर कसया विद्युत् केन्द्र अन्दर देसही, देवरिया या पडौली में कोई उप केन्द्र बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

देवरिया जनपद के अन्दर कसया में 132 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र उपलब्ध है । देसही देवरिया या पडौली में विद्युत् उपकेन्द्र बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

देसही देवरिया या पडौली में विद्युत् उपकेन्द्र बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है ।

जी नहीं ।

23—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह भी बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देसही, देवरिया ब्लाक के पूरे गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक विद्युतीकरण हो जाएगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के देवरिया तहसील में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावितों की संख्या तथा गृह-अनुदान

24—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के तहसील देवरिया में गत वर्ष कितने गांव 50 प्रतिशत से ऊपर अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ? उन गांवों में मकान गिरने का अनुदान कितने व्यक्तियों को दिया गया ?

श्री बंजनाथ कुरील—

देवरिया जिले की तहसील देवरिया में गत वर्ष 1980-81 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से 525 ग्रामों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षति हुई थी। इन प्रभावित ग्रामों में कुल 3,351 व्यक्तियों को गृह अनुदान दिया गया।

राज्य चीनी निगम यूनिट रामको ल देवरिया पर श्रमिकों का बकाया

25—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम यूनिट रामकोला, देवरिया के श्रमिकों का रिसीवरशिप के समय से अब तक मिल पर ग्रेच्युटी, निधि भविष्य इत्यादि मदों पर कितना रुपया बकाया पड़ा है ? क्या सरकार श्रमिकों के बकायों के भुगतान की कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

ऐसा कुल बकाया लगभग 12·41 लाख रुपया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मिल का कब्जा राज्य चीनी निगम को दिनांक 23-5-1979 को मिल सका था। छब्बीस हजार रुपया बकाया 23-5-79 के बाद का है जिसका भुगतान औपचारिकताओं की पूर्ति होते ही कर दिया जायगा। शेष बकाय राज्य चीनी निगम के कब्जा लेने से पूर्व का होने के कारण विवादग्रस्त है। अधिग्रहण के रूप में देय प्रतिकर से सम्बन्धित मामलों के तय होने पर ही उनके भुगतान के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।

देवरिया जनपद में भटनी कोल्ड स्टोरेज, सलेमपुर पर विद्युत् का बकाया तथा वसूली की कार्यवाही

26—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत भटनी कोल्ड स्टोरेज, सलेमपुर के ऊपर 28-2-81 तक कितने रुपए बिजली का मूल्य बकाया है तथा उसकी वसूली की कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

देवरिया जिला के अन्तर्गत भटनी कोल्ड स्टोरेज, सलेमपुर के ऊपर 28/2/81 तक कुल रु0 94, 759·91 विद्युत् देयक तथा रु0 3,058·12 विद्युत् कर बकाया है, जिसकी वसूली हेतु रु0 54,716.09 का वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 4/2/80 को जिलाधिकारी देवरिया को भेजा जा चुका है तथा शेष बकाये की वसूली हेतु आवश्यक प्रक्रिया जारी है और जिसे पूर्ण होते ही इसके वसूली प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी, देवरिया को भेज दिया जायेगा। उपभोक्ता का विद्युत सम्बन्ध बकाये के कारण दिनांक 30/10/79 को विच्छेदित कर दिया गया है।

देवरिया जनपद में बोर्डभंग गन्ना समितियों और बंतालपुर, गौरीबाजार, हाटा गन्ना समितियों पर किसानों का बकाया

27—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला गन्ना अधिकारी एवं पडरौना जिला गन्ना अधिकारी के कार्य क्षेत्र में इस समय कितने-कितने गन्ना समितियों के बोर्ड भंग हैं और इनका चुनाव कब तक हो जायेगा

और क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि देवरिया जिले के केन यूनियन बेतालपुरा, गौरी बाजार एवं हाटा में अलग-अलग किसानों का कितना रुपया वर्ष 1980-81 का बाकी है ? और यह कब तक किसानों को पूरा-पूरा दे दिया जायगा ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

जिला गन्ना अधिकारी देवरिया एवं जिला गन्ना अधिकारी, पड़रौना के कार्य क्षेत्रों की क्रमशः 8 व 9 गन्ना समितियों के बोर्ड, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण भंग हुये हैं ।

इन समितियों के नये बोर्डों के गठन की कार्यवाही की जा रही है ।

निम्नलिखित समितियों के सम्मुख उल्लिखित गन्ना मूल्य की वर्ष 1980-81 की धनराशि उन गन्ना किसानों की बकाया है, जिन्होंने स्वयं पर्चियां प्रस्तुत नहीं की है :

नाम गन्ना समिति	लाख रुपयों में
1--बेंतालपुर	0·18
2--गौरी बाजार	0·28
3--हाटा	1·83

बीस सूत्रीय कार्यक्रमान्तर्गत ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दिये गये पट्टे

28--श्री रतीराम--

दिनांक 20-2-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों में 8 प्रतिशत सुरक्षित भूमि के पट्टे भूमिहीनों के नाम पर दिए गये थे परन्तु बाद में शासन द्वारा ऐसे पट्टों को निरस्त करने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में इस प्रकार के कितने पट्टे निरस्त किए गए थे तथा वहां किस-किस को आसामी बनाने की व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1975-76 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में 8 प्रतिशत सुरक्षित भूमि के पट्टे नहीं किये गये वरन् ग्राम सभा भूमि के 20 पट्टे भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को किये गये । ऐसी स्थिति में इस गांव में 8 प्रतिशत सुरक्षित भूमि के पट्टा के निरस्तीकरण का अथवा किसी को आसामी बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रहमानीपुरा में वर्षा एवं बाढ़ से मकानों की क्षति एवं गृह अनुदान

29--श्री रतीराम--

प्रथम सत्र 1981 के 7वें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केवल ग्राम रहमानीपुरा, जो ग्राम रसूलपुर का पुरवा है, में कितने लोगों के मकान 1980 में वर्षा एवं बाढ़ से गिर गये थे ? उसकी संख्या क्या है ? क्या शासन एवं जिला प्रशासन सुल्तानपुर द्वारा उनको गृह अनुदान एवं अन्य सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद सुल्तानपुर के परगना जगदीशपुर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर का कोई पुरवा रहमानी पुरा नहीं है । अतएव उसमें घर गिरने और सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर जनपद के ग्राम रसूलपुर में मस्जिद स्थित भू-खण्ड के पट्टे का निरस्तीकरण तथा भूखण्ड के निकट स्थित कथित कब्रिस्तान

30--श्री रती राम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तनपुर में भूखण्ड संख्या 1153 (जो ग्राम समाज की जमीन है) को पट्टे पर दिये हैं जिसमें मस्जिद है ? क्या इस सम्बन्ध में वहां की क्षेत्रीय जनता के दिनांक 31-1-1981 तक कितने पत्र माननीय राजस्व मंत्री जिलाधिकारी, सुल्तानपुर तथा अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त हुए हैं ? इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ने पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही हेतु आदेश भी दिया है ? यदि हां, तो क्या वह पट्टा निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, ग्राम रसूलपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित ग्राम सभा की भूमि, भूखण्ड संख्या 1153, का पट्टा कतिपय व्यक्तियों को 1970 में किया गया था । उक्त भूखण्ड के दक्षिणी भाग में एक मस्जिद है जिसका उपयोग नहीं किया जाता । फिर भी धार्मिक स्थल होने के कारण दिये गये पट्टे निरस्त करके उक्त भूमि गांव सभा में निहित कर दी गई है । उक्त सम्बन्ध में सात शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे ।

31--श्री रती राम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तनपुर में आराजी नं0 1153 में एक बहुत पुरानी मस्जिद स्थित है तथा उससे मिला कब्रिस्तान है ? यदि हां, तो तहसील के कागजात में इसका इन्द्राज है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में आराजा नं0 1153 में कोई पुरानी मस्जिद नहीं स्थित है तथा उससे मिला कोई कब्रिस्तान नहीं है ।

सुल्तानपुर जनपद के ग्राम रसूलपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों हेतु गृह-अनुदान तथा उसके आवंटन में घोटाले के सम्बन्ध में कथित शिकायत की जांच

32--श्री रती राम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे 1980 में ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर, ग्राम रसूलपुर के पुरवा रहमानी में वर्षा एवं बाढ़ से मकानों के गिरने की संख्या कितनी है तथा पीड़ितों को कितना गृह अनुदान एवं सहायता शासन द्वारा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जगदीशपुर के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर का कोई पुरवा रहमानी नहीं है । वर्ष 1980 में ग्राम सभा रसूलपुर में वर्षा एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 197 है । इनमें से 61 पीड़ित व्यक्तियों को 6,150 रु0 गृह अनुदान स्वरूप वितरित किया गया । शेष व्यक्ति पात्रता की परिधि में नहीं आते थे, इस कारण उन्हें गृह निर्माण अनुदान नहीं दिया गया ।

33--श्री रती राम--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1980 में ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में गृह अनुदान व सहायता वितरण में हुए घोटाले के विरुद्ध कोई शिकायत शासन एवं जिला प्रशासन सुल्तानपुर को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थी ? क्या शिकायतों की जांच की गयी तथा दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद के ग्राम बेलपार पंडित में चकबन्दी में गड़बड़ी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

34--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बेलपार पंडित, सी0 ओ0 सकिल भाटपार रानी, जिला देवरिया में चकबन्दी में हो रही गड़बड़ी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-1-81 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंजनाथ कुरील—]

जी हां। पत्र के साथ प्राप्त ग्राम बेलपार पाँडत के ग्रामवासियों के चकबन्दी में की जा रही अनियमितताओं के शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी। जांच के फलस्वरूप पायी गयी त्रुटियों के निराकरण तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश चकबन्दी आयुक्त द्वारा दे दिये गये ह।

35—श्री हरिवंश सहाय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया।]

देवरिया जनपद के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, बेतालपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

36—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-2-81 का ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, वेतालपुर के सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त. उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ ह ? यदि हां, तो उसको जांच कराई गयी ? यदि कराई गयी, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक वेतालपुर के सम्बन्ध में दिनांक 11-2-81 का पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जांच के फलस्वरूप जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया द्वारा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को कड़ी चेतावनी देते हुये श्री बन्धन, जोप चालक का अनधिकृत निलम्बन आदेश निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त पत्र में वर्णित अन्य शिकायतों की पुष्टि में प्रमाण नहीं मिला।

सहकारी गन्ना समिति, रामकोला, देवरिया के कर्मचारियों का अनिवार्य जमा योजनान्तर्गत जमा धनराशि का भुगतान

37—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति रामकोला (पी0) देवरिया के कर्मचारियों का जो धन अनिवार्य बचत योजना (उचन्त खाता) में कटा था उसको वापस कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

जी नहीं।

रामकोला (पी0) समिति के कर्मचारियों का अनिवार्य बचत योजना (उचन्त खाता) में जमा धनराशि का मिलान भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय से किया जा रहा है, इस कारण अभी भुगतान नहीं हो पाया।

देवरिया जनपद की चीनी मिलों की चीनी की रिकवरी

38—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले की चीनी मिलों में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में रिकवरी अलग-अलग कितनी रही है ?

श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

8--देवरिया जिले की चीनी मिलों की चीनी रिकवरी वर्ष 1979-80 तथा 80-81 में निम्न प्रकार रही ह :--

चीनी मिल नाम	चीनी रिकवरी (प्रतिशत में)	
1	2	3
	1979-80	1980-81
1--प्रतापपुर	9-07	9-36
2--बैतालपुर	8-96	8-92
3--गौरी बाजार	9-01	9-13
4--देवरिया	9-16	9-30
5--कप्तानगंज	9-49	9-53
6--छितौनी	8-00	8-30
7--लक्ष्मीगंज	9-02	8-86
8--रामकोला (प)	9-45	9-36
9--रामकोला (खे)	9-11	9-11
10--पडरौना	9-50	9-37
11--कठकुइंया	9-37	9-49
12--सेवरही	9-27	9-37
13--भटनी	9-20	9-03
14--खड्डा	9-21	8-84

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन की यूनिट भटनी, देवरिया में क्रय किये पुर्जों का विवरण

39--श्री हरिबंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन यूनिट भटनी में 1 अप्रैल, 1980 से 28 फरवरी, 1981 के बीच कितने रुपये के कौन-कौन मशीन के पुर्जे कहां-कहां से खरीदे गये ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

कुल 1,09,928 रुपये के केवल पुर्जे खरीदे गये । पुर्जों तथा उनके आपूर्ति कर्ताओं की सूची निम्नवत् है :

आपूर्ति कर्ता	पुर्जों के नाम
अम्बा प्रसाद जैन एण्ड कं0, मेरठ	1--सी0 आई0 कपलिंग 30" × 60"
	2--कास्ट स्टील वेश प्लेट 16·5" (फैक्ट्री ड्राइंग के अनुसार) ।
	3--डबल एज नाइव्ज फार कटर
	4--डबल एज नाइव्ज फनर कटर सेविलर
	5--सी0 आई0 स्क्रेपर फार बिल नं0 2 व 3
	6--सी0 आई0 का जूस पम्प (फैक्ट्री ड्राइंग के अनुसार)
सारन इंजीनियरिंग कं0, गढोरा	ग्रूविंग आफ मिल डिस्चार्ज वाल्व 5 एमएम × 45 एम एम
जगत फाउन्ड्री एण्ड इंजीनियरिंग कं0 गाजियाबाद	मशीनिंग आफ बलूम 450 × 3900 (फैक्ट्री ड्राइंग के अनुसार)
मोती लाल लक्ष्मी चन्द संघवी, बाम्ब	ब्वायलर ट्यूब
भारत इन्जीनियरिंग कं0, कानपुर	1--स्टील साइड पिस्टन राड आफ वाल्यूम इंजिन ।
	2--पिस्टन राड फार स्माल वैकुअम इंजिन
	3--पिस्टन राड डी0 वी0 इंजिन फैक्ट्री ड्राइंग के अनुसार) ।
	4--सी0 आई0 वाडी एण्ड कवर आफ मेग्मा पम्प ।
	5--जी0 एम0 मिल टाप रोलर वियरिंग ।
	6--जी0 एम0 मिल साइड रोलर वियरिंग (फैक्ट्री ड्राइंग के अनुसार ।)
	7--ग्राइंड स्टील शैफ्ट मशीन्ड ।
	8--सी0 एस0 स्पर वियर 72 टीथ ।
	9--सी0 एस0 मिनियम 24 टीथ ।
	10--सी0 एस0 ह्वील 72 टीथ।
पापुलर इन्जीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री वर्क्स, गोरखपुर	वी0 बेल्ट पुल्ली फार इलेक्ट्रिक इंजिन (फैक्ट्री ड्राइंग के अनुसार)।

—श्री हरिवंश सहाय—

[भारत सरकार से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

41—राम नरायन—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न सं0 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

42—श्री राम नरायन—

(3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न सं0 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

चान्दमारी खेड़ा बस्ती, लखनऊ की जमीन रेलवे द्वारा अर्जित करने पर ग्राम समाज कनौसी द्वारा श्री कुन्हू तथा श्री छब्बा को आवास हेतु प्रदत्त निःशुल्क भूमि

43—श्री राम गोविन्द—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27-11-56 की भूखण्ड संख्या 1064 ग्राम समाज कनौसी, जिला लखनऊ द्वारा कुन्हू पुत्र तुलसी को निःशुल्क मकान बनान के लिए भूमि दी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

भूमि प्रबन्धक समिति कनौसी द्वारा ग्राम कनौसी के खसरा नं0 1064 में से श्री कुन्हू पुत्र तुलसी को 6 बिसवा भूमि वर्ष 1956 में निशुल्क आवास निर्माण हेतु दी गयी थी ।

44—श्री राम गोविन्द—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित चान्दमारी खेड़ा रेलवे द्वारा उखाड़ दिये जाने के कारण किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी जमीन भूखण्ड संख्या सहित ग्राम समाज कनौसी, जिला लखनऊ द्वारा दिनांक 27-11-1956 के प्रस्ताव द्वारा दी गयी थी ?

श्री बज नाथ कुरील—

चांदमारी खेड़ा की बस्ती की जमीन रेलवे द्वारा अर्जित किये जाने पर ग्राम समाज कनौसी द्वारा खसरा नं0 1064 में से वर्ष 1956 में कुन्हू पुत्र तुलसी को 6 बिस्वा तथा श्री छब्बा पुत्र कल्लू को 2 विस्वा भूमि दी गयी थी ।

बस्ती जनपद की तहसील बांसी के कतिपय ग्रामों में भूमिहीन आवंटियों को कब्जा

45—श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम परोई, महुई, नानकार पकड़ीहा, चेतिया, जनपद बस्ती, तहसील बांसी के भूमिहीन आवंटियों को अभी तक कब्जा नहीं दिलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम परोई में सभी आबंटियों को उन्हें आवंटित भूमि का कब्जा दिला दिया गया था। उनमें से चार आवंटियों को भूमि से आवंटियों का कब्जा हटाने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198–क के अन्तर्गत थाना खलरहा में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गयी है।

ग्राम महुईनानकार, पकरडीहा तथा चेतिया में भी सभी आबंटियों को उन्हें आवंटित भूमि का कब्जा दिला दिया गया है। इन ग्रामों के सभी आवंटी, उन्हीं आवंटित भूमि पर काबिज है।

अस्थायी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर गन्ना विकास अधिकारियों का स्थायीकरण

46—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24 जनवरी, 1981 को बेगम हजरत महल पार्क, लखनऊ में मुख्य मन्त्री ने राज्य कर्मचारियों की रैली को सम्बोधित करते हुए, जो यह आश्वासन दिया था कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं तीन वर्ष या उससे अधिक हो गयी हैं एवं मौलिक पद रिक्त हैं, उन पर स्थायीकरण आदेश तत्काल जारी कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गन्ना विकास विभाग में जिला गन्ना अधिकारी के 22 स्थायी रिक्त पदों पर अब भी पिछले पांच वर्षों से कार्यरत किसी अधिकारी का स्थायीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

मुख्य मंत्री ने 24–1–81 को बेगम हजरत महल पार्क में अस्थायी रूप से तीन वर्ष तक काम कर चुकने वाले कर्मचारियों के विनियमितीकरण की बात कही थी। पर जहां तक जिला गन्ना अधिकारी के संवर्ग के स्थायी पदों पर तदर्थ और स्थानापन्न रूप से कार्यरत अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनका इस घोषणा से सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उन पदों पर सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति के माध्यम से नियमित नियुक्तियां तथा कार्यरत अधिकारियों का विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 के अनुसार ही किया जाना है।

गाजीपुर जनपद की तहसील सैदपुर में पुनः चकबन्दी

47—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर में 1959–60 में चकबन्दी का कार्य पूर्ण हुआ था जिसमें प्रति काश्तकार चार–चार, पांच–पांच छोटे–छोटे चक दिए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त तहसील में पुनः चकबन्दी कराकर बड़े–बड़े चक बनवाने पर विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रथम चक्र में गाजीपुर में चकबन्दी प्रक्रिया 1956 में आरम्भ होने के कारण उस समय कुछ काश्तकारों को चार चक प्रविष्ट किया गया

था । जिन 26 तहसीलों में प्रथम चक्र में चकबन्दी की गयी थी उन सभी तहसीलों में पुनः चकबन्दी कराने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा का च हैं ।

न्यू हैदराबाद, लखनऊ निवासी श्री मनोहर लाल भारद्वाज को भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

48—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मनोहर लाल भारद्वाज पुत्र श्री दुर्गादास, मकान 3, गोपीनाथ बिल्डिंग, न्यू हैदराबाद, लखनऊ भूतपूर्व सैनिक, को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 29-1-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न का प्रथम भाग :—

जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग :—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

अलीगढ़ की एक फर्म के बिक्रीकर अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न के सम्बन्ध में जांच

49—डाक्टर धर्मपाल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्रावली, फर्म रामचरन कसेरे, अलीगढ़ की दिनांक 15-12-80 में आपको दी गयी थी, उसकी जांच के क्या परिणाम हुए ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में उपायुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, अलीगढ़ से जांच करायी गयी । अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये उत्पीड़न के आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

टांडा तापीय शक्ति परियोजना का नाम 'संजय परियोजना' रखने पर विचार

50—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा तापीय शक्ति परियोजना का नामकरण 'संजय परियोजना' रखे जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां, फजाबाद जनपद के नागरिकों की मांग पर टांडा तापीय परियोजना का नाम बदल कर 'संजय गांधी तापीय परियोजना टांडा फैजाबाद' किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

देवरिया जिले के भटनी क्षेत्र के चकबन्दी अधिकारी द्वारा निस्तारित वाद

51—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत सी० ओ० सर्किल भटनी में 9 अप्रैल, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक कितने हक के मुकदमें मेरिट के आधार पर निर्णीत हुए तथा कितने मुकदमें एक तरफा पक्षों के अनुपस्थिति के कारण निर्णीत हुए ?

श्री बैजनाथ कुरील—

देवरिया जिलान्तर्गत चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र भटनी में दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक स्वत्व के 2,242 वाद गुण-दोष के आधार पर तथा 370 वाद एकपक्षीय निर्णीत हुये ।

52—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत सी० ओ० सर्किल भाटपार रानी में 1 अप्रैल, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक कितने हक के मुकदमें मेरिट के आधार पर निर्णीत हुये तथा कितने मुकदमें एक तरफा पक्षों की अनुपस्थिति के कारण निर्णित हुए ?

श्री बैजनाथ कुरील—

देवरिया जिलान्तर्गत चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र भाटपार रानी में दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक स्वत्व के 2,306 मुकदमें गुण-दोष के आधार पर तथा 295 वाद एक पक्षीय निर्णीत हुये ।

गन्ना बोर्ड द्वारा संचालित सांख्यिकी परियोजना के सन्दर्भ में गन्ना आयुक्त की संस्तुतियां

53—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सी० डी० ओ० सांख्यिकी के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक 4266 सी० डी-46/80, दिनांक 27-9-80 के सन्दर्भ में गन्ना आयुक्त ने शासन को अपनी संस्तुति भेजी है ? यदि हां, तो संस्तुतियां क्या हैं तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

गन्ना आयुक्त ने गन्ना बोर्ड के वित्तीय साधनों से चलने वाली सांख्यिकी परियोजना को राजकीय स्कीम के रूप में छठी पंचवर्षीय योजना में समादिष्ट करने का प्रस्ताव किया था पर यह केन्द्रीय योजना आयोग के परामर्शानुसार अनुमोदित नहीं किया जा सका।

बस्ती जनपद के चकबन्दी में न लिये गये ग्रामों की संख्या

54—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के कौन-कौन से गांव अब तक चकबन्दी के अन्तर्गत नहीं लिये जा सके हैं ? इन्हें अब तक चकबन्दी में न लिए जाने का क्या कारण है ? इनमें कब तक चकबन्दी का कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री बेजनाथ कुरील—

बस्ती जनपद के अब तक जो 620 ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत नहीं लिये गये हैं उनकी तहसीलवार सूचियां संलग्न हैं।† उक्त गांव उस समय के निर्धारित माप दण्ड के अनुसार चकबन्दी योग्य नहीं पाये गये थे और उनमें चकबन्दी नहीं हो रही है अतः इनमें चकबन्दी पूर्ण कराने का अभी प्रश्न नहीं उठता। (×××)†

छोटी फ्लोर मिल को गेहूं खरीद पर क्रय-कर तथा आटे पर बिक्री कर से मुक्ति करने का विचार

55—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न (दिनांक 6-2-81) संख्या 21 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भारतीय खाद्य निगम से क्या सूचना मांगी गयी है ? तथा प्रश्नगत मामले में निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

भारतीय खाद्य निगम से यह जानकारी मांगी गयी थी कि क्या रोलर फ्लोर मिलों से भिन्न आटा मिलों और आटा चक्कियों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य के भीतर खरीदा गया गेहूं ही दिया जाता है अथवा राज्य के बाहर से आयातित गेहूं भी दिया जाता है, और यदि दोनों प्रकार का गेहूं दिया जाता है, तो उनका सामान्यतः क्या अनुपात होता है। यह सूचना तो उपलब्ध नहीं हो सकी है किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब इन छोटी चक्कियों आटा मिलों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं नहीं दिया जा रहा है, तथा इन मिलों द्वारा बेचे गये गेहूं उत्पादन के मूल्य अथवा वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है, उन्हें कर मुक्ति देने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

धामपुर, बिजनौर के बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच तथा कृत कार्यवाही

56—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री (बिक्री-कर) कृपया बतायेंगे कि धामपुर, जिला बिजनौर के किसी बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच दिनांक 26 नवम्बर, 1980 को सहायक आयुक्त (परिवाद) द्वारा की गयी ? यदि हां, तो आरोप क्या थे ? रिपोर्ट से क्या तथ्य प्रकाश में आये एवं उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

†(छापी नहीं गयीं।)

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां ।

बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप थे :—

(1) बिक्रीकर अधिकारी ने 19-9-80 को श्री अब्दुल हक मोहम्मद युसुफ ताजपुर, धामपुर (शिकायतकर्त्ता) के साथ अभद्र व्यवहार किया ।

(2) शिकायतकर्त्ता पर वर्ष 1975-76 तथा 1977-78 में 80,000 का अधिक कर लगाया क्योंकि शिकायतकर्त्ता ने रिश्वत नहीं दी ।

(3) जिन मामलों में बिक्रीकर अधिकारी को पैसा नहीं मिलता उसमें अनुचित रूप से अधिक कर लगाते हैं ।

(4) बिक्रीकर अधिकारी रिश्वत लेकर कम कर आरोपित करते हैं ।

जांच में यह प्रमाणित नहीं हुआ कि बिक्रीकर अधिकारी ने शिकायतकर्त्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया । शिकायतकर्ता पर वर्ष 1975-76 तथा 1977-78 के सम्बन्ध में अधिक कर लगाया गया । यह भी प्रमाणित हुआ कि बिक्रीकर अधिकारी ने कुछ मामलों में अधिक और कुछ मामलों में कम कर आरोपित किया । रिश्वत मांगने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ ।

जांच के फलस्वरूप श्री मेहरोत्रा, बिक्रीकर अधिकारी को कर निर्धारण कार्य से हटा दिया गया है । इनके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित हैं । अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है और इन अभिलेखों में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर बिक्रीकर अधिकारी को आरोपित किया जायेगा ।

खीरी जनपद के निलम्बित ग्राम सेवक

57—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद खीरी में 31 जनवरी, 1981 तक कितने गन्ना ग्राम सेवक निलम्बित हैं यह सभी कब से निलम्बित हैं तथा निलम्बन का क्या कारण है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

जनपद खीरी में 31 जनवरी, 1981 तक 8 गन्ना ग्राम सेवक फर्जी खाद वितरण, गबन, आदेशों का उल्लंघन एवं ऋणी कृषकों के सट्टे न करने के आरोप में निम्नलिखित अवधि से निलम्बित हैं :—

1—मई, 1976-1

2—नवम्बर, 1978—1

3—जुलाई, 1979—1

4—अप्रैल, 1980—1

5—जून, 1980—1

6—[illegible], 1980-3

सहकारी गन्ना विकास समिति, महोली, सीतापुर के कतिपय सहायक कैशियर (भुगतान लिपिक) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

58—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, महोली, जिला सीतापुर में सहकारी वर्ष 1979-80 में कुल कितने सहायक कैशियर (भुगतान लिपिक) सेवा निवृत्त किये गये ? उनके विरुद्ध क्या आरोप थे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गन्ना विकास समिति, महोली, जनपद सीतापुर में सहकारी वर्ष 1979-80 में किसी भी सहायक कैशियर (भुगतान लिपिक) को सेवा-निवृत्त नहीं किया गया।

प्राप्त वर्ष में पांच भुगतान लिपिकों के विरुद्ध समिति के धन का व्यपहरण करने के आरोप थे। अतः वर्ष 1980-81 में अनुशासनिक कार्यवाही करके उन्हें "ब" श्रेणी देने का निर्णय लिया गया उनमें से एक भुगतान लिपिक के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट भी लिखायी गयी है जिसका विवेचना हो रही है।

खीरी जनपद को हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला गोकरन नाथ तथा शारदा शुगर मिल, पलिया कला पर काश्तकारों का बकाया

59—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला गोकरन नाथ, जिला खीरी तथा शारदा शुगर मिल, पलिया कला, जिला खीरी पर वर्ष 1975 से 1980 (पिराई सीजन) का काश्तकारों का (गन्ना आपूर्ति) कितना रुपया बकाया है ? भुगतान न करने का क्या कारण है ? कब तक हो जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

हिन्दुस्तान शुगर मिल लि0, गोला गोकरन नाथ तथा शारदा शुगर मिल लि0, पलिया कला, जिला-खीरी पर पेराई सीजन 1978-79 के गन्ना मूल्य अन्तर की सब्सीडी की धनराशि को छोड़कर वर्ष 1975 के 1980 तक कृषकों द्वारा पूर्ति से के मूल्य की कोई धनराशि भुगतान हेतु अवशेष नहीं है। यह सब्सीडी की धनराशि उक्त मिलों पर क्रमशः रु0 90.39 लाख तथा रु0 23.12 लाख है, जो इस समय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

तहसीलदार बिलग्राम, हरदोई के विरुद्ध श्री योगेन्द्र सिंह, कुर्क अमीन का कथित शिकायती पत्र

60—श्री हरी शंकर—

क्या राजस्व मन्त्री को तहसीलदार बिलग्राम, जिला हरदोई के विरुद्ध श्री योगेन्द्र सिंह, कुर्क अमीन का आरोप पत्र दिनांक 17-3-81 डाक द्वारा प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसके मुख्य आरोप क्या हैं ? उक्त आरोप पत्र के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री योगेन्द्र सिंह, कुर्क अमीन का तहसीलदार, बिलग्राम के विरुद्ध दिनांक 17 मार्च, 1981 को दिया गया आरोप-पत्र प्राप्त होना पाया नहीं जाता। श्री योगेन्द्र सिंह, कुर्क अमीन नें जिलाधिकारी को लिखित रूप में यह सूचित किया है कि उन्होंने उक्त तारीख को तत्कालीन तहसीलदार, बिलग्राम के विरुद्ध शिकायती पत्र नहीं दिया है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत् उप केन्द्र, बिलग्राम, हरदोई में 'ब्रेकरों' की स्थिति

61—श्री हरी शंकर—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 33 के0 वी0 ए0 सब स्टेशन, बिलग्राम, जिला हरदोई में कितने ब्रेकर हैं और उसमें से कितने चालू हालत में हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

बिलग्राम (जनपद हरदोई) में स्थित 33/11 के0 वी0 विद्युत् उप केन्द्र पर एक 'इनकमिंग' और चार 'फीडर' 11 के0 वी0 ब्रेकर लगे हैं जिनमें से दो फीडर ब्रेकर' स्पेयर हैं।

एक 'स्पेयर' ब्रेकर को छोड़कर अन्य चारों ब्रेकर चालू हालत में हैं।

सतर्कता विभाग द्वारा हरदोई जनपद में विद्युत् चोरी में पकड़े गये उपभोक्ताओं का विवरण

62—श्री हरी शंकर—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 22-12-77 को सतर्कता विभाग, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा हरदोई जनपद में विद्युत् चोरी के सिलसिले में छापे मारे गये थे ? उसमें कितने प्रतिष्ठानों या उपभोक्ताओं को बिजली की चोरी में पकड़ा गया था उनके नाम व पते क्या हैं तथा क्या उक्त उपभोक्ताओं पर असेसमेंट किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां।

उक्त छापे में तीन व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों को बिजली चोरी में पकड़ा गया था। पकड़े गये व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों के नाम व पते निम्न प्रकार हैं :—

(1) श्री राकेश कपूर,
निवासी बिलग्राम, जिला हरदोई।

(2) श्री मंसूर हसन,
निवासी खुर्दपुर, बिलग्राम (जिला हरदोई)।

(3) मेसर्स शंकर कोल्ड स्टोरेज, जिला हरदोई।

जी हां, असेसमेन्ट किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद की सदर तहसील में कार्यरत लेखपालों का स्थायीकरण

63--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की सदर तहसील, फैजाबाद में कितने लेखपाल ऐसे हैं जिन्हें सेवारत हुए दो वर्ष से ऊपर हो गये हैं ? उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बैजनाथ कुरील--

फैजाबाद जनपद के सदर तहसील में दो वर्ष से लगातार सेवारत कुल 97 लेखपाल हैं । जिसमें 78 लेखपाल स्थायी हो चुके हैं, 19 लेखपाल अस्थायी हैं । 19 अस्थायी लेखपालों में से 14 लेखपाल प्रशिक्षित हैं जिन्हें परिवीक्षा काल पर रखा गया है और लेखपाल सेवा नियमावली प्राविधानों की कार्यवाही पूरी हो जाने पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायगा । शेष 5 लेखपाल अप्रशिक्षित हैं जिनकी सेवाओं के नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

गन्ना विभाग के कतिपय राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

64--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायगे कि प्रदेश के गन्ना विभाग के किन-किन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान, सी० बी० आई० एवं सी० आई० डी० की जांच वर्ष 1977-78 से चल रही है तथा जांच की प्रगति क्या है ? उन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

गन्ना विकास विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1977-78 से उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही है :--

(1) श्री आर० के० वर्मा,
जिला गन्ना अधिकारी ।

(2) श्री जगतवीर सिंह त्यागी,
सेवा निवृत्त जिला गन्ना अधिकारी ।

(3) श्री हनुमान प्रसाद,
सहायक चीनी आयुक्त, बिजनौर ।

(4) श्री के० एम० सन्त,
उप गन्ना आयुक्त, मेरठ ।

जांच अभी चल रही है । आरोपों आदि के बारे में विवरण देना जनहित में नहीं है ।

सी० बी० आई०/सी० आई० डी० जांच से सम्बन्धित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

65--श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

[मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण निरस्त ।]

66--श्री प्रेमवती तिवारी--

[मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण निरस्त ।]

67--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण निरस्त ।]

68--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण निरस्त ।]

विद्युत् परिषद् में विद्युत् अभियन्त्रण डिप्लोमाधारियों की नियुक्तियां

69--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् अभियन्त्रण के डिप्लोमाधारी की नियुक्तियों व ट्रेनिंग पर विगत 5 वर्षों से रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कितनी नियुक्तियां की गयीं और कितने डिप्लोमा इंजीनियर बेकार हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं, ऐसी कोई रोक नहीं लगायी गई है । विगत पांच वर्षों में परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत 646 निम्न पदस्थ डिप्लोमाधारी, 345 परिषद् संवर्ग के कर्मचारियों से पदोन्नति करके, 155 सहायक पर्यवेक्षक तथा 360 प्रशिक्षण प्राप्त एप्रेन्टिस सुपरवाईजरों को अवर अभियंता बनाया गया है ।

परिषद् में 174 पहले से ट्रेनिंग प्राप्त डिप्लोमाधारी शेष थे जिनमें से 54 को निम्न पदस्थ पदों पर नियुक्त कर दिया गया है क्योंकि अवर अभियंताओं के ऐसे पद जिन पर नियुक्ति की आवश्यकता हो, उपलब्ध नहीं हैं । अवशेष 120 ट्रेनिंग प्राप्त डिप्लोमाधारियों को नियुक्ति देना शेष है ।

गोरखपुर जनपद में गृह अनुदान हेतु पात्रता का आधार तथा अपात्र व्यक्तियों का आवंटन

70--श्रीमती गौरी देवी--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में गृह अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची बनाने तथा पात्रता की श्रेणी निर्धारण का आधार क्या था और क्या गोरखपुर जिले में ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि एवं 2000 रु0 से अधिक वार्षिक आय थी को भी गृह अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

शासन स्तर से सभी मैदानी जिलों के लिये गृह अनुदान वितरण हेतु व्यक्तियों की पात्रता के सम्बन्ध मे यह आदेश है कि केवल वही व्यक्ति गृह अनुदान दिये जाने के पात्र हैं जिनके घर दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुए ह और

वे भूमिहीन मजदूर अथवा सीमान्त अथवा 2,400 रु0 से अनधिक वार्षिक आय वाले गैर खेतिहर व्यक्ति की श्रेणी में आते हों। यह भी आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति का मकान दैवी आपदा से पूर्णतया नष्ट हो जाय तो उसे, यदि वह उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं भी आता हो, तब भी गृह अनुदान देने के लिये पात्र समझा जायगा। गोरखपुर जनपद के लिये भी यही आदेश लागू है। परन्तु जनपद गोरखपुर में अनेक ऐसे व्यक्तियों को भी गृह अनुदान वितरण करने की बात प्रकाश में आयी है, जो भूमिहीन मजदूर अथवा सीमान्त कृषक अथवा 2,400 रु0 तक वार्षिक आय की श्रेणी के व्यक्तियों में नहीं आते और उनके मकान भी केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। अपात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान वितरण के मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के खाण्डसारी कारखानों को लाइसेन्स तथा खाण्डसारी का उत्पादन

71--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में प्रदेश में कितने खाण्डसारी कारखानों को लाइसेन्स प्रदान किए गये जिनमें से कार्यरत कितने रहे ? इन वर्षों में इन कारखानों में कुल कितनी खाण्डसारी का उत्पादन हुआ है और कुल कितना गन्ना पेरा गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

गन्ना पेराई सत्र 1979-80 में खाण्डसारी कारखानों के कुल 2736 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया और मात्र तीन नये लाइसेंस प्रदान किये गये जिनमें से 2320 खाण्डसारी इकाईयों ने कार्य किया। इस अवधि में 24.777 लाख कुन्टल खाण्डसारी का उत्पादन हुआ तथा 555.563 लाख कुन्टल गन्ना पेरा गया।

72--श्री मोती लाल देहलवी--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

73--श्री मोती लाल देहलवी--

[28-2-1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित।]

'एन्युटी' के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण

74--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1974 में जमींदारी उन्मूलन एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 100 (ए) व 100(बी) बढ़ाकर 30-6-1974 तक, जो एन्युटी के लिए दरख्वास्तें मांगी गयी थीं उनका कोई रिकार्ड रखा गया ? यदि हां, तो कितनी दरख्वास्तों को एन्युटी मिली और कितनी दरख्वास्तें खारिज की गयीं ? जो दरख्वास्तें खारिज की गयीं उन दरख्वास्तों को देने वालों को सबूत पेश करने का मौका दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूतपूर्व जिला गन्ना अधिकारी (श्री चन्द्र मोहन कपूर) तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (श्री आर0 डी0 पाठक) द्वारा अनियमितताओं का जांच

75—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि भू0 पू0 जिला गन्ना अधिकारी, हरदोई (श्री कपूर) ने जून, जुलाई 1980 में सत्ताइस हजार रुपये की यूरिया का फर्जी छिड़काव दिखाकर उस रुपए का गबन कर लिया ? क्या यह भी सच है कि जिलाधिकारी, हरदोई ने इस सम्बन्ध में सारे कागजात सीलकराकर जांच कराई और श्री कपूर को दोषी पाया ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

भूतपूर्व जिला गन्ना अधिकारी, हरदोई (श्री चन्द्र मोहन कपूर) तथा श्री आर0 डी0 पाठक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध हरदोई जनपद में यूरिया छिड़काव में की गयी अनियमितताओं की और फर्जी भुगतान की, जिसमें 23,616.56 रुपये की रकम अन्तर्ग्रस्त है रिपोर्ट पुलिस में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट परियोजना द्वारा दर्ज कराई गयी है। सम्बन्धित कागजात सील करा लिए गये हैं। मामले में विवेचना अपराध अनुसन्धान शाखा द्वारा की जा रही है।

शासन द्वारा श्री कपूर को निलम्बित करने के आदेश जारी किए गये, जो न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने के फलस्वरूप कार्यान्वित नहीं हो सके। वह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग मुख्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पास बुकें

76—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या नियोजन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग, लखनऊ मुख्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 की पास बुकें अब तक तैयार न किये जाने का क्या कारण है ? पास बुकों को तत्काल बनाएं जाने हेतु मन्त्री जी आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मुख्यालय के कुल 311 तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से 162 की जी0 पी0 एफ0 पास बुकें तैयार की जा चुकी हैं। शेष कर्मचारियों की पास बुकें तैयार न होने का कारण पास बुकें तथा लेजर फार्म उपलब्ध न हो पाना है। शेष पास बुकें तैयार कराये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।

मैनपुरी जनपद के ग्राम दखान के प्रधान (श्री राम लखन विश्वकर्मा) के नाम फर्जी इन्द्राज पर कृत कार्यवाही

77—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम दखान, परगना सरेम, तहसील सदर, जिला मैनपुरी के ग्राम सभा प्रधान, राम लखन विश्वकर्मा और उनके परिवार वालों को काफी फर्जी वर्ग 4 का इन्द्राज खतौनी में हुआ है ? यदि हां, तो उसे निरस्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, ग्राम सभा प्रधान, श्री राम लखन विश्वकर्मा और उनके परिवार वालों के नाम वर्ग 4 के अन्तर्गत 2 फर्जी इन्द्राज खतौनी में लेखपाल द्वारा किये गये थे। फर्जी इन्द्राजों को निरस्त कर दिया गया है। सम्बन्धित लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

कानपुर की बिल्हौर तहसील की जीप पर पूर्व स्वीकृति बगैर किया गया व्यय

78—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत तहसील बिल्हौर की जीप गाड़ी पर अगस्त, 1980 से मार्च, 1981 तक किस-किस फन्ड से कितना-कितना धन किसके-किसके द्वारा किस-किस मद में खर्च किया गया और प्राविधान के अनुसार खर्च की पूर्व स्वीकृति न लेने के विरुद्ध सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद कानपुर के अन्तर्गत तहसील बिल्हौर की जीप पर अगस्त, 1980 से मार्च, 1981 तक लेखा शीर्षक "जिला प्रशासन", "दैवी आपदा", "जनगणना" एवं "मेला फन्ड" से क्रमशः 3,326·00, 2,896·18, 199·40 एवं 1,376·61 रुपया की धनराशि तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा जीप की मरम्मत, डीजल, पेट्रोल तथा मोबिल आयल पर, टायर टयूब, बैट्री व केनोपी के क्रय की मदों में व्यय किया गया था। संबंधित अधिकारी द्वारा "जिला प्रशासन" के प्राविधान से व्यय की गई धनराशि के संबंध में सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति न लिए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जिसके प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

रामपुर जनपद के गन्ना किसानों को गन्ना के बकाया का भुगतान

79—श्री बलवीर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में पिछले वर्षों के गन्ना का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

रामपुर जिले में स्थित रामपुर चीनी मिल पर 60·34 लाख रुपया बलासपुर चीनी मिल पर 9·67 लाख रु0 सीजन 1980-81 से पूर्व वर्षों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया है। इस बकाया भुगतान के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं तथा भुगतान हेतु प्रयास जारी है।

केन यूनियन फेडरेशन प्रेस तथा फेडरेशन में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां

80—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1981 में केन यूनियन फेडरेशन प्रेस तथा फेडरेशन के अन्तर्गत की गयी नियुक्तियों में अनुसूचि

जाति तथा पिछड़ी जाति के कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

मार्च, 1981 में केन यूनियन फेडरेशन में कोई नियुक्ति नहीं हुई ।

उक्त अवधि में केन यूनियन फेडरेशन प्रेस में की गई सात नियुक्तियों में कोई अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति का अभ्यर्थी नहीं ह । इन नियुक्तियों में निर्धारित आरक्षण के अनुसार नियुक्तियां इसलिए नहीं हो सकीं कि इन पदों पर दैनिक वेतन पर कई वर्षों से काम करने वाले श्रमिकों का विनियमितीकरण किया गया है ।

फैजाबाद की सदर तहसील में कार्यरत लेखपालों का स्थायीकरण

81--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की सदर तहसील में कितने लेखपाल ऐसे हैं जो विगत तीन वर्षों से भी अधिक दिनों से कार्यरत हैं ? उन्हें कब तक कन्फर्म (स्थायी) कर दिया जायेगा ? उन्हें अब तक स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

फैजाबाद जनपद के सदर तहसील में तीन वर्ष से लगातार सेवारत कुल 97 लेखपाल हैं । जिसमें 78 लेखपाल स्थायी हैं और 19 लेखपाल अस्थायी है । 19 अस्थायी लेखपालों में से 14 लेखपाल प्रशिक्षित हैं जिन्हें परिवीक्षा काल पर रखा गया है और लेखपाल सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार उनके स्थायीकरण का मामला विचाराधीन है । 5 लेखपाल अप्रशिक्षित हैं जिनकी सेवाओं के नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उप निबन्धकों की नियुक्ति

82--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये 85 उप निबन्धकों की नियुक्ति उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाने के उपरान्त भी क्यों नहीं हो रही है ? क्या यह सच है कि शासन इन स्थानों पर पहिले से कार्यरत स्थानापन्न उप निबन्धकों को हटाना नहीं चाहती ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

गत वर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा उप निबन्धकों के पदों पर नियुक्ति हेतु 89 अभ्यार्थियों का चयन किया गया था जिसमें से 82 अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हुये और उन्हें प्रशिक्षण के पश्चात् विभिन्न कार्यालयों में उप निबन्धकों के पदों पर तैनात कर दिया गया जहां उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है । 5 अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए विलम्ब से उपस्थित हुये और वे इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें तैनात कर दिया जायेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया के ग्राम मझौली राज में चकबन्दी में फर्जी अमलदरामद तथा बन्दोबस्त

83—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि जनपद देवरिया में मझौली राज के अन्तर्गत सन् 1969 से चकबन्दी का कार्य अब तक चल रहा है ? उसका कारण क्या है ? क्या यहां पर फर्जी अमलदरामद के अन्तर्गत बहुत से किसानों को चक प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ये काश्तकार कब तक चक प्राप्त कर लेंगे ? फर्जी अमलदरामद कब तक खारिज कर दिया जायगा ? यहां का बन्दोबस्त कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । जनपद देवरिया के ग्राम मझौली राज के अन्तर्गत जून, 1970 से चकबन्दी का कार्य अब तक चल रहा है । इसका मुख्य कारण ग्राम का आकार विस्तृत होना, आधार वर्ष के अभिलेखों में अत्याधिक अशुद्धियां पाया जाना, काश्तकारों में पुरानी मुकदमेबाजी, अभिलेखों के सत्यापन के समय बहुत बड़ी संख्या में विवाद उठना तथा खातेदारों में सहमति का अभाव है ।

ऐसा नहीं है कि फर्जी अमलदरामद के कारण बहुत से काश्तकारों को चक न प्राप्त हुये हों । सम्बन्धित चकबन्दी लेखपाल ने हक के 121 और चक के 105 मामलों में फर्जी अमलदरामद कर दिये थे जिसे सहायक संचालक चकबन्दी ने चकबन्दी अधिकारी द्वारा संदर्भ किये जाने पर खारिज कर दिया है । चकबन्दी लेखपाल जिसने फर्जी अमलदरामद कर दिया था उसे निलम्बित कर दिया गया है । उसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा धारा 218 भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम करा दिया गया है । इस ग्राम के बन्दोबस्त के कागजात चालू वित्तीय वर्ष 1981-82 के अन्त तक तैयार होने की आशा है ।

देवरिया में चकबन्दी अधिकारी, बनकटा द्वारा निस्तारित मुकदमे तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा लेखपाल के विरुद्ध कड़सरवा बुजुर्ग ग्रामवासियों का शिकायती-पत्र

84—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत सी० ओ० कोर्ट, बनकटा में 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 के बीच कितने हक के मुकदमें में कब फैसला किए गए तथा कितने मुकदमें एक तरफा डिग्री के आधार पर कब-कब फैसला किए गए ? कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनकी बहस हो चुकी है परन्तु फैसला बाकी है ? इन अवधि में कितने दिनों न्यायालय पर सी० ओ० उपस्थित रहे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जिला देवरिया के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी, क्षेत्र बनकटा में दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक कुल 3,288 स्वत्व के मुकदमों का फैसला किया गया, जिनमें से केवल 138 मुकदमें एक पक्षीय निर्णीत हुये । कुल ग्यारह मुकदमें ऐसे थे जिनमें बहस हो चुकी थी किन्तु फैसला बाकी था । यह मुकदमें भी तय हो चुके हैं । इस अवधि में कुल 105 दिन चकबन्दी अधिकारी अपने कार्यालय स्थित न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई के लिये उपस्थित रहे ।

85--श्री हरिबंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम कड़सरवा बुजुर्ग, सी0 ओ0 सर्किल बनकटा, जिला देवरिया के किसानों का शिकायती-पत्र मार्च, 1981 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, इस सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी लेखपाल के विरुद्ध तथाकथित भ्रष्टाचार तथा मनोवांछित चक दिये जाने की शिकायत की गई थी। जांच करने पर शिकायतें निराधार पाई गईं अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत् परिषद् के जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति में आरक्षण का कोटा

86—श्री हरिबंश सहाय—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति दिनांक 14 फरवरी, 1978 से 31 अक्तूबर, 1980 के बीच कितनों की की गई? उनमें से कितने अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी हैं ? क्या ये पदोन्नतियां जी0 ओ0 नं 3778/ए-1, दिनांक 13 जनवरी, 1978 का पालन किया गया है तथा आरक्षण का कोटा पूरा न करने का क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 1978 से 31 अक्तूबर, 1978 की अवधि में 108 जूनियर इंजीनियरों की सहायक अभियंता (विद्युत् एवं यान्त्रिक/सिविल) के पद पर पदोन्नति की गई जिसमें से 8 अनुसूचित जाति एवं 10 पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी थे। जहां तक प्रश्न में उल्लिखित जी ओ0 के अनुपालन का सम्बन्ध है, विद्युत् परिषद् में इस जी0 ओ0 को दिनांक 4 अप्रैल, 1978 से अंगीकार किया गया और इसके बाद 71 प्रोन्नतियां हुई थीं जिनमें पिछड़ी जाति के 10 अभ्यर्थी थे, और इस प्रकार पिछड़ी जाति के लिये निर्धारित कोटा पूरा भर लिया गया। जहां तक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सर्विसेज आफ इंजीनियर्स रेगुलेशन्स, 1970 के अन्तर्गत जूनियर इंजीनियर से सहायक अभियंता के पद हेतु 10 वर्ष की सेवा एवम् उसमें से 4 वर्ष की जूनियर इंजीनियर (सेलेक्शन ग्रेड) के पद पर सेवा होनी तथा स्थाई होना अनिवार्य है। चूंकि ऐसे अर्ह अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी, विद्युत् परिषद् में उपलब्ध नहीं थे, अतः उनके लिये आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया जा सका।

हिण्डालको के ऊपर बिजली का बकाया तथा बिजली की दर

87—श्री हरिवंश सहाय—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्डालको के ऊपर 28 फरवरी, 1981 को बिजली का कितना बकाया है तथा उसे किस रेट्स से बिजली दी जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मेसर्स हिन्डालको के ऊपर 28 फरवरी, 1981 को बिजली का 4,70,83,155·92 रु0 बकाया था। मेसर्स हिन्डालको की मुख्य सप्लाई को बिलिंग 30 जून, 1980 से सामान्य भारी उपभोक्ताओं पर समय-समय पर लागू दर अनुसूची के अनुसार की जा रही है। दिनांक 1 अगस्त, 1980 से भारी उपभोक्ताओं की पर लागू दर अनुसूची एच0बी-2 की प्रतिलिपि संलग्न है†। मेसर्स हिन्डालको की इमर्जेन्सी सप्लाई की बिलिंग भारी उपभोक्ताओं पर लागू दर अनुसूची के डिमान्ड तथा अइनर्जी चार्ज के प्रथम स्लैब के आधार पर की जा रही है।

उत्तर प्रदेश गन्ना विकास योजना में सीनियर सीड प्रोडक्शन आफिसर का पद

88—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ना विकास योजना में पूर्व स्वीकृत सीनियर सीड प्रोडक्शन आफिसर का पद 1979 से समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां।

ज्येष्ठ गन्ना बीज उत्पादन अधिकारी के पद 1975-76 में एक केन्द्र पुरोनिधारित योजना के अन्तर्गत सृजित हुये थे। 1979-80 में इस योजना के लिये केन्द्रीय सहायता समाप्त हो गई है। अतः इसे राज्य की योजनाओं में सम्मिलित करते समय उसके अनिवर्य पक्षों को ही जारी रखा गया और इन पदों को चलते रहने का औचित्य नहीं पाया गया।

गौरी बाजार चीनी मिल, देवरिया द्वारा किसानों को बढ़ा हुआ मूल्य न देने पर आन्दोलन

89—श्रीमती गौरी देवी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचल के देवरिया बाजार की गौरी बाजार चीनी मिल के मालिकों द्वारा किसानों को गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य न देने के कारण 7 अप्रैल, 1981 से चीनी मिल के गेट पर किसानों का आन्दोलन हुआ है जिसमें कुछ किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था ? यदि हां, तो किसानों को गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य न देने का क्या कारण है ? उन्हें बढ़ा मूल्य दिलाने के लिये सरकार कौन से कदम उठायेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां।

शासन द्वारा 7 दिसम्बर, 1980 से बढ़ी हुई दर से गन्ना मूल्य केवल राज्य चीनी निगम, सहकारी व रिसीवरशिप में चलने वाली मिलों को भुगतान करने के आदेश दिये गये थे। वह व्यवस्था गौरी बाजार निजी क्षेत्र की चीनी मिल के लिये लागू नहीं थी।

---

†छापी नहीं गई।

दोहरी घाट विद्युत् उत्पादन योजना, आजमगढ़

90--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के दोहरी घा विद्यूत् उत्पादन योजना सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इस योजना पर कब से कार्य प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

आजमगढ़ जिले में दोहरी घाट विद्युत् उत्पादन योजना सरकार ने अस्वीकार नहीं की है बल्कि सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड ने इस परियोजना को अपनी माह मई, 1981 की बैठक में स्वीकृत कर दिया है । इस समय यह योजना भारत सरकार के विचाधीन है, परन्तु इस परियोजन का भारत सरकार से अनुमोदन तभी सम्भव हो सकेगा जब इन्दारा जंक्शन से दोहरीघाट तक की रेलवे लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन करने का निर्णय हो जयेगा ।

रेलवे लाइन के परिवर्तन के बारे में मुख्य मंत्री के स्तर पर भारत सरकार से पत्र-व्यवहार चल रहा है । भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि इस परिवर्तन कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना काल में लेना सम्भव नहीं हो पायेगा ।

इस कारण प्रस्तावित दोहरी घाट तापीय विद्युत् परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने का कोई सम्भावना नहीं दिखलाई देती है ।

राजस्व परिषद् के छटनीशुदा कर्मचारियों को खपाये जाने के सम्बन्ध में गोरखपुर मन्डल से प्राप्त वांछित सूचना

91--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राजस्व परिषद् के शासनादेश संख्या 19557/2-संग्रह-17-बी/80, दिनांक 13-10-80 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में वर्ग 3 व 4 के छटनीशुदा कृषि कर्मचारियों को खपाये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से कतिपय सूचनायें मांगी गई थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार गोरखपुर मंडल के जनपदों से प्राप्त सूचनाओं को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

शासन के कार्मिक अनुभाग ने वर्ग 3 व 4 के छटनीशुदा कर्मचारियों को खपाये जाने हेतु आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यता से छूट की अवधि, जो दिनांक 5 जुलाई, 1980 को समाप्त हो गई थी, को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कुछ सूचना मांगी थी । राजस्व परिषद के पत्र संख्या 19557/2-संग्रह-17बी/80 दिनांक 13-10-80 द्वारा यह सूचना समस्त जिलाधिकारियों से मांगी गई थी ।

गोरखपुर मन्डल के जिलों से प्राप्त सूचना संलग्न है ।

छटनीशुदा कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा से छूट की अवधि शासन द्वारा मई, 1984 तक बढ़ा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 825 पर ।)

पर्वतीय अंचलों में बैंकों द्वारा वित्त पोषण में स्थान की दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध

92—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि विकास हेतु ग्रामीण अंचलों में 8 किलो मीटर सड़क से अधिक दूरी में ऋण नहीं देती है ? जिसमें पर्वतीय अंचलों के ग्रामीण बैंकों से ग्रामीण जनता लाभ नहीं उठा पा रही है ? यदि हां, तो सरकार पर्वतीय अंचलों में बैंक से ऋण की सुविधा समूचे विकास खंड के कृषकों व व्यापारियों को देने के लिए कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्म दत्त—

यह सत्य है कि कुछ समय पूर्व तक अनेक व्यापारिक बैंकों की अनौपचारिक रूप से यह नीति थी कि वे पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों में वाहन योग्य सड़कों से 8 किलो मीटर से अधिक दूरी पर ऋण नहीं स्वीकृत करते थे । उल्लेखनीय है कि इसके विपरीत स्टेट बैंक आफ इण्डिया का सिद्धान्त 32 किलो मीटर की दूरी तक ऋण स्वीकृत करने का था । व्यावसायिक बैंकों एवं संस्थागत वित्त निदेशालय के मध्य कुछ समय पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में यदि एक विशिष्ट स्थान के पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रस्ताव हो, तो बैंक शासन से स्थान की दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध वित्त पोषण में बाधक नहीं होगा ।

कानपुर जिले को समाप्त करके दो नये जिलों का सृजन

93—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर को दो अलग-अलग जिले बनाने के लिए सम्पूर्ण साधन उपलब्ध करके उसकी अन्तिम रूपरेखा तैयार हो चुकी है ? यदि हां, तो पृथक् जिले कब तक अस्तित्व में आ जायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

कानपुर जिले को समाप्त करके दो नये जिलों, अर्थात् "कानपुर देहात" और 'कानपुर नगर' का दिनांक 23 अप्रैल, 1981 से सृजन किया जा चुका है ।

जौनपुर के ग्राम बखान और रसूलपुर में फर्जी पट्टेदारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

94—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1975 और 1976 में बखान और रसूलपुर परगना सरेम, तहसील सदर, जिला जौनपुर में काफी फर्जी पट्टे का इन्द्राज खतौनी में किया गया था और इस फर्जी पट्टों को अभी तक निरस्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? फर्जी पट्टे को निरस्त न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और फर्जी पट्टेदारों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम बखान और रसूलपुर, परगना सरेमू, तहसील सदर, जिला जौनपुर में वर्ष 1975 और 1976 में कुल 10 पट्टों को आधार मानकर फर्जी इन्द्राज

खतौनी दिया गया था । पट्टों के फर्जी इन्द्राज की जानकारी होते ही वह निरस्त कर दिये गये । अतः पट्टों को निरस्त न करने के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । पट्टेदारों ने इस फर्जी इन्द्राज के लिए अपनी अनभिज्ञता प्रकट की । अतः उनके विरुद्ध भी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । इन पट्टों का इन्द्राज खतौनी में लेखपाल बिना किसी आदेश के किए थे अतः उन्हें निलम्बित कर दिया गया है एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के प्रांगण में मन्दिर का निर्माण

95—श्री राम सागर—

क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील हैदरगढ़ के तहसीलदार तहसील की ग्राउन्ड पर लाखों रुपयों की लागत से मन्दिर बनवा रहे हैं ? यदि हां, तो किसकी अनुमति से और किसके धन से ?

श्री बैजनाथ कुरील—

संपूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजदेव यादव, कोल रिकार्डर वाष्प विद्युत गृह मैनपुरी की प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार

96—श्री मित्र सेन—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजदेव यादव, वर्कचार्ज कोल रिकार्डर, वाष्प विद्युत गृह, मैनपुरी की प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह) के आदेश का परिपालन अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसका परिपालन कब तक हो जायगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

भूतपूर्व विद्युत मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह) के आदेशानुसार श्री राजदेव यादव की प्रोन्नति करना विद्यमान नियमों के अन्तर्गत सम्भव नहीं पाया गया और मामले की वस्तुस्थिति से भूतपूर्व मंत्री जी को अवगत करा दिया गया जिससे वह सहमत हो गये थे ।

श्री रमेश्वर हरिजन, ग्राम शिवपति नगर, टोलामानपुर, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती को दिया गया भूमि का पट्टा तथा सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

97—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के नौगढ़ तहसील के ग्राम सभा शिवपतिनगर, टोलामानपुर के रमेश्वर हरिजन पुत्र झिनकू हरिजन को भूमि के नाते नवम्बर, दिसम्बर, 1975 में एक एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया था ? यदि हां, तो उसे आज तक नापकर काबिज क्यों नहीं कराया गया ? क्या यह सत्य है कि उसमें सैकड़ों प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को बार-बार दिया तथा जनवरी के प्रथम सप्ताह में रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, बस्ती और परगनाधिकारी, नौगढ़ को दिया गया ? यदि हां, तो उस जमीन पर काबिज कब तक करा दिया जायेगा और उसे अब तक काबिज क्यों नहीं कराया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । श्री रमेश्वर हरिजन पुत्र झिनकू, ग्राम शिवपतिनगर, टोलामानपुर, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती को नवम्बर, 1975 में कतिपय भूमियों का पट्टा दिया गया था । कब्जा केवल 5 बिस्वा 9 धूर का ही दिलवाया गया । जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 में गलत इन्द्राज के कारण भूमि की स्थिति स्पष्ट न होने तथा न्यायालय द्वारा पट्टा निरस्त कर दिए जाने के कारण श्री रमेश्वर को शेष भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका। गांव सभा चकबन्दी क्रियाओं के बाद भूमि उपलब्ध होने पर उसका पट्टा नियमानुसार किया जा सकेगा ।

वाराणसी के ग्राम बरही नेबादा के कतिपय व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन तथा ग्राम बसनी का विद्युतीकरण

98--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरही नेवादा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में बत्ती एवं पंखा लगाने के लिए सन् 1979 में 6 व्यक्तियों-नसीरुल्ला, शमसुद्दीन, आलम, बशीर अहमद, खैरुद्दीन तथा अली हसन ने सब विद्युत स्टेशन, पिंडरा, वाराणसी पर पचास-पचास रुपया जमा कर दिया है और उसका इस्टीमेट भी बनाया गया था ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त व्यक्तियों को बत्ती-पंखा का कनेक्शन न देने का कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने 1980 में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, वाराणसी को एक पत्र भी लिखा था कि उपरोक्त लोगों को जल्द से जल्द कनेक्शन दिया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित 6 व्यक्तियों द्वारा सब-स्टेशन, पिंडरा, वाराणसी में 25-25 रु0 सन् 1979 में जमा किया गया तथा उनका इस्टीमेट भी बनाया गया था । इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र भी शीघ्र कनेक्शन देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था किन्तु सम्बन्धित 6 व्यक्तियों द्वारा सर्विस कनेक्शन चार्जेज, शपथ-पत्र एवं बी0 एण्ड एल0 फार्म जमा करने की समस्त औपचारिकतायें पूरी न किये जाने के कारण उन्हें कनेक्शन अभी नहीं दिया जा सका तथा सम्बधित 6 व्यक्तियों को कनेक्शन हेतु नियम व शर्तें जारी कर दी गयी हैं तथा उनके द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूरी कर देने पर कनेक्शन दे दिया जायेगा ।

गांव बसनी, जिला वाराणसी की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

99--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बसनी, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण करने हेतु सर्वे किया गया था और इस्टीमेट भी बना दिया था ? यदि हां, तो अब तक विद्युतीकरण न करने का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

गांव बसनी की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-1981 को कर दिया गया है ।

100-101--श्री ऊदल--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

निदेशक, कोषागार के कर्मचारियों के लिये गठित समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन तथा समिति के प्रतिवेदन का प्रकाशन

102--श्री ऊदल--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, कोषागार के कर्मचारियों के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गयी थी जिसने अपनी संस्तुतियां सितम्बर, 1979 में सरकार को दे दी हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रदेश के कोषागार कर्मचारियों के कार्य मापदण्ड निर्धारण तथा नियंत्रण की प्रशासकीय व्यवस्था के सम्बन्ध में गठित की गयी समिति ने अपनी संस्तुतियां शासन को दिनांक 10-10-1979 को दे दी हैं ।

103--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कमेटी ने सिफारिशें की हैं कि बिल पासिंग की जिम्मेदारी ड्रायिंग तथा डिसबर्सिंग अफिसर की होगी और सुपरवाइजरी स्टाफ 8 पर एक होगा तथा ट्रेजरी क्लर्क तथा बिल पासिंग क्लर्क को सीनियर एकाउन्टेन्ट का पद दिया जायगा ? यदि हां, तो उपरोक्त सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

उक्त कमेटी ने बिल पासिंग की जिम्मेदारी आहरण तथा वितरण अधिकारी पर नहीं रखी थी । प्रथम 4 पर एक तद्परान्त प्रति 3 बिल पारण लिपिक (डिपाजिट एवं जी0 पी0 नोट लिपिक को सम्मिलित करते हुये) पर एक अतिरिक्त कोषागार मुख्य लिपिक रखे जाने की समिति की संस्तुति को लागू किया जा चुका है । समिति ने ट्रेजरी क्लर्क को सहायक लेखाकार तथा बिल पारण क्लर्क को लेखाकार पदनाम दिये जाने की संस्तुति की है । कोषागार कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन का मामला वेतन आयोग को संदर्भित है ।

104--श्री ऊदल--

क्या मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त कमेटी की रिपोर्ट को 30 जून, 1979 तक प्रकाशित करना था ? यदि हां, अब तक प्रकाशित न करने का कारण क्या था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी नहीं ।

विद्युत् उपकेन्द्र, चकिया, वाराणसी में तारों की चोरी से विद्युत् आपूर्ति में अवरोध तथा कृत कार्यवाही

105--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि 10 फरवरी, 1981 से 10 अप्रैल, 1981 तक सब विद्युत् स्टेशन चकिया,

जिला वाराणसी में दसियों जगह तार को कटिंग हुई और सैकड़ों किलो तार चोर काट कर उठा ले गये जिससे विद्युत् सप्लाई अस्त व्यस्त हो गयी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी और कितने फर्लांग के तार काटे गये और कितने दिनों तक विद्युत् सप्लाई चकिया टाउन एवं देहातों को नहीं किया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

10 फरवरी, 1981 से 10 अप्रैल, 1981 की अवधि में 33 के0 वी0 साहूपुरी चकिया लाइन पर छः बार तारों को काट कर चोर उठा ले गये जिसके कारण चकिया 33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र पर विद्युत् की सप्लाई में अवरोध पड़ा उक्त अवधि में कुल लगभग 6950 मीटर तार चोरी गया तथा चकिया टाउन एवं देहातों में जिनकी विद्युत् आपूर्ति चकिया 33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र से की जाती है, कुल मिलाकर लगभग 12 1/2 दिन विद्युत् की आपूर्ति नहीं की जा सकी ।

प्रत्येक चोरी की घटना की रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस स्टेशन पर तत्परता से दर्ज करायी गयी । सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया ।

रजिस्टार फर्म्स सोसाइटी व चिटफण्ड के कार्यालय के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायत पर जांच

106--श्री भीखा लाल--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्टार फर्म्स सोसाइटी व चिट फंड, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र दिनांक 12-12-79 तथा 5-2-80 के उनको प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी जांच कराई गई अथवा नहीं और यदि कराई गई तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हां, दिनांक 12-12-79 तथा 5-2-80 के शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुये हैं । शिकायतों की जांच कराई गई । जांच में कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं पाये गये हैं ।

उन्नाव की हसनगंज तहसील में अतिवृष्टि से प्रभावित गृहस्वामियों को गृह अनुदान

107--श्री भीखा लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद की हसनगंज तहसील में गत वर्ष की अतिवृष्टि में गिरे हुए मकानों का कितने गांवों में गृह अनुदान सम्पूर्ण गिरे हुए तथा अपूर्ण गिरे हुए मकानों का वितरित कर दिया गया है और किन-किन गांवों में अभी वितरण करना शेष है और इन गांवों में अनुदान के अब तक न वितरण करने के क्या कारण हैं ? यह कब तक बांट दिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील---

उन्नाव जनपद के तहसील हसनगंज के सभी 491 आबद ग्रामों के वर्ष 1980 में अतिवृष्टि, बाढ़ तथा जलप्लावन से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के गृह-स्वामियों को एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के पात्र गृह-स्वामियों को रु0 51,66,500 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया ।

जिलाधिकारी, उन्नाव के रिपोर्ट के अनुसार उक्त तहसील में अब कोई ग्राम ऐसा नहीं बचा है जहां गृह अनुदान नहीं बांटा गया है ।

भगवन्तपुर सब स्टेशन, उन्नाव में एक अवर अभियन्ता की कुछ अराजक तत्वों द्वारा पिटाई

108---श्री भीखालाल---

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28-12-80 को भगवन्तनगर सब स्टेशन, जिला उन्नाव में अवर अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता तथा उपखंड अधिकारी के समक्ष कुछ अराजक तत्वों द्वारा पीटा गया ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

जी हां । दिनांक 28-12-80 को भगवन्तनगर सब स्टेशन, जिला उन्नाव में अवर अभियन्ता को अराजक तत्वों व कुछ कर्मचारियों द्वारा पीटा गया । उक्त घटना से सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा मामले की जांच चल रही है ।

अजगैन सब स्टेशन, उन्नाव से कन्डक्टर की चोरी तथा उसकी सुरक्षा व्यवस्था

109---श्री भीखा लाल---

क्या ऊर्जा मन्त्री को पता है कि अजगैन सब स्टेशन, जिला उन्नाव में लाखों रुपये की कीमत का विभागीय कन्डक्टर रखा हुआ है जिसको चुराने का डकैतों ने कई बार प्रयास किया ? यदि हां, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था का अन्य प्रबन्ध क्या किया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

वर्तमान स्थिति में अजगैन सब स्टेशन, जिला उन्नाव में केवल लगभग रु0 29,196 की कीमत का कन्डक्टर रखा हुआ है । उक्त सब स्टेशन पर दिनांक 12-11-79 को चोरी की घटना हुई थी जिससे लगभग रु0 25,000 की कीमत का कन्डक्टर चोरी गया था । तत्पश्चात् मार्च, 1980 में एक बार चोरी का प्रयास किया गया परन्तु चोरी का वह प्रयास सफल नहीं हो पाया । सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान स्थिति में अजगैन सब स्टेशन पर अनुरक्षण कार्यों के लिये आवश्यक केवल 2·410 किलोमीटर 'रैकून' तथा 3·639 किलोमीटर 'वीजल' कन्डक्टर रखा गया है जिसको कांटेदार तार 'फेन्सिंग' के अन्दर 'स्विचयार्ड' के बगल में एक क्वार्टर के सामने रखा है ।

गोंडा के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से प्रभावितों की सहायता

110--अकबाल हुसैन--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोंडा के विकास खंड पचपेड़वा के ग्राम हलोरा, पुरैना, जैंतापुर पिपरा, खदवापुर, गुलरिहा आदि में दिनांक 23-1-81 को भारी ओला गिरा जिससे रवी की फसल का 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उनकी क्या सहायता कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम हलोरा, पुरैना, जैतापुर, पिपरा, सदवापुर और गुलरिहा विकास खण्ड गैसडी के अन्तर्गत आते हैं न कि पचपेड़वा विकास खन्ड के अन्तर्गत । दिनांक 23-1-81 को ओला वृष्टि नहीं हुई बल्कि 24-1-81 को हुई । इस उपलवृष्टि से रबी को 75 प्रतिशत से अधिक हानि हुई ।

उक्त ग्रामों के भूमिहीनों तथा एक एकड़ तक भूमि रखने वालों में रु0 12,310·00 अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किये गये । असहाय व्यक्तियों को 232·65 पै0 तथा 10 कम्बल निःशुल्क वितरित किये गये । कृषकों को रु0 4,700 तकावी दी गई । 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले ग्रामों की भू-राजस्व एवं अन्य कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

111--श्री मोती लाल देहलवी--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

112--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के नगर व देहात क्षेत्र को विद्युत् आपूर्ति

113--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के नगर व देहात को पृथक-पृथक कितने-कितने घंटों विद्युत् बोर्ड द्वारा बिजली दिया जाना गत तीन माहों में निश्चत हुआ था ? तथा इन तीन महीनों में कितने दिनों निर्धारित समय से कम बिजली इस क्षेत्र को दी गई ? क्या अब नियमित बिजली दी जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के नगर एवं देहात पोषकों को गत तीन महीनों में (28-4-81 के पूर्व) उनके सामने अंकित घण्टे बिजली देनी प्रतिदिन निश्चित हुई थी ।

	नगर क्षेत्र	देहात क्षेत्र
जनवरी, फरवरी,	81 20 घन्टे प्रतिदिन	एक दिन 9 घंटे व अगले दिन 5 घंटे
मार्च, 81	20 घंटे प्रतिदिन	एक दिन 8 घंटे व अगले दिन 6 घंटे
अप्रैल, 81,	20 घंटे प्रतिदिन	एक दिन 8 घंटे व अगले दिन 7 घंटे

माह जनवरी में 3 दिन खुदागंज पोषकों को तथा 2 दिन तिलहर पोषकों को ब्रेक डाउन के कारण कम बिजली मिली जिसको आपूर्ति अन्य दिनों में कर दी गई । 17 दिन तिलहर नगर को कटौती के कारण निर्धारित समय से कम बिजली मिली । माह फरवरी में दो दिन खुदागंज पोषकों को ब्रेक डाउन के कारण कम बिजली मिली । तिलहर नगर को 15 दिन आपातकालीन कटौती के कारण कम बिजली मिली । माह मार्च में 2 दिन खुदागंज पोषकों को तथा 1 दिन तिलहर ग्रामीण पोषकों को तथा 2 दिन सदनापुर पोषक को ब्रेक डाउन के कारण कम बिजली मिली। तिलहर नगर को आपातकालीन कटौती के कारण 23 दिन कम बिजली मिली ।

माह अप्रैल की 18 तारीख तक 1 दिन तिलहर ग्रामीण पोषक को ब्रेक डाउन के कारण तथा 1 दिन खुदागंज पोषक को तारों की चोरी के कारण कम बिजली मिली । तिलहर नगर को आपातकालीन कटौती के कारण 6 दिन कम बिजली मिली ।

यहां यह बता देना भी आवश्यक है कि नगर की इस कार्य के लिये परिभाषा यह है कि वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार आबादी 20 000 से अधिक होनी चाहिये । माह अप्रैल में तिलहर नगर को 20 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों को 7 घंटे प्रतिदिन की औसत से बिजली दी गई है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संघ, लखनऊ का प्रदेश की गन्ना समितियों पर बकाया

114--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संघ, लखनऊ का प्रदेश के विभिन्न गन्ना समितियों पर विभिन्न मदों में 31-3-81 तक कुल कितना बकाया है तथा संघ की कुल कितनी पूंजी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा --

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ का प्रदेश के विभिन्न गन्ना समितियों पर विभिन्न मदों में दिनांक 31-3-81 तक कुल बकाया एवं संघ की पूंजी का विवरण निम्न प्रकार है :--

मद	लाख रुपयों में
उर्वरक	2,493·00
कीटनाशक	195·57
प्रेस	9·03
कुल योग ..	2,698·40

दिनांक 31-3-81 को गन्ना संघ की कुल पूंजी 26,87,72,476·54 पैसे है ।

गन्ना विभाग के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (श्री नन्द कुमार सिंह) तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

115--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश गन्ना विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री को दिनांक 22-4-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 22-4-81 उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराये जाने के बारे में है ।

सतर्कता अनुभाग के परामर्शानुसार इस मामले में प्रथमतः विभागीय स्तर पर आरोपों की जांच किये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं ।

116--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (श्री नन्द कुमार सिंह), देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 22-4-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां । श्री नन्द कुमार सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-4-81 प्राप्त हुआ है जिसमें बेतालपुर क्षेत्र में यूरिया छिड़काव में अनियमितताये करने तथा गन्ना अनुदान में गबन सम्बन्धी शिकायतों पर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

मेरठ के ग्राम अरनावली के विनोद भारती बनाम महराज सिंह भारती के नाम की पत्रावली

117--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अरनावली, परगना, तहसील, जिला मेरठ के एक वाद की फाइल जो विनोद भारती बनाम महराज सिंह भारती के नाम से 1970 में बंटवारे की बाबत बनी थी मुहाफिज खाने या तहसील के कार्यालय से गायब हो गई है ? यदि हां, तो उसके गायब करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम अरनावली, परगना, तहसील, जिला मेरठ के बिनोद भारती बनाम महराज सिंह भारती के नाम से वर्ष 1970 में बंटावरे की बाबत कोई फाइल नहीं बनाई गई । इसलिये तहसील व मुहाफिज खाने से गायब करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसीलदार, गोंडा द्वारा तहसील भवन के शीशम के पेड़ कटवाने के सम्बन्ध में शिकायत पर जांच

118—श्री मसरूर जाफरी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार जनपद गोंडा द्वारा तहसील भवन में लगे सरकारी शीशम के पेड़ कटने के विरुद्ध जनता द्वारा कमिश्नर, फैजाबाद व जिलाधिकारी, गोंडा को दिनांक 6-3-81 से लगभग 4 मास पूर्व भेजे गये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये प्राप्त थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। जांच कराई जा रही है ।

विद्युत उप केन्द्र, गंगापुर, सुल्तानपुर में जूनियर इंजीनियर की तैनाती न होने से उपकरणों में कथित खराबी

119—श्री मुईद अहमद—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन गंगापुर, जनपद सुल्तानपुर जो जनपद का सबसे बड़ा सब स्टेशन है, में कोई भी जूनियर इंजीनियर दो वर्ष से तैनात नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों? कब तक वहां जूनियर इंजीनियर तैनात कर दिया जायगा ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह—

33/11 के0 वी0 सब स्टेशन, गंगापुर, जनपद सुल्तानपुर में कोई अवर अभियन्ता अलग से तैनात नहीं था तथापि इस सब स्टेशन का कार्य अवर अभियन्ता, कादीपुर द्वारा देखा जा रहा था । अब इस सब स्टेशन के कार्य को अलग से देखने हेतु एक अवर अभियन्ता की तैनाती दिनांक 28 अगस्त, 1981 से कर दी गयी है ।

120—श्री मुईद अहमद—

क्या ऊर्जा मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति न होने के कारण उस सब स्टेशन के उपकरण खराब हो चुके हैं । यदि हां, तो उसे ठीक कराने एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारी को दंड दिलाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

बस्ती की डुमरियागंज तहसील में ओला वृष्टि से प्रभावितों को सहायता

121--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में माह फरवरी, मार्च, 1981 में अति ओला वृष्टि से जिन 166 गांवों में नुकसान हुआ उनमें आज तक कितना धन सरकार द्वारा सहायतार्थ दिया गया ? क्या यह सत्य है कि पात्र व्यक्तियों को छोड़कर अपात्र व्यक्तियों को धन दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद बस्ती की तहसील डुमरियागंज में दिनांक 24 जनवरी, 1981 को ओला वृष्टि से 166 ग्राम प्रभावित हुये । केवल पात्र व्यक्तियों में 2,97,546.90 रु0 वितरित किये गये । पात्र व्यक्तियों को छोड़कर अपात्र व्यक्तियों को धन देने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

विद्यावती इन्टर कालेज, हन्डिय, इलाहाबाद की जमीन श्री हफीजउल्ला के नाम फर्जी अमल दरामद सम्बन्धी बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, हन्डिया की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

122--श्री राधे श्याम पटेल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा सं0 1137 रकबा 2 बीघा 10 बिसवा वाकि मौजा हन्डिया परगना केवई, जिला इलाहाबाद जो विद्यावती इन्टर कालेज, हन्डिया, इलाहाबाद के नाम खेलकूद के मैदान हेतु दौरान चकबन्दी सिद्धान्तों के विवरण प्रारूप 23 भाग 3 में आरक्षित था हफीजउल्ला पुत्र करीमउल्ला स्थानीय फर्जी अमलदरामद कराकर अपने नाम दर्ज करा लिया है जिसकी बाबत च0 अ0, अंजना तथा ब0 अ0 च0, हन्डिया ने जांच के बाद फर्जी आदेश उपरोक्त को निरस्त करने हेतु उपसंचालक चकबन्दी, इलाहाबाद को अपनी रिपोर्ट क्रमशः दिनांक 6 जनवरी, 1981 व 13 जनवरी, 1981 को भेजी है ? यदि हां, तो उपसंचालक द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । गलत अमलदरामद को निरस्त करने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, हन्डिया ने अपनी रिपोर्ट उप संचालक चकबन्दी, इलाहाबाद को दिनांक 6 जनवरी, 1981 तथा 13 जनवरी, 1981 को भेजी थी । उप संचालक, चकबन्दी के न्यायालय में धारा 48(3) के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है ।

इलाहाबाद के हन्डिया क्षेत्र के आकार पत्र गायब होने सम्बन्धित श्री सालिक राम यादव के शिकायत-पत्र पर कृत कार्यवाही

123--श्री राधे श्याम पटेल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा हन्डिया, परगना केवाई, जनपद इलाहाबाद का जी0 च0 आकार पत्र 23, जी0 च0 आकार पत्र 23 भाग 3 गायब कर दिया गया है । क्या इस सम्बन्ध में चकबन्दी आयुक्त को दिनांक 18 नवम्बर 1980 को रजिस्टर्ड पत्र श्री सालिक राम यादव, प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत ग्राम का जोत चकबन्दी आकार–पत्र 23 उपलब्ध है तथा जोत चकबन्दी आकार–पत्र 23 भाग 3 उपलब्ध नहीं है। श्री मालिक राम यादव द्वारा इस सम्बन्ध में भेजा गया पत्र चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच करायी गयी। जांचोपरान्त सम्बन्धित लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र सोरांव में बाढ़ प्रभावित ग्राम तथा प्रदत्त सहायता

124—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में 273 निर्वाचन क्षेत्र सोरांव में स्थित इस वर्ष कितने ग्रामों को बाढ़ पीड़ित घोषित किया गया है? उनके नाम क्या है? क्या कोई सहायता व सुविधा दी गयी? यदि हां, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में 273 निर्वाचन क्षेत्र सोरांव से कुल 144 ग्राम सम्बद्ध हैं। गत वर्ष 1980 में जल प्लावन से 91 ग्राम प्रभावित थे। जल प्लावन से प्रभावित ग्रामों के नामों तथा प्रभावितों को दी गई सहायता का विवरण माननीय विधायक के अवलोकनार्थ मेरे कार्यालय पटल पर सुलभ हैं।

125—श्रीमती गौरी देवी—

[4वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ब्लाक ककवन, बिलहौर, जनपद कानपुर में अतिवृष्टि के कारण घर गिरने से सरकारी घोषणा के अनुसार गृह अनुदान तथा अपात्रता का कारण

126—श्री मोतीलाल देहलवी—

प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 20 फरवरी, 1981 को कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के दिये गये उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा भेजी गयी दरख्वास्तों के आवेदकों में से किस–किस को गृह अनुदान दिया गया और जो लोग अपात्र मानकर गृह अनुदान से वंचित किये गये उनकी अपात्रता का क्या कारण था?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

127—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम विलरिय गंज, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के कुछ ग्रामों को चकबन्दी आयुक्त द्वारा चक आउट किये जाने के आदेश

128--श्री दर्लसिगार --

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विलरियागंज, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के सड़क के किनारे तथा आबादी से मिले जिन 239 ग्रामों को चकबन्दी आयुक्त के आदेश सं0 2501/जी/184-66, दिनांक 10-9-70 द्वारा चक आउट किया गया, उस सूची में गाटा सं0 2294 को क्यों सम्मिलित किया गया जबकि यह गाटा सड़क के किनारे है तथा उसके चारों तरफ के गाटा चक आउट किये गये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम बिलरियागंज के 239 गाटे उप संचालक चकबन्दी की संस्तुति के अनुसार चकबन्दी के बाहर किये गये थे। उप संचालक चकबन्दी ने गाटा संख्या 2294 को चकबन्दी के बाहर करने की संस्तुति नहीं की थी। उक्त गाटे का 0-470 एकड़ रकबा चकबन्दी के योग्य पाया गया था अतः उसे चकबन्दी के बाहर नहीं किया गया। अब श्री अब्दुल हफीज नामक व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उक्त गाटे को चकबन्दी से बाहर करने हेतु संदर्भ जो0 च0 अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत बना लिया गया है जो उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम चमरूपुर, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत मछली पालन हेतु दिया गया पट्टा तथा ग्रामीणों द्वारा उक्त पट्टे के निरस्तीकरण हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

129--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम चमरूपुर, परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत तालाब की भूमि नम्बर 1 उसी गांव के निवासी को श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह के नाम मछली पालन हेतु पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो इस भूमि का पट्टा हो जाने से कितने एकड़ कृषि क्षेत्र के सिंचन कार्य में बाधा पड़ी है और पट्टा निरस्तीकरण को ग्रामीणों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। उक्त तालाब का पट्टा हो जाने से लगभग 2 1/4 हेक्टेयर कृषि की सिंचाई कार्य में बाधा पड़ी। ग्रामीणों द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच करने पर तालाब का पट्टा किए जाने में अनियमितताये पाई गयीं। पट्टे के निरस्तीकरण हेतु वाद अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

कुंवर गांव कस्बे में विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण

130--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग, बदायूं द्वारा कुवरगांव कस्बे में 132 के0 वी0 एफ0 एण्ड पी0 सब स्टेशन निर्माण हेतु

योजना शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो कब तक स्टेशन का निर्माण होगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर गांव कस्बे में 132 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण करने की अभी आवश्यकता नहीं है ।

तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में गृह अनुदान वितरण की की सूचना

131—श्री मोतीलाल देहलवी—

सर्वश्री भोखा लाल, ऊदल एवं मित्रसेन द्वारा अतिवृष्टि से हुई क्षति एवं आर्थिक सहायता के विषय में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई नोटिस के संबंध में दिनांक 4-9-80 को राजस्व मंत्री द्वारा दिए गये सदन में वक्तव्य के पृष्ठ 2 व 3 के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र में गृह अनुदान के वितरण की सूचना प्रश्नकर्त्ता को क्यों नहीं दी गई तथा इस कार्य को पूरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात में गृह अनुदान वितरण का एक विस्तृत कार्यक्रम दिनांक 22-8-80 से परगना अधिकारी, बिल्हौर ने बनाया था, जिसकी अग्रिम सूचना दिनांक 20-9-80 को ही प्रश्नकर्त्ता को भेजी गई थी । गृह अनुदान वितरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

सहायक चकबन्दी अधिकारी, भवानीछापर, जिला देवरिया के विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

132—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, भवानी-छापर, जिला देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का संलग्नक सहित पत्र दिनांक 28-3-81 को मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । शिकायतें चक काटने में अनियमितता किये जाने एवं भ्रष्टाचार की थी । जांचोपरान्त ये शिकायतें निराधार पायी गयीं । अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

जिला बांदा की तहसील बांदा के ग्रामों में चकबन्दी

133—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा की तहसील बांदा के अन्तर्गत बांदा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्रामों में अब तक चकबन्दी नहीं हुई तथा चकबन्दी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जिला बांदा की तहसील बांदा के अन्तर्गत बांदा विधान सभा क्षेत्र में निम्न आठ ग्रामों में अब तक चकबन्दी नहीं हुई है--

1--लड़ाका पुरवा ।

2--निम्नीपार ।

3--भवानीपुरवा ।

4--हरदौली ।

5--हटेटी पुरवा ।

6--गंछा ।

7--कुंवरपुर ।

8--सोहाना ।

ग्राम लड़ाका पुरवा, निम्नीपुरवा, भवानीपुरवा, हरदौली, हटेटीपुरवा, शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण, ग्राम गंछा तथा कुंवरपुर के जोतों की भूमि पहले से संहत होने के कारण चकबन्दी नहीं हुयी है तथा ग्राम सोहाना जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि वहां भूमि संरक्षण का कार्य चल रहा है ।

जनपद गोरखपुर में भीषण आंधी, वृष्टि व तूफान से व्यक्तियों की मृत्यु तथा मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता

134--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह अप्रैल, 1981 के तीसरे सप्ताह में गोरखपुर जिले में भीषण आंधी, वृष्टि व तूफान आने से 6 व्यक्ति की मृत्यु हो गई बर्जनों व्यक्ति घायल हो गये थे तथा भारी क्षति हुई ? यदि हां, तो कुल कितनी क्षति हुई और मृत परिवार और घायल व्यक्तियों को क्या सहायता प्रदान की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद गोरखपुर में 16 अप्रैल, 1981 को वृष्टि के साथ आंधी, तूफान आने से केवल तहसील फरेन्दा के दो परिवारों के 5 व्यक्ति दीवाल एवं पेड़ गिरने से मरे तथा 2 व्यक्ति घायल हुये थे । आंधी व तूफान से लगभग 40,000 की क्षति हुई थी । मृत व्यक्तियों के परिवारों को 1,000 रु0 प्रति परिवार, कुल 2,000 रु0 दिया गया एवं एक घायल व्यक्ति को 100 रु0 दिया गया । दूसरा घायल व्यक्ति वही था जिसे 1,000 रुपया दिया गया ।

गोरखपुर जिले के तिरकुलहा नामक स्थान पर निर्मित देवी मन्दिर तथा उससे राजस्व की प्राप्ति

135--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिले के तरकुलहा नामक स्थान पर अप्रैल एवं मई महीने में प्रतिवर्ष देवी के नाम पर बहुत बड़ा मेला लगता है ?

यदि हां, तो उस मेले से विगत 1975 से आज तक प्रतिवर्ष सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई और मेले की नीलामी उक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितने-कितने रुपये में की गई थी ? क्या यह सच है कि तरकुलहा धाम के स्थान के निर्मित देवी मन्दिर का संबंध स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी स्वर्गीय श्री बन्धू सिंह से है ? यदि हां, तो उस स्थान के विकास के संबंध में सरकार क्या कोई कदम उठायेगी ? क्या सरकार इस मन्दिर व मेले के अधिग्रहण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । अप्रैल व मई, 1975 से आज तक सरकार को उक्त मेले से कोई राजस्व की प्राप्ति न हुई है और न ही उसकी नीलामी हुई है क्योंकि मेला एक व्यक्ति के बाग में लगता है । तिरकुलहा नामक स्थान में निर्मित देवी मन्दिर का संबंध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री बन्धू सिंह से नहीं है । इस मन्दिर व मेले के अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

राज्य विद्युत् परिषद्, मड़ुआडीह, वाराणसी में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित व्यक्तियों के आश्रितों को नियुक्ति में वरीयता का आदेश तथा उक्त गांव के किसानों के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

136—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव श्री महमूद बट्ट ने अ0 शा0 प0 023/25/1975-कार्मिक (2), कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (कार्मिक) विभाग, उ0 प्र0 शासन 20 अक्तूबर, 1975 को शासन के समस्त सचिवों, विशेष सचिवों, विभागाध्यक्षों, समस्त जिलाधीशों को भेजा था कि जिनकी जमीन अवाप्त की जाय उन्हें 500 रु0 तक की नौकरियां दी जायं ? यदि हां, तो इनका अनुपालन राज्य विद्युत् परिषद्, मड़ुआडीह, वाराणसी ने किया ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

तत्कालीन मुख्य सचिव श्री महमूद बट्ट के अर्ध0 शा0 पत्र दिनांक 20-10-75 में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित व्यक्तियों के आश्रित उपयुक्त अभ्यर्थियों को 500 रु0 अथवा उससे कम अधिकतम वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति हेतु वरीयता देने के आदेश प्रसारित किये गये थे । राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने आदेश दिनांक 27-6-1979 द्वारा इसको अंगीकार किया था और इसके बाद इनका अनुपालन नियमानुसार किया जा रहा है । चूंकि वाराणसी में मड़ुआडीह पर सब-स्टेशन आदि बनाने हेतु भूमि अध्याप्ति सन् 1963-64 के आस-पास की गई थी, अतः उपरोक्त आदेश इस भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं हैं ।

137—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त गांवों के किसान आश्रितों ने बहुत से प्रार्थना-पत्र एवं लिस्ट विद्युत् विभाग, वाराणसी को दिये हैं और ता0 24-8-80 को जिला मजिस्ट्रेट ने संस्तुति करके भेजा जिसको रीजनल एक्जीक्यूटिव आफिसर ने नहीं लिया और फिर 28-8-80 को माननीय मुख्य मंत्री

का प्रार्थना-पत्र दिया गया है जिसमें उनको शिकायत है इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं । दिनांक 24-4-80 का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संस्तुत पत्र विद्युत् प्रेषण मंडल, वाराणसी में प्राप्त नहीं हुआ और न ही उक्त मंडल के किसी अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार किया गया । दिनांक 28-8-80 का माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बन्धित प्रार्थना पत्र की प्राप्ति शासन के अभिलेखों में अंकित नहीं पाई गई है, अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सब-स्टेशन पिंडरा-जौनपुर में विद्युत् आपूर्ति

138—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सब-स्टेशन पिंडरा, वाराणसी से, जो विद्युत् लाइन्स जौनपुर को गयी थी, उसके सभी तार काट कर चोर उठा ले गये हैं और उक्त विद्युत् लाइन को निष्प्रभावी बना दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र, पिंडरा से 33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र जलालपुर के बीच की 33 के0 वी0 लाइन पर तारों की चोरी के सात घटनाओं में कुल 10-55 किलोमीटर तार चोरी हो जाने की स्थिति में उक्त लाइन निष्क्रिय हो गई है । 33/11 के0 वी0 विद्युत् उपकेन्द्र जलालपुर की विद्युत् आपूर्ति 132 के0 वी0 उपकेन्द्र, जौनपुर से की जा रही है, अतः उक्त क्षेत्र की विद्युत् आपूर्ति अप्रभावित है ।

33 के0 वी0 पिंडरा जलालपुर लाइन पर तार की चोरी की पुनरावृत्ति को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि प्रभावित लाइन पर गैल-वानइज्ड स्टील का तार लगा दिया जाये तथा तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत् आपूर्ति

139—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विभाग, वाराणसी के अधीक्षण अभियन्ता जनवरी, फरवरी, मार्च, 1981 के लिए एक नोटिस प्रत्येक माह में बेहतर सेवा के लिए निकाल कर वितरण करते आ रहे हैं कि 16 दिन रात्रि 12 बजे से 6 बजे प्रातः तथा 9 दिन 6 बजे प्रातः से 12 बजे दिन एवं रात्रि 10 बजे 12 बजे व 6 दिन 12 बजे से 6 बजे दिन एवं 10 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि तक विद्युत् सप्लाई की जायेगी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि रोजाना विद्युत् सप्लाई नोटिस के हिसाब से न करके तीस-तीस घंटे अथवा 48 घंटे में 12 घंटा बिजली दी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 1981 में निम्न प्रकार विद्युत् आपूर्ति करने की व्यवस्था थी :--

माह जनवरी, 1981--

16 दिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक

7 दिन प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक

8 दिन प्रातः 11 बजे से सांय बजे 5 तक

माह फरवरी, 1981

14 दिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक

6 दिन प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक

8 दिन प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक

माह मार्च, 1981--

16 दिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक

6 दिन प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक

9 दिन दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक

माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1981 में वाराणसी जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों की औसत 7 घंटे प्रति दिन निर्धारित विद्युत् आपूर्ति के विरुद्ध क्रमशः 8 घंटे, 7-1/4 घंटे तथा 9-1/4 घंटे प्रति दिन विद्युत् आपूर्ति की गयी ।

श्री भूदेव व देवदत्त, ग्राम रौगांव, जनपद कानपुर के नाम फर्जी दर्ज सीलिंग की भूमि तथा कृत कार्यवाही

140--श्री मोतीलाल देहलवी--

दिनांक 27 मार्च, 1981 की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में कार्यालय रिकार्ड में सम्पूर्ण प्रमाण उपलब्ध होने के बावजूद सम्बन्धित भूदेव आदि लोगों को जेल न भेजने का क्या कारण है ?

श्री बंजनाथ कुरील--

मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दिनांक 11 नवम्बर, 1980 को अंकित करायी गयी थी, जिस पर विवेचना हो रही है । पुलिस अधीक्षक, नगर कानपुर की रिपोर्ट के अनुसार जब तक ग्राम रौगांव की जिल्द बन्दोबस्त में किये गये इन्दराजों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों की हैण्ड राइटिंग का मिलान नहीं हो जाता तथा सभी के बयान नहीं ले लिये जाते तब तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही नियमानुसार नहीं की जा सकती ।

141—श्री मोतीलाल देहलवी—

स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।

औरंगाबाद, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती एवं सुरहिया देवर व महुआधनी, तहसील उतरौला की विवादित भूमि में खड़ी फसल काटने हेतु समझौता

142—श्री मसरूर जाफरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोण्डा, तहसील उतरौला व तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के परगना अधिकारियों तथा किसानों के बीच सरकारी स्तर पर महुआधनी और औरंगाबाद के बीच विवादित भूमि की फसल काटने के बारे में कोई समझौता मार्च व अप्रैल में हुआ था ? यदि हां, तो उस समझौते में क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्रामवासी औरंगाबाद, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती एवं सुरहिया देवर व महुआधनी, तहसील उत्तरौला, जनपद गोण्डा के बीच दिनांक 28-3-81 को दोनों तहसीलों के परगनाधिकारियों की सम्मिलित अध्यक्षता में हुई बैठक में विवादित भूमि में खड़ी फसल काटने के लिए निम्नलिखित समझौता हुआ :—

(1) यह कि ग्राम सुरहिया देवर एवं महुआधनी, तहसील उतरौला की पैमायश बन्दोबस्त नक्शा 1347-48 फ0 के आधार पर करा दी जाय और इस पैमायश के द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही खड़ी फसल उक्त ग्रामवासी काटेंगे,

(2) यह कि ग्रामवासी औरंगाबाद, तहसील डुमरियागंज, ग्राम सुरहिया देवर एवं महुआधनी की बन्दोबस्ती नक्शा 1347-48 फसली द्वारा पैमाइश के उपरान्त निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किसी भी फसल पर दखल नहीं करेंगे,

(3) उपरोक्त सीमा के बाद औरंगाबाद की तरफ, जो भी भूमि पड़ती है, उस पर की ही सारी फसल ग्रामवासी औरंगाबाद काटेंगे ।

काशी सहकारी चीनी मिल्स लि0, औराई, जिला वाराणसी में पेराई का कार्य तथा मिल के रखरखाव एवं वेतन पर व्यय, उत्पादन का विवरण तथा गन्ने के बीच की सप्लाई

143—श्री ऊदल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दो सहकारी चीनी मिल औराई, जिला वाराणसी जब से बनी हैं उसका प्रत्येक वर्षों में कितने लाख रुपये का घाटा हुआ है और प्रत्येक वर्षों में रखरखाव एवं वेतन पर कितना व्यय हुआ और कितने क्विन्टल चीनी का उत्पादन हुआ ? मिल की क्षमता क्या है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

काशी सहकारी चीनी मिल लि0, औराई जिला वाराणसी ने वर्ष 1971-72 से पेराई कार्य प्रारम्भ किया है। इस सहकारी चीनी मिल के वर्षवार हानि, मशीनरी के रखरखाव एवं वेतन पर हुए व्यय तथा चीनी उत्पादन के विवरण के सम्बन्ध में सूची 'क' संलग्न है। इस चीनी मिल की पेराई क्षमता 1250 टन प्रतिदिन है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 856 पर।)

144—श्री ऊदल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल औराई, वाराणसी ने शुरू से लेकर अब तक प्रत्येक वर्षों में कितने क्विन्टल अच्छे गन्ना बीज की सप्लाई किसानों को किया है और सघन गन्ना उत्पादन में क्या-क्या कार्यवाही की है तथा किसानों को कौन-कौन सी सुविधा प्रदान किया है और वर्ष 81-82 के लिए क्या योजनाएं हैं ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा—

काशी सहकारी चीनी मिल्स लि0 औराई, जिला वाराणसी ने निम्न विवरण अनुसार अच्छे गन्ने के बीज की पूर्ति कृषकों को दी है :—

वर्ष	गन्ना बीज की मात्रा (क्वींटल में)
1971-72	24,080
1972-73	16,070
1973-74	2,990
1974-75	20,170
1975-76	31,770
1976-77	51,360
1977-78	30,140
1978-79	9,550
1979-80	23,630
1980-81	46,070

वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में किये गये गन्ना विकास कार्यों की प्रगति तथा वर्ष 1981-82 के अन्तर्गत माह मई, 1981 तक हुए विकास कार्यों की प्रगति तथा लक्ष्य के विवरण के सम्बन्ध में सूची 'ख' संलग्न है।

(देखिय नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 858 पर।)

अतिरिक्त जिलाधिकारी कानपुर (देहात) द्वारा अनुदान वितरित करने एवं हरिजन परिवारों को गृह अनुदान के सम्बन्ध में जांच

145—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर की तहसील बिल्हौर के गांव नानामऊ में परगनाधिकारी द्वारा अपने रिश्तेदार के एक ही परिवार के अपात्र 14 लोगों व एक अन्य दूसरे गांव के निवासी तथा नौकर को घर गिरी का अनुदान बिना घर गिरे हुए दिया जाना विषय शीर्षक से जो शिकायती-पत्र दिनांक 13 जप्रैल, 1981 को प्रश्नकर्ता ने राजस्व मंत्री को दिया था, क्या उसकी जांच कराई गई है ? यदि हां, तो कब व किस अधिकारी द्वारा तथा उसके परिणाम के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

शिकायती-पत्र दिनांक 13-4-81 की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) द्वारा दिनांक 9-7-81 को की गई थी । जांच के परिणामस्वरूप कुछ अपात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान वितरित किया जाना पाया गया । इस सम्बन्ध में बरती गई अनियमितता के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

146—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सही है कि जनवरी, 1981 से फरवरी तक तीन बार परगनाधीश बिल्हौर, गांव नानामऊ, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर गये ? उस गांव के उन हरिजनों को गृह अनुदान नहीं दिया गया जिनके मकान गिरे थे और जो भूमि सीमा के अनुसार वस्तुतः गृह अनुदान पाने के पात्र थे ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता ने 13 अप्रैल, 1981 को तत्सम्बन्धी शिकायती-पत्र राजस्व मंत्री को दिया उसकी जांच कब व किससे कराई और गांव नानामऊ में जिन लोगों को अनुदान दिया गया उनके नाम व मकान नम्बर क्या हैं तथा उनके पास कितनी-कितनी भूमि है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम नानामऊ में जनवरी से फरवरी, 1981 तक तीन बार गृह अनुदान वितरित किया गया और यह गृह अनुदान अनेक हरिजन परिवारों को दिया गया। गृह अनुदान पाने वाले व्यक्तियों का नाम तथा अन्य विवरण मेरे कक्ष में उपलब्ध है, किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है ।

ब्लाक रसूलाबाद, ककवन तथा बिल्हौर में वितरित गृह अनुदान

147—श्री मोतीलाल देहलवी—

प्रथम सत्र 1981 के दिनांक 30 जनवरी, 1981 की कार्यसूची के प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस उत्तर के पश्चात् सम्बन्धित तीनों ब्लाकों के किन-किन गांवों में कितने-कितने गांवों को गृह अनुदान बांटा गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

दिनांक 30-1-81 को प्रश्न संख्या 46 का उत्तर 8-1-81 तक की सूचना पर आधारित था । दिनांक 8-1-81 से 31-3-81 तक ब्लाक रसूलाबाद, ककवन तथा बिल्हौर में वितरित गृह अनुदान की स्थिति निम्नवत् है :--

नाम ब्लाक	ग्रामों की संख्या जिनमें गृह अनुदान बांटा गया	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	धनराशि, जो बांटी गई
रसूलाबाद	24	1137	1,82,300
ककवन	77	4315	5,57,600
बिल्हौर	59	2059	2,78,375

ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

ग्राम कूवा, जनपद आजमगढ़ में भूमिहीनों को आबंटित भूमि पर कब्जा

148--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, परगना देव गांव, थाना तरवा, ग्राम व पोस्ट कूब खास में भूमिहीनों को आबंटित जमीन पर कब्जा दे दिया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं दिया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । ग्राम कूबा खास के भूमिहीन आबंटियों को 20-3-76 को आबंटित भूमि पर कब्जा दखल दिया गया ।

149--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

150--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया तहसील में अतिवृष्टि से गिरे मकानों हेतु दिया गया अनुदान

151--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया तहसील में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से गिरे मकानों का सभी गांवों में अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और देवरिया तहसील में किन-किन गांवों में किन लोगों को अनुदान दिया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

152--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न सं0 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्री अवधेश प्रसाद पान्डे, स्टोर कापर, जनपद देवरिया विद्युत वितरण खंड (प्रथम) की बरखास्तगी के सम्बन्ध में जांच

153--श्री रुद्रप्रताप सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया विद्युत वितरण खंड, प्रथम के स्टोर कोपर (श्री अवधेश प्रसाद पाण्डें) ने अपनी बरखास्तगी के खिलाफ कोई अपील बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के पास ,दिनांक 13-9-80 को की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । श्री पाण्डे की अपील पर राज्य विद्युतत् परिषद् द्वारा भलीभांति विचार किया गया, तथा विचारोपरान्त उसे अस्वीकार कर दिया गया ।

जनपद शाहजहांपुर के परगनाधिकारी तिलहर व जलालाबाद के न्यायालयों में लम्बित वाद

154--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के परगनाधिकारी तिलहर व परगनाधिकारी जलालाबाद के न्यायालयों में ऐसे कितने मुकदमें पड़े हुए हैं जिन्हें एक वर्ष से ऊपर हो चुका है परन्तु आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ? शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

शाहजहांपुर जनपद के परगनाधिकारी, तिलहर व परगनाधिकारी, जलालाबाद के न्यायालयों में एक वर्ष से ऊपर का कोई वाद लम्बित नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा अम्मरपुर, जनपद फर्रुखाबाद की जमीन का अवैध रूप से स्थानान्तरण तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

155--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 दिनांक 30 जनवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर के संबर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, इलाहाबाद मंडल के यहां दायर निगरानी के निर्णय शीघ्र कराने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

निगरानी की शीघ्र निर्णीत कराने हेतु जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को एक्सपेडाइट प्रार्थना पत्र आयुक्त, इलाहाबाद मन्डल के न्यायालय में दाखिल करने के निवेश दे दिये गये हैं ।

जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर में कार्यरत नायब तहसीलदार, की शैक्षिक, विभागीय योग्यताएं एवं अनुभव

156--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में इस समय कौन-कौन से नायब तहसीलदार किस-किस क्षेत्र में कार्यरत हैं ? इनकी शैक्षिक, विभागीय योग्यतायें, अनुभव क्या-क्या हैं ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में कार्यरत नायब तहसीलदारों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्नवत् है :

नायब तहसीलदार का नाम तथा क्षेत्र का नाम	शैक्षिक योग्यता एवं विभागीय योग्यतायें	अनुभव
1	2	3
सर्वश्री--		
1--कृष्ण मुरारी लाल, तिलहर ग्रामीण क्षेत्र	एम0 काम0, लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित	16 वर्ष का नायब तहसीलदार तथा 10 1/2 वर्ष का तहसीलदार के पद का अनुभव ।
2--भूखन सिंह, तिलहर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र	बी0 काम0, सुपर-वाइजर कानूनगो से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित	9-11--75 से 31-11-75 तक का सुपरवाइजर कानूनगो का तथा 1-7-76 से नायब तहलसी-दार के कार्य का अनुभव ।
3--उत्तम कुमार, निगोही क्षेत्र	इन्टरमीडिएट, संग्रह अमीन के पद से प्रोन्नति द्वारा	दिसम्बर, 1961 से 1966 तक सहायक वासिल बाकी नबीस के तथा 16-7-67 से 6-2-78 तक संग्रह अमीन के पद के कार्य का अनुभव । 7-2-78 से नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं ।
4--राम कुमार वशिष्ठ जलालपुर क्षेत्र	इन्टरमीडिएट, राजस्व परिषद् द्वारा प्रोन्नति	1973-74 में बिक्री कर नायब तहसीलदार रहे । तदोपरान्त 1974 से निरन्तर नायब तहसीलदार पद पर कार्यरत रहे ।
5--अब्दुल नफीस खां, खेड़ा बहेड़ा क्षेत्र ।	हाई स्कूल, राजस्व परिषद् द्वारा चयनित	सर्वे एण्ड लैण्ड रेकार्ड्स ट्रेनिंग स्कूल में एक वर्ष के कानूनगों प्रशिक्षण के उपरान्त सुपरवाइजर कानूनगो नायब तहसीलदार के पद के कार्य का अनुभव 1 अक्तूबर, 1977 से निरन्तर नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं ।

157--श्री सत्यपाल सिंह--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई की तहसील विलग्राम में आगजनी से फसल जलने की घटनाएं एवं अहेतुक सहायता

158--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील विलग्राम में अप्रैल, 1981 में आगजनी से फसल जलने की कितनी घटनायें हुई और शासन द्वारा कितनी मदद की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अन्तर्गत अप्रैल, 1981 में आगजनी से फसल जलने की 11 घटनायें हुई हैं । इन घटनाओं के फलस्वरूप प्रभावित 4 पात्र व्यक्तियों को अहेतुक सहायता के रूप में 2,400 रुपया का वितरण किया गया ।

कुरसठ टाउन ऐरिया, जनपद हरदोई में स्वीकृत विद्युतीकरण योजना

159--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद की टाउन एरिया कुरसठ को विद्युत् लाइन से जोड़ने एवं इस कस्बे के विद्युतीकरण की दशा में अब तक क्या कदम उठाये गये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

कुरसठ टाउन के विद्युतीकरण का प्राविधान करते हुये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत की जा चुकी है । इस योजना के अन्तर्गत कार्य चल रहे हैं तथा आशा की जाती है कि कुरसठ टाउन का विद्युतीकरण अगले वर्ष में कर दिया जायेगा ।

टांडा जनपद, फैजाबाद के किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

160--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा, जनपद फैजाबाद में किसानों का गन्ना मूल्य सन् 1977-78, 1979-80 ई० का बकाया है ? यदि हां, तो बकाया मूल्य किसानों को कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

टांडा, जनपद फैजाबाद के केवल एक किसान का वर्ष 1977-78 का रु० 65.78 मात्र गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है जिसे सम्बन्धित किसान के भुगतान प्राप्त करने हेतु आने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

वर्ष 1979-80 के गन्ना मूल्य की कोई धनराशि भुगतान के लिए अवशेष नहीं है ।

सर्वश्री दूलम बेलदार व नौकर श्रीराम, ग्राम दुबौली, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती अनुदान प्राप्त करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र का गृह निर्माण

161--श्री ध्रुप राय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 को प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुति सर्वश्री दूलम व नौकर, ग्राम दुबौली, पोस्ट मोलनापुर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती के पत्र में बरसात में ध्वस्त घर की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता की मांग की गयी थी, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत सर्वश्री दूलम बेलदार तथा नौकर बढ़ई, निवासी दुबौली, पोस्ट मोलनापुर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती का प्रार्थना-पत्र, जो गृह निर्माण अनुदान प्राप्त करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ था ।

श्री दूलम पुत्र सुखई को 200 रुपया गृह निर्माण अनुदान वितरित किया गया है । श्री राम, नौकर पुत्र झगरू ने 200 रुपया गृह निर्माण अनुदान लेने से इनकार किया, फलस्वरूप इन्हें अनुदान वितरित नहीं किया जा सका । उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के कच्चे मकान अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुये थे ।

ग्राम सभा खुटहा बाजार तथा मुड़िला में अवैध रूप से निर्मित मकानों पर कृत कार्यवाही

162--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज की ग्राम सभा खुटहा बाजार एवं मुडिला में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध मकान बन रहे हैं जिसकी सूचना सम्बन्धित लेखपाल ने तहसीलदार महाराजगंज को माह दिसम्बर, 1980 एवं माह जनवरी, फरवरी, 1981 में किया ह ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

ग्राम सभा खुटहा बाजार में दो तथा मुड़िला में 9 मकान अवैध रूप से बन रहे थे लेकिन उसकी सूचना प्रश्न में अंकित तिथि को नहीं बल्कि लेखपाल द्वारा दो मकानों के सम्बन्ध में दिनांक 15 जनवरी, 1981 को तथा 9 मकानों के सम्बन्ध में दिनांक 8 अप्रैल, 1981, 12 मई, 1981 एवं 27 मई, 1981 को तहसीलदार, महाराजगंज को दी गयी थी ।

गांव सभा खुटहा बाजार में बनाये जा रहे मकानों से सबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार के निर्णय के उपरान्त बेदखली तथा क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की गई है । ग्राम सभा, मुड़िला से सम्बन्धित 9 व्यक्तियों के विरुद्ध गांव सभा भूमि पर अवैधरूप से मकान बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद गोरखपुर के तहसील सदर व महाराजगंज में ग्राम प्रधानों द्वारा न्यायालयों दायर किये गये मुकदमें और निर्णय

163--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर व महाराजगंज में ग्राम समाज से सम्बन्धित कितने मुकदमें सीरदार हुए लोगो के विरुद्ध माह जुलाई, 1980 से माह फरवरी, 1981 तक ग्राम प्रधानों द्वारा परगनाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये ? क्या इसमें ग्राम बिशुनपुरा मटियरा, त0 सदर का भी कोई मुकदमा रहा है ? यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर व महाराजगंज, में परगनाधिकारी की आख्या के अनुसार उनके न्यायालय में माह जुलाई, 1980 से माह फरवरी, 1981 तक ग्राम प्रधान द्वारा सीरदार हुए लोगों के विरुद्ध कोई मुकदमा प्रस्तुत नहीं किया गया है । ग्राम बिशुनपुरा मटियरा का भी उस प्रकार का कोई मुकदमा दाखिल होना नहीं बताया गया है ।

ग्राम समाज की भूमि अस्थायी व स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को देने सम्बन्धी नियम

164--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार जांच कर बतायेगी कि प्रदेश में ग्राम समाज की भूमि अस्थायी व स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां जिसमें ए0 डी0 एम0 (डी0) व जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होते हैं ? वर्ष 1977-78 में गठित हुई थी ? यदि हां, तो क्या यह समितियां अब भी कार्यरत हैं । यदि नहीं तो अब इस काम को किस नियम के अन्तर्गत सम्पादित किया जा रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं ।

अस्थायी व स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को गांव सभा की भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनितम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आवश्यकता व औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्ग्रहीत करके उपलब्ध कराई जाती है ।

तहसील रानी खेत में कृषकों को वितरित की गयी जोत बही

165--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील में कृषकों की सुविधा हेतु कितनी जोत बही हर पटवारी क्षेत्र में कितने कृषकों को दी गयी है ? और कब से शासन ने जोत बही देने की व्यवस्था की है ? क्या यह सही है कि जोत बही समस्त कृषकों को नहीं दी गई है ? यदि हां, तो शासन ने जोत बही देने की क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

रानीखेत तहसील के कुल 75 पटवारी क्षेत्रों में 17,684 जोत बहियां उतने ही कृषकों को वितरित की गई हैं। शासन द्वारा जोत बही देने की व्यवस्था सन् 1970 से की गई है। यह सही है कि समस्त कृषकों को नहीं दी गई हैं। इसका कारण यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में एक ही खाते में कई कृषक संयुक्त रूप से अंकित हैं। उन सभी लोगों ने जोत बहियों की अलग-अलग मांग नहीं की जिसके कारण यह जोत बहियां समस्त कृषकों को नही उपलब्ध कराई जा सकी। जोत बहियों की कीमत निर्धारित है। उनके छपवाने व आवंटन के सम्बन्ध में कई स्रोतों से कतिपय कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान दिलाया गया। सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 38-ए/1/75-1220, दिनांक 24-2-77 द्वारा जोत बही वितरण का कार्य स्थगित कर दिया गया।

166—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

हरिजनों व भूमिहीनों को आवंटित की गई भूमि पर कब्जा तथा अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

167—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन व भूमिहीनों को जो जमीन आबंटित की गयी है इनमें से अधिकतर लोगों को जमीन का कब्जा नहीं मिला है ? और क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश पारित किया है जिसके अन्तर्गत कब्जा न देने वालों को दंडित व जेल की सजा देने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो वह आदेश क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रदेश के भूमिहीन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य कृषक श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पकारों की आवंटित की गई भूमि में से अधिकतर भूमि का कब्जा मिल चुका है। जिन व्यक्तियों का उन्हें आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा करने के कारण कब्जा नहीं मिल पाया है उनसे सम्बन्धित भूमि से अनधिकृत अध्यासी को बलपूर्वक बेदखल करने तथा दुबारा अनधिकृत कब्जा करने वालों को फौजदारी न्यायालय द्वारा तीन वर्ष तक कारावास या तीन हजार रुपये तक अर्थ दण्ड या दोनों ही से दण्डित करने की व्यवस्था जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198-क को संशोधित करके कर दी गयी है।

ग्राम चांदारत्ती, जनपद गोंडा में चकबन्दी प्रारम्भ होने से पूर्व पैमाइश में पायी गयी अनियमितताओं की जांच पर कृत कार्यवाही

168—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चांदारत्ती, चकबन्दी इकाई मनकापुर, जनपद गोंडा में चकबन्दी शुरू होने के पूर्व गांव की पैमाइश कराई गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में कोई ऐसी जमीन भी है जिसका एक ही नम्बर बन्दोबस्त दोयम में दस एकड़ क्षेत्रफल से

अधिक था उसकी चकबन्दी के पूर्व पैमाइश नहीं की गयी तथा उक्त खेत का रकबा कम दर्शाया गया तथा ग्राम के एक ही संयुक्त परिवार को चक एलाट किया गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उच्चाधिकारियों से जांच करा कर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

इस ग्राम की चकबन्दी आरम्भ होने के पूर्व पैमाइश नहीं करायी गयी। किन्तु यह सही है कि आधार वर्ष के खसरे के अनुसार इस ग्राम में एक गाटा संख्या (1491) का क्षेत्रफल 13.38 एकड़ अंकित था। चकबन्दी के अन्तर्गत पैमाइश करने पर इस गाटे का वास्तविक क्षेत्रफल 7.34 एकड़ पाया गया। उसी अनुसार सहायक चकबन्दी अधिकारी ने गाटे का क्षेत्रफल 13.38 एकड़ के स्थान पर 7.34 एकड़ अंकित होने का आदेश दिया। चूंकि सहायक चकबन्दी अधिकारी ने अपना आदेश पारित करते समय पक्षों के बीच कोई समझौता उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 9-क के अन्तर्गत दर्ज नहीं किया था अतः उप संचालक चकबन्दी को निदेश दिये जा रहे है कि वे सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं को ठीक करने के लिये धारा 48(3) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करें। उक्त गाटे के 7.34 एकड़ क्षेत्रफल में से 6.62 एकड़ भूमि एक संयुक्त परिवार के सदस्य को चक के रूप में एलाट की गयी है।

उक्त अनियमितता की जांच करायी जा रही है तथा दोषी पाये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बेनी प्रसाद पाण्डेय, तहसीलदार, संडीला, जनपद हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

169—श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि श्री बेनीमाधव पाण्डे, तहसीलदार, सण्डीला, जिला हरदोई के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री जसवन्त सिंह विष्ट व अन्य 5 विधायकों के हस्ताक्षर सहित कोई शिकायती-पत्र दिनांक 18-3-81 को तथा दिनांक 30-3-81 तथा 13-4-81 को तहसीलदार सण्डीला के कर्मचारीगण द्वारा भी शासन को दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से तथ्य हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री बेनी माधव पांडे, तत्कालीन तहसीलदार, संडीला, जिला हरदोई के विरुद्ध श्री जसवन्त सिंह विष्ट तथा अन्य पांच विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र शासन को दिनांक 17-3-81 को प्राप्त हुआ था। दिनांक 30-3-81 तथा 13-4-81 को तहसील सण्डीला के कर्मचारीगण द्वारा दिये गये शिकायती पत्रों का प्राप्त होना नहीं पाया जाता। विधायकों द्वारा दिए गए शिकायती-पत्र में निम्नलिखित आरोप तहसीलदार, संडीला के विरुद्ध लगाए गए हैं :—

1—श्री पांडे अत्यन्त भ्रष्ट, घूसखोर तथा सरकारी कार्यों में रुचि न लेकर केवल अवैध रूप से धनोपार्जन में लगे रहते हैं।

2--श्री पांडे ने हरदोई जनपद में नियुक्त होने के बाद लाखों रुपये की सम्पति अर्जित कर ली है । लखनऊ स्थित तालकटोरा कालोनी में अपने अथवा अपने परिवार के नाम से एक शानदार भवन का निर्माण करा रहे हैं ।

3--श्री पांडे ने संडीला में तहसीलदार आवास के सामने स्थित शीशम का एक पुराना पेड़, जो सरकारी सम्पत्ति थी, को जनवरी, 1981 में बिना किसी आदेश के कटवा लिया और बहुत सी लकड़ी अपने लखनऊ आवास पर भेज दी है और उसकी पेड़ी (जड़) व बहुत सी लकड़ी उसके संडीला निवास में पड़ी है ।

4--श्री पांडे, तहसीलदार, सीमेंट के परमिट जारी करने पर 10 रु0 प्रति बोरी की दर से घूस लेते हैं ।

5--वर्ष 1980-81 में तकावी वितरण में श्री पांडे तहसीलदार ने 10 प्रतिशत कमीशन लिया ।

उपरोक्त शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी । जिलाधिकारी, हरदोई से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार उपरोक्त आरोप संख्या 1, 2, 4 तथा 5 सिद्ध नहीं हुये किन्तु श्री बेनी माधव पांडे, तत्कालीन तहसीलदार, सण्डीला के विरुद्ध लगाया गया आरोप सं0 3 प्रमाणित होता है । इस सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु राजस्व परिषद् को निर्देशित कर दिया गया है ।

श्री वसी अहमद, सहायक वासिल बाकी नबीस, तहसील संडीला, जिला हरदोई, के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में जांच

170--श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि श्री वसी अहमद, सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई ने दिनांक 23-4-1981 को परगनाधिकारी, सण्डीला को लोहे के 2 गाटर तहसीलदार सण्डीला द्वारा ट्रक नं0 यू0 पी0 आई0 4626 से दिनांक 17-4-1981 को लखनऊ ले जाने के सम्बन्ध में लिखित सूचना दी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

यह सही है कि दिनांक 23-4-1981 को श्री वसी अहमद, सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील संडीला ने परगनाधिकारी, संडीला को लिखित सूचना दी थी कि दिनांक 17-4-1981 को लोहे के दो सरकारी गाटर तहसीलदार, संडीला ट्रक नं0 यू0 पी0 आई 4626 द्वारा ले गये ।

इस मामले में जांच की जा रही है ।

जनपद जौनपुर, विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

171--श्री प्रभुनारायण सिंह--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज के अन्तर्गत कितनी हरिजन बस्तियों को अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है ? क्या रख-रखाव के अभाव में विद्युत का उपभोग

हरिजन नहीं कर पाते ? क्या इस क्षेत्र की शेष बस्तियों में भी शीघ्र विद्युतीकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर एवं मुफ्तीगंज में अब तक 39(उन्तालिस) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

जी नहीं । विद्युतीकृत सभी हरिजन बस्तियों में प्रकाश की व्यवस्था सही है ।

प्रश्नगत विकास खण्डों की शेष हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु कोई ग्रामीण योजना विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं है, अतः हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत ही सम्भव है जिसके लिये परिषद् द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण अधिकतम 3,000 रु0 प्रति हरिजन बस्ती का व्यय आने पर किया जा सकता है तथा एक ग्राम की अधिकतम दो हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा सकता है । तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

172—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

गन्ना विकास परिषद्, लक्सर, सहारनपुर में सीमेन्ट के घोटाले की जांच

173—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषद्, लक्सर में वर्ष 1974–75 में जो लगभग 12 हजार रुपयों का सीमेन्ट का घोटाला हो गया था उस सम्बन्ध में क्या–क्या कार्यवाही की गई, कौन–कौन अधिकारी दोषी पाये गये और विभाग ने उनके विरुद्ध क्या–क्या कार्यवाही की है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

गन्ना विकास परिषद्, लक्सर में वर्ष 1974–75 में 11,160 रुपये की सीमेन्ट के घोटाले की जांच विभागीय तथा पुलिस स्तर पर कराई गई । इसके फलस्वरूप सर्वश्री आर0 सी0 सक्सेना, अवर अभियंता, आर0 एस0 वर्मा, परिषद् मंत्री तथा हरपाल सिंह, स्टोर पर्यवेक्षक दोषी पाये गये ।

श्री आर0 सी0 सक्सेना की सेवायें समाप्त कर दी गई तथा उन्हें न्यायालय द्वारा सजा दी गई । अन्य दो दोषी कर्मचारियों का निलम्बन करके उनको आनुशासनिक कार्यवाही के बाद दन्डित किया गया ।

गन्ना विकास परिषद्, लक्सर, सहारनपुर में पुलियों के निर्माण में अनियमितताओं की जांच

174---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषद्, लक्सर में 1974–75 में 13 पुलों का निर्माण कार्य

हुआ था जिसमें बहुत से पुलों में सीमेन्ट कंक्रीट बुनियादों में नहीं डाली गई थी बल्कि भुगतान कर दिया गया था जिसकी जांच इंजीनियर्स ने की थी और अपनी रिपोर्ट पत्र संख्या 6917, दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 को दी थी ? क्या सरकार बतायेगी कि इस रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

13 पुलियों के निर्माण की अनियमिततायें 1975–78 में प्रकाश में आते ही आगे का भुगतान रोक कर एक अवर अभियन्ता की सेवायें समाप्त कर दी गई थी और एक सहायक अभियंता तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी । अतः कार्य के सम्बन्ध में विभागीय इंजीनियरों की रिपोर्ट दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 के बाद इस दिशा में फिर से कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

गन्ना विकास परिषद्, लक्सर, जिला सहारनपुर की कथित सड़क निर्माण पर बजरी प्रयोग में अनियमितताएं तथा सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

175—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद्, लक्सर, जिला सहारनपुर के अन्तर्गत राइसी रोड पर, निजनपुर रोड, दरगापुर रोड पर 288 क्यूबिक मीटर प्रीकोटिड ग्रीट सड़क पर पड़ी हुई थी मगर तखमीना बनाने में इस ग्रीट को कम करके तखमीना नहीं बनाया गया था और नई ग्रेट की पूरी मात्रा लेने के बाद 55 क्यूबिक मीटर ग्रीट सड़कों पर होने की रिपोर्ट की गई जिसकी वजह से विभाग को 13 हजार रुपयों की हानि हो गई थी तथा 5,100·00 रुपये ठेकेदार को फालतू भुगतान हो गया था ? क्या यह सच है कि इस बारे में आडिट आफिसर ने सितम्बर, 1976 में रिपोर्ट की थी ? यदि हां, तो इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

200 क्यूबिक मीटर ग्रिट (बजरी) में से मौके पर बाद में केवल 55·2 क्यूबिक मीटर ग्रिट उपलब्ध रह गई थी । कार्य का दुबारा तखमीना बनाते समय टेक्निकल रिपोर्ट में उल्लेख कर दिया गया था कि "ठेकेदार को प्रिमिक्सिंग की ग्रिट लाने से पहले पुरानी ग्रिट को एक जगह जमा करके नाप लिया जायगा, उसके बाद उतनी मात्रा कम करके सप्लाई के आदेश दे दिये जायेंगे" । इस प्रकार 55·2 क्यूबिक मीटर बजरी का प्रयोग सड़क निर्माण में कर लिया गया था ।

आडिट रिपोर्ट दिनांक 18 सितम्बर, 1976 में इस मद पर 11,000 रुपये की हानि बताई गई है । इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । ठेकेदार को 5,100 रुपये का अधिक भुगतान नहीं हुआ है ।

ग्राम पिलखना रशीदपुर, परगना मोहान, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में चक आवंटन में त्रुटियां तथा उन्हें दूर करने हेतु कृत कार्यवाही

176—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिलखना रशीदपुर, परगना मोहान, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में चक आवंटन में काफी त्रुटियां हैं जिसकी बिना पर अनेकों किसानों को चक प्राप्त नहीं हो पाये हैं और किसानों द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर भी उन त्रुटियों को दूर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री बैज नाथ कुरील—

ग्राम पिलखना रशीदपुर, परगना मोहान, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में चक आवंटन में त्रुटियों के कारण केवल 4 व्यक्तियों को भूमि प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उनके स्वत्व सम्बन्धी मामले चक काटते समय पाये गये। त्रुटियों की दुरस्ती की कार्यवाही की जा रही है और वित्तीय वर्ष 1981-82 के अन्त तक कार्य पूर्ण किये जाने की आशा है।

ग्राम सरवन, जिला उन्नाव के चक मार्गों एवं सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जे पर कृत कार्यवाही

177—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सरवन, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के चक मार्गों पर एवं सार्वजनिक भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत अनियमित रूप से कब्जा कर लेने के विषय में उक्त ग्राम के हरिजनों एवं कमजोर वर्ग के लोगों ने जिलाधिकारी, उन्नाव को दिनांक 9-12-1980 को तथा मा0 मुख्य मंत्री जी को दिनांक 18-12-80 को प्रार्थना पत्र दिए थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? और यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बैज नाथ कुरील—

जी हां, ग्राम सरवन के चक मार्गों एवं सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत एवं अनियमित रूप से कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लेने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ग्राम की सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से काबिज 74 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों कर कब्जा तत्काल हटा दिया गया, 36 व्यक्तियों को कब्जा हटाने हेतु नोटिस दी गई है तथा शेष 24 के विरुद्ध जमींदारों विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियम 115 सी के अन्तर्गत वाद दायर कर दिये गये हैं।

ग्राम सरवन, जिला उन्नाव में गृह अनुदान के सम्बंध में शिकायतों की जांच

178—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सरवन, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में गृह अनुदान के वितरण में विलम्ब व कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी करने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा परगनाधिकारी, पुरवा तथा

जिलाधिकारी, उन्नाव को 29-10-1980 में प्रार्थना-पत्र दिए गये थे ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या परिणाम निकला ?

श्री बैजनाथ कुरील —

जी हां । शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, पुरवा द्वारा कराई गई थी । जांच में आरोप सही नहीं पाये गये ।

लखनऊ मंडल में पंजीकृत भट्ठों की संख्या एवं बहीखातों को अस्वीकृत किये जाने का कारण

179—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या वित्त मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में कितने भट्टे बिक्री कर के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ? मन्त्री जी कृपया यह भी बताने की कृपा करें कि वर्ष 1979-80 में ईट के भट्ठों के बिक्री-कर के (असेसमेंट) में कितने प्रतिशत भट्ठेवालों के प्रस्तुत हिसाब अस्वीकृत किए गये और उनको अस्वीकृत करने का आधार क्या था ?

श्री ब्रह्म दत्त—

लखनऊ मन्डल में कुल 129 भट्टे पंजीकृत हैं ।

2—79-80 में ईंट भट्ठ के बिक्रीकर असेसमेन्ट में अस्वीकृत किये गये वादों का प्रतिशत 62% हैं ।

3—बही खातों को अस्वीकृत करने के निम्न कारण थे ।

(क) लेखा पुस्तकों का अनियमित पाया जाना :

(ख) वाद की सुनवाई के समय लेखा पुस्तिकायें सही नही पाई गई ।

(ग) नियम-12 (2) के अन्तर्गत निर्माण रजिस्टर का न पाया जाना ।

(घ) सर्वेक्षण के समय स्टाक तथा उनकी लेखा पुस्तिकों में अन्तर पाये जाने के कारण ।

(ङ) सूचना के आधार पर लेखा पुस्तकें संदिग्ध पाये जाने के कारण ।

जनपद एटा की नगरपालिका कासगंज के कथित मोहल्लों में मार्ग प्रकाश का कार्य एवं विलम्ब हेतु दोषी अधिकारी

180—श्री मानपाल सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद एटा की नगर पालिका कासगंज के प्रभारी अधिकारी द्वारा मोहल्ला नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग सहावरगेट सोरों गेट कासगंज तथा कासगंज अमापुररोड पर कोठी वाल अड़तिया डिग्री कालेज कासगंज तक और ललपुर रोड तथा मोहल्ला वड़नगर के मार्ग प्रकाश के विस्तार हेतु वांछित धनराशि विद्युत् अनुरक्षण खण्ड एटा में कई वर्ष पूर्व जमा करा दी है ? यदि हां, तो उक्त जगहों पर स्ट्रीट लाइट की लाइनें बिछा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और कौन-कौन अधिकारी इसके लिए दोषी हैं तथा कब तक स्ट्रीट की लाइने बिछा दी जायेगी ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह—

जनपद एटा की नगरपालिका कासगंज के प्रभारी अधिकारी द्वारा नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग सहावर गेट कासगंज व लालपुर अमांपुर–रोड चौकी चुंगी से चौकी चौकी चुंगी तक अमापुर रोड चूंगी से कोठी वाल अड़तिया डिग्री कालेज तक, मोहल्ला रामकुटी सोरो गेट कासगंज, गली स्लामनगर व वहूनगर मोहल्ला नवाब गली ईदगाह व चौकया मोहल्ला नवाब तथा स्टेट बैंक कालोनी मोहल्ला नायूराम में मार्ग प्रकाश के विस्तर हेतु कुल रु0 40,223 की धनराशि अप्रैल 1977 से अक्टूबर 1979 की अवधि में जमा की थी। नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग सहावर गेट कासगंज व लालपुर तथा अमापुर रोड चौकी चुंगी से सौरोगेट चौकी चुगी तक के कार्य को छोड़कर रु0 34,380 थी लागत के अन्य कार्य पूरे किये जा चुके हैं। नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग सहावर के गेट कासगंज व लालपुर तथा अमापुर रोड चौकी चुंगी से सोरोगेट चौकी चुंगी तक का कार्य भी रेलवे क्रासिंग को छोड़कर, लगभग पूरा किया जा चुका है। इन कार्यों के पूरा किये जाने में विलम्ब के कारण कन्डेक्टर तथा आर0 एस0 ज्वाइट का समय से उपलब्ध न होना तथा रेलवे क्रासिंग की रेलवे विभाग द्वारा अभी तक स्वीकृति प्रदान न करना है इससे लिये परिषद् का कोई अधिकारी दोषी प्रतीत नहीं होता। नगला अस्तल रेलवे क्रासिंग सहावर गेट कासगंज व लालपुर के हिस्सों में मार्ग प्रकाश का कार्य रेलवे क्रासिंग की स्वीकृति रेलवे विभाग से प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र पूरा कर दिया जायेगा। अमांपुर रोड चौकी चुंगी से सोरोगेट चौकी चुंगी तक मार्ग प्रकाश का कार्य शीघ्र पूरा हो जाने की संभावना है।

आजमगढ़ जनपद के ग्राम सूरजपुर में नये विद्युत कनेक्शन

181—श्री राम कुमार राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में ग्राम सूरजपुर ब्लाक दोहरी घाट में कुछ लोगों मे बिजली प्राप्त करने के लिए 25–25 रुपया अग्रिम जमानत 1973 (2–11–73) को ही जमा कर दिया था तो भी उन्हे आज तक बिजली नहीं मिली ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार उन्हें तुरन्त बिजली दिये जाने पर विचार करेगी ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह—

आजमगढ़ जनपद के ग्राम सूरजपुर में विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दिनांक 2–11–1973 को किसी भी व्यक्ति नें 25 रु0' 'अनेंस्ट मनी" की धनराशि जमा नहीं की थी। इस तिथि तक केवल पांच व्यक्तियों ने दिनांक 13–6–1971 को 025 रु0 "अनेंस्ट मनी" की धनराशि के साथ बत्ती पंखा कनेक्शन हेतु प्रार्थना–पत्र दिये थे जिनमें से एक को शपथ एवं दी0 एण्ड एल0 फार्म जमा करके समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दिये जाने पर कनेक्शन दिया जा चुका है।

अन्य चार व्यक्तियों ने कनेक्शन हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी नहीं की है, अतः उनको कनेक्शन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बचे चार व्यक्तियों को कनेक्शन दिया जाना उनके द्वारा कनेक्शन हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी किये जाने पर निर्भर करता है।

जनपद बदायूं में बिक्री-कर अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण व निलम्बन

182--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर विभाग के जनपद बदायूं में प्रशासनिक तौर पर बिक्री-कर अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर निम्न कर्मचारियों को जनपद बदायूं से स्थानान्तरित या निलम्बित किया गया था :

(1) श्री ओ0 पी0 गुप्ता, वर्ष 1972-73 ।

(2) श्री राम लाल, वर्ष 1972-73 ।

(3) श्री लेखराज अरोरा, वर्ष 1968-69 ।

(4) श्री बीर सहाय, वर्ष 1971 एवं वर्ष 1976 ।

(5) श्री एस0 सी0 एल0 वैश्य, वर्ष 1978-79 ।

यदि हां, तो इन कर्मचारियों को पुनः इस जनपद में किस आधार पर स्थानान्तरित किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । उल्लिखित कर्मचारियों में से सर्वश्री वीर सहाय तथा राम लाल का स्थानान्तरण के अतिरिक्त, थोड़े समय के लिये निलम्बन भी हुआ था ।

इस समय बदायूं जनपद में उल्लिखित कर्मचारियों में से श्री ओ0 पी0 गुप्ता, राम लाल तथा एस0 सी0 एल0 कार्यरत हैं ।

श्री ओ0 पी0 गुप्ता को 8 वर्ष के बाद बदायूं में स्थान रिक्त होने पर उनकी प्रार्थना पर जुलाई, 1980 को फिर बदायूं में तैनात किया गया ।

श्री राम लाल को पदोन्नति पर काशीपुर तैनात किया गया था, पर काशीपुर में आलेखक-प्रालेखक का कोई पद रिक्त न होने के कारण वे सरप्लस हो गये और उन्हें बदायूं कार्यालय में समायोजित किया गया ।

श्री एस0 सी0 एल0 वैश्य को पहले बरेली और तत्पश्चात् लेखा परीक्षक के पद पर मुरादाबाद में स्थानान्तरित किया गया था । बाद में लेखा परीक्षक के पद से प्रत्यावर्तन लेने के फलस्वरूप उन्हें फिर बदायूं में समायोजित किया गया ।

बरेली रेन्ज की बिक्री-कर विभाग की जीप से दुर्घटना तथा जीप चालक का निलम्बन

183--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली रेंज की बिक्री कर विभाग की जीप नम्बर यू0 एस0 ई0 6123 से दिनांक 6-12-1977 को बरेली शहर में दुर्घटना हुई थी ? यदि हां, तो क्या जीप चालक तत्काल निलम्बित कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि दुर्घटना के समय उक्त जीप बिक्री-कर अधिकारी श्री एस0 डी0 शर्मा के अधिकार में थी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

जीप चालक को दिनांक 4-9-78 को निलम्बित किया गया था ।

जी हां । परन्तु दुर्घटना के समय उनके प्रयोग में नहीं थी ।

उक्त निलम्बित जीप चालक के अतिरिक्त अन्य किसी को दोषी नहीं पाया गया ।

जनपद बदायूं के बिक्री-कर कार्यालय में बिक्री-कर अधिकारी द्वारा वाराणसी की फर्मों को जारी किये गये पंजीयन तथा जमानतनामों का सत्यापन

184--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्री-कर कार्यालय में वर्ष 1976 में श्री के0 सी0 गुप्ता, बिक्री-कर अधिकारी ने वाराणसी की निम्न फर्मों को पंजीयन जारी किए थे :--

सर्वश्री--

(1) सिंह कोल ट्रेडर्स, 1976-77 ।

(2) सिंह कोल मर्चेंट, बदायूं 1976-77 ।

(3) शिव पूजन कोल एजेंसी, 1976-77 ।

(4) प्रेम नारायण कोल एजेंसी, 1976-77 ।

यदि हां तो उक्त 4 फर्मों पर कितना बिक्रीकर वर्ष 1976 से अब तक आरोपित किया गया और उसमें से कितना वसूल हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त फर्मों के द्वारा दाखिल किये गए जमानत नामे का सत्यापन वाराणसी एवं बदायूं के बिक्री-कर अधिकारी से नहीं कराया था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां । इन फर्मों को 75-76 में पंजीयन जारी किए गए थे । इन व्यापारियों पर आरोपित कर तथा जमा किए गए वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के करों का ब्योरा निम्न प्रकार है :

नाम	कर वर्ष निर्धारण	आरोपित कर	कर निर्धारण से पूर्व जमा धनराशि	अतिरिक्त मांग
सर्वश्री--				
1--सिंह कोल ट्रेडर्स, बदायूं	1975-76	2,911·73	717·00	2194·73
	1976-77	405·04	..	485·04
2--सिंह कोल मर्चेन्ट्स, बदायूं	1975-76	2,859·45	920·00	1939·45
	1976-77	कर मुक्त	..	..
3--शिव पूजन कोल एजेन्सी	1975-76	1129·41	417·00	712·41
	1976-77	800·00	..	800·00
4--प्रेम नारायण कोल एजेन्सी	1975-76	1,489·17	416·00	1073·17
	1976-77	871·20	..	871·20

इन व्यापारियों ने कर निर्धारण के पश्चात् कोई कर नहीं जमा किया है। यह 1976–77 से हो (गायब) अनुपलब्ध हैं।

इन फर्मों ने जमानतनामों का सत्यापन तहसीलदार बांसगांव, जिला गोरखपुर द्वारा करा कर दाखिल किया था। फर्मों के मालिकों ने अपने को गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील का निवासी घोषित किया था।

मामले की जांच की जा रही है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री विक्रमाजीत सिंह द्वारा दिया गया सीलिंग की भूमि का फर्जी रूप से स्थानान्तरण सम्बन्धी आवेदन–पत्र तथा सील्ड किये गये प्रश्नगत अभिलेख

185–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या राजस्व मन्त्री 27 मार्च, 1981 की कार्य सूची के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि क्या इस उत्तर के पश्चात् और श्री विक्रमाजीत सिंह द्वारा 1 अप्रैल, 1980 को जिलाधिकारी, कानपुर को तत्सम्बन्धी दिए गये आवेदन–पत्र की मांग के अनुसार क्या सम्बन्धित समस्त रिकार्ड सरकार ने अपने कब्जे में लेकर सील्ड किया है? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो ऐसा क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं, क्योंकि प्रश्नगत अभिलेख की एक प्रति उसी स्थिति में तहसील में भी उपलब्ध थी फिर भी प्रश्नगत अभिलेख सुरक्षित रूप से सेफ में रखकर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की व्यक्तिगत सुरक्षा में हैं। अमलदरामद सम्बन्धी खाते की फोटूप्रति कराकर भी सुरक्षित रख दी गयी है। पब्लिक अभिलेख होने के कारण जनता के नित्य के कार्य में कठिनाई होने तथा प्रश्नगत मामले की जांच अभीष्ट होने के कारण सम्बन्धित अभिलेख को सील्ड नहीं कराया गया।

गांव रोगांव–सिधौली, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर की सीलिंग की भूमि का फर्जी अमलदरामद व फर्जी कांड के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र

186–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या राजस्व मन्त्री 27 मार्च, 1981 की कार्य सूची के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि क्या यह तथ्य उनकी जानकारी में हैं कि गांव रोगांव–सिधौली, तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर की प्रश्नगत सीलिंग की भूमि भूदेव आदि के निजी चकों से परिवर्तित करने का आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 1979 को लिखा गया था? यदि हां, तो उस आदेश पर किन–किन अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई गयी?

श्री बैजनाथ कुरील–

अमल दरामद किसी अधिकारी के आदेश पर नहीं हुये हैं। यह फर्जी अमलदरामद का मामला है जिसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी है। इस कारण आदेश का प्रश्न नहीं होता।

187--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या राजस्व मन्त्री 27 मार्च, 1981 की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या 6 से उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेंगे कि जब जिलाधिकारी को उक्त फर्जी कांड के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रार्थना-पत्र 1 अप्रैल, 1980 को दिया गया तो उसकी रिपोर्ट इतने लम्बे समय बाद 11 नवम्बर, 1980 को दर्ज कराने का क्या कारण रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में शिकायत 1 अप्रैल, 1980 प्राप्त होने के पश्चात् सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या कथित अमलदरामद वास्तव में फर्जी है या नहीं आवश्यक छान-बीन करायी गयी। उसके उपरान्त यह सुनिश्चित हो जाने के बाद कि कथित अमलदरामद फर्जी है उसे निरस्त कराने की कार्यवाही की गयी। अमल दरामद निरस्त कराने के उपरान्त दोषी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निश्चित कराने हेतु विभागीय जांच की गयी। जांच के निष्कर्ष के आधार पर जिलाधिकारी जांच अधिकारी के प्रस्तावित दंड से सहमत नहीं हुये और उन्होंने यह आदेश दिये कि यदि कोई अपराध बनता हो तो पुलिस में रिपोर्ट लिखायी जाये। इस सम्बन्ध में विधिक राय लेने के उपरान्त 11 नवम्बर, 1980 को पुलिस रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। बिलम्ब से एफ0 आई0 आर0 अंकित कराने के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर की कतिपय तहसीलों में नायब तहसीलदार व कानूनगो के कार्यकाल की अवधि तथा उनका स्थानान्तरण

188--श्री सत्यराज सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विभिन्न चार तहसीलों में 30 अप्रैल, 1981 को ऐसे कौन-कौन से नायब तहसीलदार व कानूनगो कार्यरत हैं, जिन्हें इस जनपद अथवा जनपद की तहसील में कार्य करते हुये लगातार 5 वर्ष अथवा इससे भी ऊपर समय हो चुका है ? क्या शासन ऐसे नायब तहसीलदारों व कानूनगो के स्थानान्तरण इस जनपद से अन्यत्र करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

189--श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद शाहजहांपुर की विभिन्न चार तहसीलों में 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से निम्नलिखित नायब तहसीलदार व कानूनगो कार्यरत हैं :--

क्रमांक	नाम/पद नाम	मूल पद
	सर्वश्री--	
1	तेजपाल सिंह, नायब तहसीलदार, जलालाबाद	नायब तहसीलदार।
2	भूखन सिंह, स्थानापन्न नायब तहसीलदार, तिलहर	कानूनगो अभ्यर्थी।
3	अब्दुल नफीज खां, स्थानापन्न नायब तहसीलदार, तिलहर	,,

1	2	3
	सर्वश्री--	
4	राम स्वरूप रजक, स्थानापन्न नायब तहसीलदार, पुवायां	कानूनगो अभ्यर्थी ।
5	शफी अहमद, स्थानापन्न नायब तहसीलदार संग्रह, पुवायां	,,
6	शान्ती स्वरूप, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो, सदर	सुपरन्यूमरेरी कानूनगो ।
7	प्रेम चन्द्र मिश्र, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो, सदर	लेखपाल ।
8	राम नरेश, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो, तिलहर	,,
9	झब्बू लाल, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो, पुवायां	,,
10	बैजनाथ, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो, जलालाबाद	,,
11	राम विलास, स्थानापन्न सुपरवाइजर कानूनगो, पुवायां	,,

2--उपरोक्त क्रमांक 1 के श्री तेजपाल सिंह, नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण जनपद बरेली के लिये किया गया था किन्तु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर की संस्तुति के आधार पर बाढ़ कार्य हेतु उनका स्थानान्तरण 30 सितम्बर, 1981 तक के लिये मंडलायुक्त द्वारा स्थगित कर दिया गया है ।

3--शेष उपरोक्त क्रमांक 2 से 5 पर उल्लिखित नायब तहसीलदारों का मूल पद सुपरवाइजर कानूनगो का है और ये नायब तहसीलदार के पद पर स्थानीय प्रबन्ध में स्थानापन्न रूप से कार्यरत हैं। इसी प्रकार क्रमांक 6 से 11 तक उल्लिखित सुपरवाइजर कानूनगो में से क्रमांक 6 के श्री शान्ति स्वरूप जिनका मूल पद सुपरन्यूमरेरी कानूनगो है, को जोड़कर शेष का मूल पद लेखपाल का है और वे अभी सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर स्थानीय प्रबन्ध में स्थानापन्न रूप से कार्यरत हैं । जनपद में स्थानीय प्रबन्ध में स्थानापन्न रूप से कार्यरत नायब तहसीलदार व कानूनगो को उनके जनपद से अन्य जनपद में स्थानान्तरित करना नियमानुसार नहीं है, अतएव क्रमांक 2 से 11 तक के नायब तहसीलदार व कानूनगो को जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में डिप्लोमा इंजीनियर के पद पर नियुक्ति

189--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् में ऐसे डिप्लोमा इंजीनियर जो 12 साल से भी ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं, कितने हैं उनकी अब तक जूनियर इंजीनियरों के पद पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

निम्न पदस्थ पदों पर दिनांक 1-9-77 तक कार्यरत सभी डिप्लोमाधारियों को केवल साक्षात्कार लेकर अवर अभियन्ता बना देने के आदेश दे दिये गये हैं तथा उनके अनुसार मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) द्वारा आवश्यक कार्यवाही तत्परता से की जा रही है ।

ग्राम टिघरा, जिला बस्ती के अनियमित पट्टे को रद्द करवाने हेतु मुकदमा लड़ने की स्वीकृति

190—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम समाज टिघरा, पोस्ट चोरी महलानी, जिला बस्ती तथा निकसोली, तहसील नौगढ़ जिला बस्ती के सदस्यों ने एक प्रार्थना-पत्र (श्री प्रभुनाथ दुबे ने) दिनांक 23-11-80 को जिलाधिकारी, बस्ती को दिया था जिसमें टिघरा गांव के अनियमित पट्टे को रद्द करवाने हेतु मुकदमा लड़ने की स्वीकृति मांगी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

191—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवी दीन पुत्र कल्लू हरिजन को दिया गया सीरदारी अधिकार

192—श्री भीखा लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खेलावन, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर में खसरा नम्बर 755 रकबा एक बीघा, सोलह बिस्वा पर देवी दीन पुत्र कल्लू हरिजन को, जो इस भूमि पर 30 जून, 1965 के पूर्व से काबिज है जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122(बी) (4) (एफ) के अन्तर्गत सीरदारी अधिकार दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि को पात्र व्यक्तियों को आवंटन

193—श्री मित्र सेन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परगना खंडासा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम चमरूपुर, पालपुर, घटौली तथा मोहली में कृषि योग्य ग्राम समाज की कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध है। उसका आवंटन उपरोक्त गांव के पात्र व्यक्तियों में कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों और आवंटियों की सूची एवं प्राप्त भूमि का रकबा क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

कृषि योग्य ग्राम समाज की भूमि की स्थिति ग्रामवार इस प्रकार है :—

ग्राम चमरूपुर—

इस ग्राम में कृषि योग्य कुल 1–12–12 भूमि थी जिसका आवंटन 10 भूमिहीन हरिजनों में दिनांक 25–2–76 को कर दिया गया था ।

ग्राम पालपुर—

इस ग्राम में कृषि योग्य कुल भूमि 48–9–2 उपलब्ध थी जिसमें से 23–14–4 का आवंटन 75 पात्र व्यक्तियों में दिनांक 28–2–76 को तथा 25–14–13 का आवंटन 50 पात्र व्यक्तियों में दिनांक 5–6–81 को कर दिया गया था ।

ग्राम घटौली—

इस ग्राम में कृषि योग्य कुल भूमि 51–5–19 उपलब्ध थी जिसमें से 47–3–14 का आवंटन 77 पात्र व्यक्तियों में दिनांक 29–2–76 को कर दिया गया था । शेष 4–2–5 के आवंटन की कार्यवाही प्रगति पर है ।

ग्राम मोहली—

इस ग्राम में कृषि योग्य कुल उपलब्ध भूमि 31–4–17 थी जिसमें से 11–15–0 का आवंटन दिनांक 29–2–76 को 15 पात्र व्यक्तियों में कर दिया गया था । शेष 19–9–77 भूमि के आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है ।

उक्त सभी आवंटियों की सूची मेरे कक्ष में देखी जा सकती है ।

194—श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

195—श्री मसरूर जाफरी तथा श्री मित्रसेन—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के नदी किनारे के गांवों में चकबन्दी

196—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के उन गांवों को चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है जो नदियों के किनारे हैं एवं पहले होने वाली चकबन्दी में नहीं लिया गया था ? यदि हां, तो क्या इसमें ग्राम भरकछा (राप्ती नदी के बायें तट पर) छोड़ दिया गया है जब कि इसके अगल–बगल के दूर एवं निकट के सभी ग्राम चकबन्दी में आ गये हैं ? तो क्या इसे भी सम्मिलित कर चकबन्दी में लेने हेतु जनता व प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह नवम्बर, 1980 से अब तक शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गोरखपुर की तहसील सदर के नदी के किनारे के 81 ग्रामों को, जिनमें ग्राम भरकछा भी शामिल है, पहले के माप दण्ड के अनुसार चकबन्दी योग्य न होन के कारण, छोड़ दिये गये थे। कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज व फरेन्दा में उपलवृष्टि से क्षति तथा राहत कार्य

197—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की किन-किन तहसीलों में माह मार्च व अप्रैल, 1981 में भीषण उपलवृष्टि हुई है ? क्या इसमें तहसील महराजगंज व फरेंदा भी हैं जिसमें खलिहान व खेत दोनों स्थानों की कटी व खड़ी फसल को लगभग 60 प्रतिशत नुकसान हुआ है। यदि हां, तो इससे सम्बन्धित कितने गांव हैं और राहत रूप में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोरखपुर में माह मार्च, 1981 के बजाय माह अप्रैल, 1981 में केवल तहसील महराजगंज व फरेंदा में उपल वृष्टि हुई थी परन्तु उसके कारण किसी ग्राम में खलिहान व खेत की कटी व खड़ी फसलों को 60 प्रतिशत का नुकसान नहीं हुआ था। क्षति का अनुमान नगण्य के बराबर रहा इसलिए किसी राहत कार्य की आवश्यकता नहीं थी।

198—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई है उनमें क्या राहत कार्य किया जायेगा और ऐसे ग्राम कितने हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोरखपुर के तहसील फरेन्दा के प्रभावित 16 ग्रामों में घटना के समय 5 प्रतिशत फसलें खेत में खड़ी थीं और इन 5 प्रतिशत खड़ी फसलों में केवल 10 प्रतिशत की हानि हुई जिसके लिए किसी राहत कार्य की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त तहसील महराजगंज में 231 ग्राम प्रभावित थे जहां पर क्षति नगण्य के बराबर थी। इसलिए वहां भी किसी राहत कार्य की आवश्यकता नहीं थी।

तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में चकबन्दी योजना का प्रसार

199—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, तहसील सदर के गांवों की चकबन्दी आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसके कारण इस समय पुनः बहुत छोटे-छोटे चक खेत बन गये हैं जिनके कारण चकबन्दी का उद्देश्य समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दशा में ध्यान देकर आधुनिकतम ढंग से चकबन्दी करायेगी ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में चकबन्दी योजना का प्रसार 4 लाटों में क्रमशः वर्ष 1956, 1966, 1967 तथा 1978 में किया गया था। जिन गांवों में चकबन्दी प्रक्रियायें समाप्त हुये 10 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है वे गांव ही दुबारा चकबन्दी के अन्तर्गत लिये जा सकते हैं।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार प्रदेश की 26 तहसीलें जो सर्वप्रथम, प्रथम चक में चकबन्दी में ली गयी थी, उन्हीं तहसीलों को पहले दुबारा चकबन्दी के अन्तर्गत लेना है। गोरखपुर जनपद की सदर तहसील उन तहसीलों में नहीं है अतः उक्त 26 तहसीलों को दुबारा चकबन्दी के अन्तर्गत लेने के बाद ही अन्य तहसीलों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है। इसमें अभी समय लगने की संभावना है।

जनपद कानपुर के ब्लाक बिल्हौर व ककवन् के ग्रामो में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों को गृह अनुदान

200–श्री मोती लाल देहलवी--

प्रथम सत्र 1981 के सातवें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर के ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन् के किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों को अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों पर 300 रु0 (तीन सौ रुपये) का गृह अनुदान दिया गया और जिन्हें तीन सौ रुपये का गृह अनुदान दिया गया, उनके पास कितनी भूमि है ?

श्री बंजनाथ कुरील--

जनपद कानपुर के ब्लाक बिल्हौर के 8 ग्रामों में 37 व्यक्तियों को व ब्लाक ककवन के 14 ग्रामों में 158 व्यक्तियों को अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के कारण 300 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से गृह अनुदान वितरित किया गया। इन लाभान्वित व्यक्तियों के पास भूमि का विवरण राजस्व मंत्री के कार्यालय पटल पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

शारदा नदी की बाढ़ से पीलीभीत के पूरनपुर तहसील के टाटरगंज ग्राम को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12·15 अपराह्न]

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व को सुनिश्चित सूचना लाना चाहता हूं। पिछले दिनों शारदा नदी में आई बाढ़ से पूरनपुर तहसील का टाटरगंज गांव बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस गांव में कई फीट पानी भर गया था। शारदा नदी ने अपना बहाव का रास्ता बदल दिया है और इस गांव को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई जानवर भी बाढ़ में बह गये हैं। यदि इन लोगों को वहां से उठाकर अन्यत्र कहीं नहीं बसाया जाता है तो किसी दिन निश्चित रूप से यह लोग अपने बीबी बच्चों सहित बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इनके जीवन की सुरक्षा हेतु इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाये। दूसरे अन्य गांवों तथा कृषि योग्य भूमि को सुरक्षा हेतु टाटरगंज से राणा प्रताप नगर तक शीघ्र ही ठोकर बनाई जायं। ज्ञात हो इससे पूर्व भी मैं विधान सभा में ठोकरें बनाई जाने की

[डाक्टर विनोद कुमारी तिवारी--]

मांग उठा चुका हूं । लेकिन सिंचाई विभाग की शिथिलता के कारण यह ठोकरें नहीं बन सकीं ।

अतः मैं सरकार से जनहित में मांग करता हूं कि अविलम्ब टाटरगंज से राणा प्रताप नगर तक ठोकरें बनाने की व्यवस्था करें तथा साथ ही टाटरगंज के निवासियों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की जाये ।

प्रदेश के अस्पतालों में बिजली की कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्र सेन--

अध्यक्ष जी, आज कल बिजली कटौती से जनता का जनजीवन संकट में तो रहता ही है परन्तु सबसे गम्भीर एवं चिंताजनक स्थिति चिकित्सालयों में उन मरण शय्या एवं प्राणघातक बीमारियों से ग्रसित रोगियों की हो जाती है जो जीवन एवं मृत्यु के बीच तड़पते रह जाते हैं । कभी-कभी तो शल्य कक्ष में रोगियों के गम्भीर आपरेशन के दौरान एकाएक बिजली के चले जाने से चिकित्सक लोग असहाय हो जाते हैं और देखते ही देखते रोगी मौत के कगार पर पहुंच जाता है । जनपद फैजाबाद, गोंडा के अतिरिक्त अन्य जनपदों में गत एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति न होने के कारण वह मौत के मुंह में चले गये और कुछ तो शल्य कक्ष में मौत से जूझते-जूझते बचे हैं ।

श्रीमन, इन विशेष परिस्थितियों एवं घटनाओं की ओर आप और आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से मांग करता हूं कि प्रदेश के चिकित्सालयों की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाय जिससे लाखों रोगियों की प्राण रक्षा की जा सके ।

मान्यवर, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मानवीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चाहूंगा कि आप सरकार को अपेक्षित निर्देश देने की कृपा करें ।

जिला जनता पार्टी छतरपुर, मध्य प्रदेश द्वारा रनगवां बांध पर कब्जा करने से बांदा जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस सम्मानित सदन के संज्ञान में जिला जनता पार्टी छतरपुर, मध्य प्रदेश के द्वारा 21 सितम्बर, 1981 को रनगवां बांध पर आन्दोलन करने का रनगवां बांध पर कब्जा कर पूरा पानी लेने तथा उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की दृष्टि से ये आन्दोलन किये जाने की घोषणा की गयी है । रनगवां बांध से बांदा की भूमि की सिंचाई नहर के द्वारा होती है । इनके इन आन्दोलन से बांदा जनपद की लगभग एक लाख दस हजार हेक्टर भूमि को पानी सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से खरीफ की फसल नष्ट हो जायेगी । बांदा जनपद में इस समय सूखा पड़ गया है और फसल के लिये पानी की तत्काल आवश्यकता है । इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आन्दोलन की सूचना से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के रनगवां स्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है और इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने शासन को सूचित भी कर दिया है ।

अतः इस सुनिश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, तथा मांग करता हूं कि शासन तत्काल प्रभावशाली कार्यवाही करे जिससे कि पूरे बांदा जनपद की सिंचाई व्यवस्था नष्ट न हो तथा सिंचाई अधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था हो सके ।

जिला शाहजहांपुर के जिला अस्पताल तथा उपकेन्द्रों पर दवाओं का अभाव तथा मुख्य लिपिक श्री एस0 एस0 पाण्डेय द्वारा दवाओं की खरीद में घपले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय, जिला शाहजहांपुर के सभी उपकेन्द्रों एवं जिला अस्पतालों में आजकल दवाइयों का पूरा तरह अभाव चल रहा है । जनता त्राहि-त्राहि कर रही है । जबकि सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों ने सूरा ट्रांसपोर्ट अजीजगंज, जयभारत ट्रान्सपोर्ट स्कूल डिस्पेंसरी, शाहजहांपुर आदि से लाखों रुपये की दवाइयां माह जुलाई, 1981 की विभिन्न तारीखों में लावारिस पिछले कई वर्षों से पड़ी हुई पकड़ी गई हैं । इन दवाइयों को न स्वास्थ्य विभाग ने उठाया और न ही ट्रान्सपोर्ट वालों ने उन्हें उठवाने की कार्यवाही की । लगभग 4 लाख रुपये की दवाइयां बेकार हो गयी । सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी घटना से पहले ही रिटायर हो चुके हैं । इस पूरे घोटाले कांड का हीरो श्री एम0 एस0 पाण्डेय मुख्य लिपिक, जिला अस्पताल अपने बार-बार स्थानान्तरण के बावजूद शाहजहांपुर में ही रिश्वत के बल पर ही रोक दिये जाते हैं । घोटाले के कागजों में से वह हेरफेर करना चाहते हैं क्योंकि यह लाखों की दवाइयां श्री पाण्डेय के रिश्तेदार ने बोगस फर्मों से पाण्डेय से खरीदवायी हैं ।

अतएव इस गम्भीर घोटाले की जांच तत्परता से करके जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों का परदाफाश करवाया जाय और इस घोटाले के हीरो श्री पाण्डेय का स्थानान्तरण रद्द न किया जाय ताकि निष्पक्ष जांच हो सके ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

एक मेरा बाढ़ के सम्बन्ध में था, उसे तो आपको स्वीकार कर ही लेना चाहिये था । मेरे शहर के लोग डूबे हुये हैं...

श्री अध्यक्ष—

केवल 5 ही स्वीकार हो सकते थे, बाढ़ पर जब चर्चा होगी तो उसमें आप भाग ले सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 1979-80 का प्रतिवेदन†

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 1979-80 वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 1978-79 (वाणिज्यिक)†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1978-79 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्तीय निगम के वर्ष 1979-80 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1979-80 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

सदन के पटल पर रखने वाले आइटम एक ही मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर श्री अध्यक्ष द्वारा आपत्ति

श्री अध्यक्ष—

इसके पहले कि मैं अगला आइटम लूं और उस पर बुलाऊं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि आप ही अनेक रूप में यहां प्रकट होते हैं लेकिन उसकी कोई सूचना मुझे पहले से नहीं होती । यदि कोई मंत्री न रहे तो उसकी मुझे सूचना तो मिल जानी चाहिये कि फलां मंत्री उसकी जगह पेश करेगा । अन्यथा यह उचित नहीं लगता कि किसी दूसरे मंत्री की जगह कोई और मंत्री पेश करे और मुझे सूचना न हो ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन किया जायेगा ।

पंचायत संस्थ ओं की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 1977-78†

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—)

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 1977-78 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा को सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान सभा सदस्य, श्री राम सागर की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना देनी है । जिला मैजिस्टेट, बाराबंकी । सब-डिवीजन मैजिस्ट्रेट, नवाबगंज, बाराबंकी ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 16 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री रामसागर, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी), भारतीय दण्ड विधान की धारा 147/186/427 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को जेल भरो आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए और कारागार भेजे गये ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी ने अपने वायरलेस सदेश दिनांक 16 सितम्बर, 1931, जो इस सचिवालय में दिनांक 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री रामसागर, सदस्य, विधान सभा, भारतीय दण्ड विधान की धारा 147/186/427 और क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किये गये और रायबरेली जेल भेजे गये ।

इसी सम्बन्ध में जिला मैजिस्टेट, बाराबंकी, सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, नवाबगंज, बाराबंकी ने अपने पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में उसी दिन प्राप्त हुए, में यह सूचित किया है कि श्री रामसागर, सदस्य, विधान सभा, को भारतीय दण्ड विधान की धारा 147/186/427 और क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत 16 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार करके रायबरेली जेल भेज दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, 1981 का प्रथम प्रतिवेदन†

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 1981-82 का, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (वाणिज्यिक) 1973-74 तथा 1974-75 पर आधारित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के सम्बन्ध में, प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1981–82) का विशेष प्रतिवेदन†

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय––

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1981–82) का, भारत सरकार द्वारा गठित टीम की रिपोर्ट "रिपोर्ट आन रिफार्म्स इन दी स्ट्रक्चर आफ बजट एण्ड एकाउन्ट्स" की संस्तुतियों के बजट आधार पर राज्य बजट को तैयार किये जाने के सम्बन्ध पद में विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

परगनाधिकारी, उतरौला (गोंडा) श्री प्यारे लाल लोई के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष––

श्री मसरूर जाफरी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 1 मई, 1981 को परगनाधिकारी, उतरौला, श्री प्यारे लाल लोई के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि दिनांक 30 अप्रैल, 1981 को उन्होंने श्री छोटे लाल, निवासी उतरौला, जिला गोंडा के शादी के प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार चीनी देने की संस्तुति सदस्य, विधान सभा के पैड पर लिखकर परगनाधिकारी उतरौला के पास भेजी थी । माननीय सदस्य की शिकायत के अनुसार जब श्री छोटेलाल और उसके एक साथी श्री साधू परगनाधिकारी के पास इस हेतु गये तो परगनाधिकारी ने पैड पर लिखी उनकी संस्तुति को फेंकते हुए यह कहा कि ऐसे पैड पर लिखित किसी संस्तुति का महत्व उनके लिए नहीं है और साथ ही अपशब्द भी कहे और इसके बाद जब श्री जाफरी स्वयं परगनाधिकारी के पास गये तो उनसे श्री परगनाधिकारी ने वही बात दोहराई और अपमानजनक व्यवहार भी किया । इस बारे में श्री जाफरी ने दिनांक 30 अप्रैल, 1981 को तार द्वारा भी सूचित किया था ।

इस सम्बन्ध में मैंने शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी, जो माननीय मुख्य मंत्री के पत्र दिनांक 27 अगस्त, 1981 द्वारा मुझे प्राप्त हुई है । माननीय मुख्य मंत्री के उक्त पत्र के अनुसार शासन द्वारा इस मामले की जांच जिलाधिकारी, गोंडा से कराई गई थी । शासन ने जिलाधिकारी की आख्या, श्री लोई का स्पष्टीकरण तथा घटना के समय उपस्थित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर उपर्युक्त मामले में श्री लोई का दोषी न होना कहा है । शासन ने यह भी जानकारी दी है कि श्री लोई का स्थानान्तरण उक्त जनपद से किया जा चुका है ।

श्री मसरूर जाफरी––

श्रीमन्, एक निवेदन है । इसमें मेरा अपमान हुआ है ।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठें, मेरा अपमान इसमें अधिक है कि मेरे कहने पर आप नहीं बैठ रहे हैं ।

(श्री मसरूर जाफरी के बैठ जाने पर)

†छापा नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने पत्र के साथ जिलाधिकारी, गोंडा की आख्या, श्री लोई के स्पष्टीकरण की प्रति तथा कथित घटना के समय उनके न्यायालय में उपस्थित कर्मचारियों, 6 वकीलों तथा 2 अन्य व्यक्तियों के बयानों की प्रतिलिपियां भी भेजी हैं। मैंने श्री जाफरी की शिकायत तथा शासन द्वारा भेजे गये सभी अभिलेखों को पढ़ा और अवगत हुआ। परगनाधिकारी, श्री लोई ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा है कि तथाकथित घटना दिनांक 30-4-81 को उस समय हुई जब ये अपने न्यायालय में वादों का निस्तारकरण कर रहे थे तथा इस बात से इनकार किया है कि माननीय सदस्य से इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया, बल्कि उनका यह कहना कि उन्होंने श्री जाफरी के साथ नम्रता एवं शिष्टतापूर्वक व्यवहार किया था।

इसी सदन में अध्यक्ष पीठ से इस आशय के निर्णय दिये जा चुके हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब किसी सदस्य को, सदस्य के नाते किए गए किसी कार्य के सम्बन्ध में या सदन या उसकी समिति में आते समय या वापस जाते समय या सदन या समिति में उपस्थिति के समय उत्पीड़ित किया जाय। श्री मंसूर जाफरी द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना में जिस कार्य का उल्लेख किया गया है वह इस आदरणीय सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित कार्य या सदन के सदस्य के नाते किये जाने वाले कार्यों की परिधि में नहीं समझा जा सकता है। सम्बन्धित अधिकारी का स्थानान्तरण भी हो गया है। अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड 23, श्री राजेश चन्द्र के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

(समय 12-30 अपरान्ह)

श्री अध्यक्ष—

श्री दीप नारायण, सदस्य, विधान सभा, ने दिनांक 2 मई, 1981 को अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड 23, श्री राजेश चन्द्र, के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दी है जिसमें उनका कहना है कि दिनांक 30-4-81 को ग्राम प्रधान अम्बिका सिंह के साथ ग्राम वासियों के विरुद्ध चल रहे नहर सम्बन्धी कुछ विवाद के सम्बन्ध में वे उक्त अधिशासी अभियन्ता से मिलने गये थे, और लगभग सवा 4 बजे जब वे उनके कार्यालय पर पहुंचे तो उन्होंने वहां बैठे 3-4 व्यक्तियों में से एक को अपने नाम व पद की स्लिप देकर अन्दर भेजा किन्तु 20 मिनट बीत जाने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजे पर पड़े पर्दे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिस पर बाहर बैठे अन्य व्यक्तियों ने बड़े ही अभद्र ढंग से बोलते हुये उनका हाथ पकड़ कर झटक दिया और कहा कि बिना इजाजत कोई अन्दर नहीं जा सकता और भद्दी बातें कहते हुए उन्हें अपमानित करने लगे। माननीय सदस्य की शिकायत के अनुसार इसी बीच श्री राजेश चन्द्र बाहर आये और उन्होंने उन व्यक्तियों को रोकने के बजाय उनसे कहने लगे कि आप जानते नहीं यह किसका कार्यालय है, तुम्हारे जैसे सैकड़ों विधायक गलियों में भटकते फिरते हैं तथा यह कहते हुए कि "मेरे पास तुमसे मिलने का वक्त नहीं है, चले गये।"

[श्री अध्यक्ष---]

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी । माननीय सिंचाई मंत्री मुझे इस सम्बन्ध में उक्त अधिशासी अभियन्ता की लिखित आख्या मूल रूप में, उक्त घटना के समय उपस्थित विभागीय कर्मचारियों के लिखित बयानों तथा माननीय सदस्य की संगत एफ0 आई0 आर0 और 1 मई, 1981 के एक पत्र की प्रतिलिपि के साथ भेजा है । इसमें उनका कहना है कि 30 अप्रैल, 1981 को लगभग 4 बजे, जब वे अपने कार्यालय में सरकारी कार्य कर रहे थे, श्री दीप नारायण, जैसा कि उनके ड्यूटी पर तैनात चपरासी ने बताया उनके कार्यालय आये थे । उस समय कुछ छात्र वहां उनके कमरे के बाहर अपनी मार्कशीट्स इत्यादि अटेस्ट कराने हेतु खड़े थे और श्री दीप नारायण को उक्त छात्रों से ही कुछ कहा सुनी हुई तथा उनसे कहा सुनी के बाद वे चले गये । उक्त अधिशासी अभियन्ता का कहना है कि माननीय सदस्य के वहां पहुंचने का पता भी उन्हें उक्त व्यक्तियों से लगा जो उस समय वहां खड़े थे तथा उनकी उनसे कोई बात नहीं हुई और नहीं उन्होंने इस सम्बन्ध में उनसे कुछ कहा ।

इसी सदन में दिनांक 5 जुलाई, 1980 को माननीय सदस्य श्री परमाई लाल द्वारा हरदोई के शहर कोतवाल और कुछ अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार के प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी गयी थी । उस समय अर्थात् दिनांक 4 अगस्त, 1980 को इस सम्बन्ध में मैंने अपने निर्णय में कहा था कि "विशेषाधिकार का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब किसी सदस्य को सदस्य के नाते किए गये किसी कार्य के सम्बन्ध में या सदन या उसकी समिति में आते समय या वापस जाते समय या सदन या समिति में उपस्थिति के समय उत्पीड़ित किया जाय । इस मामले में श्री परमाई लाल के पुत्र एवं उनके परिवार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किये जाने का आरोप है । इसमें ऐसा कोई आरोप नहीं है कि माननीय सदस्य को या उनके परिवार के किसी सदस्य को उनके द्वारा सदस्य के नाते किए गये किसी कार्य के सम्बन्ध में उत्पीड़ित किया गया हो, या उन्हें सदन या उसकी किसी समिति में आते समय या उससे जाते समय या सदन या उसकी किसी समिति की सभा में उपस्थिति के समय उत्पीड़ित किया गया हो ।" वर्तमान मामले में भी माननीय श्री दीप नारायण का आरोप इस आदरणीय सदन के सदस्य के नाते किए गये किसी कार्य से सम्बन्धित नहीं है । अतः इस मामले में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न निहित नहीं है और मैं इसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

जहां तक श्री दीप नारायण के साथ हुई अशिष्टता का प्रश्न है मैं यह अपेक्षा करता हूं कि शासन उक्त अधिशासी अभियन्ता के माननीय सदस्य के प्रति कथित अशिष्ट व्यवहार की जांच कराकर शीघ्र यथोचित कार्यवाही करें ।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

[समय 12-34 अपरान्ह]

श्री अध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 सितम्बर, 1981 की बैठक में विधान सभा के 18 सितम्बर, 1981 से

22 सितम्बर, 1981 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम की निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :—

सितम्बर, 1981	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—
18 शुक्रवार (अपरान्ह 2 बजे तक)	(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 आधा घंटा ।
	(2) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ते और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 आधा घंटा ।
	(3) उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (अस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981, आधा घंटा ।
(अपरान्ह 2 बजे से 5 बजे तक)	असरकारी सदस्यों के संकल्प ।
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
21 सोमवार	(क) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—
	(1) किंगजार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981—दो घन्टे ।
	(2) उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपतन) (संशोधन) विधेयक, 1981 (जैसा कि उ0 प्र0 विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है) एक घंटा ।
	(ख) लोक दल द्वारा चलाये जा रहे सत्य ग्रह आन्दोलन में सत्य ग्रहियों के सम्बन्ध में गृह मंत्री का वक्तव्य और 2 घंटे की चर्चा ।
22 मंगलवार	(1) नेता विरोधी दल और कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर (चर्चा) (3 घन्टा) ।
	"यह सदन उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करता है ।"

[श्री अध्यक्ष—]

(2) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी निम्नलिखित विषय की सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा—

"प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने हेतु किये जा रहे राहत कार्यों में शिथिलता ।"

(3) श्री हुकम सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी निम्नलिखित विषय की सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा :—

"प्रदेश के अधिकांश भाग में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति और उसका सामना करने में शासन द्वारा कोई कारगर कदम न उठाया जाना ।"

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसमें मेरा मान्यवर, आपसे एक निवेदन है कि वैसे तो यहां जब आपकी अध्यक्षपीठ से कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पेश की जाती है तो उसका विरोध नहीं किया जाता है और यदि विरोध किया जाता है तो उसको कार्य मंत्रणा समिति को रेफर कर दिया जाता है, यह सामान्यत, नियम में है । लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री रियासत हुसैन और श्री मोहन सिंह शायद कल जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई उसमें यह लोग नहीं थे, तो हो सकता है कि उनको सूचना न मिली हो । इसके पहले आपकी सेवा में प्रतिपक्ष के नेताओं ने एक पत्र आपको दिया था जिसमें यह प्रार्थना किया था कि इस समय, मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ से अत्यन्त प्रभावित है, वहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त है और लोग बाढ़ में फंस गये हैं जिससे वहां 5 रुपये की रोटी मिल रही है । सरकार द्वारा राहत कार्य नहीं हो रहे हैं । अतएव इस बाढ़ की विभीषिका की ओर मैं आपका, सदन का और शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, यहां हम सदन में बैठकर काम कर रहे हैं लेकिन इसके बाहर जनता की सेवा करना और राहत कार्य करना हमारा और सभी माननीय सदस्यों का परम कर्तव्य है । प्रतिपक्ष के सदस्यों ने इसलिये प्रार्थना किया था कि 21 और 22 सितम्बर को सदन स्थगित कर दिया जाय और जो कार्य इन दो दिनों में होना है वह आगे बढ़ाकर कर लिया जाय । इस प्रकार हम लोगों को 4 दिन जनता की सेवा करने का समय मिल जायेगा और माननीय सदस्य बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर जनता को राहत पहुंचाने का काम करेंगे । यही मेरी आपसे प्रार्थना है ।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, कल जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई उसका मैं विरोध नहीं करता हूं लेकिन उसमें हमारे कुछ साथी पहुंच नहीं पाये । मान्यवर, आपको हमारी ओर से एक पत्र गया था कि चूंकि इस समय बाढ़ की विभीषिका बहुत है जिससे हेलीकाप्टर से लोगों को रोटियां दी जा रही हैं । इसलिये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और जहां सूखा है वहां अपने-अपने क्षेत्रों में यदि विधायक पहुंच जायेंगे तो अधिकारी वर्ग जो शासन का है वह राहत कार्य पहुंचाने में चुस्ती ले आयेगा और विधायक भी मदद करेगा । इसलिये निवेदन किया था कि दो दिन सदन की बैठक हटा दें, परिषद् भी नहीं है, और इस काम को आगे बैठकर कर लें चूंकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस समय गम्भीर स्थिति है । चार दिन बाद माननीय सदस्य जायंगे तो बाढ़ हट जायेगी । इसलिये बाढ़ की बिभीषिका को ध्यान में रखते हुये और वहां राहत कार्य तेजी से हो सके इसलिये दो दिन सदन की बैठक हटा दें और बाद में काम कर लें तो ठीक होगा । यही मेरा निवेदन है ।

*श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से कल पश्चिमी जिलों को देखकर आया हूं । आधा प्रदेश सूखे से प्रभावित है और आधा पूर्वी प्रदेश बाढ़ से प्रभावित है । सरकार जो कार्य कर रही है, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंच जायेंगे तो शासन के कार्य में चुस्ती आ जायेगी और जो चीजें लोगों को दी जा रही हैं वह बंट जायेंगी एवं पानी और बिजली ठीक से उपलब्ध हो सकेगी । कल मैं बैठक में उपस्थित नहीं था और जैसा कि अभी कहा गया है कि पिछली बार काफी गड़बड़ घोटाला हुआ था तो वह अब फिर न होने पाये । इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा है, दो दिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय, जिससे 4 दिन का गैप मिल जायेगा जिसमें काफी काम हो जायेगा और बाद में सदन में बैठकर शेष काम को कर लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---

नेताओं ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था और निवेदन किया था तो उस पर भी कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष विचार हुआ था और उसके बाद यह कार्यक्रम बना है ।

इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि 22 को, मंगलवार को कुछ कार्यक्रम में परिवर्तन भी हुआ है और जो घोषणा हुयी है, उन कार्यक्रमों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है ।

श्री रियासत हुसैन---

तो क्या हम यह मान लें कि जो नेता विरोधी दल ने दरख्वास्त की थी वह टर्न डाउन हो गयी । हम लोग क्या यह मान लें ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं, पहले मुझको सुन लें ।

सबको सूचना भेजी गयी थी, जो वहां आये थे समिति की बैठक में उन सबके सामने विचार हुआ था और जो निर्णय हुआ वह पढ़कर सुनाया गया । 21 तारीख को 2 बजे फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, इसमें एक प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपने कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय की जानकारी दी है । प्रस्ताव संसदीय कार्य मन्त्री करने वाले हैं । आपसे हमारा कोई विवाद नहीं है । हम सत्ता रूढ़ दल से यह बात कहना चाहते हैं कि वह यह प्रस्ताव प्रस्तुत न करें । यदि शासन यह प्रस्ताव पेश करता है तो बहुमत से वह पास हो जायेगा । तो मैं यह समझूंगा कि राहत कार्य में जो शासन गड़बड़ी कर रहा है उसका हम अवलोकन न कर सकें इसलिये आप ऐसा कर रहे हैं । मान्यवर, हमारी डुअल रिसपांसिबिलिटी है । आदरणीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

सदन में जनता की आवाज उठाकर राहत कार्यों की समीक्षा करते हैं और अपनी पार्टी तथा अपने समर्थकों के बल पर जनता को सहायता देते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप दो दिन के लिये बढ़ा दें।

*श्री राजमंगल पान्डेय—

मान्यवर, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शासन दृढ़ है कुछ ऐसी बातों को न सुनने के लिये जो उसको सुननी चाहिये और विपक्ष यह अपेक्षा करता है कि अगर मुसीबत के वक्त कोई बात हम उचित करें तो उसको मान लेना चाहिये। इसमें क्या मतभेद है, शनिवार तथा रविवार को बैठक नहीं कर रहे हैं और इसके बाद दो दिन और न की जाय। सभी मानते हैं कि आधे सूबे में सूखा है और आधे में बाढ़ है। तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी चीज है जो शासन मानने में अपने को असमर्थ पा रहा है। जब विपक्ष निवेदन कर रहा है तो शासन को इन बातों को मान लेना चाहिये यह उनकी सहृदयता का परिचय होगा। मैं आपके माध्यम से पार्लियमेंटरी मिनिस्टर से अपेक्षा करूंगा कि वह इस चीज को खूबसूरती से मान लें कि 4 दिन के लिये लोग अपने क्षेत्रों में जांच और अपने क्षेत्रों में देखें। इस सम्बन्ध में जो त्रुटियां होंगी वह लोग यहां बतायेंगे और निवेदन करेंगे कि उनको ठीक किया जाय जिससे राहत कार्यों में मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप सबकी बातों को सुना। जब यह प्रस्ताव पेश होगा तब आप पुनः निर्दिष्ट कर सकते हैं कि यह कार्य मंत्रणा समिति में फिर जाय। प्रस्ताव पेश होगा और आप इसको पुनः निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करेंगे तभी वहां इस पर विचार होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पहले शासन अपनी नीति बता दें।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय राजमंगल पान्डेय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने बाढ़ के सम्बन्ध में बातें कहीं हैं। मान्यवर, बाढ़ आयी है और उसके लिये बराबर राहत कार्य हो रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी स्वयं गये थे, निरीक्षण के लिये। लेकिन जो दो दिन के बढ़ाने का प्रश्न है कि दो दिन और बढ़ा दिया जाय ताकि चार दिन में जो बाढ़ के क्षेत्र हैं, वहां जाएं तो इस सम्बन्ध में मुझे यह अनुरोध करना है कि उचित तो यही होगा कि 22 तारीख के बाद वहां जाएं और जब तक बाढ़ समाप्त न हो जाए तब तक वहां राहत कार्य एवं अन्य सहायता सम्बन्धी कार्य करें।

एक सदस्य—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को शायद यह पता नहीं है कि बाढ़ की गम्भीर स्थिति 3–4 दिन तक ही रहती है, इस तरह 22 के बाद जाने से उसका अर्थ क्या रहेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, शासन यह नहीं चाहता कि हम लोग बाढ़-पीड़ितों की कुछ सहायता करें और शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही को देख सकें और इस सम्बन्ध में शासन विरोध पक्ष की कुछ सुनना नहीं चाहता । इसलिए मैं अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित चले गये सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

शासन की इस हठधर्मी के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, नेता विरोधी दल की बात का मैं भी समर्थन करता हूं और बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी का मेम्बर होते हुए भी शासन की हठधर्मी के कारण मुझे भी सदन का त्याग करना पड़ रहा है ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम असरे वर्मा--

मान्यवर, विरोध पक्ष का एक सही सुझाव था, जिसको शासन अपने स्वार्थ के लिए ठुकरा रहा है (शोर) और विरोध पक्ष की भावनाओं का सम्मान न करने के कारण मैं भी सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, आज जो स्थिति पैदा हो गयी है, बिजनेस एडवाईजरी समिति के निर्णय को लेकर, वह कभी नहीं पैदा हुयी । कल मैं भी मीटिंग में था और प्रति पक्ष की ओर से जो ज्वाइंट लेटर दिया गया था, उसकी मैंने अकेले भरपूर वकालत भी की, परन्तु शासन दल ने उसे माना नहीं और यह स्थिति आज पैदा हो गयी । हमारा मान्यवर, शासन से सुझाव है कि वह यह प्रस्ताव न लाएं और अच्छा होगा जो दो बजे मीटिंग हो रही है कार्यमंत्रणा की उसमें फिर डिस्कस कर लें । माननीय अध्यक्ष जी हमारे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन की राय जान लें, यदि वह राजी हों ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ने ले लिया है, जिसमें स्वयं श्री भीखा लाल जी मौजूद थे और सारे प्रोग्राम में इनकी ताईद शामिल भी है, कोई ओर जबरदस्ती नहीं की गयी, इनकी अनुमति और सहमति से यह सारा तय हुआ और आज यहां ऐसी बात कह रहे हैं और मैं तो समझता हूं कि जो कार्य-मंत्रणा समिति का निर्णय है उसके अनुसार कार्यवाही की जाय ।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष जी, यदि ऐसी ही हठधर्मी की जायेगी और किसी दूसरे की कत्तई नहीं सुनी जायेगी तो मैं भी इस सदन का अपने दल के साथ त्याग करता हूं ।

(शोर)

(श्री भीखा लाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, जो आज चारों तरफ इस सरकार की नीति के कारण हाहाकार मचा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है, जिस प्रकार से अन्य दलों के माननीय नेताओं ने सदन का त्याग किया गया, मैं भी त्याग करता हूं ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड, तथा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

सदन को एक सूचना देनी है ।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के 4 सदस्यों तथा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के 2 सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है :--

1--नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 23 सितम्बर, 1981 को अपराह्न 4 बजे तक ।
2--नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय	दिनांक 24 सितम्बर, 1981 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) ।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड तथा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

3—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 13 अक्तूबर, 1981 को अपराह्न 4 बजे तक ।
4—निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान	दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान सभा मण्डल पुस्तकालय विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

2—उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा ।

3—इन निर्वाचनों के सम्बन्ध में नाम-निर्देशन-पत्र कार्यालय समय के भीतर विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष –

मुझे नियम 56 में 4 सूचनायें प्राप्त हुई थीं । पहली, श्री बलबीर सिंह की ड्यूटी एरिया टांडा, थाना टांडा, जिला रामपुर में दिनांक 6 सितम्बर, 1981 को गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में ।

दूसरी, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री जटाशंकर व श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की गुरसराय (झांसी) में शांतिप्रिय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठीचार्ज एवं गोली वर्षा किये जाने के सम्बन्ध में ।

तीसरी सूचना श्री माता प्रसाद पान्डेय की थी, जो कि जनपद बस्ती तहसील डुमरियागंज में भीषण बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में थी ।

चौथी सूचना माननीय श्री रियासत हुसैन व श्री अकबर हुसैन की जिला गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, रामपुर के क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति से उत्पन्न असंतोष के विषय पर थी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें । मेरे क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आयी हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

बाढ़ और सूखे पर तो चर्चा निर्धारित है ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, जब तक चर्चा होगी, तब तक तो सब बह जायगा ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 9 तारीख को बाढ़ आती है घोघोसोना डूब जाता है । हमने जिलाधिकारी को, एम0 डी0 एम0 को इसकी सूचना दी । कुल 200 गांव डूब गये, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है । हालत यहां तक पहुंच गयी है कि दो महिलाओं को प्रसव मचान पर कराया गया । ग्राम नवेल में एक महिला, जिसके घर में 6 फिट पानी भरा था, उसको किसी तरह बैलगाड़ी पर बैठाकर ले आया गया. . .।

श्री अध्यक्ष--

बाढ़ और सूखे पर जब चर्चा होगी, तब कहिएगा । आप बैठ जायं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, आज ही इस पर चर्चा करा दें, लोग पेड़ों पर बैठे हैं, छतों पर बैठेहैं ।

एक सदस्य--

अपने क्षेत्र में माननीय सदस्य ने क्या किया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

6 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ है . . .।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए ।

बाढ़ और सूखे पर चर्चा है, राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की नियम 51 में भी एक सूचना इसी विषय पर आयी थी और वह स्वीकार की गयी है, कार्य-स्थगन की सूचना अस्वीकृत की गयी है । माननीय माता प्रसाद पान्डेय तथा रियासत हुसैन की भी बाढ़ और सूखे पर थी, बाढ़ ओर सूखे पर चर्चा है, इसे अस्वीकार किया गया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बलबीर सिंह का टाउन एरिया का केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है । शेष कार्य-स्थगन की सूचनायें भी अस्वीकृत की गयी हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना दी है

इस पर तो सदन का निर्णय हो चुका है । आपका प्रस्ताव भयंकर बाढ़ और सूखा के कारण 21 और 22 सितम्बर के अधिवेशन को स्थगित करने का है, जिसका आशय दूसरा है और सदन के निर्णय के विपरीत है, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री राम स्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वह हैं नहीं, कहिये तो मैं कर दूं, बस दो मिनट लगेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

उनका अध्यादेश के निरनुमोदन का प्रस्ताव था आईटम नम्बर 15 पर और उन्होंने आपको प्राधिकृत नहीं किया है । अतः परिवहन मंत्री मद संख्या 16..।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981†

*सिंचाई तथा परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय । मान्यवर, इस अधिनियम, 1962 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (3-क) में, शब्द "यात्रियों के बीमा के प्रयोजनार्थ" के स्थान पर शब्द "दुर्घटनाओं की दशा में यात्रियों को सहायता देने के प्रयोजनार्थ" रख दिए जायं ।

[समय 12.55 बजे अपराह्न]

मान्यवर, यात्री कर का आयोजन था कि इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा दुर्घटना-ग्रस्त यात्री को कन्पेनसेशन दिया जायेगा । मान्यवर, इसमें यह देखा गया कि जितना दिया गया उसमें केवल जैसा कि 11-76 से लेकर 28-2-81 तक कि 2 करोड़ 5 लाख 35 हजार 573 रु0 प्रीमियम दिया गया, उसके अगेन्स्ट इन्श्योरेन्स कम्पनी ने 514 हजार का ही भुगतान किया जबकि 1 लाख 21 हजार का क्लेम बना है । इसी प्रकार मान्यवर, इन्श्योरेन्स कम्पनी से जितनी आशा की जाती थी, उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। जितनी उससे आशायें थीं, लेकिन वह हो नहीं पायी । इसलिए सरकार ने यह सोचा कि शासन खुद ही इसको करे और इसकी व्यवस्था करे, तो कम से कम काम तुरन्त हो । यह इसलिए किया गया कि जिससे उनको सहायता तुरन्त मिल सके और उनको दिक्कत न हो। एक नियम बनाकर उसको जल्दी से जल्दी पेमेन्ट कर दिया जाय ।

इसमें मान्यवर, यह है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है । जितने यात्रियों के एक्सीडेन्ट होते हैं, जिनका क्लेम बनता है, उनको सहायता जल्दी से मिल जायेगी । इसमें इन्श्योरेन्स कम्पनी जैसे लापरवाही करती थी, वह नहीं होने पायेगी । इसमें 2 करोड़ 5 लाख 33 हजार के हमने प्रीमियम का दिया, जो पेमेन्ट करना है । एक करोड़ 21 लाख 73 हजार और इन्श्योरेन्स कम्पनी को फायदा हो रहा है लगभग 83 लाख के । सरकार ने सोचा कि यह फायदा सरकार को ही हो और यात्रियों को जो असुविधा होती है तो उनको जल्द से जल्द पैसा मिल जाय । मैं समझता हूं कि यह जनहित में संशोधन लाया गया है, माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इस पर विचार करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, भारतीय संविधान और नियमावली में व्यवस्था है कि कोई ऐसा विधेयक आयेगा जो मनी बिल होगा, उसके साथ वित्तीय ज्ञापन होगा । उद्देश्य और कारण भी है, विधायनी शक्ति भी दी गई है और क्योंकि यह रकम जो

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

निगम अधिभार वसूल करता था वह प्रीमियम के रूप में इंश्योरेन्स कम्पनी को देता था । अब राज्य सरकार में डिपाजिट होगा, राज्य सरकार व्यय करेगी, आय भी होगी । और चूंकि आय भी और व्यय भी निहित हैं इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें वित्तीय ज्ञापन भी होना चाहिये ।

*श्री राज मंगल पाण्डेय--

इसके बारे में कोई विरोध तो नहीं है लेकिन एक स्पष्टीकरण चाहूंगा मंत्री जी से, मान्यवर, अगर आज्ञा हो । मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया उसके बारे में सब को खुशी होगी कि उन्होंने एक ऐसी चीज, जिसमें बहुत देर लगती थी पैसा मिलने में, सरल कर दी लेकिन एक नीति का प्रश्न है कि क्या मंत्री जी महसूस करते हैं कि उन संस्थाओं को जिनको सार्वजनिक हित में टेकओवर किया, लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन है, क्या अपनी नीति से हट रहे हैं कि समाज की सेवा का जो उत्तरदायित्व है क्या उससे अलग नई नीति का निर्धारण करना चाहते हैं और दूसरा क्या यह महसूस करते हैं कि यह नीति कारगर नहीं हुई लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन के माध्यम से, मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार ने नीति बनायी थी कि जिनका एक्सीडेन्ट हो जायेगा, सर--चार्ज लेकर, 5 प्रतिशत लिया जायेगा, वह जमा कर के उनको दिया जायेगा मैंने और बताया कि कहीं-कहीं वर्षों लग जाते थे । टाइम से नहीं मिलता था, सरकार की बदनामी होती है इससे । तो सरकार की जिम्मेदारी है कि टाइम से कम्पेसेशन दिलवायें । अभी जो घटना घटी उसमें मैंने तुरन्त आदेश भिजवा दिये कि 20--20 हजार रुपये तुरन्त दे दिये जायें । इंश्योरेन्स कम्पनी इसमें काफी समय लगा सकती है और दूसरी बात यह है कि जो आय हो रही है सरकार को, तो क्यों बिना मतलब के जो लम्सम पैसा हम जमा करते हैं, क्यों इंश्योरेन्श कम्पनी को दिया जाय । इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा काम किया जाये जिससे सरकार को हानि हो और पैसेन्जर को टाइम से पैसा न मिले।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मंत्री जी के उत्तर से आभास होता है कि जो एल0 आई0 सी0 को टेक--ओवर किया वह गलत रहा, जिस कार्य, सिद्धांत के लिए किया वह विफल रहा। तो क्या वह अपनी कोई नीति में परिवर्तन कर रहे हैं, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो क्या उस नीति को बदल कर कोई विचार करेंगे ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, वह विचार करके, सोच--समझ कर किया गया है और यह जनहित में किया गया है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। यह कहा गया कि यह जनहित में किया गया है लेकिन क्या इसे इसलिए टेक ओवर किया गया था कि वह उद्देश्य सफल नहीं हो रहा था। मान्यवर, यह एक नीति की बात है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्या मैं यह समझ लूं कि उन सारी संस्थाओं को जिनको यह कार्य दिया गया था उन सबको बदल कर मंत्री जी ने कोई नई नीति निर्धारित की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कोई नई नीति नहीं अपनाई जा रही है। ऐसा सुविधा को देखते हुए किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की आपत्ति थी कि इसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया गया। मैंने इसको देखा इसमें यह है कि पहले जो पैसा इन्श्योरेंस में जमा होता था वह सरकार अपने पास ले रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, संविधान का अनुच्छेद 199 (सी) पढ़ लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें।

नियम 118 में स्पष्ट है कि जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा, जो विधेयक के विधि के रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।

नियम 118 मात्र जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो उसके सम्बन्ध में है। इसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है और यह कम्पनसेशन जो देंगे इसके लिए पहले से प्राविधान है। वह पैसा जो जीवन बीमा निगम के पास जा रहा था, वह इनके पास आयेगा और अब सरकार उसे देगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जैसा कि कल विज्ञापन में कर सम्बन्धी ज्ञापन दिया गया था वैसे ही इसके लिए भी देना चाहिए था। यही मेरी आपत्ति है। आप 199 (बी) देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, आप बैठ जायें। मैंने 199(क), 199 (ख) सब देखा और देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसका प्रस्ताव नियमित है और अब कृपया आप अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

माननीय, ऊपर से देखने में तो इस विधेयक में कोई नई चीज नहीं मालूम होती जैसा कि मा0 परिवहन मंत्री जी ने कहा है लेकिन इसमें शासन की नीति परिलक्षित होती है। वर्मा जी इस समय मौजूद नहीं हैं, उन्होंने तो यह प्रस्ताव भी कर दिया था कि यह जो विधेयक है, यह आर्डिनेन्स के द्वारा प्रख्यात किया गया और आर्डिनेन्स के बारे में क्या कहूं उससे तो आप अच्छी तरह विदित हैं कि आर्डिनेन्स किन परिस्थितियों में आता है। इस विधेयक में जो व्यवस्था है उसी को आप कार्य रूप में दे रहे हैं। आप रूप भेद कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या अपरिहार्य परिस्थिति थी जिसके कारण आप संविधान में प्रदत्त विधान का उपयोग न करके विधान की अवमानना कर रहे हैं। शासन के दिमाग में संसदीय पद्धति के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। कोई अपरिहार्य कारण होने पर ही राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अधिकार अपने हाथ में लेता है और मंत्रिमंडल को सलाह देता है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई अपरिहार्य परिस्थिति नहीं थी, इसलिए मैं मूल रूप में इसका विरोध करना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री राजमंगल पांडेय जी ने पहले ही इंगित कर दिया कि यह नीति का प्रश्न है। मैं पूछता हूं कि शासन के दिमाग में यह बात कैसे आयी मुझे तो आश्चर्य होता है। आपको चाहिए कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस बारे में लिख कर भेज दें कि केन्द्र सरकार की नीति बीमा कम्पनियों को अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में क्या है। क्या यह सही नहीं है कि गरीब किसान व सर्वहारा वर्ग की तरफ से कृषि फसल बीमा योजना की मांग बराबर की जाती रही है लेकिन उस पर आपने इसलिए अधिक जोर नहीं दिया क्योंकि प्रीमियम देना पड़ता और उससे कोई आमदनी नहीं होती। लेकिन बार-बार आपत्ति करने पर भी सरकार बीमा कम्पनी जैसी एजेन्सी से यह काम अपने हाथ में लेने को तैयार है और आमदनी के लिए अपनी नीति में परिवर्तन करने को तैयार हो गयी है।

श्रीमन्, इसके लिए कोई सिद्धान्त व नीति तय नहीं है कि सरकार अधिनियम बना देगी तो उसके रूल्स तुरन्त बन जायेंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत से अधिनियम ऐसे हैं जिनके वर्षों तक रूल्स नहीं बन पाये, न जाने कितनी सर्विसेज रूल्स नहीं बन पाये। इस तरह से वर्षों निकल सकते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि इसके रूल्स जल्द से जल्द बन जायेंगे। धनराशि के बंटवारा का सिद्धान्त क्या है। गणतंत्र में शासन की तरफ से इसके लिए सही व्यवस्था होनी चाहिये। एक मानक होना चाहिए कि दुर्घटना होने पर किसको किस तरह से पैसा मिलेगा। उसके लिए अभी तक कोई नियम नहीं बना हुआ है। अगर कहीं भी दुर्घटना हो जाय तो उसकी सूचना शासन के पास तुरन्त होनी चाहिए। आज होता यह है कि कहीं दुर्घटना हो जाती है तो लोग दौड़ते-दौड़ते परेशान हो जाते हैं लेकिन कम्पेनसेशन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। यह बात दूसरी है कि अभी जो दुर्घटना हुई उसकी सूचना सरकार को न जाने कैसे इतनी जल्दी मिल गई और सरकारी कोष से रुपया भी चला गया। तो चेहरे को देख-देख कर अगर पैसा देने की बात होती है तो यह एक गम्भीर भ्रष्टाचार की बात होगी। इसमें लिखा है निर्दिष्ट सहायता की धनराशि को अवधारित करने के सिद्धान्त और उसका भुगतान करने की रीति नियत करना। लेकिन अभी तक इसके लिए कुछ नहीं किया गया है। इसीलिए मैं इस विधेयक को 15 दिन के लिए प्रवर समिति में भेजने की बात कह रहा हूं ताकि इन नियमों के बारे में प्रवर समिति के अन्दर सही तरीके से विस्तृत रूप में विचार हो सके कि इसका आधारभूत सिद्धान्त क्या होगा, इसकी एक पृष्ठभूमि

तैयार कर दी जाय। वरना दो चार वर्ष तक नियमों के बनने में ही लग जायेंगे। माननीय मंत्री जो ने जल्दबाजी में इस विधेयक को लाने की कोशिश की है और मैंने स्वयं मंत्री जी से मिल कर शिकायत की है कि आज न जाने कितने रूट्स पर ऐसी बसेज चल रही हैं जिनके लाइसेंस नहीं हैं।

सीतापुर के बारे में जानता हूं। एक दिन मैं सीतापुर से खैराबाद आ रहा था तो मैंने देखा कि बस पर सवार यात्रियों से कंडक्टर पैसा तो ले रहा था लेकिन उसे टिकट नहीं दे रहा था उसने कहा कि बाबू जी आप, चार-छः लोग चले चलिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा मामला क्या है। यह आप को मालूम है नम्बर दो की बस है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। पीछे से डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की कार आ रही थी। मैंने कहा मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, इस भ्रष्टाचार के साथ और मैं बस से खैराबाद में उतर गया मैं वहां खड़ा रहा। डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की कार आ रही थी। मैं उनकी कार में लखनऊ आया। यहां मुझे लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेना था। मुझे सूचना मिलती है कि जांच हो रही है जब कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने मुझे स्वयं बताया कि उसी नम्बर की बस का एक दिन चालान हो चुका है। बस के चालक को लखीमपुर के एक बड़े राजनीतिज्ञ का संरक्षण प्राप्त था। यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपने सुरक्षा की गारण्टी उनके लिए कर दी जो इस प्रकार की नम्बर दो बसों को, चला रहे हैं, अनधिकृत रूप से बसें चला रहे हैं। इनकी रोक-थाम की कोई व्यवस्था नहीं है।

इन शब्दों के साथ जो दो-तीन मुद्दे मैंने पेश किए हैं इन पर विचार करते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिससे इस पर पूर्ण रूप से विचार हो सके।

*श्री खैरुल बशर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं, इसलिए कि लाइफ इन्श्योरेन्स की जो पालिसी है उसके मुकाबले में रोडवेज एक दिवालिया संस्था है। और जो आपको पैसा इकट्ठा करने की बात है मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूं कि अनधिकृत बसें चल रही हैं। पन्द्रह हजार रुपये का नुकसान आजमगढ़ में हुआ है आपकी गाड़ियां इतनी टूटी-फूटी हैं कि काफी जाने लेंगी। इन हत्याओं क भुगतान लाइफ इनश्योरेन्स कारपोरेशन नहीं कर पायेगा इसलिए कि आप क संस्था खुद दिवालिया हो रही है। ऐसी सूरत में इस भाव से यह बिल लगाया जा रहा है कि पैसा न देना पड़े और पैसा हड़प जाय। एक दो जगह दे देंगे। इनके कार्यालय की हालत क्या है ? आजमगढ़ में एक कर्मचारी है। वर्कशाप में 500 लीटर डीजल पकड़ा गया। एक आदमी मुअत्तल किया गया। मैंने इसी बिधान सभा में कहा पिछले सत्र में कि इस की जांच की जाय। अभी तक कोई जांच नहीं की गई। अनेक कर्मचारी मुअत्तल कर दिये जाते हैं जब डीजल की चोरी पकड़ी जाती है लेकिन उसकी कोई जांच नहीं होती। मैं मांग करता हूं इस सदन में कि इसकी जांच नहीं होती। इसलिए मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। रोडवेज विभाग बिल्कुल दिवालिया हो गया है, बिड़ला के हाथ में सौंपने का षड़यन्त्र कर दिया गया है। इससे सावधान रहना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी माननीय सदस्यगणों ने जिन तर्कों को दिया उनमें मैं नहीं समझता कि कोई नई बात कर रहे हैं। सरकार की मन्शा बिल्कुल साफ है। जनहित में यह काम किया जा रहा है। लोगों को, यात्रियों को, जल्दी कम्पेन्सेशन कैसे मिल जाय, समय पर मिल जाय, जितना मिलना चाहिये वह मिल जाय इसकी व्यवस्था की जा रही है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार नीति से अलग हो रही है। नीति वही है। सुविधा देने की बात है। सारी बातें सोच विचार कर की गई हैं और बातें करने की आवश्यकता नहीं है इस लिये जो तर्क इसमें दिये गये हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है अतः इसको पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर)(संशोधन) विधेयक, 1981

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर)(संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) यह 1 अप्रैल, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 8, सन् 1962 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (3-क) में, शब्द "यात्रियों के बीमा के प्रयोजनार्थ" के स्थान पर शब्द, "दुर्घटनाओं की दशा में यात्रियों को सहायता देने के प्रयोजनार्थ" रख दिये जायेंगे।

धारा 30 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(कक) धारा 3 की उपधारा (3-क) में, निर्दिष्ट सहायता की धनराशि को अवधारित करने के सिद्धान्त और उसका भुगतान करने की रीति, नियत करना,"।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, सन् 1981

4--(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) निरसन और (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कर्म या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कर्म या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय।

श्री राम आसरे शर्मा--

इस पर मेरी आपत्ति सुन लें....

श्री अध्यक्ष--

अब क्या आपत्ति हो गई ?

श्री राम आसरे वर्मा--

नीतिगत बात है और इसी विधेयक से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्ताव हो गया, विचार हो गया और विचार के लिये स्वीकृत हो गया, तब क्या नीतिगत बात है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

पारित होने के पहले मैं आपत्ति कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981†

[समय 1'23 अपराह्न]

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिज़वी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, सन् 1952 में जो मन्त्रियों के भत्ते और सुविधाओं के सम्बन्ध में मूल अधिनियम बना था उसमें समय-समय पर बहुत से परिवर्तन होते रहे हैं । बहुत से राजकीय आदेशों द्वारा उनको सुविधायें दी गई और जिन-जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती गई राजकीय आदेशों द्वारा उनका प्राविधान किया गया । इसके अतिरिक्त एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से भी उनके बारे में आपत्ति उठाई गई थी साथ ही हमारे सदन का जो प्रतिनिहित विधायन समिति है उसमें भी आपने चतुर्थ प्रतिवेदन में इसके सम्बन्ध में आपत्ति उठायी थी । उसके बाद यह समझा गया कि उनके सम्बन्ध में जो चीजें हैं उनको कन्सोलिडेटेड तरीके से एक अधिनियम लाकर सम्मानित सदन के सामने लाया जाय । इसमें वे सभी सुविधायें और अन्य चीजें जो उनको दी जा रही हैं उन्हें एक कन्सोलिडेटेड रूप में रखा गया है ताकि अलग-अलग आदेशों द्वारा जो कार्यवाही की गई है उनके लिए एक अधिनियम बनाया जा सके । पुराने 1952 के अधिनियम में कुछ खामियां थीं जैसे मन्त्रियों या डिप्टी मिनिस्टर्स की उसमें डेफिनिशन नहीं दी गई थी लेकिन अब इसमें कर दिया गया है। इसी तरह से डिप्टो मिनिस्टर्स को जो अब गाड़ियां देने का प्राविधान किया गया है, अन्य चीजें हैं वे सब इसके अन्तर्गत ले ली गई हैं और पूरे एक कन्सोलिडेटेड तरीके से वह सम्मानित सदन के सामने है । कोई नई चीज इसमें नहीं की गई है । कोई नयी सुविधा किसी मन्त्री को या उप मन्त्री को मैं सम्मानित सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें नहीं दी गयी है बल्कि पुरानी जो सुविधायें हैं उनको एक जगह पर करके एक बिल की शक्ल में सम्मानित सदन में पेश किया गया है । तो मैं समझता हूं कि जब कोई नयी सुविधा नहीं दी गयी है किसी प्रकार की कोई नयी सहूलियत नहीं दी गयी है, कोई वृद्धि नहीं की गयी है फिर प्रवर समिति में भेजने का सवाल नहीं होता है । मैं निवेदन करूंगा सम्मानित सदन और सम्मानित सदस्य से जिन्होंने संशोधन दिया है इसे पारित करें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्त्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने पुराने नियमों को अधिनियमित करने की नियत से यह विधेयक रखा है और पुराने नियमों को आधार बना कर यहां तक तर्क दे डाला कि इसे प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है । मैं माननीय

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1681 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

मन्त्री जो का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि पुराने नियमों में भी कोई कमी, कोई गलती थी तो यह ऐसा अवसर है कि उनको सुधार लिया जाय और उस सुधार को नियत से हमने यह प्रस्ताव रखा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि गहन दृष्टि के साथ अध्ययन करके इस विधेयक को यहां लाया जा सके ।

मान्यवर, आप देखें एक तरफ मन्त्रिगणों को साज-सज्जा और सुख सुविधायें हैं यह किसी से छिपी नहीं है, कितना धन साज-सज्जा पर खर्च किया जाता है यह भी सब जानते हैं। मान्यवर, दूसरी तरफ धारा 6(1) देखें जिसमें उनको यात्रा भत्ता आदि दिया जाना है। मन्त्री हो, राज्य मन्त्री हो या उपमन्त्री हो या उसको स्थल, वायु सड़क से जाने की व्यवस्था कर दी गयी है । कहीं भी वह जाये यात्रा-भत्ता उनका बनता रहता है और मान्यवर, इसके साथ-साथ विधान मंडल के सदस्यों के लिए जो प्राविधान किया गया है निर्वाचन क्षेत्र भत्ते का, इसमें गलती से शायद 5 सौ छपा है एक हजार होना चाहिये, वह भी उनको मिलेगा । कोई मंत्री शायद यहां पर ऐसा हो जो यह कहे कि जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र या अपने जिले में जाऊंगा उस समय सरकारी भत्ता जो मंत्री के रूप में मिलता है उसे नहीं लूंगा । इस तरह का शायद कोई मंत्री नहीं होगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

मैं सूचना देना चाहूंगा मेरे टी० ए० बिल उठाकर देख लें मैं जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं कोई चार्ज नहीं करता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री जो भी हैं एक कदम भी बढ़ाते हैं तो उनका भत्ता बन जाता है उसके साथ-साथ उनका निर्वाचन भत्ता अलग होता है । तो दोहरे भत्ते की व्यवस्था इस विधेयक के तहत कर रहे हैं । मंत्री जी इसको यह कहें कि कोई त्रुटि पुराने नियमों में नहीं थी तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं । मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितने दिन रहते हैं अगर ज्यादा दिन वह वहां रहते हैं तो फिर वह अपने मंत्रीपद को निभाने में कमी करते हैं अगर मंत्रीपद निभाने की कोशिश करते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र से अपने आप दूर रहना पड़ेगा । विधायकगण तो सदन की कार्यवाही के बाद सदैव अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमते हैं इसलिए उनके लिए इसका औचित्य है लेकिन मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री जो यहां रहते हैं उनको यह भत्ता जो विधायकों को मिलता है वह भी दिया जाता है और दूसरा यात्रा भत्ता भी दिया जाता है । उनका ही भत्ता नहीं बनता बल्कि जब वह जाते हैं तो उनके साथ उनके परिवार के कितने लोग जाते हैं । तो इस तरह की विसंगति इस विधेयक में आई है । और जब प्रवर समिति के सुपुर्द इसे कर दिया जाये, तो और भी छोटी-मोटी बातें सामने आयेंगी । इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है, जिससे इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके एक ठोस विधेयक के रूप में यह इस सदन में लाया जाये । एक सप्ताह का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है । पता नहीं कब तक यह सदन चलेगा । अभी दो दिन बाद जब स्थगित करने की बात आई थी, तो आपने कह दिया कि आप हमेशा-हमेशा के लिए चले जायेंगे । तो आप इसे हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें । मंत्रियों के बारे में जो चर्चायें प्रदेश की जनता के बीच में होती हैं, उनसे बचें । इस दृष्टि से अच्छा होगा कि वह इस पर विचार कर लें और इसे मान लें । उनके इस कदम की जनता सराहना करेगी । नहीं मानते हैं तो जनता इनको इसका फल देगी ।

*श्री मित्र सेन—

जो विधेयक यहां पेश किया गया है और उसमें वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किय हैं, उसके समर्थन में मुझे भी कुछ कहना है । विगत वर्षों में उस तरफ बैठने वाले इस तरफ बैठते थे, तो हमने देखा कि जनता पार्टी की आलोचना इन्हीं विषयों पर करते थे और यहां एक अ दर्श प्रस्तुत करते थे कि मितव्ययिता बरतनी चाहिये । लेकिन जब वे उधर चले गये तो आंख का उनका चश्मा बदल गया । पत नहीं उस तरफ कुर्सी में क्या बल है या शक्ति हैं ? हम रे मंत्री जी ने जो पेश किया है वह विभिन्न रूपों में प्रस्तुत हुआ करते हैं, अध्यक्ष जी ने अभी वह भी कहा हैं । जनता प र्टी वालों ने अपने उप मंत्रियों के लिए ग ड़ी आदि की व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन यह आते-आते वह कर दिये तथा अन्य भी सुविधायें उन्हें दे दीं । तो मितव्ययिता जो उन्हें अपनानी चाहिए थी . . .

श्री उपाध्यक्ष—

और सुविधाओं से आपका क्या मतलब है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

श्रीमन्, यह आप पर्दे के पीछे रहनें दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप अपने पर्दे को कायम रखिये ।

श्री मित्रसेन—

जैसे इनका सम जव द बुर्के में है, वैसे ही मैं इसको भी रहने देना चाहत हूं, उसको ब हर नहीं लाना चाहता हूं कि जहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हों, जीवन गुज र रहे हों, उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि यह रास्ता अपन या ज ये । यह प्रदेश की जनत के लिए बेहतर होगा । वह मंहग ई, बाढ़-सूखा से आ पदाओं से कर ह रही है, उसपर ध्यान देकर यह अपनी सुख-सुविधाओं के लिए मांगें प्रस्तुत कर रहे हैं । ऐसा लगता है कि आज लूटो-खाओ की नीति चल रही है । हम ऐसे सारे नियमों और विधेयक को पास करते जा रहे हैं जिसमें लूटने खाने की पूरी छूट है । तो मैं इस विधेयक में संशोधन का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से च हता हूं कि वह इस प्रवर समिति में भेज कर फिर से विचार कर लें। यह प्रदेश की जनता के लिए बड़ी आपत्तिजनक चीज है । अभी पे-कमीशन की रिपोर्ट इतने दिन हुए लागू नहीं की गई है, जिससे जनता और राज्य कर्मचारी काफी असन्तुष्ट और आन्दोलित है । इस बारे में तो सरकार को स्वयं विचार करना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ में संशोधन विधेयक को बल देता हूं ।

*श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं । मैं मान्यवर, यह चाहता हूं कि इस सरकार की छवि न बिगड़े और जनता में जो यह भ्रम हैं कि आप (सरक र) पैसा हड़पने में कितने माहिर हैं, यह सही साबित न हो । इसलिये थोड़ा सा धीरज से काम लीजिये । आपका विशाल बहुमत है, आप जो च हेंगे वह कर लेंगे, लेकिन आप जन भावन ओं का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदर करते हुये करिये । आप ऐसा कार्य न कोई करें जिससे कि मंत्रिमंडल के सम्मान में कोई धब्बा लगे । और आपके साथ-साथ हमें भी बदनामी उठानी पड़े । इसलिये मैं इस संशोधन प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं । मैं समझता हूं माननीय अम्मार रिजवी साहब के दिल में अपोजीशन के लिए आदर और जगह है, वे उसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपको इनकी छवि आज कुछ ठीक नहीं लग रही है ।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा--

जब से इंगलैंड गये हैं तब से घूमिल ला रही है ।

(हंसी)

*श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं । आज जब कि प्रदेश में एक ओर राज्य कर्मचारी अपने वेतन के सम्बन्ध में मांग कर रहे हैं, एक तरफ सूखा पड़ रहा है, एक तरफ सैलाब और बाढ़ आ रही है, तो ऐसे समय में माननीय मंत्री जी को ऐसा विधेयक लाना मुनासिब नहीं है । इनकी छवि तो धूमिल हो चुकी है । यह तो खुद परेशान हैं, सोचते हैं जो मिले लूट लो, क्योंकि यह समझ रहे हैं कि इनको अब लौट करके आना नहीं है, जनता दोबारा इनको नहीं आने देगी । मैं चाहता हूं कि आज प्रदेश की जैसी परिस्थिति है, उसमें इस बिल को लाना उचित नहीं है । आज प्रदेश की जनता आपको अच्छी निगाह से देखती नहीं है । इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, आज बड़ी दुविधा की स्थिति है । माननीय रामआसरे वर्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे उधर की नीयत के बारे में कोई शुबहा नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह बिल इनड्राफ्टेड है । कौन हड़प रहा है, कौन हड़पने वाला है, यह अलग चीज है । इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे । लेकिन जब माननीय मंत्रियों को यह सुविधा उपलब्ध है कि वे एक्चुअल एक्सपेन्सेज को लेने के लिये अधिकृत हैं, जिसके कि हम विधेयक लोग नहीं हैं, तो इसकी क्या जरूरत आ पड़ी । जो कान्सटीट्यून्सी एलाउन्स हमें मिलता है वह सब यह लेते हैं । उसके भी वे हकदार हैं । इसके अलावा अगर आप कुछ और उपलब्धियां चाहते हों तो आप बिल ले आयें, हमें एतराज नहीं है, लेकिन वह उपलब्धि समय के अनुसार और आपकी प्रतिष्ठा के अनुसार हो । लेकिन असुविधाजनक स्थिति वह मत पैदा करें । मैं तो यह कहूंगा कि जहां तक अगर वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, इस बिल को ठीक से ला करके जो देना चाहें वह दें, हमें कोई एतराज नहीं है, मैं उस वक्त माननीय वर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें । इसलिये मंत्री जी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज मंगल पाण्डेय---]

में निवेदन करूंगा कि इसको वह विदड्रा करके एक नया बिल, जो कि ठोक-ठाक हो, मंत्रियों की प्रतिष्ठा के अनुसार जो हो, वह बिल लायें और वह कंस्टीट्वेंसी एलाउन्स न लेकर, अन्य सुविधा लें जो कि एक मंत्री के लिये उपयुक्त हो जिससे कि वह ईमानदारी से रह सकें, उसको वह लें ।

(श्री धरमपाल का नाम पुकारे जाने पर)

मंत्री जी और कोई कम्प्रीहेंसिव बिल इस सम्बस्ध में ले आवें, तो मैं राम आसरे वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय धरमपाल जी, माननीय राज मंगल पाण्डेय जी के सुझाव से आप सहमत हों, तो आप बैठ जायं ।

श्री धरमपाल---

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी उससे एग्री कर रहे हों, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

अम्मार साहब को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह अपनी उपलब्धियों के बारे में संकोच न करें ।

श्री धरमपाल---

मान्यवर, कैसे यह समाजवादी भाई हमारे जो मंत्री सरकार में बैठे हुए हैं, वे अपनी सुविधाओं की तरफ ध्यान देने के बजाय प्रदेश की जनता की तरफ ध्यान देते तो बहुत अच्छा होता । मान्यवर, अन्य दलों की सरकारें भी रही हैं, किसी भी शासन ने अपने उप मंत्रियों को गाड़ी नहीं दी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक दिन एक उप मंत्री से यह वादा किया कि हम आपको गाड़ी देंगे । उसी के बाद उप मंत्रियों को गाड़ियां दे दी गयीं । एक-एक उप मंत्री के ऊपर डेढ़-डेढ़ हजार रुपया गाड़ी पर ही खर्च हो रहा है । मान्यवर, बड़ा दुःख होता है कि क्षेत्रीय भत्ता, अपने क्षेत्र में वह नहीं रहते, प्रदेश की सरकार को वह चलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा महीने में एक या दो दिन वह अपने क्षेत्र के लिए समय देते होंगे । उस हिसाब से तो उन्हें भत्ता 60 रुपया होता है । मान्यवर, अगर ये अपने विधायक की हैसियत वाला भत्ता लें, तब तो वाजिब है । लेकिन एक हजार रुपया लेंगे, कोई वाजिब नहीं है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी जितने दिन अपने क्षेत्र में रहें, जो भी इस हिसाब से उनका हिस्सा पड़ता हो, वह ले लें, हमें कोई एतराज नहीं है । मान्यवर, इसकी निगरानी करने के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, एक लाइन में निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको लाइनों का तो अन्त ही नहीं हो रहा है

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो चर्चा हुई है, उसका जवाब देने का तो हमें अधिकार है ही, मान्यवर, मननीय पण्डेय जी ने जो बात कहीं है उसी को दुहराना चाहता हूं। आप अनुमति दे दें तो कहूं।

श्री उपाध्यक्ष—

दुहराने में पता नहीं लम्बान कितना बढ़ा दें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस विधेयक के 6–1 के अन्तर्गत मंत्रि परिषद् के सदस्यों, मंत्रियों राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, को भत्ते के सम्बन्ध में असीमित अधिकार दिया गया है, उसकी सीमा नहीं है। एक तरफ असीमित अधिकार दूसरी तरफ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, तो जैसा पाण्डेय जी ने कहा है अगर मंत्री जी उनकी बात मान लें तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूं।

श्री अम्मार रिजवी—

सबसे पहले मैंने जो बात कही, उसी को दुहरा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी अपनी छबि लोगों के सामने लायें।

श्री अम्मार रिजवी—

छबि के सम्बन्ध में जब खैरुल बशर साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मंत्री जी को आपकी छबि पसन्द है, हम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहते।

श्री अम्मार रिजवी—

शक्ल दे ना तो दूर रहा हम तो यह चाहते हैं कि आप इधर शोभा बढ़ावें यह तो बदकिस्मती है कि आप उधर बैठे हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा इसमें कोई नई चीज या नई बात नहीं की जा रही है। सन् 52 से आज तक समय–समय जो भी राजाज्ञायें हुईं, उन सबको एक जगह किया जाना जरूरी है।

श्री राम आसरे वर्मा—

हां या न में कह दें, समय बच जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी--

वर्मा जी, सब बात को हां, न में तय करते हैं। मान्यवर, प्रतिनिहित विधायन समिति का फैसला था कि एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाय, महे लेखाकार कार्यालय से बार-बार रिमाइन्डर आता रहा कि एक बिल सम्मनित सदस्य के के समक्ष रखा जाय। मान्यवर, आज तक जितनी राजाज्ञायें जारी को गयी हैं, उनको सदन के समने रखा गया है और उस पर माननीय सदस्यों का एप्रूवल लिया जाना है। कोई बढ़ोत्तरी या सुविधा की बात नहीं की जा रहा है। जहां तक उप मंत्रियों को गाड़ी देने का प्रश्न है, उनको पहले भी यह सुविधा प्राप्त थी, बाहर जाने के लिये वह गाड़ी ले सकते थे, शहर के अन्दर जरूरत पड़ने पर गाड़ी ले सकते थे, जो पब्लिक सेवा करते हैं, हमारा जो गजटेड अफसर है 900, 1,000 रुपया वेतन पाता है और उप मंत्री के अन्डर में आता है वह तो स्टेशन से सरकारी गाड़ी में चला आये और उप मंत्री उसके पीछे आये, यह तो सबकी मर्यादा का सवाल है। किसी पार्टी का सवाल नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

यह ज्ञान कब से आया। कांग्रेस में तो आज से हैं नहीं, मेरे साथ भी मंत्री रहे हैं। यह सारा ज्ञान और बुद्धि कब से आ रही है।

श्री अम्मार रिजवी--

जिस वक्त से राज मंगल पाण्डेय जी ने उधर से मार्गदर्शन देना शुरू किया, सारा ज्ञान आ गया। इस वजह से तमाम चीजें की गई हैं ताकि जो पब्लिक सेवा में लोग लगे हैं उनको सुविधा दी जाय और वह सही तरीके से समाज सेवा कर सकें। जहां तक असीमित अधिकार की बात कहीं गई, जो चाहे चार्ज कर सकते हैं। पाण्डेय स्वयं मंत्री रहे हैं। मंत्रियों के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, कोई भी मंत्री इस बात का प्रयास नहीं करता है कि जो खर्चे उसने किये हैं उसके अतिरिक्त वह बढ़ा चढ़ाकर लिखें। चूंकि ऐसा करते हैं तो उसका सारा विवरण होता है जिसको सभी देखते हैं। इसलिये कुछ हमारे सामने प्रतिबंध हैं, कानून के जरिये नहीं बल्कि परम्परागत हैं। इस तरह जो विधेयक यहां पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं सदन के सामने इसमें किसी प्रकार से कोई नई चीज नहीं लायी गयीं है बल्कि पुरानी बातों को बिल के रूप में लाया गया है और डेलीगेटेड कमेटी की सिफारिश थी उसको अमल किया गया है, एकाउन्टेंट जनरल ने जो कहा था उसको विधेयक क स्वरूप दिया गया है। इसलिये इसको प्रवर समिति को देने की जरूरत नहीं है और यदि नई बातें होती तो देते। प्रवर समिति को ही देने की बात थी तो उस समय कहते जब पहले सदन में यह बात उठायी गयी थी लेकिन उस समय प्रवर समिति को देने की बात नहीं कही गयी और जब कानूनी रूप दे रहे हैं तो प्रवर समिति को देने की बात कह रहे हैं। इसलिये श्री राम आसरे वर्मा जी प्रवर समिति को देने के प्रस्ताव को आप वापस ले लें और इसको सर्वसम्मति से पास करें ऐसी आशा मैं करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, श्री राज मंगल पाण्डेय का निर्देश स्वीकार है। मंत्री जी ने जो कहा है तो उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है किन्तु फिर भी श्री खैरुल बशर ने जो बताया है कि आपकी छबि ठीक करने के लिये इसको वापस ले लें। तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री राम आसरे वर्मा को अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन का प्रस्ताव वापस हुआ ।)

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, वर्मा जी ने एक चीज साबित कर दिया और मैं तो कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री को चाहिये कि श्री अम्मार रिजवी जैसे चेहरे वाले मंत्री रखें कि जो भी प्रस्ताव आयें उसको हम लोग वापस ले लें ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

कम से कम आपको चेहरे का तो असर हुआ ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 14, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981

उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में,

(क) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है,

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है,

(ग) "परिवार" का तात्पर्य किसी मंत्री के सम्बन्ध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मंत्री के साथ रहते हों और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों,

(घ) "अनुरक्षण" के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय रेट और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत् शुल्क सहित विद्युत् की व्यवस्था करना भी है,

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के उप मंत्री भी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वेतन

3--(1) प्रत्येक मंत्री और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक हजार रुपए प्रति मास के वेतन का हकदार होगा ।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त छः सौ पचास रुपये प्रति मास के वेतन का हकदार होगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट वेतन उस करके अतिरिक्त होगा जो उस वेतन (जिसके अन्तर्गत परिलब्धियां भी हैं) के सम्बन्ध में आयकर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय हो और ऐसे कर का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा ।

निवास स्थान

4--(1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये लखनऊ में निवास स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायगा ।

(2) जहां किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहां वह (क) उपमंत्री की स्थिति में, तीन सौ रुपये प्रति मास, और (ख) किसी अन्य स्थिति में पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा ।

सवारी

5--(1) प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये शोफर की व्यवस्था की जायगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिये निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें ।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय किसी उप मंत्री को दी गयी मोटर गाड़ी विधिमान्य रूप से दी गयी समझी जायगी ।

यात्रा भत्ता आदि

6--(1) उप मंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिये उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा ।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में, (स्थल समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्री हेतु उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा और दैनिक भत्ता का हकदार होगा ।

(3) प्रत्येक मंत्री--

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के सम्बन्ध में, और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बाहर अपने सामान्य-निवास-स्थान तक यात्रा करने के सम्बन्ध में, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिये यात्रा-भत्ता का हकदार होगा ।

(4) उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी किसी मंत्री को धारा 5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

सर्किट हाउस आदि का उपयोग

7--प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत् प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृह का प्रयोग करने का हकदार होगा ।

चिकित्सा सुविधा

8--प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे ।

मंत्री के पद पर नियुक्ति और उसकी रिक्ति की अधिसूचना

9--जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या नहीं रहता है उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मंत्री बना या नहीं रह गया ।

कोई वृत्ति करने का निषेध

10--कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिये वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या कोई व्यापार या पारिश्रमिक के लिये कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 के अधीन सुविधायें

11--प्रत्येक मंत्री जो, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 4, 9, 18 और अध्याय आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा ।

वेतन आदि का त्याग

12--कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है :

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है ।

नियम बनाने की शक्ति

13--(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) धारा 14 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें उपधारा(1) के अधीन बनाये गये नये नियमों द्वारा निरसित न किया जाय ।

निरसन

14--उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 14 तक एवं खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

जितनी आसानी से यह विधेयक पास हो गया, इसको तो मैं समझता हूं कि चेहरे का ही असर है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 (क्रमागत)†

[समय 1 बजकर 55 मिनट अपराह्न]

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक....

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसको प्रस्तुत कर चुके हैं। यह प्रस्तुत हो चुका है यदि आप कुछ बोलना चाहते हों तो बोलें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मुझे याद आया, माननीय भीखा लाल जी ने प्रस्तुत करते वक्त कुछ विरोध किया था। मान्यवर, इसमें कुछ शब्दों का हेर फेर है।

एक सदस्य--

हेरफेर तो आप करते ही रहे हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

आपके साथ रहने का कुछ न कुछ असर तो आना चाहिये। मान्यवर, 1975 में एक विधेयक बना था कि हमारे मंत्रिमडल के सदस्य जब यहां पर सदस्यता की शपथ लें तो उसके तीन महीने के अन्दर जो भी उनके एसेट्स तथा लयबिलिटीज हैं उनका ब्योरा सचिव, विधान सभा के पास जरूर देंगे। जो उस निश्चित तिथि तक नहीं भेजेंगे उनका प्रकाशन गजट में किया जाएगा कि इन्होंने नहीं भेजा है। उसमें एक निश्चित तिथि दी गयी थी इसलिये जो लोग बाद में चुनकर आयें उन पर यह बात लागू नहीं थी। तो इस विधेयक के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा रहा है कि कोई भी सदस्य कोई भी मंत्री जिस वक्त अपने ओहदे को, कार्यभार को संभालते हैं उनको 3 महीने के अन्दर वह अपने सारे जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उनका वह ब्योरा देंगे और उसको सचिव, विधान सभा को भेजेंगे। इस तरह से जो लोग बच जाते थे, यह सबको कवर करता है और सारे लोगों के जो ब्योरे हैं वह सम्मानित सदन के सामने आ जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह बड़ा कांस्ट्रक्टिव सुझाव है, इसमें किसी प्रकार के विरोध का सवाल नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि वह इसको सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†15 सितम्बर, 1981 की कार्यवाही से।

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक 1981

उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1975 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "की उपधारा (1)" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 3 की उपधार (2) या उपधारा (3) के अधीन अथवा" निकाल दिये जायेंगे ।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

3—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, आरम्भिक वाक्य में, शब्द और अंक "धारा 3(1) के अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 3 के अधीन" रख दिये जायेंगे ।

श्री उप ध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश की आर्थिक उन्नति हेतु समस्त ऊसर, बंजर, बीहड़ और परती भूमि को कृषि योग्य बना कर पूर्ण उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प†

(समय 2 बजे अपराह्न)

श्री जयदीप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प पहले प्रस्तुत कर चुका हूं और आज इस पर चर्चा प्रारम्भ करने से पहले इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह संकल्प न तो किसी दलगत समस्या से अन्तर्ग्रस्त है और न ही इसमें किसी प्रकार की विवादित नीति शामिल है और न ही कोई अन्य बात है। इसलिए सभी माननीय सदस्यों से अनुग्रह करूंगा कि वे अपने-अपने क्षेत्र के अनुसार अपने सुझाव दें। श्रीमन्, हमारा प्रदेश जो है, वह प्राकृतिक सम्पदाओं से भरापुरा है, यहां पर सभी कुछ उपलब्ध है, परन्तु यहां की जो अभूतपूर्व जनसंख्या है, वह भी देश के प्रदेशों में सबसे अधिक है और दूसरी बात यह कि हमारे पास सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि भी है और वह भूमि आज बेकार पड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे पास सबसे अधिक कृषि उत्पादन के अन्य साधन भी मौजूद हैं। लेकिन खेद का विषय यह है और इस समस्या की गम्भीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यही प्रदेश कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है जन शक्ति के उपयोग में तथा बेरोजगारी की समस्या में पूरे भारतवर्ष में यही प्रदेश पिछड़ा हुआ है। तो इन सब को देखते हुए, मौजूदा समस्या की गम्भीरता पर विचार हम सब को समय रहते अवश्य करना पड़ेगा।

श्रीमन्, यदि आप उत्तर प्रदेश के मानचित्र को उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि कितनी भूमि वहां की अविकसित ऊसर, बंजर, परती और बीहड़ भूमि तथा नीची जहां पर हर समय वाटर लागिंग रहती है, पड़ी हुयी है, इन सब को देखने से ऐसा लगता है कि वह पूरा प्रदेश एक कैंसर रोग से पीड़ित है, जिस तरह से कैंसर शरीर के किसी एक भाग में शुरू में होता है, फिर धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचने लगता है, ठीक इसी तरह से इस भूमि का हाल भी यही है, जो भूमि कल उपजाऊ थी और आज वह बंजर के रूप में देख-रेख के अभाव में परिवर्तित हो रही है। तो यह समस्या है आज हर जगह परेशानी उत्पन्न है। दूसरे मान्यवर, शारदा सहायक योजना के संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा, यह योजना जो करोड़ों रुपयों की लागत से चालू हुयी और जिसमें यह अनुमान लगाया था कि 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी, आज आप यदि उसकी हालत देखें कि जगह-जगह उसके किनारों पर वाटर लागिंग की समस्या शुरू हो गई है और इसके साथ ही साथ जो भूमि शारदा सहायक योजना के पूर्व उपजाऊ थी, आज ऊसर हो रही है। तो मान्यवर, मुझे इस योजना के संबंध में यह भी कहना है कि 2 मार्च, 1981 को दैनिक जागरण अखबार ने लिखा था कि 9000 हेक्टेयर भूमि ऐसी हो गयी है, जिसमें कोई भी फसल बोई नहीं जा सकी है, उसके अंदर कुछ गांवों के नाम भी छपे हुए थे और मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि वह भूमि नहर के बनने से पूर्व सबसे अधिक उपजाऊ थी

---

†दिनांक 4 अप्रैल, 1981 की कार्यवाही से।

[श्री जयदीप सिंह—]

और इसी प्रकार से जो सरकारी रिपोर्ट है, उसमें भी यही कहा गया है कि शारदा सहायक योजना में कुछ सीपेज से और कुछ प्राकृतिक नालों आदि के रुक जाने से जो समस्या उत्पन्न हुई है, उससे फेस करने के लिए एक किस्म से रोड़ा बन रही है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं कि हमारे पास इस प्रकार की भूमि कितनी उपलब्ध है, यह सरकारी आंकड़े हैं, उन्हें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश कृषि आंकड़े 1978 के हैं। इसके अनुसार ऊसर भूमि 12·13 लाख हेक्टेयर, बेकार भूमि 14·92 लाख हेक्टेयर, वर्तमान परती भूमि 9·62 लाख हेक्टेयर, अन्य परती 6·050 लाख हेक्टेयर जल मग्न भूमि 8·10 हेक्टेयर। यह 60 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो किसी उपयोग में नहीं आ रही है। कुछ इस प्रकार क्षेत्र भी हैं जहां इस प्रकार की झाड़ियां और घास होने लगी हैं, जहां पर कि खेती सम्भव नहीं है और उससे जानवरों का भी पोषण नहीं हो सकता है। ऐसी भूमि 7·90 लाख हेक्टेयर है। कुल 70 लाख हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी है, बोयी गयी भूमि का क्षेत्रफल 172 लाख हेक्टेयर है एवं कुल उपलब्ध क्षेत्रफल 2,98 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल भूमि का (प्रदेश) 22 प्रतिशत भाग एक ऐसे कैन्सर से पीड़ित है, जो इस पूरे शरीर (प्रदेश) को पनपने नहीं देता है। बोये हुए क्षेत्रफल के मुकाबले में 40 प्रतिशत क्षेत्रफल ऐसा है, जो नहीं बोया गया है और इस प्रकार कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

यह तो भूमि की समस्या है, इसके अतिरिक्त इस ऊसर और बंजर से, जब बारिश होती है, तो यह भूमि जल को रोक नहीं पाती है, वह पानी तेजी से बहता है और उसका परिणाम होता है भीषण और भयंकर बाढ़।

उत्तर प्रदेश की छठी योजना में दिया है 1953 से 73 तक 20 वर्षों में बाढ़ से प्रभावित औसत क्षेत्रफल 19 लाख हेक्टेयर था। पिछले 5 वर्षों में औसत 36 लाख हेक्टेयर हो गया है यानी लगभग दुगन। जो कृषि योग्य भूमि का भी विनाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़े ऐसे हैं, जो भूमि की आइडेन्टीफाई की जा सकती है, जहां पर देखा जा सकता है कि इस प्रकार की भूमि है। इसके अतिरिक्त जिस भूमि पर आम तौर पर फसल बोयी जाती है, वहां पर भी नमक (क्षार) की मात्रा बढ़ गयी है।

यह तो भूमि की समस्या है अब हम अगर रोजगार की तरफ देखें, अगर आप लखनऊ स्टेशन पर जायं तो पंजाब जाने वाली गाड़ियों को देखें तो शर्म के मारे सिर झुक जाता है। सैकड़ों परिवार गाड़ी में भरे हुए, उसकी छत पर बैठे हुए नौकरी करने के लिये अपना पेट भरने के लिये पंजाब जा रहे हैं। आखिर पंजाब कोई विदेश तो है नहीं, उनके पास भी ऐसी कोई कालोनियल पावर नहीं थी जो उन्होंने शोषण करके ऐसा कर रखा हो कि वे वहां जा रहे हों। साधन होते हुए भी हम अपनी जन शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने एक लाख हेक्टेयर भूमि बांध बनाकर सतलज के किनारे तैयार की है, सिर्फ दो वर्ष में रोजगार वहां पैदा हो रहा है। वहां की जनशक्ति पंजाब जाकर 100–150 रु0 प्रति माह की नौकरी करने को मजबूर है। हमारे पास भूमि होते हुए भी उससे पैदावार नहीं ले पाते हैं।

दूसरा साधन जल का है। सारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जल है, परन्तु प्रदेश का केवल 10 प्रतिशत जल कृषि कार्यों के लिये उपयोग होता है।

इजरायल जैसे देश में 100 में से 95 प्रतिशत जल उपयोग के लिये लिया जा रहा है। इस देश में जितना रखा गया है, जितना जल रोका जाता है वह पहले से ज्यादा बहा चला जा रहा है। हमारी भूमि परती है। हमारे प्रदेश की भूमि ऊसर, बंजर और बीहड़ है जिसके कारण हमारी जनता दर-दर की ठोकरें खा रही है।

इसके साथ ही श्रीमन्, कुछ सामाजिक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। भूमि तो ऊसर और बीहड़ है ही और यह परती भूमि और ऊसर भूमि हमारे प्रदेश के उन जिलों में हैं जो कि सबसे पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। मैं तो बरेली से चुनकर आया हूं, वहां पर ऐसी भीषण समस्या नहीं है पर बुन्देलखंड में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। आगरा व मथुरा ऐसे जिले हैं जहां पर विशेष तौर से एक-एक जिले में एक-एक लाख हेक्टेयर के करीब बीहड़ भूमि पड़ी हुई है। 1 लाख 19 हजार कानपुर में है, मैनपुरी में 1 लाख 8 हजार हेक्टेयर भूमि ऊसर है, इटावा में अड़सठ हजार हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ा हुई है। इसी प्रकार मेरे पास पूरे प्रदेश के आंकड़े हैं, यदि मैं सबको गिनाऊं तो काफी समय लग जायेगा। सीतापुर और हरदोई क्रमशः 91 हेक्टेयर तथा एक लाख हेक्टेयर भूमि सिर्फ ऊसर और बंजर की है और यही प्रदेश का वह भाग है जहां सबसे अधिक गरीबी है। यहीं प्रदेश के वह भाग भी हैं जहां पर अनेकों असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। इसका कारण यह है कि वहां के लोग गरीब हैं, वह अपना इतना असर शासन पर नहीं रखते हैं, इसीलिए वह लोग गरीब हैं और आगे के लिये भी उनका भविष्य अन्धकारमय है।

सबसे आवश्यक बात यह है कि इस समस्या को हल करने की हम याद करें कि यह समस्या हम ही ने पैदा की है, हमारे पूर्वजों ने पैदा की है। यह समस्या हमारे पूर्वजों की देन है कि जरूरत से ज्यादा पेड़ काटे गये, जितना जल-भराव को रोकने का प्रयास करना चाहिये था, जितना जल को निकालना था, वह काम नहीं किया गया और आज प्रदेश का एक भाग परती भूमि, बंजर भूमि की शक्ल में पड़ा हुआ है। इस कारण इस समस्या का निदान, इस समस्या का हल हमें ही करना होगा।

अब श्रीमन्, इस समस्या को देखने के बाद हमें यह देखना होगा कि इस समस्या का हल कैसे करें। और इस समस्या के हल करने से हमें कोई लाभ भी होने वाला है या नहीं। तो श्रीमन्, सत्तर लाख हेक्टेयर भूमि को यदि उपजाऊ बनाया जाय, सत्तर लाख हेक्टेयर भूमि को जो बंजर और ऊसर पड़ी हुई है उपजाऊ बनाने से यदि प्रति हेक्टेयर भूमि में केवल 2 1/2 टन की उपज हो जो बहुत मामूली है, तो काफी हद तक गरीबी दूर हो सकती है और साथ ही बंजर भूमि भी उपजाऊ हो सकती है। यदि फी एकड़ एक टन की पैदावार की औसत रखी जाय, जब कि हमारे प्रदेश के पिछले तीन चार वर्ष के आंकड़े औसतन लगभग 200 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन के हैं, उतना ही हम लगभग इस 22 प्रतिशत क्षेत्र में से उत्पादन कर सकते हैं।

दूसरी समस्या श्रीमन्, हमारे सामने रोजगार की है और उसके ऊपर 70 लाख हेक्टेयर भूमि यदि खेती के लिए उपयुक्त बन जाती है तो इससे इस समस्या को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। अभी नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर ने आंकड़े दिए हैं उसके वाल्यूम 13 में यह है कि कृषि कार्यों में जो क्षेत्रफल है उसमें 115 मैनडेज यानी दिहाड़ी प्रति एकड़ सिंचित क्षेत्र में और असिंचित में 164 दिहाड़ी प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। अगर इसका औसत निकाला जाय तो लगभग 90 दिन दिहाड़ी की प्रति एकड़ है

[श्री जयदीप सिंह---]

आवश्यकता होगी जन शक्ति की । तो यह 70 लाख हेक्टेयर में 70 लाख परिवारों को रोजगार मिलेगा जबकि आपका जो छठा प्लान है उसमें रोजगार का जो टारगेट रखा गया है, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वह है 61.44 लाख । जिसमें 96 सौ 61 करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट होगा । 70 लाख परिवारों या व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है ।

बाढ़ की समस्या पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं । 36 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई उसमें कितना नुकसान हुआ होगा, यह किसी से छिपा नहीं है ।

बहुत से क्षेत्रों में भूमि का जल बहुत नीचे चला जाता है, या चला गया है, समाप्त हो जाता है । जहां ऊसर होगा वहां समस्या ज्यादा होती है । ऊसर की जमीन कड़ी होती है, पानी कम सोखती है, बरसात का पानी बह जाता है । वहां जल की समस्या होती है जैसे आगरा, एटा की तरफ । कुएं सूख जाते हैं सिंचाई और पीने की समस्या हो जाती है ।

बहुत सी चीनी मिलें हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, छाता, रायबरेली में हैं अलीगढ़ है, इन जगहों में ऊसर का जो प्रभाव है उससे गन्ने की पैदावार या तो होती नहीं, यदि होती है तो बहुत कम और उससे चीनी की रिकवरी भी बहुत कम होती है । इसकी वजह से बीमार चीनी मिलें मृत्यु की तरफ बढ़ती जा रही हैं । छोटी से छोटी मिल लगाने में 8-10 करोड़ रुपये का खर्चा होता है । कितना लाभ होगा इसको इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं । सरकार को इससे घाटा नहीं है, राजस्व प्राप्त होगा, अनाज पैदा होगा तो मंडी शुल्क है, गन्ना होगा तो चीनी मिलों से टैक्स प्राप्त होगा ।

आजकल एक विषय पर बहुत चर्चा हो रही है और वह है पर्यावरण की । हमारे प्रदेश में भूमि, जल, वायुमण्डल जो दूषित होता है और रेगिस्तान बढ़ता है, इस प्रकार भूमि खराब होती जा रही है, इसका सुधार इसी तरह से सम्भव है । बीहड़ जमीन में जहां गड्ढे बहुत गहरे होते हैं वहां वन लगाए जा सकते हैं । वन हमारे प्रदेश म बहुत कम हैं । वह समस्या वन लगाने से हल की जा सकती है ।

सामाजिक समस्या के बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि वहां के लोग डकैतों के भय से त्रस्त हैं । सबसे पहले जब किसी भी प्रोजेक्ट को लिया जाता है, किसी काम को लिया जाता है तो यह भी सोचना पड़ता है कि इससे हमें लाभ कितनी जल्दी होगा । कोई भी काम बड़ी योजना आप शुरू करते हैं और 10 करोड़ रु० उसमें खर्च होता है तथा 4 साल बाद वह पूरा होता है । इसी तरह से करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और कई वर्ष निकल जाते हैं । पांच-पांच, छः-छः साल निकल जाते हैं तब कहीं जाकर एक प्रोजेक्ट पूरा हो पाता है । ठीक है कि बिजली घर लगाने पड़ेंगे, ऊर्जा की समस्या है परन्तु फिर भी इसमें अगर आप देखें तो जो भूमि जिसको आप रिक्लेम करना शुरू करेंगे उसमें फौरन ही जनशक्ति का प्रयोग शुरू होता है । आम तौर पर पैसा खर्च करने के बाद जो रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं वह इसमें पैसा खर्च करने से पहले शुरू हो रहे हैं । इसमें 6 महीने में पहली फसल आ जाती है और साल भर बाद दूसरी आती है और उसमें से आमदनी शुरू हो जाएगी और जो मैंने पहले आपके सामने प्रस्तुत किया था कि 175 लाख

टन से छब्बीस सौ पच्चीस करोड़ का अनाज पैदा किया जा सकता है परन्तु यह 96 सौ करोड़ खर्च करते ज रहे हैं। एक तरफ तो माननीय वित्त मंत्रा जो कहते हैं कि प्लान के लिए साधन जुटाने का प्रयास करना है तो मैं साधन जुटाने का यह प्रस्ताव उनके सामने रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, जब कोई काम शुरू करना हो तो नुकसान का पहलू भी देखना होता है इसमें मुझे कोई नुकसान तो नहीं समझ में आया। शायद रेलवे को नुकसान हो। ट्रेन में इतनी भीड़ कम होने की वजह से कोई नुकसान होता हो क्योंकि ट्रेन की छत पर भी लोग पैसा देकर ही बैठते हैं। हां, यह हो सकता है कि कुछ असरदार लोगों का असर कम हो जाय या साहूकारों का जिनसे वह गरीब मजदूर ऋण लेते हैं उनकी सूदखोरी कम हो जाय या कुछ डकैती कम होने से परेशानी हो जाय और उसके साथ में पुलिस के लिए भी कोई समस्या हो जाय डकैती बन्द होने से, तो मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा और कोई नुकसान मुझे नहीं मालूम होता। इसके लिए, जो व्यवस्था सरकार को, शासन को बनानी पड़ेगी, तो उस व्यवस्था में जो खर्च है, उसकी जो गणना है उसका भी कुछ आकलन मैंने किया है। श्रीमन्, औसतन 1500 से 2000 रु0 तक प्रति एकड़ खर्च होता है। इसके लिए विश्व बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं क्योंकि लम्बे अर्से के कर्जे में उनकी ब्याज की दरें बहुत कम होती हैं। इस कार्य को शुरू करने के लिए पहले आवश्यक है कि ऐसी समस्त भूमि का पहले सर्वेक्षण होना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की और नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट्स को भी देखा इसमें भी यह है कि सर्वे सही से नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में कुल 1,12,561 गांवों में आबादी है उन गांवों का सर्वेक्षण करने के लिए सरकार को फौरन काम शुरू करना चाहिए। वहां कैसी भूमि है किस प्रकार की भूमि है उस सबका मानचित्र अलहदा से बनाना चाहिए। बन्दोबस्त और चकबन्दी की तरह खेतों को हदों का नहीं, बल्कि भूमि की प्रकार इत्यादि के मृदा मानचित्र बनने चाहिए।

राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग इन चारों विभागों की आपस में मिल कर एक पैसा कोआर्डिनेटेड प्लान बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर कृषि विभाग कहीं ऊसर जमीन में सुधार करना चाहता है, तथा कृषकों को सबसिडी देता है और वहां पर 50 हेक्टेयर जमीन उनकी है और 500 हेक्टेयर वन-विभाग का है तो कृषक उस भूमि का सुधार अलग से नहीं कर सकेगा। उस पूरे ब्लाक का ही सुधार किया जा सकता है, अलग टुकड़े-टुकड़े में सुधार नहीं किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में विशेष तौर पर मेरा सरकार से आग्रह है कि अगर वह ऐसा कोई प्लान शुरू करती है, कम हो भी रहा है बहुत मामूली स्तर पर इस समस्या को देखते हुए। 78-79 और 79-80 5764 हेक्टेयर बीहड का सुधार करने की कोशिश सरकार ने की। आने वाले वर्ष में 14 हजार हेक्टेयर का प्लान है। 12 लाख हेक्टेयर में 14 हजार हेक्टेयर का कितना प्रतिशत बनता है, कुछ भी नहीं है। 30 हजार एकड़ प्रति वर्ष का प्लान हो तो इसके पूरा होने में कई साल लग जायेंगे, यह तो अलग बात है। लेकिन इससे सबसे बहुत फायदा समाज के सबसे पिछड़े गरीब व पीड़ित हरिजन व आदिवासी लोगों को होगा। बीहड़ क्षेत्र में सबसे अधिक खराब भूमि उन्हीं के पास है। क्योंकि जो सम्पन्न लोग हैं वे तो अच्छी जमीन खरीद लेंगे और गरीब लोगों पर खराब भूमि रहेगी या वह भूमिहीन बने रहेंगे। इसलिये इस बारे में मेरा सुझाव है कि पहले शासन की तरफ से भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ

[श्री जयदीप सिंह--]

देने के ख्याल से उनको जिलेवार, क्षेत्रवार या जिस स्तर पर भी हो, एक सूची बनवायी जाय जिससे वहां के भूमिहीनों को इस योजना से रोजगार दिलाया जा सके। वे सभी बेरोजगार हैं आतंकित हैं, शोषित हैं हर गांव में ऐसे लोग मौजूद हैं। ऐसे स्थानों पर शासन की तरफ से उनको संरक्षण होगा तो आने वाले समय में उनके लिये एक मार्ग प्रशस्त होगा उन्नति का और समाज के अन्दर, जो विषमता है, वह बहुत जल्द समाप्त हो जायेगी।

इस सम्बन्ध में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं जिससे इस कैंसर को रोका जा सके। एक तो सिंचाई का साधन आवश्यक है। नहरें हमारे यहां खास तौर पर जो बड़ी हैं वे पक्की बनायी जायं। इसमें दो राय नहीं कि पक्की नहरों के बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता है लेकिन इसमें भी दो राय नहीं हैं कि पक्की नहर से सिंचाई क्षमता तीनगुनी हो जाती है। जब नहरें बनायी जायं तो पहले ही सर्वे करके जल निकासी की योजना साथ ही साथ प्रारम्भ हो जानी चाहिये ताकि जब सिंचाई शुरू कर दी जाय, उसके बाद उस पर ऊसर न पैदा हो जाय। इस पर जो रिसर्च हुआ है उसके देखने से मालूम होता है कि जो जल सीपेज से ड्रेन में आता है उसमें लवण इतना अधिक नहीं आता है कि वह सिंचाई के काम न आ सके। इसलिए जल निकासी के नालियों और ड्रेन की डिजाइन ऐसी होनी चाहिये कि जो जल निकासी के बाद एक जगह जमा कर लिया जाय उसे फिर सिंचाई के काम में लाया जा सके।

दूसरा सुझाव पर्यावरण के सम्बन्ध में है। जहां पर पेड़ों का कटाव होता है वहां पर कृषि भूमि का कटाव बहुत होता है। इसलिये पेड़ों का लगाना बहुत आवश्यक है। ऐसा एक पेड़ वन विभाग के पास उपलब्ध है जिसका जो नाम वन विभाग ने पहले इंट्रोड्यूस किया था वह लोगों को पसन्द नहीं आया, पहले नाम काबबूल रखा था अब उसका नाम सुबबूल रखा है, लेकिन वह ऐसा पेड़ है जो 5 वर्ष में बढ़ कर 65 फीट तक हो जाता है और उसके पत्ते काटकर जानवरों को भी खिलाए जा सकते हैं और उसमें जो फल लगता है वह हाई प्रोटीन का होता है। उससे जलाने की लकड़ी भी उपलब्ध होती है। हर किसान को वह उपलब्ध कराया जाय। ग्राम सभा की ओर से, सरकार की ओर से ऐसे स्थानों पर पेड़ लगाये जायं जो भूमि कटाव से ग्रस्त हैं। पांच वर्ष में वह वृक्ष में पनप जाता है।

श्रीमन्, आखिर में कुछ अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने काफी समय ले लिया हूं। सोचने का विषय है। इससे हम सभी अवगत हैं। यह एक भीषण समस्या है। प्रदेश का 1/4 भाग इससे ग्रस्त है। जल भी हमारे पास सबसे अधिक है। श्रीमन्, जो रिक्लेमेशन की तकनीक है वह भी उपलब्ध है। 19वीं, 20वीं सदी में उत्तर प्रदेश में नहरों से सिंचाई शुरू हुई थी। उसी वक्त से इस पर रिसर्च हुआ सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, दक्षिण भारत में हुआ। तकनीक की कोई कठिनाई नहीं है। साधन भी उपलब्ध हैं। जन शक्ति है। एक अच्छा काम करने के लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं। मेरा तो निश्चित मत है कि इस कार्य को पूरा करने का इरादा हम न बनायें तो यह उत्तर प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने के उत्तरदायित्व से, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उससे विमुख होना है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस संकल्प का समर्थन करके इन समस्याओं के निदान के लिए मार्ग प्रशस्त करने की पहल करें।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक पिछड़े क्षेत्र का विधायक हूं। कृषि मन्त्री जी सदन में उपस्थित हैं। वह ऐसे क्षेत्र से चुन कर आये हैं जहां इस प्रकार की भूमि मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं होगी लेकिन अगर बुन्देलखन्ड क्षेत्र अनेक मामलों में पिछड़ा है तो एक उसका पिछड़ा होने का यह भी बहुत बड़ा कारण है कि जो हजारों एकड़ जमीन बन्जर के रूप में, ऊंची-नीची के रूप में, पड़ी है वह खेती के उपयोग के लिए बन नहीं पाई है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन के समक्ष आप के माध्यम से बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि बुन्देलखन्ड का किसान कितनी मेहनत के साथ इन उबड़-खाबड़ और बन्जर जमीन को अपने खून और पसीने से सींच कर बीज बोता है और जब वह बीज बोने के बाद फसल काटता है तो मैं समझता हूं कि फसल जिस मात्रा में वह इसके बोने में आना पसीना बहाता है उस मात्रा में भी प्राप्त नहीं होती है। जब बुन्देलखन्ड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की चर्चा इस सदन में चल रही थी तो मैंने उस समय माननीय कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि बुन्देलखन्ड क्षेत्र में आप आयें, अधिकारियों के कटघरे में बैठ कर योजनायें न बनायें जो क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होती, जो भी कृषि विभाग की ओर से या शासन की ओर से विकास कार्य चल रहे हैं मैं समझता हूं कि बुन्देलखन्ड क्षेत्र आज तक इस संकल्प के अनुसार जो हमारे माननीय सदस्य ने रखा है। उसको बिलकुल अभी छू नहीं रहा है।

आज जो भी योजनायें हैं चाहे वे सिंचाई की हों, या चकबन्दी की हों या सार्वजनिक रूप से जो भी कार्य हैं वे उन्हीं क्षेत्रों में आज चल रही हैं जहां की भूमि समतल है। चाहे वहां ट्यूबवेल खोदने का मामला हो, नहर बनाने का मामला हो, जब हम अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात करते हैं तो वे स्पष्ट रूप से यह उत्तर देते हैं कि शासन के द्वारा ऐसी नीति नहीं है कि जहां इस तरह की भूमि हो वहां पर शासन के द्वारा दी गई सुविधाओं में कोई कार्यवाही की जाय। मैं माननीय कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान पुनः इस ओर खींचना चाहता हूं कि वे बुन्देलखन्ड क्षेत्र में आयें और उत्तर प्रदेश का जो यह भू-भाग है जहां बन्जर, बीहड़ और पड़ती की भूमि पड़ी हुई है जो प्रदेश का मुख्य धन है जिस पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, जिससे प्रदेश की गरीबी दूर हो सकती है, इस भू-भाग को वे आकर देखें इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको वे स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश में ऐसी हजारों एकड़ भूमि आज खेती के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रही है और मैं समझता हूं कि सदन में इसकी चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि यह ऐसा प्रश्न है जो कि प्रदेश और देश के आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा समझता था कि जैसे ही यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था, माननीय कृषि मन्त्री महोदय को तुरन्त खड़े होकर इस संकल्प को स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन अगर वे इस पर लम्बी बहस चलाते हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे बुन्देलखण्ड का दौरा करें और देखें कि जहां पर इस तरह की भूमि पड़ती की पड़ी हुई है वहां पर लोग और उनका सामाजिक जीवन किस गरीबी के स्तर से व्यतीत हो रहा है। वहां पर आज 30 साल के ऊपर से जो भी विकास को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--]

योजनायें चल रही हैं वह सब नगण्य हैं । परती भूमि का वहां पर दो कारण है--एक तो यह है कि वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है दूसरा कारण यह है कि जहां जमीन है भी वह कहीं पर तो समतल है हीं पर गड्ढा है और कहीं फिर समतल है । इस कमी को दूर करके मैं समझता हूं कि माननीय कृषि मन्त्री को घोषणा करनी चाहिये कि बुन्देलखन्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये यह-यह योजनायें तुरन्त चलायी जायेंगी और जो भी भूमि है चाहे वह बीहड़ हो या परती की हो उसको ठीक कराकर वहां के किसानों के आंसुओं को पोछने में यह शासन अवश्य मदद करेगा । इतना ही कहकर मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री महोदय भी इसका समर्थन करेंगे ।

[समय 2.37 अपराह्न]

*श्री मित्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री जयदीप सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है अगर हम सब सदन के बैठे हुये माननीय सदस्य गम्भीरता के साथ विचार करें तो निश्चित रूप से यह प्राकृतिक सम्पदा जो हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी सिद्ध हो सकती है । अगर हम उस सम्पदा को इस लायक बना दें तो प्रदेश के जो करोड़ हाथ खाली हैं, हजारों परिवार जो भूखे हैं उनको रोजी और रोटी मिल जायेगी । श्रीमन्, माननीय कृषि मंत्री एक किसान के बेटे हैं । हमारा अपना ख्याल है कि ये भी धरती पर पैर रखते हैं अपने हाथ से इन्होंने बीज भी बोया होगा और धूप भी देखी होगी । जब वह ट्रेनों से जाते हैं तो यह भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर लाखों एकड़ जमीन इस छोर से उस छोर तक बीहड़ और बंजर दिखाई देती है और उसी ट्रेन में बैठे लाखों आदमी भूख पेट को लेकर पंजाब, हरयाणा और अन्य प्रदेशों को भागते चले जाते हैं । जब दोनों समस्यायें हमारे सामने हैं और उनके विकल्प हमारे सामने हैं तो यह जरूरी है कि सरकार इस पर विचार करे कि हमारे प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, बीहड़ और ऊसर धरती जो पड़ी है अगर इसको कुछ जहां हम अन्य परियोजनाओं में खूब धन खर्च कर रहे हैं, कृषि योग्य बना सके और उसमें कुछ पैदा हो सके और इस पर लोगों को बसाने का प्रबन्ध हो सके तो अच्छा है ।

श्रीमन्, अपने अपने दौरे में केरल प्रदेश को देखा है, इसी देश के अन्दर केरल एक गार्डन बना हुआ है, जहां एक चप्पा भूमि भी बगैर हरियाली के नहीं दिखाई देती, वहां ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां इन्सान का हाथ न पहुंचा हो, जहां ऐसी धरती है जहां सूरज की किरणों भी जमीन पर जाने में कठिनाई महसूस करती है, वह भी इस प्रदेश का एक प्रदेश है । अगर हम अपने प्रदेश को भी ऐसा बना सके तो जो हमारी 11 करोड़ की आबादी है, जिसमें लाखों. करोड़ों लोग बेकार हैं, जहां हरिजनों को एक विश्वा 15 धुर जमीन देकर अदालतों तक दौड़ाते हैं उनका कल्याण हो जायेगा । यहां 60 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है इसको अगर उपयोगी बना लें तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश का कृषि प्रधान प्रदेश है । इसकी महत्ता का मूल्यांकन हम किस प्रकार करते हैं, जब हमारे पास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ईटें हैं, तभी हम इतना बड़ा महल बन सके हैं, जब हमारे पास संपदा है और हमारे पास हाथ हैं तो हम बहुत बड़ी चीजें बना सकते हैं। इन साधनों को विकसित करने के लिए हमें देश और विदेशों से भी कोई तकनीक मिल सकती है जो इस धरती को कृषि लायक बना दे जिससे लाखों करोड़ों लोगों को रोटी रोजी मिलेगी और उसके लिये लोगों में रुचि पैदा की जा सके तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, गांवों से लोग निकल कर शहरों की ओर भाग रहे हैं, शहरों में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहां सांस लेने में कठिनाई हो रही है, सड़कों पर चलना दूभर हो गया है, शहर की जिन्दगी संकटमय हो गयी है। हम यह भी चाहते हैं कि हमारी आबादी जो बढ़ रही है उसको रोकें। लेकिन हमारे देश में दूसरी तरफ जितनी आबादी है उसके ड्योढ़े लोगों को रोटी देने के साधन मौजूद हैं अगर हम ऊसर भूमि को कृषि योग्य बना दें और लोगों में कृषि की तरफ रुचि पैदा कर दें। आज कृषि पर से लोगों में अरुचि पैदा हो रही है। हमारे नौजवान आज कृषि से मुह मोड़ रहे हैं, वह उस भूमि पर नहीं जाना चाहते हैं। तो यह भी हमारे देश क्षौर प्रदेश के लिए संकट है। कृषि पर से जो हमारे नौजवानों में अरुचि पैदा हो रही है इसकी जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की है। हमारे यहां सबसे ज्यादा साधन उपलब्ध हैं, इस धरती में कौन सी संपदा नहीं है। इससे लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, ईधन निकलता है, तेल निकलता है, लाखों मन सम्पत्ति इस देश के धरती के किसानों की मेहनत से लहलहाती है। यह प्रदेश इस योग्य बन सके कि हम उनको इस देश की सम्पदा से रोजी-रोटी दे सकें तो इस पर विचार करना चाहिये और नये सिरे से इस विषय में सर्वेक्षण कराकर नई-नई योजनाओं द्वारा कार्य शुरू करना चाहिये, उस पर चाहे जितना खर्च आये। हम लोग जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आये हैं और जो विभिन्न दिमाग के लोग हैं और विभिन्न जानकारियां रखते हैं, उनके सामने उन समस्याओं में एक समस्या यह भी है। हम पक्ष और विपक्ष के लोगों को जरूर इस गम्भीर विषय पर विचार करना चाहिये। यह हमारी मूल समस्या है और इसका हल भी है। इस समस्या पर स्वयं शासन को, जिम्मेदार मंत्रियों को, विशेषज्ञों और अधिकारियों को, सभी को रुचि लेनी चाहिये। यह देश की सबसे बड़ी जन-समस्या है। इसको हल करने के लिए अवश्य विचार करना चाहिये और सर्वेक्षण कराना चाहिए, जिससे 60 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य बन जाये। हमारे पास साधनों की कमी नहीं है। भले ही अर्थ संकट में पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत या उसके कारण जूझ रहे हों। लेकिन हम उनसे निपट सकते हैं। यदि हमारा ध्यान इस ओर जाये और इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये और इन्हीं शब्दों के साथ में जयदीप जी के संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। हम सबको जयदीप जी के संकल्प पर काफी गम्भीर होकर सोचना चाहिये। इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी प्रदेश में है और आश्चर्य तब होता है जब हम इस प्रदेश के संसाधनों को देखते हैं। जल सबसे ज्यादा इस प्रदेश में है और अभी हाल ही में जो यहां साधन उपलब्ध हुए हैं, उससे हमें मालूम होता है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लल्लू सिंह चौहान—]

जपीन के भीतर भी बहुत उपयोगी सम्पदा छिपी हुई है और प्रदेश देश के नक्शे में काफी पिछड़ा हुआ है । हरियाणा और पजाब जैसे छोटे प्रदेश भी हमसे हर मसले में काफी आगे हैं और वह वहां की सरकार की अच्छी नीतियों के द्वारा अच्छे कार्य करके उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है । जिससे वहां की जनता सुखी है । हम अपने पुनीत उत्तरदायित्व का निर्वहन इस रूप में कर सकते हैं, जो देश में लाखों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है, उसको किसी प्रकार से कृषि योग्य बनायें ।

बीहड़ जमीन को यदि हम कृषि योग्य बना लें, तो दस्यु समस्या का बहुत बड़ा हल निकल आयेगा । आगरा और मैनपुरी दोनों जिले इसीलिये डाकू समस्या से घोर पीड़ित हैं क्योंकि वहां पर बीहड़ बहुत ज्यादा पड़ता है । धौलपुर क्षेत्र में बुलडोजर से भूमि को समतल बनाया गया है, जिससे वहां पर डकू समस्या का काफी हद तक निदान हो गया है ।

जहां तक बंजर और परती जमीनों का सवाल है यह हर जिले की कमोवेश समस्या है । मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले में करीब 22 हजार हैक्टयर जमीन ऊसर पड़ा है और लगभग 10 हजार हेक्टयर परती जमीन है और बीहड़ तो इससे भी ज्यादा है । आज का बेकार नौजवान असामाजिक तत्वों से मिलकर कुरीतियों का शिकार बन गया है । जिनके पास धन नहीं है, आर्थिक साधन नहीं हैं, जो किसी तरह से व्यापार नहीं कर सकते, वे लोग किसी न किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों से मिले रहते हैं अपना किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं । अगर ऐसे लोगों की रुचि कृषि की तरफ आकर्षित की जाये और उनको भूमि मिल जाये तो वे असामाजिक तत्वों के हाथों में कभी नहीं जायेंगे ।

माननीय, सरकार आज, जो जमीन भूमिहीनों को, हरिजनों को और आदिवासियों आदि को दे रही है, वह जमीन पथरीली और बन्जर जमीन होती है जिसको कोई भूमिहीन लेना पसन्द नहीं करता । आप ऐसी जमीन दें जो कृषि योग्य हो । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर कोई ठोस कार्यवाही करें और इसके लिये कोई ठोस नीति बनायें । माननीय प्रदीप कुमार जी ने जितनी भूमि बतायी है, हो सकता है उसमें कुछ अन्तर हो, उनके आंकड़ों में कोई गलती हो, पर 11 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 3 करोड़ परिवार होंगे और इसमें 1 करोड़ परिवार ऐसे होंगे जिनको आप कुछ भूमि आदि देकर काम दे सकते हैं । कृषि मन्त्री जी अगर इस संकल्प को स्वीकार कर लें तो यह एक बहुत बड़ा काम होगा प्रदेश के हित में । 34 सालों से जो आपकी प्लान चल रही है उसका कतई लाभ किसान को नहीं पहुंचा है । केवल 2–3 प्रतिशत लोगों को ही उसका लाभ पहुंचा है । मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है, प्रदेश की गरीबी मिटाने वाला और बेरोजगारों को रोजगार देने वाला संकल्प है, इसे आप स्वीकार करें और एक निश्चित योजना बना कर भूमिहिनों को खेती–योग्य भूमि दें, बेरोजगारों को रोजगार दें ताकि लोग चैन से जिन्दगी व्यतीत कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चाहता हूं प्रदेश के हर हिस्से की बात आ जाये ।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, माननीय सदस्य जयदीप सिंह ने एक ऐसा संकल्प रखा है जिससे कि हमारे प्रदेश को काफी लाभ हो सकेगा। माननीय कृषि मन्त्री जी भी एक कृषक परिवार से हैं और यह जानते हैं कि कृषक जिसके पास बंजर, ऊसर, पर्ती और बीहड़ भूमि होती है, उसका क्या हश्र होता है। मैं इस विषय में शासन पक्ष को कुछ सुझाव दूंगा। आशा करता हूं कि उसका कार्यान्वयन करके इस प्रदेश की उन्नति कर कुछ प्रशंसा प्राप्त होगी। इन चारों भूमि के अलग अलग खंड बना दिये जायं। आज से 30 वर्ष पूर्व एक सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की सी0 टी0 ओ0 नाम की सेन्ट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन बनाई गयी थी, जिसमें कि हमारा तराई क्षेत्र आबाद हुआ। मैं यह चाहूंगा कि इन चारों भूमियों के सुधार के लिये एक सेन्ट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन के बजाय स्टेट ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाय और उस आर्गेनाइजेशन के अन्तर्गत अलग-अलग खंड में जैसा कि इस भूमि के आवंटन की व्यवस्था करें, उस ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन से जिस भी आवंटी को जरूरत हो, उसको ट्रैक्टर किराये पर दिया जाय और उससे 30 साल की किश्तों में वसूल किया जाय। सी0 टी0 का भी यही वसूल था, नियम था। इन चारों तरह की भूमियों को ठीक करने के लिये आवश्यकता होगी सिंचाई की। सिंचाई जहां पर नहरों का प्रबन्ध है, वहां पर इन भूमि के लिये अतिरिक्त बिजली देने की व्यवस्था की जाय। जहां पर कोई भी व्यवस्था सिंचाई की नहीं है वहां पर राजकीय नलकूप लगाये जायं और वहां पर बिजली के साथ-साथ उनके लिये अन्य प्रबन्ध भी कर दिया जाय। बीहड़ भूमि, ऊसर भूमि, पर्ती भूमि और बंजर भूमि के लिये यह मैंने आपसे अर्ज किया। बीहड़ भूमि के लिये भी स्टेट ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी और सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। उस ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन में बीहड़ के लिये उस खंड का दूसरा भाग बना देना चाहिये, क्योंकि बीहड़ क्षेत्र अधिकतर यह देखा गया है कि वह नदियों के किनारे होता है जहां पर आज कल डाकुओं का आवास है। बीहड़ क्षेत्र जब आबाद हो जायगा, समतल हो जायगा, तो यह समस्या जैसा कि लल्लू सिंह जी ने बताया है निदान हो सकेगी, तो आज जैसा कि बताया गया 70 लाख हैक्टेयर भूमि बन जाती है, जो इन चारों किस्मों के अन्तर्गत आती हैं और इन 70 लाख हैक्टेयर भूमि से हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। यह हमारी बदकिस्मती है। इस 70 लाख हेक्टेयर भूमि को अगर हम सुधार दें, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के आधे क्षेत्र को अन्न दे सकेंगे और उन दूसरे प्रदेशों से हम अन्न पैदा करके दे सकेंगे जो आज भूख से तड़प रहे हैं, आज दूसरे प्रदेश में अन्न 300 रुपये और ढाई सौ रुपये कुंटल बिक रहा है और अगर हम इस 70 लाख हैक्टेयर भूमि में अन्न की उपज बढ़ा देंगे तो हम देश के लिये एक अच्छा कार्य करेंगे। श्री लल्लू सिंह ने कुछ सुझाव दिया कि थोड़ी भूमि का आवंटन करके हम इस भूमि को आबाद नहीं कर सकते। मैं इसका समर्थन करता हूं कि इनका जो सुझाव है वह काबिले-दाद है। क्योंकि बंजर, ऊसर, परती भूमि को थोड़ी मात्रा में देकर उसको आबाद नहीं किया जा सकता है। इस परिवार को कम से कम साढ़े 18 एकड़ भूमि का आवंटन किया जाना चाहिये। अगर अन्न उपजाना है और इस को आबाद करना है तथा आगे चलकर इसका कोई औचित्य होना है। माननीय सदस्य श्री जयदीप सिंह बरार ने जो संकल्प रखा है मैं उसका समर्थन करता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

[श्री बलवीर सिंह--]

हूं और आशा करता हूं माननीय कृषि मन्त्री जी से कि इसको स्वीकार करने को कृपा करेंगे और इसे पारित करेंगे ।

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

मैं मान्यवर, आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे श्री जयदीप सिंह के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी और अपने इस पूरे सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संपल्प है कि ऊसर, परती और बंजर भूमि को उत्पादित बनाया जाय, इसका समर्थन भी करता हूं । मेरा कुछ कृषि कालेजों से सम्बन्ध है । मैं ऊसर, बंजर क्षेत्र निजामाबाद चन्देसर से आता हूं । मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से यह बात नहीं है कि अब तक ऊसर भूमि सुधारने के लिये सरकार ने कोई उपाय नहीं किये हैं । उपाय बहुत हुये हैं । लेकिन उस उपाय को पूरा करने के लिय सरकारी अफसर है और जो काम आप एक महीने में कर सकते हैं वह 15 महीने में करते हैं । यह बात सही नहीं है कि आज तक कोई विकास के लिये, सरकार की तरफ से अच्छा कदम नहीं उठाया गया । मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर जिले की जितने ऊसर भूमि है उसको ठीक करने के लिये अगर हम 425 लोग इस बात का संकल्प लें, कि हमारे क्षेत्र में जो ऊसर, परती भूमि है, 10,5 एकड़ या 50 एकड़ एक साल में उर्वरा बनायेंगे । तो मैं सरकार की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं, मैं कोई मन्त्री तो नहीं हूं, कि आपको जिसकी जरूरत होगी वह सहायता सरकार की ओर से मिलेगी । अब मैं कृषि मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मन्त्री जी के सामने कोष की कठिनई होगी, इसके लिये विधान बनाना होगा कि एक साल में इतना करें, दूसरे साल में इतना करें । लेकिन मेरा जो सुझाव है उसमें पैसा नहीं लगेगा । आपकी जो विकास योजनायें हैं ऊसर बंजर को उर्वरा बनाने, मेरा पहला सुझाव तो यह है कि इनको एग्रीकल्चर कालेज या इन्टरमीडिएट मे जहां एग्रीकल्चर हों, उनको वहां विकास खंड से सम्बद्ध कर दिया जाय और विकास खंड से सम्बद्ध कर देनें पर स्टाफ नहीं बढ़ाना पड़ेगा जो कालेज का स्टाफ होगा वही वहां रखा जायेगा । दूसरा काम यह है कि इस कार्य के लिये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, ऊसर को उर्वरा बनाने के लिये, पहला खाद, दूसरा पानी, तीसरा बिजली की जरूरत पड़ती है । इन चारों का प्रबन्ध होना चाहिये । खाद की समस्या मान्यवर, बड़ी भारी है । मेरा अनुमान है कि 2 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लगा दी जाय तो एक एकड़ ऊसर उर्वरा हो सकता है । तो इसमें यह करें कि अधिक से अधिक गोसदनों की स्थापना की जाय चूंकि वह कटती जा रही हैं जिससे बैल नहीं मिल रहे हैं । ट्रैक्टर कीमती है जिसको हर आदमी नहीं रख सकता है । इसलिये गोसदन प्रत्येक विकास खंड में खोले जायं तो उसको जो खाद होगी वह भूमि को उरवरा बनने में मदद करेगी । इससे खाद की समस्या हल होगी ।

दूसरा सुझाव है कि ऊसर को उर्वरा बनाने के लिये वृक्ष की जरूरत है चूंकि वह कटते जा रहे हैं । इसलिये जो वृक्ष ऊसर भूमि में लगते हैं उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां लगाया जाय और इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि सभी लोग वृक्ष लगायें। चूंकि हरे-हरे वृक्ष जिस प्रकार कटते जा रहे हैं उससे उर्वरा भूमि भी ऊसर के बराबर हो जायेगी। इसलिये ऊसर भूमि को उर्वरा बनाने के लिये सभी लोग प्रयास करें।

मान्यवर, कृषि का स्नातक आज पढ़कर खाली है। इसलिये उसको थोड़ी सी छात्रवृत्ति दे दें और उनको बता दें कि ऊसर भूमि को सुधारें और उसमें काम करें, इसलिये उनको कम से कम 100 रुपये 200 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दो वर्षों तक दी जाय। इस प्रकार खर्च कम होगा और जो उत्पादन के लिये कह रहे हैं वह बढ़ेगा। जो प्रस्ताव लाये हैं वह अच्छा है जिसको कोई भी नहीं चाहेगा कि बीहड़, ऊसर और बंजर जमीन अच्छा न हो, यह राष्ट्र और प्रदेश का सवाल है, तो इसके लिये सभी चाहते हैं कि जमीन हमारी उपजाऊ हो।

मान्यवर, भूमि आवंटन की बात जो कही जा रही है उसमें मैं जानना चाहता हूं कि जिस जिले और गांव में जो जमीन बची रहेगा वही तो आवंटित होगी। बुन्देलखंड की जमीन आवंटित होना है तो वह हो सकती है लेकिन जिन गांवों में जो ग्राम समाज की जमीन होगा तो आवंटन होगा वरना नहीं, जानबूझ कर जमीन का आवंटन नहीं होगा ऐसा नहीं होगा।

मान्यवर, ऊसर को समाप्त करने के लिये आज पानी की और बिजली की आवश्यकता है। इसलिये सभी विभाग मिलकर इसमें सहयोग दें जिससे उत्पादन बढ़ सके।

मान्यवर, कृषि में जो तमाम योजनायें चलायी गयी हैं तो उसी से आज हमारा उत्पादन बढ़ा है लेकिन इसके साथ-साथ आज जरूरी है कि नई कृषि पद्धति जो हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार गांवों में खेती करने वालों के पास पहुंचाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपका मतलब स्वायल एनालिसिस से है।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

मिट्टी का परीक्षण इसमें शामिल है। इस तरफ देखना चाहिये, गांव वालों को बुलाया जाय, हम सब लोग रहें और हर स्तर पर सुझाव आयें। जब मिट्टी का परीक्षण हो जायगा तब ऊसर को सुधार करने में हमारे लिये सहायता मिलेगी। अभी जो ऊसर सुधार की इनकी योजना है उसमें मिट्टी वगैरह का परीक्षण जो किया जाता है वह अधिक व्यापक रूप से नहीं हो पाया है अधिकतर वह कागज पर रह गया है। मिट्टी में जो कंकड़, रेह आदि चीजें हैं उनको निकाला जाय तो जमीन ठीक हो सकती है। और जो इस तरह की मिट्टी में शोरा, नीम की पत्ती, ढेंच आदि चीजें डाली जाती हैं वह डाला जायं तो ऊसर खत्म करने में सहायता मिलेगी। हमारे और आपके सहयोग से इसको पूरा करना है। मैं यह भी चाहूंगा कि जो हमारे एग्रीकल्चरल कालेजेज हैं या यूनीवर्सिटीज हैं उनका मदद हम ऊसर खत्म करने में और जमीन को उर्वरा बनाने में ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो मैं आपको एक

[श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--]

जगह बताता हूं जहां पर बहुत पैसा है । मेरा एक सुझाव है, जितने अधिकारी हमारे यहां लखनऊ में हैं उनको गाड़ी मिली है आप एक महीने का उनका पेट्रोल का हिसाब ले लें कि एक महीने में वह कितना पेट्रोल लखनऊ मे रहकर खर्च करते हैं । तो इसका हिसाब कफा आयेगा चाहे वह दौरा करते हों या न करते हों । तो महीने के लिये 200-400 रुपये अप बंधवा दें तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत पैसा बचेगा जिसका उपयोग आप भूमि सुधार करने के लिये कर सकते हैं । आपका यह जो संकल्प है यह बहुत अच्छा है । हमारी ऊसर और बीहड जमीन अधिक से अधिक उपजाऊ हो सके तो बहुत अच्छा हो । इस संकल्प के लिये मैं आपका आभारी हूं ।

*श्री खैरुल बशर--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, जो आपने मुझे माननीय जयदीप सिंह के संकल्प पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । हमारा जिला आजमगढ़ पूर्वी जिला है । आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया जिले....

श्री उपाध्यक्ष--

आप गोरखपुर को क्यों छोड़ रहे हैं ?

श्री खैरुल बशर--

मैं उसको भी जोड़े लेता हूं । मैंने गोरखपुर को देखा है वहां बड़ी जरखेज जमीन है । हमारे प्रदेश का सबसे अच्छा चावल वहीं से आता है । गोरखपुर का बांसमती चावल बहुत मशहूर है । तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि हम तो ऊसर के बीचो-बीच में पड़े हुए हैं । माननीय जयदीप सिंह जी ने जो संकल्प उठाया है, इस पर ऐसा लगा कि उन्होंने हमारी ही समस्या को यहां सदन में उठाया है । आज हमारे देश को 80 फीसदी आबादी का बोझ हमारे प्रदेश पर है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना यह है कि यहीं पर सबसे ज्यादा भूमि या 90 लाख हेक्टेयर ऊसर के रूप में बेकार पड़ी हुई है । आज देश को आजाद हुए 32-34 वर्ष हो गये हैं, लेकिन यह समस्या उस समय से आज तक वैसी की वैसी ही बनी हुयी है हमारे सामने । प्रदेश की सरकारों ने आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है ? मान्यवर, मैंने भूगोल को पढ़ा है सन् 38 में । उस समय सबसे ज्यादा भूमि टर्की में ऊसर थी । लेकिन यहां पर संतरे बहुत पैदा हुआ करते थे, जो काफी मात्रा में सड़ भी जाया करते थे, तो उन सड़े हुए संतरों को वह उन जमीनों को खोदकर उसमें गाड़ देते थे और इस तरह वहां पर काफी जमीन उपजाऊ की गयी, यह तो सन् 38 की बात है । लेकिन आज के रिसर्च के दौर में जहां आपने बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं और कर भी रहे हैं, फिर भी यह समस्या का हल आप नहीं निकाल पा रहे हैं, यह बड़े अफसोस की बात है ।

एक सदस्य--

माननीय मन्त्री जी ने शायद भूगोल नहीं पढ़ा होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री खैरुल बशर--

माननीय मन्त्री जी ने भूगोल को खूब पढ़ा है, लेकिन वह इस समय सत्ता के नशे में हैं, इसलिए जनता के दुख-दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं।

मान्यवर, मैं कलकत्ता और बम्बई भी गया, जहां पर हमारे प्रदेश के लोग भारी संख्या में मेहनत मजदूरी के लिए गये हुये हैं, मेहनत मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहां पर यह लोग भइया के खिताब से पुकारे जाते हैं, इनकी गरीबी और मजबूरी का वहां मजाक उड़ाया जाता है और वहां तमाम आदमी उझरिया खानों में काम कर रहे हैं। यदि वहीं जो भूमि बेकार है ऊसर और बंजर के रूप में पड़ी हुई है, अगर इस जमीन को उपजाऊ कर लिया जाता तो इससे हम अपने प्रदेश की गरीबी पर काबू पा सकते थे, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन आज हमारी हालत बद से बदतर दिन पर दिन होती जा रही है, चाहे जहां आप देख लीजिए चाहे कानपुर की मिलों का मामला हो कि सब के सब संकटग्रस्त हैं, चाहे चीनी मिलों का मामला ले लीजिए, जहां पर किसानों को पैसा आसानी से नहीं मिलता तो इस तरह के जो संकट हैं वह 32-34 वर्षों के संकट हैं और आप पूंजीवादी नीति को छोड़ नहीं रहे हैं, जबकि रूस के बड़े-बड़े मुल्कों ने इसको छोड़ दिया है लेकिन आप इसे अपनाकर समझ रहे हैं कि हम बहुत प्रगति पर हैं और बहुत ही उन्नतिशील शिखर पर हैं, लेकिन मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज हमारा देश 12वें नम्बर पर है और आप कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा औद्योगिक देश हो गया है, लेकिन यह नहीं मानते हैं कि हमारा देश दुनिया के उन 125 देशों में से सबसे पिछड़ा हुआ देश है। हमारा देश उन 10 देशों में है, जो सबसे गरीब हैं। गरीबी की रेखा के नीचे है।

श्री ऊदल--

उपाय बताइये कैसे धनी हो जायं ?

(हंसी)

श्री खैरुल बशर--

आगे आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोलिए, यह तो आपके जिले के बारे में आपको कोई सजेशन दे रहे थे।

(हंसी)

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, श्री जयदीप सिंह ने एक ऐसा संकल्प रखा है, जिसका हमें हृदय से स्वागत करना चाहिये और श्री जयदीप सिंह का अभिनन्दन करना चाहिए। उनका उस जिले से सम्बन्ध है जहां ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने रखी है। वे हमारे दल से सम्बन्धित हैं, प्रगतिशील विधायक दल से--एक छोटा सा दल और बहुत बड़ी बात कि एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले को चारों तरफ से आशीर्वाद और बधाइयां मिलें।

श्री खैरुल बशर--

हमारे जिले और सारा पूर्वी उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं ।

[समय 3.21 अपराह्न]

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री और माननीय सदन का ध्यान मैं अपने जिले की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । हमारा जिला दो दरियों (नदियों) से घिरा हुआ है--सई नदी और बकुलाही । सई नदी के किनारे-किनारे बहुत बीहड़ हैं और माननीय कृषि मंत्री जी, मैं आपको आमन्त्रित करता हूं कि आप हमारे जिले में आयें । इतनी तेजी से उसका कटाव बढ़ रहा है कि साल दो, साल दो साल के अन्दर बहुत से गांव उसकी चपेट में आ जायेंगे । दोनों दरियों के पेट में समा जायेंगे । इसको हमसे पहले भी हमारे जनपद के विधायकों ने रखा था । राजा साहब प्रतापगढ़ जो मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस समस्या को रखा था, लेकिन अभी तक कोई काम उस दिशा में नहीं हो रहा है । यह बात और भी पता हो गई है कि जो नाले या नहरें हैं, वह भी काटकर उसी में मिला दी गई हैं, उससे कोई साल ऐसा नहीं जाता है जब कि मामूली सी भी वर्षा हो तब भी पूरा का पूरा इलाका, बहुत बड़ा इलाका जनपद का बाढ़ से प्रभावित न होता हो । यह कोई एक साल की समस्या नहीं है, हर साल की समस्या है, चाहे बारिश कम हो या ज्यादा हो, इस समस्या पर जो ह्यूमन समस्या है मानवीय समस्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । मैंने इस सम्बन्ध में पत्र लिखा, सदन में भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे । यह समस्या खर्चीली है इसके निदान के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता है कि कैसे कटाव रोका जा सकता है कैसे दरिया को बांधा जा सकता है और उसके पानी को कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है । अब बीहड़ भूमि की समस्या है कि कैसे उसे उपजाऊ और कृषि योग्य बनाया जाय ? श्रीमन्, मेरा इस सम्बन्ध में कहना यह है कि बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाते-बनाते कहीं हम प्रकृति से दूर न चले जायं । आज आप देखें कि जंगल की बहुत कटाई हो रही है, दूसरे स्वायल-रोजिन की एक समस्या है, बारिश न होने की समस्या है, इसलिए इन सब बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है ।

आज आप गांवों की हालत देखें । मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम एक हजार कदम यदि आगे चल रहे हैं तो उसके साथ ही 195 कदम पीछे को आ रहे हैं । पहले जगह-जगह पोखर और तालाब हुआ करते थे । अब सारे तालाब समाप्त हो गये हैं । जिन जमीनों पर चरागाह हुआ करते, वह सारे चरागाह समाप्त हो गये हैं । गांव में बहुत चरागाह पड़े हुए थे, मुझे अपने बचपन की अच्छी तरह से याद है कि कितनी ही जमीनों पर चरागाह पड़े हुए थे जिन पर जानवर चरते थे । अच्छी तरीके से जानवरों की परवरिश होती थी । अब सारे चरागाह ही समाप्त कर दिये गये हैं, जानवरों के चरने के लिये कहीं चरागाह रखे ही नहीं गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय, आपको अपने बचपन की क्या सारी बातें याद हैं ?

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, अब इसका जवाब मैं आपको कभी दे लूंगा किसी समय । तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक इंच जमीन गांव में नहीं बची हुई है । एक तरफ तो आप मार्डनाइज करना चाहते हैं गांव को । परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि चरागाहों की आवश्यकता हार्स ब्रीडिंग के लिए, एलीफैण्ट ब्रीडिंग के लिए है । ऊसर भूमि, बंजर भूमि इस काम के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है । यह कहना कि सारी भूमि को उपजाऊ बना दो, प्रकृति की खूबसूरती को नष्ट करना है, इससे नेचर की जो खूबसूरती है वह समाप्त हो जायेगी । हार्स और एलीफेंट ब्रीडिंग के ऊपर जिसके सहारे पर हमारी कृषि रुकी हुई है, वह सब चीजें नष्ट हो जायेंगी । इसलिए इस काम को बहुत ही समझदारी से करने की जरूरत है । मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई इक्सट्रीम पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है । एक समस्या ही दूसरी समस्या की पूरक है । हमारे जनपद में बहुत ऊसर है और वह ऊसर यों ही पड़ा हुआ है । यह ऊसर निम्न श्रेणी का है । यह ऊसर आज से 30, 40, 46 साल पहले था, वह सब तो समाप्त हो गया है और वह लैण्ड कल्चरेबिल हो गई है, वहां धान की खेती होती है । इसके अलावा जो इस समय ऊसर पड़ा हुआ है, वह बहुत ही निम्न श्रेणी का है । उसे बहुत से साइंटिफिक तरीकों से उपजाऊ बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा है ।

मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरी समस्या जो हमारे जनपद में है, उसको जरूर देखना होगा । अभी जैसा कि मैंने कहा सई नदी के बारे में और बकुलई नदी के बारे में । सई नदी से ज्यादा बकुलई नदी से नुकसान हो रहा है । वह जुल्म ढाये हुए है जिससे तबाही पैदा होती है । मैं आशा करता हूं कि आप इस पर पूरा ध्यान देंगे ।

इसके अतिरिक्त जो संशोधन आये हुए हैं ऊसर भूमि की समस्या के बारे में, उसका बहुत ही समझदारी से देखने की जरूरत है । यह नहीं की सारी भूमि पर बुलडोजर चलवा दिया जाय । मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां तक हो सके कृषि को जाय परन्तु दूसरी तरफ भी ध्यान दिया जाय । कहीं ऐसा न हो कि प्रकृति की खूबसूरती ही हम नष्ट कर दें और हमारी अन्य जरूरतों का भी समाधान न हो । इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान उक्त समस्याओं की ओर आकर्षित करता हूं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपके समक्ष यह बात आ गयी है कि वक्फ की बातें हो रही हैं इसलिए मैं समझता हूं कि सब लोग इस मामले में ही एक मत हैं अतः मंत्री जी अगर इस बात को स्वीकार कर लें तो...।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें मेरी व्यवस्था की बात कोई नहीं है अगर आप चाहते हैं तो क्लोजर मूव करें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर लें, सब लोग पक्ष में ही बोले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके क्लोजर मूव करने के बात ही मैं मंत्री जी से कहूंगा । आप क्लोजर मूव कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

उस समय मूव करने के लिये तैयार हूं जो मंत्री जी से प्रश्न किया है अगर हमारे उत्तर से सहमत हैं तो मैं मूव करने के लिए तैयार हूं और प्रस्तावक महोदय से भी कहूंगा, वह मेरी बात से सहमत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं और भी बहुत से लोग हैं इस पर बोलने वाले, इसलिए कोई व्यवस्था का तो प्रश्न है नहीं ।

*श्री धनी राम वर्मा—

माननीय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान ह और लगभग 70 प्रतिशत लोग खेती पर ही निर्भर हैं । इसके साथ ही साथ खेतिहर मजदूर भी करीब 15 प्रतिशत हैं जिनके पास नाम-मात्र की भी खेती नहीं है । यदि माननीय कृषि मंत्री मेरे चन्द सुझावों को दृष्टिगत रखें तो निश्चित तरीके से वह 15 प्रतिशत लोग जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है, जमीन मिल सकता है और उनके परिवार की रोजी-रोटी मिल सकती है । देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सकत है । आज विदेशों से खाद्यान्न, खाद्य तेल, शुगर मंगायी जा रही है । बीहड़ और ऊसर भूमि सुधार के संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें रखी । हमारे जिले इटावा में बहुत सी भूमि है लेकिन जल भराव के कारण बकार हो रही है, खेती नहीं होती है । कई जिलों में ऐसा है जहां जल-भराव की समस्या है । यदि कृषि मंत्री महोदय वहां से जल-निकासी की व्यवस्था करा दें तो निश्चित तरीके से लाखों हेक्टेयर जमीन बहुत उत्तम किस्म की जिसमें धान और गहूं पैदा हो सकता है, उपलब्ध हो सकती है और वह भूमि जो उपलब्ध होगी उसका आवंटन खेती करने वालों को किया जायेगा तो निश्चित तरीके से अच्छी तरह से खेती होगी साथ हीसाथ अधिक अन्न पैदा करेंगे जिससे हमारा देश और प्रदेश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सकता है ।

माननीय, जितने नाले खुदवाये गये हैं, मैंने देखा कि कहीं-कहीं व्यवस्था की गयी है, जल भराव को समाप्त करने के लिए लेकिन वह नाम-मात्र के लिए है । जहां अच्छी भूमि से पानी निकालकर उसे उपजाऊ बनाना है वहां से पानी नहीं निकाल रहे हैं और जहां अच्छी भूमि निकल ही नहीं सकती है वहां से पानी निकालते हैं इसलिए मेरा मंत्री जी से यह सुझाव है कि पहले प्रदेश का सर्वेक्षण करवायें और जहां अच्छी भूमि हो वहां से जल निकालकर उसे खेती योग्य बनायें । दूसरी चीज यह है कि ऐसी भी बहुत सी भूमि है जहां पानी भरा रहता है और उसका जल भराव साफ नहीं हो सकता है और वह तालाब के रूप में है तो उसके लिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यहां पर हजारों की संख्या में कहार जाति के लोग हैं यदि उनको यह तालाब दे दिये जायं तो उसमें वह लोग सिंघाड़ा लगा दें तो निश्चित रूप से उन कहार परिवारों को रोजी रोटी मिल सकती है और बहुत सा सिंघाड़ा खाद्यान्न के रूप में मिल सकता है जिससे काफी हद तक खाद्यान्न समस्या भी हल हो सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, ऊसर भूमि सुधार की बात कही गई लेकिन वह किसी प्रकार भी नहीं हो सकता है क्योंकि यह ऊसर भूमि गरीबों को दी जाती है और उस गरीब के पास न तो बैल हैं, न खाद है और न बीज है और न ही उसको सुधारने के लिए उसे कोई पैसा या सब्सीडी दी जाती है तो ऐसी स्थिति में ऊसर भूमि को सुधारने की योजना कभी सफल नहीं हो सकती है और ज्यादतर यह भूमि हरिजन परिवारों को आवंटित की गई है लेकिन उन हरिजन परिवारों को इससे किंचित मात्र भी फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहूंगा कि जहां कहीं भी इन परिवारों को ऊसर भूमि उपलब्ध कराई जाय वहीं पर उनके रहने की व्यवस्था भी की जाय और साथ ही साथ उसके सुधार के लिए उन्हे पैसा दिया जाय और ऊसर भूमि को सुधारने की विशेष व्यवस्था की जाय। ऊसर भूमि की ऊंची मेड़बन्दी होनी चाहिए और पानी निकालने की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक पानी निकालने की उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक ऊसर भूमि को किसी भी प्रकार उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता है।

मेरे क्षेत्र इटावा में एक तिहाई से ज्यादा ऊसर भूमि है लेकिन वहां पर एक परसेन्ट भी सुधार नहीं हुआ है। यहां एक सुझाव और देना चाहूंगा कि धान की भूसी को जैसा कि मैंने अनुभव किया है और देखा है कि उसको जला दिया जाता है। यदि यह भूसी ऊसर भूमि में डलवा दी जाय तो निश्चित रूप से वह जमीन साल दो साल में खेती योग्य भूमि हो सकती है। वह बेचारे गरीब धान की भूसी ला नहीं सकते हैं इसलिए डालने का प्रश्न ही नही उठता है तो मैं यह चाहूंगा कि धान की भूसी डालने की व्यवस्था की जाय। इस तरह से ऊसर भूमि का सुधार हो सकता है। इसी तरह से हमारे जिले में जैसा कि माननीय सदन को ज्ञात है कि वहां पर डाकू की समस्या बनी हुई है।

हमारे यहां जमना, कुवारी आदि बीयर हैं जो वहां सारे जिले के डकैत भरे रहते हैं। अगर इस बीहड़ भूमि का सुधार कर दिया जाय और इसके लिये थोड़ा भी प्रयास किया जाय तो बहुत अच्छी भूमि निकाली जा सकती है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि वहां पानी बहुत गहराई पर है। जो खेती करना भी चाहता है वह पानी न होने की वजह से खेती नहीं कर पाता है। मात्र लाही व बाजरा ही बो पाता है। अभी वहां पानी नहीं बरसा इसकी वजह से वहां कुछ भी खेती नहीं की जा सकी है। ऐसी स्थिति में जो भूमि दीयर से निकले उस भूमि में थोड़ा प्रयास करके अच्छी खेती की जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक है कि इसके लिये वहां पानी की व्यवस्था करायी जाय। गहराई पर पानी होने की वजह से कोई अपना निजी नलकूप नहीं लगा सकता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह अपनी तरफ से वहां पानी की व्यवस्था करा दे ताकि हमेशा के लिये वहां पर डाकू समस्या का समाधान भी हो जाय। इससे उधर के हजारों परिवारों को रोजी रोटी मिलेगी और बड़ी मात्रा में खाद्यान्न भी मिलने लगेगा। इसके साथ ही साथ ऊसर भूमि के सुधार के लिये आवश्यक है कि ऐसी भूमि में बोरिंग करवायी जाय और उन खेतों कों पानी से भरवाया जाय और उसके बाद उसकी निकासी कर दी जाय तो निश्चित रूप से ऊसर भूमि का सुधार हो जायेगा। मेरे ब्लाक में सरकार की तरफ से ऊसर भूमि का सुधार कार्य कराया जा रहा है लेकिन अभी तक एक हेक्टर जमीन का भी सुधार नहीं हो सका है। कारण यह है कि न तो वहां मेड़बन्दी की गयी है और न पानी की व्यवस्था ही की गयी है, न खेतों को जोतवाया गया है। कहा जाता है कि वृक्षारोपण करके इस भूमि को उपजाऊ बनाया जायेगा और फिर उसमें खेती करेंगे। जब तक ऊसर भूमि में सीड रहेगा तब तक कैसे वे वृक्षारापण कर सकेंगे, मेरी समझ म नहीं आता।

[श्री धनी राम वर्मा--]

मैंने देखा है कि जहां अच्छी जमीन है वहां पर तो एकाध वृक्ष दिखायी पड़ते हैं, वरना नाम के लिये भी वहां कोई वृक्ष नहीं है । जो पहले थोड़े बहुत लगाये गये वे भी खतम हो गये हैं ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय कृषि मंत्री महोदय, स्वयं सिंचाई विभाग से सम्पर्क करके ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहां पानी का समुचित जमाव हो सके । साथ ही साथ जुताई व मेड़बन्दी की व्यवस्था भी की जाय तभी जाकर ऊसर भूमि में सुधार हो सकता है वरना ऐसे तो ऊसर भूमि के सुधार का कोई प्रश्न ही नहीं है । इसके बिना आज जो भी स्कीम्स चल रही हैं वे सब व्यर्थ हैं । यह भी देखा गया है कि ऊसर भूमि बड़े-बड़े काश्तकारों को दे दिया गया है ताकि वे उसमें खेती करके उसका सुधार कर सकें । लेकिन वे उसमें कहीं भी खेती नहीं कर रहे हैं । ऐसे खेत अगर गरीब आदमियों के पास होते और उनको सारी सुविधायें दी गयी होतीं तो निश्चित रूप से वह भूमि आज उपजाऊ होती और वे गरीब लोग भी सम्पन्न होते । इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे ऊसर भूमि में सुधार के लिये पानी का व्यवस्था अवश्य करें वरना कुछ होने वाला नहीं है ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय जयदीप सिंह जी ने जो संकल्प पेश किया है, इस समय यह तो सभी समझते हैं कि जो जमीन प्रदेश के अन्दर ऊसर, बंजर व परती के तरीके पर मौजूद है उनको कृषि योग्य बनाया जाय । परन्तु इसके जरिये श्री जयदीप सिंह ने इस बात का प्रयास किया है कि उसके डेवलपमेन्ट की जिम्मेदारी किसके ऊपर हो । सरकार की मौजूदा कोशिश तो यही है कि हर गांव के अन्दर इस तरह का ऊबड़-खाबड़ जो जमीन निकाली जाय उसे भूमिहीन हरिजनों को यानी समाज के उस वर्ग को सौंप दिया जाय जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब है । देहात के अन्दर एक भद्दी मसल है कि "जो बछिया बिलकुल नकारा हो उसे पंडित जी के हवाले कर दिया जाय कि लीजिये पंडित जी हमने इसे आपको दान कर दिया ।" बिलकुल वही हाल सरकार का है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो अभी बछिया है उसके नकारा होने का सवाल ही क्या है ?

श्री रियासत हुसैन--

जो किसी काम की न हो उसे पंडित जी के हवाले किया जाता है । वही पोजीशन यहां भी है कि एक तरफ तो सरकार भूमिहीनों को हरिजनों को सम्मान देने के लिये हर गांव में एक बीघा, दो बीघा या एक एकड़ जमीन देना चाहती है ताकि वे भी इस बात को महसूस करें कि हम भी इस गांव में इतनी जमीन के मालिक हैं और दूसरी तरफ फिर उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस जमीन को उपजाऊ बनावें और उसमें कुछ पैदा करें । यह बिलकुल उसी तरह की बात हो जाती है कि उनको कहने का अधिकार हो जाता है कि हां, हम भी इस गांव में कुछ जमीन के मालिक हैं । परन्तु दूसरी बात जो है उसको वह नहीं कर पाता । इसलिए नहीं कर पाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्योंकि जो रिसोरसेज हैं, सरकार की जो मदद है, वह इतनी थोड़ी होती है कि वह जमीन को उपजाऊ बनाने की हद तक नहीं पहुंच पाती नतीजा यह होता है जमीन ज्यों की त्यों पड़ी रहती है या यह होता है कि जमीन को किसी दूसरे आदमी को उठा दिया जाता है लगान पर या अनाज पर । मतलब यह है कि उस का अपना इनवेस्टमेंट नहीं हो पाता । इस प्रस्ताव के जरिये से स्पष्ट एक रूप रेखा यह है कि जिस तरीके से एक प्रकार की जन शक्ति पिछली सरकार के जमाने में बनी थी ।

मुझे अच्छी तरह से याद है कि बी० जे० पी० ने लैण्ड आरमी का सुझाव रखा था और यह कहा था कि लैण्ड आरमी बनाई जायगी और इसलिए बनाई जायगी कि बंजर, ऊसर भूमि पड़ी है उसको डेवलेप किया जाय सरकार के खर्च के ऊपर और उसको उपजाऊ बनाया जाय । लैण्ड आरमी की बात की थी । उसी तरीके से जयदीप जी ने यह जिक्र किया कि जन शक्ति का प्रयोग हो और सरकार की जिम्मेदारी हो कि वह उस जमीन को उपजाऊ बनाये । अब इस वक्त आप हालात देख रहे हैं । जनसंख्या बढ़ रही है । कांग्रेस सरकार ने बहुत कोशिश की कि जनसंख्या कम हो जाय और कुछ जो इस सिलसिले में कदम उठाये तो पता चला कि सरकार चौखाने चित्त हो गई । जो सेन्सेस हुआ है उसको देखते हुये यह पता चलता है कि जनसंख्या इस सेन्सेस में भी उसी रेट पर पिछले सेन्ससों में बढ़ी । आज चौथा दिन है । शाम को रेडियो में 7.20 पर ब्रोडकास्ट हुआ कि चार लाख नसबन्दी आपरेशन किये जायेंगे । सिर्फ इतने रेडियो से ऐलान से ही जनता में हल्ला मच गया कि चार लाख का टारगेट फिर आ गया । खुदा खैर करे । सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एलान यह है कि सूबे को सरकार चार लाख नस बन्दी आपरेशन कराये। और यह पता नहीं आपकी ताकत है या मेरी ताकत, मैं अपने को भी जोड़ रहा हूं, या माननीय नेता विरोधी दल की ताकत अगर उनकी सरकार बन जाय तो, हर एक की ताकत बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक ले वह ताकत से बाहर है । जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन जमीन तो बढ़ेगी नहीं । नेचुरली 20 प्रतिशत जो इस प्रदेश की बंजर, ऊसर, बीहड़ जमीन पड़ी है उसे सरकार के साधनों से उपजाऊ करा लें तो आप की क्रेडिब्लिटी होगी । इसलिए यह जो प्रस्ताव है इस प्रस्ताव को इस लाइट में देखा जाय कि जो हम बांट रहे हैं उसको हम डेवलेप करके, जमीन को उपजाऊ करके, तब दें । यदि आप बांटना चाहते हैं तो किन्हें आप दे रहे हैं । भूमिहीनों को देंगे, हरिजनों को देंगे । जिस किसी को दें । कम से कम उसको इस लायक बना कर दीजिए कि वह आदमी अपनी मेहनत लगा कर उससे कुछ पैदा कर सके, उसे उससे कुछ मिले । ऐसा न हो कि जैसा इस वक्त दिया जा रहा है । आपने जमीन दे दी । उपजाऊ बनाने के लिए खाद दे दी । बैंक ने प्रोग्राम बनाया और कहा कि भूमिहीनों को लोन दिया गया है, इतने कट्टे खाद के दे दिये हैं । गांवों में बहुत से आदमी ऐसे हैं । जो अपने खेत में खाद का प्रयोग करने के लिए कहते हैं कि तेरे पास जमीन कहां है ले इसे हमें दे दे । उसने खाद दस रुपये कम में दूसरे आदमी को दे दी । नौ नकद न तेरह उधार। नौ नकद कर लिये । जब बैंक की वसूलयाबी का वक्त आया साल, दो साल, के बाद तब वह आदमी कहता है कि मैं कहां से दूं खाद तो वह ले गया । कहने का मतलब यह है कि बंजर भूमि को डेवलप करने के लिए रुपया देंगे तो वह भूमि ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी । मैं मान्यवर, उड़ीसा की मिसाल देना चाहता हूं । वहां पर एक सिस्टम है । जो वहां पर सरकारी कैनाल हैं या सड़कें हैं उसमें सरकार अपनी तरफ से नारियल के पेड़ लगाती है । जब उस नारियल के पेड़ की पूरी परवरिश हो जाती है तो उनको दस-दस पेड़ों में हरिजनों को बांट दिया जाता है । तब वह फल देने लगते हैं। फल देने के

[श्री रियासत हुसैन---]

समय तक उन पेड़ों की सारी जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की होती है । इस तरह से जो फल वह पेड़ देते हैं सौ-सौ सवा सौ-सौ, वही उन हरिजनों का सोर्स आफ इन्कम होता है । उसी से उनकी हैसियत भी मानी जाती है । फल देने के बाद वे हरिजन ही उनकी देखरेख और हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं । यह जिम्मेदारी की बात है । इसी तरह से यह जो बंजर भूमि है वह उपजाऊ हो सकती है । यही इस संकल्प की मंशा भी है । उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने तक की जिम्मेदारी सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए । सरकार अपने साधनों और शक्ति से खाद और आधुनिक वैज्ञानिक ढंग का इस्तेमाल करके उस भूमि को उपजाऊ बना सकता है । इसलिये जो यह संकल्प लाया गया है यह बहुत अच्छा है, इसके अंदर अच्छे-अच्छे सुझाव दिये गये हैं । जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों की भावना है कि आज यहां पर जो 15/20 प्रतिशत जमीन है कल्टिवेबुल लैंड है किन्तु खाद आदि न मिलने के कारण वह उपजाऊ नहीं है । इसको सरकार अपने हाथ में लेकर सिंचाई के साधनों को मुहैय्या करके, खाद की व्यवस्था करके उसे उपजाऊ बना सकती है और ग्रामीण समाज के गरीब लोगों को दे सकती है । इससे उनकी हैसियत भी बढ़ जायेगी और वह एक नेशनल एसेट भी हो जायेगी । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सुझाव को अवश्य मान लेंगे । इसको मान लेने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी ताकि प्रदेश में जो जमीन बेकार पड़ी हुई है वह कारामद हो उसमें उपज शुरू हो ताकि प्रदेश का गरीब तबका लाभान्वित हो ।

*श्री राम स्वरूप निम---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जयदीप सिंह जी के संकल्प पर जो सुझाव दिये गये हैं उसके सम्बन्ध में अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि सुझाव अच्छा है और मंत्री जी को मान लेना चाहिये । इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कृषि के बारे में कभी भी अनदेखी नहीं की है लेकिन 30/34 साल के शासन काल में दो-ढाई साल के शासन को छोड़कर कांग्रेस सरकार ने कितना त्याग किया है यह इस संकल्प से स्पष्ट होता है । माननीय सदस्य ने आंकड़े देते हुये यह भी बताया कि इस प्रदेश की 70 प्रतिशत जमीन या तो बंजर है या परती है या बीहड़ है । इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नीति कृषि विरोधी है, मजदूर विरोधी है और उसने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा है । इन्हीं गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश के सामने ऐसी समस्या खड़ी हो गई है । मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि आज अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों लोग पूर्व से पश्चिम की ओर हजारों की संख्या में भाग रहे हैं । उनकी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाता है । आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है । निश्चित रूप से वहां अगली फसल भी पैदा होना मुश्किल है । इन सारी चीजों के बारे में सरकार को मालूम है कि हर साल बारिश के बाद बाढ़ भी आती है तो उसके लिए कारगर उपाय नहीं करती है । जब बाढ़ आती है तो उपजाऊ भूमि की अच्छी मिट्टी पानी के साथ बह जाती है और भूमि कमजोर हो जाती है, पानी के बहाव से जमीन में कटाव होता है और दूसरी ओर जहां पानी भर जाता है वह भूमि भी ऊसर हो जाती है । तो इन स्थितियों में बाढ़ के सम्बन्ध में कोई कारगर स्कीम बनानी चाहिये । जिससे पानी को रोका जा सके । उससे दोहरा लाभ होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जिस जिले से मैं आता हूं वहां गंगा और जमुना दोनों नदियां बहती हैं। उस जगह में जहां गंगा और जमुना पहाड़ों से मैदानों में उतरती हैं वहां पर बांध बना दिये जायं तो पानी का बहाव कम हो जायेगा और उससे जो मैदानों में आकर पूर्वी जिलों में तबाही होती है, वह डूबने लगता है वह नहीं होगा। इस तरह का एक सर्वेक्षण भी हुआ था जो रश्यन पार्टी ने किया था और राय दी कि पूरे हिमालय की तलहटी में इस तरह के बांधों की स्कीम बना दी जाय जिससे ऊपर से जो पानी बहकर आता है उसे रोका जाय। उससे बिजली भी पैदा की जा सकती है और जब बारिश नहीं होती है उस समय नहर निकाल कर सिंचाई भी की जा सकती है। इससे हमारा दोहरा लाभ होगा। हमारे पहाड़ी इलाके में जो जमीन है उसमें कुछ पैदा नहीं होता है। क्योंकि पहाड़ एकदम उठे होते हैं और नदी एकदम नीचे होती है उसमें अगर एक दीवाल खड़ी कर दी जाती है तो उससे पानी रोका जा सकता है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर भौगोलिक दृष्टि से इस पर सोचें और कोई योजना बनाये तो इससे बड़ा लाभ होगा। अभी हम एक कमेटी में मिर्जापुर गये थे। वहां एक वनवासी आश्रम है, वहां पर छोटी-छोटी नदियां हैं और पथरीला वह इलाका है, उन्होंने बताया कि हम बीच में छोटे-छोटे बांध बना लेते हैं और पूरी नदी को एक तालाब की शक्ल में कई जगह बांध देते हैं। उससे फायदा यह होता है कि जगह-जगह उस नदी का पानी रोक लिया जाता है जिसको बाद में कृषि के लिए सिंचाई के काम में लाया जाता है। क्योंकि वहां पर जमीन पथरीली होने की वजह से ट्यूबवेल नहीं लगाये जा सकते हैं। यह बड़ा उपयोगी और अच्छी योजना है इस पर कृषि मंत्री जी विचार करें। ठीक यही स्थिति आज चम्बल घाटी की है। माननीय सदस्य धनीराम जी कह रहे थे कि वहां चोरों और डाकुओं के घर बन गये हैं जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जो पैसा आज हम पुलिस और पी० ए० सी० में डकैतों के उन्मूलन के लिए खर्च कर रहे हैं वहन करके अगर इन पांचों नदियों पर बांध बना दिये जायं तो उससे उन डाकुओं का रहना भी दूभर हो जायेगा, निश्चित रूप से इससे डकैतों की समस्या का भी समाधान होगा और बीहड़ भूमि को हम उपजाऊ भी बना सकेंगे।

इसके अलावा इस सरकार के क्या कारनामें हैं उनके बारे में सदन में कहते हुए दुख होता है। मैं इस दफा निदेशक, कृषि के पास एक स्थानान्तरण के के लिए गया उन्होंने मुझे जवाब दिया कि यह सारे लोग पश्चिम के रहने वाले हैं, सारे ट्रेनिंग स्कूल पश्चिमी इलाके में हैं। अब अगर हम इन लोगों को वहां ट्रांसफर कर देंगे तो यहां कौन रहेगा। तो आज तक यह सरकार इस तरह का कोई ट्रेनिंग स्कूल जो कि इन सारी समस्याओं का समाधान करे और बीहड़ भूमि किस तरह उपजाऊ हो नहीं बना पायी। ऊसर भूमि को किस तरह से उपजाऊ बनाया जाए, इन सारी समस्याओं के लिए पूरब में कृषि विभाग की ओर से कोई

[समय चार बजे अपराह्न]

स्कूल या ट्रेनिंग सेन्टर की व्यवस्था नहीं की गई है। सारी यूनिवर्सिटी नैनीताल, दिल्ली तथा पूना इत्यादि में हैं, जो कृषि के बारे में रिसर्च आदि कर रही हैं। यह सारी की सारी पश्चिमी इलाके में हैं। वस्तुतः हो यह रहा है और इसी कारण से पूर्वी इलाकों का विकास रुकता जा रहा है। यह समस्या स्वतः पैदा होती जा रही है, यहां पर जब जमीन बंजर और जल भराव वाली है तो मजबूरन यहां के आदमी को अन्य कोई रास्ता चुनना पड़ता है। इसलिए आज यहां का आदमी कृषि को करने के लिए नहीं है। एक तो उसके पास साधन नहीं हैं और साधन हैं भी तो उस पर खर्च इतना ज्यादा आता है कि उसका लागत व्यय यह

[श्री राम स्वरूप निम—]

सरकार देने के लिए तैयार नहीं है । जब लागत मूल्य उसको नहीं मिलेगा तो वह खेती करना क्यों पसन्द करेगा । इसलिए यह समस्या और बढ़ती जा रही है । इसके लिए कोई कारगर उपाय इस सरकार ने नहीं किया, तो निश्चित रूप से यह समस्या बढ़ेगी । अब रहा सवाल पेड़ों के कटवाने का और बीहड़ व रेगिस्तान बनने का तो यह भी सरकार का ही दोष है । यदि एक पेड़ काट लिया गया है तो उसका समाधान किया जाए । कोई भी माननीय सदस्य इधर या उधर का, कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि उसको पेड़ काटने की वजह से यह सजा दी गई है । जो आदमी पेड़ काटता है या जो अधिकारी पेड़ काटने की इजाजत देता है उसके खिलाफ कार्यवाही अवश्य होनी चाहिये । आप यदि वन विभाग के पास चले जाएं और उनसे कहें कि पेड़ काटना है । तो चाहे जितना अवैध हो वह आपसे पूछेंगे कितने का बिक जाएगा और आप कहेंगे कि 4 हजार का बिक जाएगा तो वह यह कहेंगे कि उसमें से कुछ हमको भी दे दिया जाए । वह दे देगा तो उसका समाधान हो जाता है, देश, प्रदेश और मानव समाज चाहे चूल्हे–भाड़ में जाए । इस सरकार का इतना दिवाला निकल गया है कि वह इन समस्याओं को हल करने के बारे में जरा भी संकेत नहीं देती है । इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह प्रदेश का दौरा करें । वह बरेली में पैदा हुए हैं, बरेली में जाते जरूर हैं, भत्ता मिल ही गया है वह इस तरह के कारगर उपाय सोचें । यदि उसके लिए आपके पास धन नहीं है तो जैसा हमेशा इस देश, प्रदेश और समाज ने किया है कि जब वह अपना कोई काम करवाना चाहती है तो उसने श्रमदान से करवाया है, तो इस कार्य को भी श्रमदान से करवाइये । लेकिन उसके लिए थोड़े साधन आप भी जुटवाइये । साथ ही मैं कृषि मंत्री और सम्मानित सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार की ऊसर भूमि है, जहां कोई पैदावार नहीं हो सकती है, उसे इस प्रकार कार्यों के लिए विचार करें । आज गांवों का आदमी शहर की ओर इसलिए भाग रहा है कि वहां पर ग्रामीण विकास करने के लिए कुटीर उद्योग नहीं है और सरकार इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है । इसलिए कृषक अपने खेतों से कम आमदनी के कारण शहर की ओर भागने के लिए विवश है । यहां के मजदूर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है सरकार की गलत नीति के ही कारण । जो भी मन्त्री हैं वे राजा प्रवृत्ति के हैं, एशोआराम से रहने वाले हैं, वे किसान की जिन्दगी को क्या समझे । हमारे मुख्य मन्त्री जी हैं उन्होंने तो कभी हल पकड़ कर नहीं देखा होगा । किसानों की समस्या का हल केवल वही कर सकता है जो वास्तव में किसान का बेटा होगा और मन्त्री होगा । वही किसान के असली दुख दर्द को समझ सकेगा । अभी हमारे एक साथी ने कहा कि जो जमीन ग्राम समाज की होगी वही एलाट होगी । ठीक है, मगर जो जमीन एलाट होती है किसी हरिजन या भूमिहीन किसान के नाम, उस भूमि पर उसका वास्तविक कब्जा मिलता ही नहीं है । एक भी जिला ऐसा माननीय मन्त्री जी इस प्रदेश के अन्दर नहीं बता सकते जहां यह कह सके कि वह जो जमीन एलाट की गयी है उसका कब्जा भी लोगों को दिला दिया गया है । यह सारी समस्यायें ऐसी हैं जिनके हल के लिये कुछ करना आवश्यक है । उसके लिये कोई नीति बनानी होगी ।

मान्यवर, उदाहरण के लिये नानपारा बिजली घर है, मैंने उसको देखा, वहां के इंजीनियरों से मैंने बात की कि आपके यहां कोई ट्रेनिंग स्कूल भी है या नहीं उन्होंने बताया कि कोई नहीं है । मेरा निवेदन है कि जो इन्जीनियर्स हैं, जो काम जानते हैं, जो जहां रहते हैं, वहां पर एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोला जाना चाहिये ।

इससे आपको रशा और अमेरिका का मुंह नहीं देखना होगा। आपके यहां ही अच्छे इन्जीनियर्स पैदा हो सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय मन्त्री जो इस संकल्प को स्वीकार करें । यह संकल्प निश्चय ही बड़े महत्व का है । इसे स्वीकार कर अगले बजट में इसके लिये प्राविधान भी करें ताकि बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके ।

*श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिये अवसर दिया । मान्यवर, हमारे प्रदेश में जो ऊसर, बन्जर, परती और बीहड़ भूमि है, उसमें कुछ तो हमारे प्रयास से कामयाबी मिली और हमारे परिश्रम के फलस्वरूप कुछ भूमि उपजाऊ हुई । मान्यवर, दूसरी तरफ जो कुछ खामी रही वह शासन की गलत नीति के कारण खामी रही है । मान्यवर, हमारा किसान जब खेत में काम करता है, ऊसर जमीन को लेकर उसमें काम करता है, खाद, बीज, सिंचाई का साधन जुटाता है, उसका फल उसको इतना कम मिलता है कि वह किसान वह मजदूर जो उस भूमि मे काम करता है, वह मायूस हो जाता है । उसका उदाहरण यह है कि हमारे प्रदेश में 1937 में इस पूरे प्रदेश की भूमि का बन्दोबस्त कराया गया, 40 वर्ष बीत गये और उसके बाद हमारे किसानों ने उस भूमि में सिंचाई का साधन एकत्र कर खाद डाल कर उपजाऊ बनाया । 1937 का बन्दोबस्त जब हुआ, तो उस समय खर तक उस खेत में नहीं उग सकता था । फसल नहीं उगाई जा सकती थी । लेकिन आज उसी में हम तीन-तीन फसल उगा रहे हैं । जो जमीन हमने उपजाऊ बनाई, तो वह सरकार ढाई हजार रुपया प्रति एकड़ या तीन हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उसका प्रतिकर देती है । इसका कारण यह है कि जो जमीन ऊसर और पर्ती पड़ी हुई है, हमारे किसानों को जब तक उसकी

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

भूमि का अच्छा प्रतिकर नहीं मिलेगा, तब तक किसान उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। जहां सरकार की तरफ से इन्तजाम किया गया, सरकार की तरफ से योजना बनाई गयी है, उनकी यह नीति और योजना मेरी समझ से पूर्णतया फेल है । आपने योजना के अनुसार यह दे दिया कि यह जो जलाशय, यह जो नाले हैं, तालाबों को सफाया कर दिया जाय । इसमें जो जल भरा होता है उसको निकाल देने से उसके इर्द बिर्द की फसल डूबेगी नहीं । लेकिन जो प्लान लगाया गया वह सिर्फ कागज पर ही रहा । उसको केवल अधिकारियों तक ही रखा गया या तो इनकी फाइल ब्लाक स्तर पर रही या तो सेक्रेटरी के हाथ में पड़ी हुई है । इसी तरह से इनकी जो रूपरेखा बनी, जो इनकी योजनाएं बनीं, वह सादी कागज पर ही रहीं ।

मान्यवर, अभी पिछले दौर में एक यह प्राविधान कर दिया गया कि गावों में जो सड़कें हैं या जो मैन चकरोड हैं, उसे सड़क से जोड़ दिया जाय और उसमें बीस फिट चौड़ी सड़क बनाई जायगी और अगर इससे कम जगह मिलेगी तो जो मेन रोड से जोड़ा जा रहा है वह नहीं जोड़ी जायगी । जिस अधिकारी ने इस नीति को निर्धारित किया, इस योजना को बनाया कि चकबन्दी के दौरान में जो जमीन गावों में छोड़ी गयी, वह मुश्किल से 16 फिट पड़ती है । लेकिन यह कहा गया कि 20 फिट से अगर कम होगी, तो वह नहीं बनाई जायगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोपीनाथ वर्मा—]

मान्यवर, इस तरह से जो ऊसर, बंजर, बीहड़ जमीनें जो पड़ी हुई हैं, इसके बनाने के लिये जो अधिकारियों के हाथ में दिया गया है, वे उसे अच्छी तरह से कार्यान्वित नहीं करते। जिस क्षेत्र में ट्रेनें बरसात के समय पूरी तरह से खचाखच पानी से भरी रहती है, मान्यवर, उस समय शासन से निवेदन किया जाता है कि कोई शीघ्र इन्तजाम किया जाय, तो शासन सुन तो लेता है और अगर हम भाषण देते हैं, तो भाषण भी सरकार सुन लेती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करती है।

मान्यवर, जैसा मैंने सुबह निवेदन किया था हमारे क्षेत्र में एक ड्रेन है डेहवट छिउकी जो 14-15 किलोमीटर में है। इसमें 2 हजार एकड़ भूमि किसानों की पड़ी है। उसमें कोई फसल नहीं होती है। मैंने शासन से मांग किया और अधिकारियों को लिख कर दिया लेकिन मुझे लिख कर मिल गया कि शासन के पास पैसा नहीं है, शासन इस मूड में नहीं है कि उसकी सफाई कराये तथा उसपर पुल बनवा सके। मान्यवर, जब सारी बातें अधूरी रहेंगी तो इस प्रदेश और खंड का विकास कैसे होगा। एक तरफ कहा जाता है कि बेरोजगारी नहीं है, बन्धुआ मजदूरों का नामो निशान नहीं है। अगर इन बन्धुआ मजदूरों को ऊसर भूमि आवंटित कर दी जाय, और साधन खाद, बीज का दिया जाय तो जो 5 लाख 58 हजार बन्धुआ मजदूर है, काम करते हैं और उनको मुश्किल से 35 पैसे या 25 नये पैसे मजदूरी मिलती है। वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। लेकिन यह नहीं हो रहा है। सिर्फ एक बात हो रही है कि भाषण के जरिये, रेडियो के जरिये काश्तकारों को अपनी सड़ी गली नीति पहुंचायें, चाहे वह समझ सकें या न समझ सकें उसके गनका कोई सरोकार नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हम खाद्य के सम्बन्ध में हमारी स्थिति सुदृढ़ है। आपने कहा कि इतना गेहूं क्रय करके सरकारी गोदाम में रखेंगे। आप अपने लक्ष्य में फेल रहे। आपने कहा कि 45 लाख मैट्रिक टन गेहूं क्रय करेंगे लेकिन आप 30 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद सके और 15 लाख आप दूसरे देशों से मांग रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी अध्यक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी जो केन्द्र में बैठी हैं, आप लोगों के लिये उनकी नीति का पता ही नहीं चलता।

एक सदस्य—

आप संकल्प पर बोलें।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

आप सुनना नहीं चाहते हैं मैं संकल्प पर ही बोल रहा हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी एक तरफ तो कुछ लाख टन दूसरे देश से गेहूं मंगा रही है और दूसरी तरफ वह कुछ हजार टन गेहूं दूसरे देश को भेज रही है।

(व्यवधान)

मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ बोल रहा हूं। जिस नीति के कारण जमीन परती पड़ी है उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि आप अपने कार्यों में फेल हैं। अब मैं अपनी बात ज्यादा न बढ़ाकर इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री अनवार खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस सम्बन्ध में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, श्री जयदीप सिंह का जो सुझाव है, जो संकल्प है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा, वैसे इन्होंने सुझाव बहुत अच्छा दिया है। लेकिन इसमें जो टाइम लिमिट लगायी है कि 5 वर्ष के अन्दर सारे ऊसर का सुधार कर दिया जाये, तो हमारी सरकार पहले से ही कृत संकल्प है कि ऊसर का सुधार कर रहे हैं, हमारी नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री भी इस पर विशेष रुचि ले रही हैं और तेजी के साथ प्रदेश में इस तरफ काम हो रहा है।

श्री राम स्वरूप निम—

क्या सुधार कर दिया है वह नीति बता दें।

श्री अनवार खां—

यहां सवाल इस बात का है और सदन के सामने संकल्प क्या है उसमें ऊसर सुधार की बात है और आप नीति की बात कर रहे हैं। इस पर एक शायरी कहना चाहता हूं—

तुम्हारी बात को हर बार मैंने जांचा है,
कोई फरेब से खाली तुम्हारी बात नहीं।

मान्यवर, यहां जो संकल्प है उस पर विचार करने की बात है। आप मान्यवर, देखें कि 3 साल अपने अपने शासनकाल में क्या किया है? आपने जो चौपट कर दिया है उसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है। यदि आप उस समय न होते तो बहुत कुछ हो गया होता।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वैसे इस प्रदेश के कृषि मंत्री स्वयं किसान हैं और खेती करते हैं एवं हल चलाते हैं। वह गन्ना बोते हैं। उनके बारे में कहा गया कि कृषि मंत्री ने हल नहीं चलाया है और वह राजा हैं तो यह बात सदन को गुमराह करने की बात कही गई है। कृषि मंत्री स्वयं किसान हैं। तो मान्यवर, हमारी सारी योजनाओं पर काम चल रहा है और निश्चित समय से पहले ही काम करने की बात कर रहे हैं तो आप 5 वर्ष का समय निश्चित क्यों कर रहे हैं। आप अपने समय में यह काम नहीं कर पाये हैं और हमसे यह कह रहे हैं।

मान्यवर, ऊसर की जो भूमि बचत की थी वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों और गरीबों को मकान बनाने के लिए दिया है लेकिन आप ही ने उनको कब्जा देने नहीं दिया है। आपके समय में ही हरिजनों को लूटा गया और उनकी हत्यायें की गयी हैं। क्या वह दिन आप भूल गये हैं। क्या आपने अपनी कभी करतूतों का अहसास किया है।

मान्यवर, कृषि मंत्री को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो ऊसर ज्यादा खराब हालत में हैं उनमें मछली पालन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं....।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

ऊसर में मछली पालेंगे क्या ?

श्री अनवार खां--

मान्यवर, निवेदन है कि ऊसर में तालाब खुदवा कर मछली उत्पादन का कार्य किया जा सकता है । इसमें मेरा निश्चित मत है कि खेती से ज्यादा उत्पादन मछली का होगा । इसलिए ऊसर में मछली पालन योजना पर ज्यादा जोर दिया जाय । लेकिन यह संकल्प जो टाइम के साथ लाया गया है कि 5 साल की अवधि कर दी जाय तो इस सम्बन्ध में मेरा मत भिन्न है और सरकार तो इस काम को कर ही रही है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, 5 मिनट मुझे भी दे दीजिये ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस संकल्प पर विवाद समाप्त किया जाय इसलिए प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊदल जी ने प्रस्ताव रखा है प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव पर विवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयदीप सिंह--

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने मेरे संकल्प पर अपने बहुमूल्य सुझाव रखे हैं । उनमें से कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं उत्तर देना चाहता हूं । मुझे उम्मीद है कि शासन की ओर से कोई न कोई मन्त्री महोदय इस पर अपने विचार रखेंगे । मान्यवर, पहले तो माननीय अग्निहोत्री जी ने मेरी बात की पुष्टि की इसके लिए मैं उनका आभारी हूं । उन्होंने बताया कि सारी योजनायें चाहे वह कृषि उत्पादन की हों या सिंचाई की हों वह पिछड़े क्षेत्रों में नहीं जातीं हैं । क्योंकि सरकार यह आकलन करती है कि इस योजना से कितना लाभ होगा । इसलिए पिछड़े क्षेत्र रह जाते हैं । माननीय लल्लू सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मैंने जो आंकड़े दिये है उसमें शायद कोई गलती रह गई है । जितनी मैंने जमीन बताई है शायद उससे कम होगी । तो जैसा मैंने पहले बताया 70 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी कम से कम है इसके अलावा 12·30 लाख हेक्टेयर बीहड़ और 36 लाख हेक्टेयर बाढ़ से प्रभावित भूमि इसमें शामिल नहीं हैं ।

श्रीमन्, कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस पर ट्रैक्टर से काम हो सकता है । मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । मैंने सुझाव दिया है कि इसका सुधार जनशक्ति और पशुओं की शक्ति का उपयोग करके किया जाय । ट्रैक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है । मेरा अभिप्राय श्रम शक्ति से था । माननीय सदस्य लाल प्रताप सिंह ने कहा कि यदि सभी भूमि कृषि में उपयोग की जायगी तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कृषि से मेरा तात्पर्य खाद्यान्न उत्पादन के अलावा बाग लगाने, फारेस्ट्री आदि से था क्योंकि जो नई परिभाषा है उसमें पेड़ों को कृषि की तरह फसल माना जाता है । तो इस भूमि का उपयोग कृषि तथा वन और बाग लगाने के लिये होगा ।

श्रीमन्, रोजगार के अवसरों के बारे में मैंने सोचा था कि बहुत से सुझाव मिलेंगे परन्तु इस पर बहुत कम सुझाव आये । मैं कहना चाहता हूं कि 70 लाख हैक्टेयर में कृषि से 70 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे जो छठी पंचवर्षीय योजना से भी अधिक हैं । इसके साथ ही साथ जो इस पर आधारित छोटी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह इससे लगेंगी, और इस कार्य के लिये उसमें बहुत से एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज के ग्रेजुयेट्स, जो हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे । इनके आंकड़े मैंने नहीं लगाये थे । अगर हम उन आंकड़ों पर ध्यान से गौर करेंगे तो रोजगार के अवसर और भी बहुत बढ़ जायेंगे ।

श्रीमन्, अन्त में मैं एक बात और आपके सामने जो पहले रखी थी, उसी को दोहराना चाहता हूं कि साधन, तो हमारे पास सभी उपलब्ध है इस कार्य के लिए, लेकिन उसको अमली तौर पर रूप-रेखा बनाकर लागू करने की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को सदन के माननीय सदस्यों ने महसूस तो किया है अपने-2 क्षेत्र के अनुसार लेकिन उसमें एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसमें, जो 5 वर्ष की बाध्यता रखी गयी है, वह उचित नहीं है, तो इसके संशोधन के लिए मैं तैयार हूं आप यदि चाहें कि वह अवधि 10 वर्ष कर दी जाए, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा । सरकार पर बाध्यता किसी प्रकार नहीं की जा सकती है । ऐसे न मालूम कितने संकल्प इससे पहले भी आए और पास भी हुए, लेकिन लागू अब तक नहीं हुए विधान परिषद् के बारे में संकल्प पारित हुआ तो बाध्यता किसी प्रकार की लागू हो ही नहीं सकती है सभी माननीय सदस्यों ने इस संकल्प का समर्थन किया है और सदन की भावना से शासन को अवगत होना चाहिए हां, यदि आप लोगों ने इस संकल्प की भावना को समझा है तो प्रदेश के सभी माननीय मंत्रिगण से अनुरोध करूंगा वैसे इसका विशेष सम्बन्ध तो माननीय कृषि मन्त्री जी से ही है, लेकिन हमारा अनुरोध पूरे प्रदेश की समस्याओं के लिए है, इसलिए सभी मंत्रियों से अनुरोध है कि प्रदेश की जरूरत के मुताबिक इसकी भावनाओं को समझकर सर्वसम्मति से इसका समर्थन करें ताकि सदन एक मत होकर इसे पारित करें ।

*कृ० मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह---)

मान्यवर, भाई जयदीप सिंह जी के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ऊसर, बंजर, बीहड़ और परती भूमि को जन-उपयोग बनाने हेतु संकल्प सदन में प्रस्तुत किया । यह संकल्प लाया गया है जनहित में, यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है और किसी भी प्रकार के दुराचार से यह संकल्प प्रेरित नहीं है, इसके लिए श्री सिंह व तमाम माननीय सदस्यगण, जिन्होंने अपने विचार इस पर रखे हैं, बधाई के पात्र हैं । लेकिन मान्यवर, कुछ ऐसी बातें हैं, जिन पर प्रकाश डाला गया है, उनके उत्तर भी सरकार की ओर से आने नितांत आवश्यक हैं । आज सारे देश के अन्दर और खासतौर पर इस प्रदेश के अन्दर जिस तरह की स्थिति है । उसमें बड़ी मात्रा में अविकसित, बंजर, ऊसर, बीहड़ और परती भूमि को उपजाऊ बनाना नितांत आवश्यक है क्योंकि देश की आबादी का बोझ प्रति एकड़ जमीन पर दिन प्रति दिन इंच-इंच भूमि पर बढ़ता ही चला जा रहा है और वह हमें आगे भविष्य में आने वाले खतरों से आगाह करता है कि पेट की क्षुधा मिटाने के लिये कुछ काम करें । एक तरफ देश की धरती जहां बहुत उपजाऊ है, भौगोलिक स्थिति नदियों की वजह से, पठारों की वजह से अलग-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भानु प्रताप सिंह—]

अलग है, जिसके विषय में चर्चा करना आवश्यक है । माननीय सदस्यों ने जहां पहाड़, पुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा की, बाढ़ और सूखे के विषय में चर्चा की, वहीं इस प्रदेश में इससे भूमि को बचाने के लिये तमाम सुझाव दिये, जिसके लिये मैं आभारी हूं । सरकार इस विषय में क्या कर रही है, यह बताना अपना कर्त्तव्य समझता हूं ताकि माननीय सदस्यों को जो भावना है, तो वह मेरी भावना से एवं सरकार के कार्यक्रमों से अवगत हो सकें । इस विषय में कई योजनायें चलायी जा रही हैं । प्रदेश के अन्दर 2–3 मुख्य चीजें हैं––समस्या है भूमि के कटाव की, समस्या है डूबती हुई फसलों की, समस्या है ऊसर जमीन की । ऊसर जमीन इस प्रदेश के अन्दर अभिशाप है जैसे और देशों के अन्दर मरुस्थल अभिशाप है वैसे ही इस प्रदेश के अन्दर ऊसर जमीन की बड़ी समस्या है । यह सही कहा गया कि यह इस प्रदेश का कैन्सर है लेकिन इससे निपटना भी इन्सान जानता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है । जहां ऊसर जमीन का सुधार करने के लिये तमाम कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, बाढ़ से बचाव के लिये बहुत से कार्यक्रम चलायें जा रहे हैं वहीं इस प्रदेश की भूमि को, जिसे हम धरती मां कहते हैं, उसे उपजाऊ बनाने के लिये उसका श्रृंगार करने के लिये बहुत से काम किये जा रहे हैं । यहां "श्रृंगार" से मेरा आशय है कि जब हम किसी ऐसी जमीन को देखते हैं जहां न कोई पेड़–पौधा हो, न घास हो, तो एक ऐसी स्त्री या पुरुष का चित्र सामने आ जाता है जो कि अत्यन्त विपन्न अवस्था में हो । इस प्रदेश के अन्दर ऐसी भूमि का होना अभिशाप तो है ही लेकिन साथ ही साथ यह मानवता को ललकारता भी है, पुरुष को ललकारता है कि हम इसे सम्भालने के लिये कुछ काम करें ।

प्रदेश के अन्दर तमाम बाढ़ और सूखे की स्थिति है । इस प्रदेश के अन्दर जहां–जहां जल भराव की स्थिति आती है, तो कार्यक्रम इस प्रकार का बनाया जाय कि, उन खेतों में धीरे–धीरे मेड़बन्दी करके, जब वह पानी नालों में आता है तो इस प्रकार के कार्यक्रम बनाये जायं चाहे बांस लगाने का कार्यक्रम हो । मैंने सुझाव दिया है कृषि विभाग को कि कुछ इस प्रकार की योजनायें बनाइए । जहां से मैं आता हूं बरेली से, मेरे साथी विधायक जयदीप सिंह जी भी वहीं से चुने जाते हैं, वहां भी ऊसर और बंजर की बहुत बड़ी समस्या है । हमने हल निकाला जिससे छोटे–छोटे किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं । मेरा क्षेत्र वहां खत्म होता है और जयदीप सिंह जी का वहां से शुरू होता है । ऊसर जमीन में हम वृक्षारोपण कर सकते हैं । परियोजना अधिकारियों को इस बात के आदेश दिये गये हैं कि वहां पर कींकड़, कत्था जैसी चीजें बोने का कार्यक्रम बनाया जाय । मैंने यह भी सुझाव दिया कि जो 60 डिग्री से ज्यादा ऐंगिल की जमीन हैं ।

जिससे कि पानी को रोकना उनमें सम्भव नहीं है । उनमें इस प्रकार की बन्धियां बनाई जायं कि हम उनमें बजाय गेहूं, ज्वार, बाजरा पैदा करने के हम उनमें वेद्य घास लगाने का कार्यक्रम चलायें । हम तराई की तरफ देखें तो वहां पर छोटे–छोटे किसानों ने वहां पर जल के कटाव के विपरीत वेद्य घास को लाकर लगाया है ।

मान्यवर, कटाव होने के 5–6 कारण हैं । इसमें एक कारण वृक्षों का काटा जाना भी है । नदियों और नालों के किनारे जो झांखड़ के रूप में वृक्ष लगे रहते थे, वह समाप्त कर देने के कारण कटाव बढ़ गये हैं । इन झांखड़ों

को समाप्त करने का एक ही कारण था और वह था इन्सानों को खाना बनाने के लिये जो ईंधन की आवश्यकता होती है, इसलिये उन नदी-नालों के किनारे के झांखड़ों को काट दिया गया । बनों से लकड़ी आती थी उसकी कीमत ज्यादा होती थी । इन्सान नदी, नालों के किनारे के वृक्षों और झांखड़ों को काट कर अपना काम चला लेता रहा, तो मैं कह रहा था कि वृक्षों के कट जाने से भूमि का क्षरण होता है, तो जहां पर जल-भराव है, नदी हैं, नाले हैं, वे उथले हो जाते हैं और प्राकृतिक रूप से जो जल निकासी उनका होती रहती थी, वह बन्द हो जाती है ।

सरकार ने इस विषय पर सर्वेक्षण कराने का प्रयास किया है कि जहां हजारों एकड़ में छोटे-छोटे नदी, नालों को, जो जल-भरण से समस्या पैदा होती है, उनसे फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो उन फसलों को बचाया जा सके । वहां निरर्थक रूप से नदी-नालों का जल न रुकने पाये, ऐसे आदेश सरकार ने अपने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिये हैं ।

एक सदस्य--

और क्या-क्या आदेश आपने सिंचाई विभाग को दिये हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

दो-तीन चीजें आप सुन लीजिये, अब मेरी बारी आयी है, अभी तक तो सुनता ही रहा, तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि नदी-नालों के कटाव से भू-क्षरण की बात । यह भू-क्षरण की बात ऊसर से नहीं आयी । इसके लिये इस बात पर बल दिया गया है कि पहाड़ों पर जहां कटाव की स्थिति आती है, वहां पर झांखड़ और वृक्ष लगाये जायं । वृक्षों को लगाने से भू-क्षरण की रक्षा की जा सकती है । जहां से पानी ऊपर से आता है, वहां भी उसके ऊपर भी पेड़ों का रोपड़ किया जाय और भू-क्षरण की अव्यवस्था से निपटने की जो समस्या है, उसे इस प्रकार से दूर करने का प्रयास किया जाय। भूमि के कटाव की और जल निकासी की समस्या बनी रहेगी यदि निरन्तर प्राकृतिक मुहाने बन्द होते जायेंगे ।

प्रश्न यह है कि ऊसर भूमि के अन्दर हम खेती कर सकते हैं । खेती से मेरा मतलब है जैसे कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि धान और गेहूं की उसमें उपज की जा सकती है, तो श्रीमन्, धान और गेहूं जो लगते हैं जो नई जमीन होती है, उसकी संरचना सुधारने के बाद लागत इतनी ज्यादा हो जाती है और उत्पादन का मूल्य कम हो जाता है, तो इस प्रकार से हम जिनको वह भूमि आबंटित करते हैं, वह उसको लाभप्रद नहीं समझता है ।

हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि बेघर लोगों को जमीन देकर सरकार अपने दायित्व को निभाना चाहती है । मान्यवर, शायद उनका आशय यही रहा लेकिन सरकार का आशय उनको आर्थिक रूप से बनाना है केवल मानसिक रूप से सन्तुष्ट करना नहीं । जमीन के चप्पे-चप्पे पर इंसान का अधिकार करने का भाव रहा है चाहे देश में, दूसरे देश में अतिक्रमण करके प्राप्त हो, चाहे परिवारों से सम्पत्ति मिली उसके प्राप्त कर, छीन कर, क्रय करके प्राप्त करे । सरकार ने अपना दायित्व समझा कि उन लोगों के लिए, जो एक-एक इंच के लिए वर्षों से इस देश में तरसते थे, कभी उनको भी किसी भूमि-खण्ड को अपना कहने का अवसर मिलेगा । इसी के अनुरूप उनको रोजी, रोटी, रोजगार दिलाने का लक्ष्य

[श्री भानु प्रताप सिंह---]

था । इसलिए जो सीलिंग से निकलो, 20 प्रतिशत से ज्यादा ग्राम समाज को पड़ी हुई थी, उसको उन गरीब, हरिजनों, मजदूरों को आवंटित किया गया ताकि ये उस पर खेती कर सकें और देश के अन्न उत्पादन के लक्ष्य में योगदान दे सकें ।

श्री खैरुल बशर--

कितनी जमीन दी इसको भी बता दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह---

माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि 6 लाख 22 हजार हेक्टेयर जमीन गांव समाज की और एक लाख हेक्टेयर सीलिंग की निकली हुई जमीन दी गयी । मान्यवर, खैरुल बशर साहब ने...

श्री बलबीर सिंह---

वह जो जमीन आवंटित की गयी वह उनके लिए लाभप्रद थी, केवल उनको मालिक बना दिया गया, उससे रोटी कमा सकते हैं, मकान बना सकते हैं, क्या उनको रोजी मिल गयी, क्या वह साधन सम्पन्न हो गये हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

माननीय सदस्य, रामपुर ने एक प्रश्न उठाया कि जमीन जो आवंटित की गयी है क्या यह लाभप्रद है, क्या वे किसान सक्षम हो गये हैं । इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि जिनको हमने दिया है वे ऐसे लोग हैं जिनके पास आसमान सर छुपाने के लिए था और अपनी कहने के लिए एक इंच जमीन नहीं थी । केवल इस देश के बड़े-बड़े सरमायादार, जमींदारों ने, जिनका आधिपत्य इस देश और प्रदेश की भूमि पर था, सरकार ने अपना कर्तव्य समझा कि इस देश के हर नागरिक को जिनके पास जमीन कम है, या नहीं है और उधर दूसरी तरफ वे नागरिक, इस देश के लोग, जिनके पास बहुत ज्यादा है, जिन्होंने किसी तरह से जमीन हथिया रखी है, चाहे 420 सी करके या विरासत में मिली हो, उसको सीलिंग से ले कर के मजदूरों में बाँटा जाये । गरीबों में बांटी गयी । बल्कि यह कहना चाहिए कि बांट कर अच्छा काम किया है । दूसरा सवाल है कि वह जमीन मौजूद हालत में है या नहीं । इस प्रदेश के अन्दर जो जमीन दी हैं, या जो खेती के लिए उपलब्ध है उस जमीन को खाली दे कर या खाली उनसे कह कर कि हल चलायें, या हरिजन आवंटी, सक्षम किसान कोई भी क्यों न हो, लाभप्रद खेती नहीं हो सकती जबकि कि 2-3 काम न करें । पहला पानी की व्यवस्था और दूसरा जो फसल पैदा हो उस स्थानीय वातावरण के अनुरूप हो । अगर वहां पैदा नहीं हो सकती तो कैसे पैदा करा सकते हैं । माननीय सदस्य बलबीर सिंह जी ने, हमारी कृषि स्थायी समिति के सदस्य हैं, वहां पर भी प्रश्न उठाया था और सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया था लेकिन आज मैं यहां मान्यवर, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमने ऐसा कार्यक्रम बनाया है कि सारे उत्तर प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को खेती करने की नई तकनीक नया ज्ञान, नयी जानकारी हम उन तक, ग्रामीण स्तर तक पहुंचायें । मान्यवर, उनको इस बात की जानकारी दी कि कम पानी लगाने से, ज्यादा पानी लगाने से, कम खाद डालने से और ज्यादा खाद डालने से तथा भूमि को क्षरण से बचाने से क्या-क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है । इसके लिए राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और

फिर इसके बाद ब्लाक स्तर पर किसानों को शिक्षित करने की योजना को लिया जायेगा ताकि वर्तमान कृषि की नई पद्धति से किसानों को जानकारी दे सकें। वह किसान जिसकी फसल सूख जाती है और वह किसान भी जिसकी गेहूं और धान की फसल ज्यादा नाइट्रोजन डालने की वजह से लहलहाती रहती है वह उस हरियाली को देखकर भले ही थोड़ी देर के लिए अपने को तसल्ली दे लें लेकिन जो नेजिटेटिव प्रोथ हैं और जितने लहलहाते पेड़ों से जितनी उपज होनी चाहिए वह जब अनाज को थ्रेशर द्वारा या बैलों से थ्रेश करते हैं और प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर के हिसाब के जब फसल का अनुपात लगाते हैं तो पता चलता है कि फर्टिलाइजर के उपयोग से कितना लाभ हुआ है और इसलिए हमने यह तय किया है कि उसके उपयोग को और हानि और लाभ को तमाम किसानों को बतायें और इसीलिए यह कार्यक्रम बनाया गया। मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन चीजें कहना चाहता हूं--

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप कितना समय और लेंगे क्योंकि नियमानुसार इस प्रस्ताव पर यहां प्रश्न प्रस्तुत होना है। आप नियम और विधान के अनुसार समय का ध्यान रखें ताकि प्रस्ताव पर प्रश्न प्रस्तुत हो सके।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, कई बातें कही गई और पूछी गई, उन सबका उत्तर देने के लिए 2-3 घंटे का समय तो चाहिये ही।

श्री अध्यक्ष--

यह बढ़ तो सकता था, लेकिन क्लोजर मूव हो गया है इसलिए नियमों के अनुसार सदन की राय के लिए पेश होना है। क्लोजर जब मूव किया गया तो मैंने उनको भी समय दिया और आपको भी समय दिया यदि समय बढ़ाया जायगा तो यह विवाद समाप्त नहीं होगा। यह सदन की राय जानने के लिए पेश होगा यह आप ध्यान रखें और उसी के अन्दर समाप्त करें।

श्री भानु प्रताप सिंह--

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है मान्यवर। मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

मान्यवर, इसी प्रकार पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बकरी तथा भेड़ पालने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वह अपने पशुओं के लिए चारा प्राप्त कर सकें इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इस प्रदेश के अन्दर उन पेड़ों को जब वह अपनी आयु पूरी कर लेंगे तो उससे किसानों और मजदूरों को लकड़ी प्राप्त हो सकेगी। सारे प्रदेश के अन्दर गोबर गैस प्लान और ऊर्जा की मात्रा पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि पृथ्वी के अन्दर जो जल है उसका उपयोग हम कैसे करें। इस बात की भी आवश्यकता है कि जिनको हमने भूमि दी है उनके लिए पानी की भी व्यवस्था करें।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, जिनको आप इस तरह की भूमि का आवंटन करना चाहते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं। सरकारी नलकूप लगाकर उनको ऋण देंगे, तो क्या उनसे आपके ऋण की रिकवरी नहीं हो पायेगी तो उनसे उनकी जमीन ले तो नहीं लेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मैं कह रहा था कि जो यह कहा गया कि जमीन दे देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बतला दूं कि ज्यादा अन्न पैदा करने के लिए संसाधन का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए इस बात की जरूरत है कि हम प्रदेश के उन इलाकों में जहां पानी की व्यवस्था कम है वहां सरकारी नलकूप लगावें, वहीं पर यह भी आवश्यक है कि जो दो बीघा वाले इंसान ही क्यों न हों, उनके लिए बैलों से चलने वाले रहट की व्यवस्था करें। छोटे किसान सस्ते दामों पर बोरिंग पम्प लगा सकें जिससे मशीनरी बेल, से रहट चलाया जा सके और छोटे किसानों को निजी पानी की डिलीवरी मिल सके। जब तक वे पानी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। जब तक ऐसी भूमि वाले खुशहाल नहीं होंगे उनसे उस धन की वसूली कैसे हो सकेगी। हम इस पर परीक्षण करा रहे हैं कि इन गरीबों को पानी प्राप्त करने के संसाधन दिए जायं और वे कितने सस्ते से सस्ते दामों पर उपलब्ध कराये जायं। जब तक उनको ये सारे संसाधन सस्ती कीमत पर उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक वे खुशहाल नहीं हो सकेंगे।

(व्यवधान)

मन्यवर, चूंकि मैंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप शान्ति के साथ सुना था इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य मेरी बात भी सुन लें तो यह ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि सरकार की विचारधाराओं से अवगत होना नितान्त आवश्यक है।

मैं यह कह रहा था कि बुन्देलखंड में ट्यूबवेल्स बनाने के लिए हम सिंचाई विभाग से रिग्स मशीन खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि अगर कहीं चाहे कितना ही कम मात्रा में भी निकलता हो तो उसको क्यों न निकाल लिया जाय। उसके लिए चाहे कितना भी धन खर्च हो उसे प्रदेश वहां के लोगों के लिए बर्दाश्त करेगा। यह सब का हक है कि वह अपना हक सरकार से मांगे और सरकार का काम है कि वह उनके लिए संसाधन जुटावे ताकि वे सही तरह से अपनी जिन्दगी बसर कर सकें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री भानु प्रताप सिंह—

अभी मैं अपनी बात खतम करता हूं।

एक नया प्रश्न उठाया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री एक राजा हैं और माननीय सदस्य ने कहा कि 'जाके पांव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई'। जिस भावना से यह बात कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के पद पर जनता ने कंगालों को बैठाया था तो उसको खासतौर से यह अवसर और मौका मिला था कि वह इस प्रदेश के लोगों की भलाई का काम करें तो उस समय उनके दिल में इस तरह की कोई बात नहीं आयी और उनका जो पेट और घर खाली था जिससे उनके दिल में लूट खसोट की भावना पैदा हो गयी और यहां पर लूट खसोट शुरू कर दी। यह भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्य मंत्री मिला जो भूतपूर्व राजा हैं और इसलिए उनको लूट खसोट की आदत नहीं है।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए जो संकल्प जयदीप सिंह जी ने रखा है उसका इस उद्देश्य से विरोध करता हूं कि जिस तीन चार साल की योजना की बात आपने की है इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 25–30 साल का समय लगेगा तब हम 70 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य बना पायेंगे ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए उत्तर प्रदेश शासन, प्रदेश में स्थित समस्त ऊसर, बंजर, बीहड़ और परती भूमि को आगामी पांच वर्षों में कृषि योग्य बनाकर प्रदेश के उत्पादन स्रोतों एवं जनशक्ति का पूर्ण उपयोग करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

विधान सभाओं तथा लोक सभा के चुनावों के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में संकल्प

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से म प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है कि विधान सभाओं तथा लोक सभा के चुनावों के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने हेतु व्यवस्था की जाय ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष––

इस पर विवाद जारी रहेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना गुरसराय (झांसी) में शान्ति प्रिय प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज एवं अंधाधुंध गोली वर्षा से दर्जनों लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की गई । शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गयी हैं ।

अब हम उठते हैं 21 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 2 मिनट पर सोमवार, 21 सितम्बर, 1981 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
18 सितम्बर, 1981

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 975 पर ।)

1—किसानों से अधिग्रहीत की गई प्रत्येक श्रेणी की भूमि के बाजार दर से निर्धारित प्रतिकर के अतिरिक्त 2,500 रु0 प्रति एकड़ की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान ।

2—परियोजना के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय किए जाने हेतु निष्पादित किए जाने वाले प्रतिकर की धनराशि तक किसी भी मूल्य के हस्तान्तरण के लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस से भूमि अर्जन की तिथि से 3 वर्ष की छूट ।

3—विस्थापित व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय करने के लिए निष्पादित किए जाने वाले प्रतिकर की धनराशि तक किसी भी मूल्य के हस्तान्तरण के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से भूमि अर्जन की तिथि से 3 वर्ष के लिए छूट ।

4—परियोजना से प्रभावित किसान परिवारों में से कम से कम एक व्यक्ति को निर्धारित अर्हता रखने पर पर नौकरी दिया जाना । इस सम्बन्ध में अभी तक 30 व्यक्तियों को मस्टर रोल पर नियुक्त किया जा चुका है ।

5—भूमि अध्याप्ति से प्रभावित व्यक्तियों की समस्याओं पर विचार करने एवं तत्परता से कार्यवाही करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन भी जिला स्तर पर कर दिया गया है जिसमें प्रश्नकर्त्ता भी एक सदस्य है ।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 735 पर)

विशेष वाहक द्वारा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

आजमगढ़ ।

सेवा में,

सचिव,

राजस्व परिषद्, उ० प्र०,

विभाग 2, लखनऊ ।

संख्या 1382/संग्रह दिनांक 31 मार्च, 1981

विषय---राज्याधीन सेवाओं में वर्ग 3 व 4 के छंटनी शुदा कर्मचारियों को खपाये जाने की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या 19557/2-संग्रह-17 बी-80, दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 एवं रेडियोग्राम संख्या आ-178/2 संग्रह-5-बी-81, दिनांक 27 मार्च, 1981 द्वारा मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है :—

(1) विगत तीन वर्षों में औसतन 60 संग्रह अमीन, 60 संग्रह चपरासी तथा 8 सहायक वाक़िल बाकी नवीस सीजनल कार्य के लिये लगाये गये ।

(2) शून्य है ।

(3) प्रश्न संख्या 2 के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग के कुछ अमीन व चपरासी जिनकी संख्या 8 से अधिक नहीं है सीजनल तौर पर कार्य पर लगाये जाने के लिये अवशेष हैं ।

भवदीय,

(ह०) अस्पष्ट,

कृते जिलाधिकारी,

आजमगढ़ ।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

बस्ती ।

सेवा में,

सचिव,

राजस्व परिषद्, उ० प्र०,

विभाग 2, लखनऊ ।

संख्या 161/रा० प० लखनऊ, दिनांक 30 मार्च, 1981

विषय—राजस्वीय सेवाओं में वर्ग 3 व 4 के छंटनी शुदा कर्मचारियों को खपाये जाने की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या 10557/2—संग्रह—17 बी—80, दिनांक 13—10—1980 तथा रेडियोग्राम नम्बर एस० एच० ओ०—178/2—संग्रह—5 बी/81, दिनांक 27—3—81 के संदर्भ में सूचना निम्न प्रकार है :—

(1) विगत तीन वर्षों में औसतन 148 संग्रह अमीन तथा 188 संग्रह चपरासी सामान्य कार्य के लिये लगाये गये ।

(2) शासनादेश दिनांक 6—7—77 के निर्देश आदेशों के अनुसार इस जनपद में 405 अमीन तथा 280 चपरासी खपाने हेतु हैं ।

(3) छंटनीशुदा कर्मचारियों को खपाने की सुविधा शासनादेश दिनांक 6—7—77 द्वारा तीन वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी उसी के अनुसार अभी और सुविधा देने के लिये समय की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

भवदीय,

(ह०) मुरली श्याम मनोहर,

जिलाधिकारी ।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

देवरिया ।

सेवा में,

सचिव,

राजस्व परिषद्, उ0 प्र0,

अनुभाग 2, लखनऊ ।

संख्या 364/(1)/संग्रह दिनांक 14 अप्रैल, 1981

विषयः--राज्याधीन सेवाओं के वर्ग तीन तथा चार के छंटनीशुदा कर्मचारियों को खपाये जाने की व्यवस्था ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषदादेश संख्या 19557/2-संग्रह-17-बी-80, दिनांक 13-10-1980 एवं रेडियोग्राम दिनांक 27-3-81 के संदर्भ में निवेदन है कि वर्ग 3 तथा चार के छंटनीशुदा कर्मचारियों को खपाये जाने के लिये आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यता की सुविधा के सम्बन्ध में आप द्वारा अपेक्षित सूचनायें निम्न हैं :--

(1) इस जनपद में विगत तीन वर्षों में 73 अमीन एवं 59 चपरासी को सामयिक पद पर लगाया गया है । ये सभी कृषि विभाग के छंटनीशुदा कर्मचारी हैं ।

(2) राजस्व विभाग में कोई छंटनीशुदा कर्मचारी राजस्व विभाग का नहीं है जो कार्मिक विभाग 2 के पत्र संख्या 41/2/1967, दिनांक 6-7-77 के परिभाषा में आता है । जिसका खपाना बाकी है । इस विभाग में वर्ष 1976 से या इसके पूर्व भी करीब 300 अमीन हैं जो समय-समय सामयिक पद पर कार्य करते चले आ रहे हैं जबकि सामयिक स्टाफ की स्वीकृति आती है तो वह कार्य पर लगाये जाते हैं और स्वीकृति समाप्त हो जाती है तो खाली हो जाते हैं । फिर भी छंटनी शुदा कर्मचारियों को सामयिक पद पर नियुक्ति में वरीयता दी जाती है ।

छंटनीशुदा कर्मचारियों को खपाये जाने के लिये शासनादेश, दिनांक 6-7-77 में दी गई सुविधा तीन वर्ष के लिये और बढ़ा दी जाय जिससे कि छंटनीशुदा कर्मचारियों को उस सुविधा के अन्तर्गत खपाये जा सकें । वह सूचना संग्रह अधिष्ठान में कृषि विभाग के छंटनीशुदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में है ।

भवदीय,

ह0 कीर्ति केशव प्रसाद,

अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),

देवरिया ।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

सेवा में,

सचिव,
राजस्व परिषद् उ0 प्र0,
विभाग 2, लखनऊ ।

संख्या 15/सी0 आर0 ए-ई दिनांक 5 सितम्बर, 1981

विषयः--राज्याधीन सेवाओं में वर्ग 3 व 4 के छंटनशुदा कर्मचारियों को खपाये जाने की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त परिषदादेश संख्या 19957/2-संग्रह-17-बी-80, दिनांक 13-10-1980 द्वारा मांगी गई संग्रह अधिष्ठान से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार हैं :--

(1) विगत तीन वर्षों में औसतन कितने कर्मचारी सीजनल कार्य के लिये लगाये गये :

विगत तीन वर्षों में जितनी संख्या में सीजनल कर्मचारी (अमीन एवं चपरासी) लगाये गये उनका विवरण निम्न है :--

वर्ष	वर्ग 3	वर्ग 4
1978	296	296
1979	284	284

1980 में कोई सीजनल नियुक्ति नहीं की गई । कृषि विभाग द्वारा इस जनपद के 85 छंटनीशुदा कृषि अमीन एवं 132 चपरासियों की सूची प्रस्तुत हुई है, यही संख्या छंटनीशुदा अमीनों एवं चपरासियों की है ।

(2) इस समय आपके विभाग के छंटनीशुदा कर्मचारियों की संख्या कितनी है । यह सूचना परिषद् संख्या 41/2/967-कार्मिक 2, दिनांक 6-7-77, छंटनीशुदा कर्मचारियों की परिभाषा को ध्यान में रखकर दी जाय :

(3) छंटनीशुदा कर्मचारियों को खपाने के लिये 6-7-77 के शासनादेश में दी गई सुविधायें आगे जारी रखी जायें और यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये :

कृषि विभाग में लम्बी अवधि तक कार्य करने के पश्चात् विभाग से छंटनी कर दिये जाने के फलस्वरूप परिषदादेश दिनांक 6-7-77 में दी गई सुविधाओं को अब से 3 वर्ष तक और आगे बढ़ाये जाने की संस्तुति की जाती है ।

ह0 (अज्ञात),
कृते अतिरिक्त जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

अनुबंध 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 755 पर)

सूची 'क'

1—मिल जब से स्थापित की गई है, अब तक की हानि का विवरण निम्न है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	कुल हानि	ह्रास	सकल हानि
1971-72			
(20-12-71 से			
30-6-72)	35·67	20·30	15·37
1972-73	53·58	26·52	27·06
1973-74	60·97	24·35	36·62
194-75	47·93	23·08	24·85
1975-76	43·85	19·23	24·62
1976-77	69·96	15·39	54·57
1977-78	82·79	13·34	69·45
1978-79	81·76	10·98	70·78
1979-80	74·50	8·17	66·33
	(अनन्तिम)		
1980-81	74·17	5·57	68·60
	(अनुमानित)		

2—मिल के रखरखाव एवं वेतन पर किये गये व्यय एवं उत्पादन का विवरण निम्न है :—

वर्ष	मशीनरी रखरखाव व्यय (लाख रु० में)	वेतन व्यय (लाख रु० में)	चीनी उत्पादन (क्विंटल में)
1971-72 (20-12-71 से 30-6-72)	0·77	3·57	3112
1972-73	3·61	9·75	57017
1973-74	3·51	17·02	42766
1974-75	2·84	22·84	67,345
1975-76	4·14	27·21	61821
1976-77	5·41	29·60	74521
1977-78	5·26	32·74	94480
1978-79	5·10	31·12	46155
1979-80	2·34	26·37	6015
1980-81	5·10	26·80	8918

[नत्थी 'घ'
(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 755 पर)
सूची 'ख'

क्रम सं0	विवरण	इकाई	1979–80		1980–81		1981–82		विवरण
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	गन्ना क्षेत्रफल पेड़ी पौधा	हेक्टेयर	1110	2184	1900	1365	2850	2322	वर्ष 1981–82 के गन्ना क्षेत्रफल के आंकड़े सेम्पुल सर्वे के आधार पर दिये गये हैं।
	पौधा	,,	4440	4312	5700	3541	6650	5619	
	योग ..	,,	5550	6496	7600	4906	9500	7941	
2	सिंचाई साधन :								
	निजी नलकूप	संख्या	140	102	150	152	150	2	
	पम्पिंग सेट	,,	50	95	50	34	50	5	
	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता	हेक्टेयर	1216	1120	1360	1325	1360	94	
3	राजकीय नलकूप	संख्या	10	7	10	34	10	2	
4	उर्वरक वितरण :								
	नत्रजन	मै0 टन	650	412	800	484	830	10	
	फास्फेट	,,	140	49	150	102	160	..	
	पोटाश	,,	70	2	75	70	80	1	

5	गन्ना बीज वितरण	,,	3500	1580	3500	2764	3500	..	
6	गन्ना बीज पौधशाला :	हेक्टेयर							
	आधार	,,	1	1–32	1	1–75	1	..	
	प्राथमिक	,,	10	9–34	10	11–76	10	..	
	माध्यमिक	,,	60	19–31	70	27–69	80	..	
7	प्रदर्शन	,,	35	31–35	35	34–12	35	..	
8	बीज शोधन	,,	1120	192	1120	720	1120	..	
	भूमि उपचार	,,	1120	297	1120	1552	1120	..	
	पेड़ों पर यूरिया छिड़काव	,,	1600	484	1600	330	1600	227	
9	डनलप गाड़ी वितरण	सं0	300	90	300	..	300	..	
10	छोटे कृषि रक्षा यंत्र	सं0	25	..	25	..	25	..	
11	सम्पर्क मार्ग निर्माण	कि0 मी0	10	..	5	..	5	..	
12	ट्रैक्टर ट्राली वितरण	सं0	20	38	20	26	20	..	

चीनी मिल द्वारा विगत वर्षों में क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति हेतु कृषकों को जो अनुदान आदि का भुगतान किया गया है, उसका विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	सीजन	उक्त किस्म की गन्ना बुवाई हेतु प्रोत्साहन की धनराशि	गन्ना बीज ढुलाई तथा खाद एवं कीटनाशक दवाओं पर दिये गये अनुदान की धनराशि	पम्पिंग एवं ट्रैक्टर ट्राली पर अनुदान
1	1971-72	..	150145·00	..
2	1972-73	.. 858986-38	13629·31	..
3	1973-74	.. 480213-22	..	..
4	1974-75	.. 577282-13	..	..
5	1975-76	.. ..	..	..
6	1976-77	.. ..	..	..
7	1977-78	.. ..	..	..
8	1978-79	.. ..	..	..
9	1979-80	.. ..	35335-72	} 73937-60
10	1980-81	.. ..	50590-94	

पी० एस० यू० पी०—53 वि० सभा—25-9-82—813—(पी० सी०)